भारत वर्ष में लघु उद्योगों के वित्तीयन का आलोचनात्मक मूल्याँकन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के वाणिज्य विषय
की डी० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध-प्रबन्ध
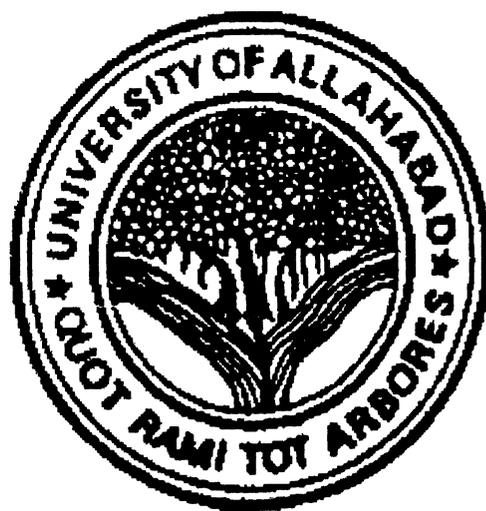
निर्देशक
डॉ० एच० के० सिंह
रीडर

शोधकर्ता
राजकुमार अग्रवाल
एम० कॉम०
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
2003

माता शेरावाली के

चरणों में समर्पित :

त्याग, तपस्या तथा
वात्सल्य की प्रतिमूर्ति
पूज्य माता, पिता,
गुरू को श्रद्धा
एवं स्नेह सहित........

अनुक्रमणिका

प्राक्कथन

किसी भी राष्ट्र की प्रगति में सर्वाधिक योगदान निः संदेह लघु उद्योगों का ही होता है। उदारीकरण के इस दौर में हमारे देश में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जाल से बिछ चुका है। ऐसे में लघु उद्योगों को अपना माल विक्रय की अतिरिक्त सुविधाएँ उपलब्ध हो गई है। आज स्थिति यह है कि हमारे देश में कुल निर्यात का 70–80 प्रतिशत भाग लघु उद्योगों से ही प्राप्त होता है। ऐसे में लघु उद्योगों की स्थापना करना शत प्रतिशत लाभ का सौदा है। विश्व के प्रायः समस्त राष्ट्र लघु उद्योगों को महत्व देकर ही आर्थिक प्रगति के मार्ग को प्रशक्त कर सके हैं। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे राष्ट्रों में एक ओर बड़े उद्योगों का तो दूसरी ओर लघु उद्योगों का भी महत्व स्वीकार किया जाता है। जापान तो वृहद और लघु उद्योगों के समन्वय का सुन्दरतम उदाहरण है।

मैने अपने शोध प्रबन्ध में प्रस्तावना, भारत वर्ष में लघु उद्योगों का विकास एवं वर्तमान स्थिति, भारत वर्ष में लघु उद्योगों के वित्तीयन के स्त्रोत, लघु उद्योग बनाम् वृहत् उद्योग, लघु उद्योग के सम्बन्ध में सरकारी नीति, लघु उद्योगों का महत्व एवं समस्याएँ तथा निष्कर्ष एवं सुझाव सहित सात अध्यायों का समावेश किया है।

मैं सर्वप्रथम माँ शेरावाली को प्रणाम करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से यह शोध कार्य मैं पूर्ण कर सका हूँ।

मैं अपने शोध निर्देशक मृदुभाषी डॉ0 एच. के. सिंह के प्रति अत्यन्त आभारी हूँ जिनके अमूल्य निर्देशन, स्नेहशीलता, सहयोग एवं प्रेरणा के परिणाम स्वरूप ही मैं अपने इस शोध कार्य को पूर्ण कर सका।

मैं अपने प्रेरणा स्त्रोत पूज्यनीय माता–पिता जी के चरणों मे अपना कोटिशः प्रणाम अर्पित करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से मैं यह शोध कार्य पूर्ण कर सका।

मैं डॉ0 मीरा सिंह(प्रवक्ता)वाणिज्य, उदय प्रताप महाविद्यालय वाराणसी का विशेष आभारी हूँ, जिन्होनें समय–समय पर मुझे अपने बहुमूल्य सुझाव एवं अनुभवों के माध्यम से सहयोग प्रदान किया।

मैं वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के अध्यक्ष प्रो0 राज शेखर जी का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होनें शोध कार्य सम्पन्न करने हेतु मेरा हमेशा उत्साह वर्द्धन किया।

मैं प्रो0 रवेन्द्रु राय, डॉ प्रदीप जैन, डॉ0 अन्जनी कुमार मालवीय, डॉ0 अजय सिंघल, प्रो0 एस. ए0 अन्सारी वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग का आभारी हूँ। जिन्होंनें सदैव अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित कर मुझे इस दिशा में आगे बढने की प्रेरणा दी।

मैं डी. कुमार एण्ड़ कम्पनी के प्रबन्धक श्री दिनेश कुमार अग्रवाल जी का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने समय–समय अपना सुझाव और सहयोग प्रदान किया है।

मैं अपनी पत्नी रूचि अग्रवाल का आभारी हूँ, जिन्होंने समय–सपम पर अपना सुझाव और सहयोग प्रदान किया है।

मैं आभारी हूँ महाप्रबन्धक राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड़, नैनी–इलाहाबाद का जिनके सहयोग से मैं यह शोध कार्य पूर्ण कर सका।

मैं आभारी हूँ अपने परिवार के अन्य सदस्य, एवं रिस्तेदारों का जिन्होनें समय–समय पर उत्साह वर्द्धन किया।

अन्त में मैं सर्वेश कुमार मिश्र एव अनिरूद्ध मिश्र को धन्यवाद देता हूँ जिन्होनें शोध प्रबन्ध को सुन्दर ढ़ंग से एवं समय पर मुद्रित करने का कार्य किया।

दिनांक :- 18-12-03

स्थान :- नैनी, इलाहाबाद।

(राज कुमार अग्रवाल)

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

CERTIFICATE

Certified that the thesis embodies Results of original research work and study carried out under my Supervision by Mr. Raj Kumar Agrawal M.Com.

18/12/03

Dr. H.K. Singh
(Supervisor)
Department of Commerce & Business Administration A.U

Department of Commerce
University of Allahabad
Allahabad

प्रस्तावना

आधुनिक बडे उद्योगों के युग में लघु उद्योगों पर पर्याप्त ध्यान नही दिया गया है। लघु उद्योगों का राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, जितना कि बड़े उद्योगों का विकसित राष्ट्रों में होता है। इनमें अपेक्षाकृत कम पूँजी का विनियोग करके अधिक उत्पादन कर सकते है। लघु उद्योगों बड़े उद्योगों के सहायक उद्योगों के रूप में भी कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं।

एक देश के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की अपनी एक अलग भूमिका होती है। इस प्रकार के उद्योग आर्थिक परिवर्तन के दौर में परम्परागत तकनीक से लेकर आधुनिक तकनीक तक का प्रतिनिधित्व करते है। लघु उद्योगों को राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के लिए एक महत्त्वपूर्ण रणनीति के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें प्राकृतिक मानव एवं पूँजीगत संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग सम्भव बनाया जा सकता है। इससे पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। लघु उद्योगों के विकास से उधमिता देशों की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से विकसित किया जा सकता है। इससे उनके आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण में अभिवृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। लघु उद्योगों की सहायता से उद्यमिता विकास एवं चातुर्य को भी व्यावहारिक आधार देकर रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते है। इसी तरह सीमित वित्तीय संसाधनों एंव उपयुक्त तकनीक के उचित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है।

लघु उद्योगों का अर्थ (Meaning Of Small Scale Industry)- लघु उद्योगों की परिभाषा में परिवर्तन होता रहा है। प्रशासकीय अथवा सरकारी परिभाषा इस सम्बन्ध में तकनीकी सम्भावनाओं को जागृत करने में असफलता सिद्ध हुई है। प्रायः यह कहा जाता है, कि लघु उद्योगों में श्रमोन्मुखी तकनीक (Labour Intensive Technology) की प्रधानता होती है। लेकिन इस मापदण्ड ने भी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में पर्याप्त सफलता नही प्राप्त किया।

एक लघु उद्योगों में विभिन्न प्रकार के तत्व सन्निहित होते है। लेकिन इतना अवश्य है कि सभी परिस्थितियों में हो सकता है कि ये तत्व उपलब्ध न हो। सामान्य दृष्टि से एक लघु उद्योग में निम्नलिखित तत्व होते है :–

1. प्रबन्ध में विशिष्टीकरण नाम मात्रा का या नही होता है। स्वामी एव प्रबन्धक के रूप में एक साथ ही उद्यमी अपने दायित्व का निर्वाह करता है। व्यवसाय के विभिन्न तत्व जैसे उत्पादन, क्रय, विपणन, वित्त, क्रार्मिक एंव अन्य कार्यों को उद्यमी कुछ सहायकों की मदद से सम्पन्न करता है।
2. व्यवसाय में लगे व्यक्तियों से उद्यमी का सन्निकट सम्बन्ध होता है। स्वामी एंव प्रबन्धक के रूप मे उद्यमी का अपने श्रमिकों, ग्राहकों, पूर्तिकर्ताओं एंव लेनदारों से प्रत्यक्ष एव सीधा सम्बन्ध होता है।
3. लघु उद्योगों के स्वामी को एक संगठित प्रतिभूति बाजार के माध्यम से पूॅजी तक पहुॅच नही पाती है।
4. बड़े उत्पादन बाजार में लघु उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण नही होती है।
5. स्थानीय स्वामित्व एवं प्रबन्ध एंव कच्चे माल के स्त्रोतों तथा व्यापार में उपस्थिति की दृष्टि से उद्यमी का लघु उद्योग मे कम जटिल अथवा सरल तकनीकी प्रबन्ध विधि तथा कुछलता का प्रयोग किया जाता है। इसमें स्थानीय कुछलता एवं चातुर्य को अभिज्ञानित (Indentified) स्थानीय समुदाय से सन्निकट एकीकरण होता है।सरलता से रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

इसमें अधः संरचनात्मक सम्बन्धी लागत भी नियन्त्रित की जाती है। इसलिए सामान्य तौर पर कहा जाता है कि लघु उद्योग तकनीकी, प्रबन्ध सम्बन्धी तथा उद्यमिता चातुर्य को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण कार्य करता है। अति लघु उद्योग एंव लघु उद्योग निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया गया है।

1. अति लघु उद्योग **(Tiny Industries)-** ऐसे लघु स्तरीय उद्योग जिसमें संयन्त्र एंव मशीनरी पर 25 लाख रूपये तक पूॅजी विनियोजन हो एंव उद्योग की स्थापना 50,000 जनसख्या वाले स्थान पर हो, अति लघु उद्योग की श्रेणी मे आते है। इस प्रकार के उद्योग प्रदेशीय उद्योग निदेशालय के अधिकार क्षेत्र मे आते है।

1. लघु उद्योग **(Small Scale Industry).** वे उद्योग जिनके संयन्त्र एंव मशीनरी पर पूॅजी विनियोजन 3 करोड़ रूपये तक हो लघु उद्योग की श्रेणी में आते है। इस प्रकार सयन्त्र एव मशीनरी में विनियोग सीमा लघु उद्योगों तथा सहायक औद्योगिक इकाइयॉ में 3 करोड़ रूपये कर दी गयी है।

- परिभाषा -

(1) स्माल इण्डस्ट्रीज के बुलेटिन के अनुसार – लघु स्तर के उद्योग एक इकाई है जहॉ 50 से कम श्रमिकों को काम दिया जाता है, यदि काम शक्ति प्रयोग करके किया जा रहा हो या कम से कम 100 श्रमिकों यदि शक्ति के बिना काम करते है और पूँजी 5 लाख से अधिक न हो।

नेशनल स्माल कार्पोरेशन ने भी लघु स्तर औद्योगिक इकाई को परिभाषित किया है, यदि एक उद्योग में शक्ति प्रयोग किया जाता है 50 से कम श्रमिक को रोजगार दिया जा रहा है एंव पूँजी 5 लाख से अधिक न हो।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार . लघु स्तर औद्योगिक बोर्ड के द्वारा एक कार्यरूप परिभाषा ग्रहण की गई, जिसके अनुसार, "सभी इकाइयाँ या कार्यालय जिसकी पूँजी विनियोग पाँच लाख से कम है और 50 से कम व्यक्तियों को रोजगार देती है। जब शक्ति प्रयोग हो रही हो।"

इधर एक मिलती जुलती परिभाषा सोसाइटी फार स्पेशल एण्ड एकोनॉमिक स्टडीज इन कैपिटल फार मीडियम एण्ड स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज द्वारा प्रमाणित की गई है। जिस प्रकार एक कार्यरत सूत्र सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने लघु स्तर के लिए विचारा था। जैसा एक इकाई जिसके

पास पूँजी विनियोग पाँच लाख से ऊपर है एंव शक्ति प्रयोग की जाती है। तब श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक न हो एंव 100 व्यक्ति शक्ति के साथ काम करते है।

भारत मे लघु उद्योगों के विकास मे वास्तविक गति चतुर्थ योजना के बाद आयी। सन् 1973–74 में लघु औद्योगिक इकाइयो की संख्या केवल 4.16 लाख थी, जो छठीं योजना के अन्त में 1984–1985 में बढकर 12.75 लाख हो गयी। यह संख्या मार्च 1986 मे बढकर 13.53 लाख हो गयी।

विकासशील देशों में छोटे पैमाने के उद्योगों की उपयोगिता और भी अधिक होती है। विशेषकर भारत जैसे देश में जहॉ पूँजी का अभाव है, लघु उद्योगों के विकास के बिना आर्थिक समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता है।

हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अब लघु उद्योगों के महत्व को स्वीकार कर लिया है। तथा स्वतन्त्रता के बाद से इनके विकास का प्रयास किया गया है। भारत सरकार द्वारा सन् 1948 एंव सन् 1956 में घोषित दोनों औद्योगिक नीतियों में लघु उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

अतः योजना आयोग ने भी हमारी विकास योजनाओं में इन्हें विशिष्ट स्थान दिया। लघु उद्योगों पर हमारी प्रथम तीन योजनाओं (1951 से 1968 तक) 459 करोड़ रूपये व्यय किये गये। तीन वार्षिक योजनाओं (1966 से 1968) में इन पर व्यय 126 करोड़ रूपये था। चतुर्थ योजना (1969-75) तक की अवधि में कुल मिलाकर 244 करोड़ रूपये इन पर व्यय किये गये।

पाँचवी योजना (1974 से 1979 तक) लघु उद्योगों के विकास पर कुल 535 करोड़ रूपये का व्यय किया गया, जिसमें से 310 करोड़ रूपये ग्रामीण एंव कुटीर उद्योग पर तथा शेष 225 करोड़ रूपये लघु उद्योगों पर व्यय किये गये।

छठीं योजना में ग्रामीण कुटीर एंव लघु उद्योगों के विकास के लिए 1780.45 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया । ग्रामीण एंव कुटीर उद्योगों में खादी तथा ग्रामीण उद्योग औद्योगिक बस्तियों, हस्तशिल्प तथा जूट उद्योग सम्मिलित है।

सातवीं योजना (1985-90) में लघु उद्योगों के लिए 2,752.74 करोड़ रूपये के व्यय का प्रावधान रखा गया। सन् 1990 तक इस क्षेत्र का कुल उत्पादन 100,100 करोड रूपये, रोजगार 4 करोड़ रूपये तथा निर्यात 7,433.90 करोड रूपये हो जायेगा।

लघु उद्योगों का अभिप्राय ऐसे उद्योगो से है जो दो शर्तो की पूर्ति करते है। प्रथम यदि औद्योगिक इकाइयॉ में शक्ति का प्रयोग होता है तो उसमें 50 श्रमिक से कम नहीं होना चाहिए। तथा 100 श्रमिक से अधिक नही होने चाहिए। कुल विनियोजित पूँजी 5 लाख रूपये से अधिक नही होना चाहिए।

अब लघु उद्योगों की पहचान मशीनो में पूँजी निवेश के आधार पर की गई है। अप्रैल 1991 में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार, लघु उद्योगों में ऐसी समस्त औद्योगिक इकाइयॉ सम्मिलित की जाती है जिनमें मशीनों एंव संयन्त्र में पूँजी विनियोग की मात्रा 60 लाख रूपये (पहले यह सीमा 35 लाख रूपये थी) अप्रैल 1991 में सहायक इकाइयों एंव लघुत्तर इकाइयों की अवधारणा भी परिभाषित की गई जिनमें पूँजी निवेश की अधिकतम सीमा क्रमशः 75 लाख रूपये और 5 लाख निर्धारित की गई है। फरवरी 1997 में इस सीमा को बढ़ा करके क्रमशः 3 करोड़ रूपये और 25 लाख रूपये कर दिया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का एक विशेष महत्त्व हैं। इन उद्योगों का महत्व इनके बीस सूत्रीय कार्यक्रमों में शामिल के कारण और भी बढ़ गया हैं। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्व इस बात से स्पष्ट हो जाता हैं, कि लघु उद्योगों द्वारा देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 49% भाग का उत्पादन किया जाता है। इन उद्योगों में अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की क्षमता होती है। इन उद्योगों मे बड़े उद्योगों की तुलना में पूँजी विनियोग कम होता है एंव इनमें रोजगार अवसर के सृजन की क्षमता अधिक होती है। कृषि व्यवसाय के मौसमी होने के कारण कृषकों को कृषि में पूरे वर्ष कार्य नही मिल पाता है। वर्ष में लगभग 200 दिन श्रमिक बेकार रहता है। देश के जिन भागों में केवल एक ही फसल होती है वहाँ कृषकों की दशा और भी खराब है। अतः कृषि

के सहायक उद्योगों के रूप मे लघु उद्योगों का विशेष महत्व है। भारतीय कृषि पर जनसंख्या का भार अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप अनार्थिक जोतों की अधिकता है। बडे उद्योगों और छोटे उद्योगों में आवश्यक समन्वय के परिणामस्वरूप लघु उद्योग बडे उद्योगो के सहायक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकते है। लघु उद्योगों द्वारा स्थानीय साधनो, स्थानीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधाएँ कराई जा सकती है।

बडे पैमाने के क्षेत्र में भारी प्रतिस्पर्धा के बावजूद छोटे पैमाने के उद्यमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतन्त्रता उपरान्त काल के दौरान विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण भाग अदा किया है। इसका प्रमाण यह है कि जहॉ 1950 में 16,000 लघु इकाइयॉ पंजीकृत (Registered) थी, वहॉ इनकी संख्या बढ़कर 1961 में 36,000 हो गयी। पिछले दशक के दौरान, लघु स्तर क्षेत्र ने इस दिशा में उन्नति की है कि साधारण वस्तुओं के बनाने के अतिरिक्त, यह बहुत सी परिमार्जित वस्तुएँ एवं बढ़िया उपकरण जैसे इलैक्ट्रनिक नियन्त्रण उपकरण, माइक्रो वेब हिस्से (Micro-Wave Components) इलेक्ट्रो चिकित्सा उपकरण, टी0 वी0 सेट आदि का निर्माण करने लगा है।

सरकार लघु स्तर क्षेत्र के विकास के लिए वस्तुओं के आरक्षण (Reservation) की नीति अपनाती चली आई है। 1972 के छोटे पैमानें के उद्योगों की अखिल भारतीय गणना (Census of Small Industries) के समय 177 मदें आरक्षित सूची में थी। 1983 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 837 कर दी गयी। इन इकाइयों में 75,00 वस्तुएँ तैयार की जाती है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation) द्वारा 1994–95 में विनिर्माण उद्यमों के सर्वेक्षण (Manufactring Enterprises Survey) से पता चलता है कि 72.4 प्रतिशत पंजीकृत इकाइयॉ ग्राम क्षेत्रों में एवं केवल 27.6 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में स्थित थी।

तालिका

छोटे विनिर्माण उद्यमों का स्वामित्व ढाँचा

	दूसरी अखिल भारतीय गणना (1987-88)	विनिर्माण उद्यमों का सर्वेक्षण (1994-95)
एक व्यक्ति का स्वामित्व	81.0 %	97.6%
साझेदारी	17.2%	1.9%
सीमित कम्पनियॉ	1.8%	-
रिर्पोट न की गयी	-	0.5
कुल	**100.0**	**100.0**

कारखाना कानून (Factory Act) के आधीन पंजीकृत इकाइयों का लगभग 98 प्रतिशत एक व्यक्ति स्वामित्व इकाइयाँ थीं एवं केवल 1.9 लगभग साझेदारी के अधीन पंजीकृत थी। 1987–88 में दूसरी अखिल भारतीय गणना में 81 प्रतिशत इकाइयॉ एक व्यक्ति स्वामित्वधीन, 17 प्रतिशत साझेदारी के अधीन एवं केवल 1.8 प्रतिशत सीमित कम्पनियॉ थी परन्तु 1994–95 के विनिर्माण सर्वेक्षण में एक भी इकाई सीमित कम्पनी के रूप में नही पायी गयी। अतः लघु उद्योगों के स्वामित्व ढ़ॉचे में एक व्यक्ति स्वामित्व का प्रभुत्व है।

सी.एम.ओ के विनिर्माण उद्यम सर्वेक्षण के (1994-95) अनुसार लघु उद्यमों का पॉचवा भाग (19.8%) लकड़ी की वस्तुओं में लगा हुआ था। 16.5 प्रतिशत खाद्य वस्तुओं में एवं 15.1 प्रतिशत मरम्मत सेवाओं में लगा हुआ था। ये तीन उद्योग मिलकर कुल इकाइयों का 51.4% थे। सूती वस्त्र हौजरी एवं सिलेसिलाए कपड़े का अन्य मुख्य क्षेत्र था। जिसमें 13.1 प्रतिशत इकाइयाँ थी। इसके बाद पेय पदार्थो एवं तम्बाकू पदार्थो में 9.8 प्रतिशत इकाइयॉ लगी थी। इसके अतिरिक्त लघु स्तर इकाइयाँ ऊन, रेशम पटशन उद्योग, कागज पदार्थो एवं प्रकाशन चमड़े एवं चमड़े की वस्तुएँ, रसायन पदार्थो, धातु पदार्थो, मशीनरी आदि में कार्य कर रही थी।

लघु उद्योगों का उत्पादन – 1973–74 और 1999–2000 के दौरान लघु स्तर इकाइयों की संख्या 4.2 लाख से बढकर 32.25 लाख हो गयी । इसी अवधि में इस इस क्षेत्र में रोजगार की मात्रा 40 लाख से बढकर 178.5 लाख हो गयी और उत्पादन 72,00 करोड रूपये से बढकर 5,78,460 करोड रूपये हो गया।

1980–81 से 1990–91 के दौरान लघु स्तर क्षेत्र मे रोजगार मे औसत वार्षिक वृद्धि 5.8 प्रतिशत एवं उत्पादन के 18.67 प्रतिशत होती है। 1990–91 और 1999–2000 के दौरान उत्पादन मे वृद्धि दर 15.7 प्रतिशत एवं रोजगार की वृद्धि दर 4% रही। इससे यह विश्वास परिपक्व हो जाता है कि अतिरिक्त श्रम को रोजगार दिलाने के लिए लघु स्तर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है। 1981–82 की कीमतों पर, छोटे पैमानें के क्षेत्र का उत्पादन 1980–81में 30,810 करोड रूपये से बढ़कर 1990–91 में 85,025 करोड रूपये हो गया। इस प्रकार इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर 11.7 प्रतिशत होती है जो इस काल के दौरान बड़े पैमाने के उत्पादन की 8.7 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर से कही ऊँची है।

1990–91 और 1999–2000 की नौवीं वर्षीय अवधि के लिए, लघु स्तर क्षेत्र के उत्पादन (1990-91) की कीमतों पर की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत थी (अर्थात् 1,55,340 करोड रूपये से 3,12,576) करोड़ रूपये। इस अवधि में रोजगार की वृद्धि दर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। दोनों सूचकों से स्पष्ट है कि लघु क्षेत्र का निष्पादन बडे पैमाने की तुलना में उचित है।

ध्यान देने योग्य बाते यह है कि लघु स्तर क्षेत्र के उत्पादन में बड़े पैमाने के क्षेत्र की तुलना में अधिक तीव्र गति से वृद्धि हुई। सत्य है समग्र औद्योगिक उत्पादन में मन्द गति की तुलना में लघु क्षेत्र का निष्पादन सराहनीय है। इस तथ्य का हमारी राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के सन्दर्भ में विशेष महत्व है। यदि लघु क्षेत्र को बड़े जोर का धक्का दे दिया जाये तो वह भारत जैसी पूँजी न्यून अर्थव्यवस्था में उत्पाद पूँजी अनुपात की ऊँची दर एवं रोजगार पूँजी अनुपात की ऊँची दर द्वारा एक स्थायीकारी कारण तत्व (Stabilising Factor) बन सकता है।

तालिका

लघु–स्तर क्षेत्र की इकाइयों का उद्योगवार वितरण

	इकाइयॉ (लाखों में)	कुल का प्रतिशत
लकडी की वस्तुएँ	28.73	19.8
खाद्य वस्तुऍ	23.94	16.5
मरम्मत सेवाऍ	21.87	15.1
पेय पदार्थ एव तम्बाकू पदार्थ	14.27	9.8
विविध विनिर्माण उद्योग	11.59	8.0
हौजरी एवं सिलसिलाए कपडे	10.94	7.5
सूती वस्त्र	8.19	5.6
अन्य	28.57	11.8
कुल	**145.04**	**100.0**

तालिका

लघु स्तर क्षेत्र में रोजगार एवं उत्पादन (उत्पादन करोड रूपये)

वर्ष	चालू कीमतों पर	1990.91 की कीमतों पर	रोजगार (लाखों में)	निर्यात चालू कीमतों पर (करोड रूपये)
1974-75	7200	-	39.7	393
1980-81	28,060	-	71.0	1,643
1990-91	1,55,340	1,55,340	125.3	9,100
1991-92	1,78,699	1,60,156	129.8	13,883
1992-93	20,9300	1,69,125	134.1	17,785
1993-94	2,41,648	1,81,133	139.4	25,304
1994-95	2,93,990	1,99,427	146.6	29,068
1995-96	3,56,213	2,22,162	152.6	36,470
1996-97	4,12,636	2,47,311	160.0	39,249
1997-98	4,65,171	2,68,159	167.2	43,946
1998-99	5,27,515	2,88,807	171.6	48,979
1999-2000	5,78,470	3,12,576	178.5	53,975

वार्षिक चक्रवृद्धि दर

1974-75 से 1980-81	21.4	8.7	8.7	22.6
1980-81 से 1990-91	18.6	11.7	5.8	18.6
1990-91 से 1999-2000	15.7	8.1	4.0	21.9

नोट. 1973–74 से 1980–81 और 1980–81 से 1990–91 के लिए वृद्धि दरों 1981.82 की कीमतों पर परिकलित की गयी है।

लघु उद्योगों के अन्तः राज्यीय वितरण से पता चलता है कि 6 राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश एंव गुजरात मे लघु क्षेत्र की कुल इकाइयों का 59% भाग स्थित था। इनके द्वारा कुल रोजगार का 62% रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसमें कुल अचल परिसम्पत्ति का 66% लगा हुआ था। एव कुल उत्पादन का 69% भाग उत्पन्न होता था। वे राज्य के लघु स्तर के उद्योगों को प्रोत्साहित करने में बहुत पिछडे हुए हैं, उनमे राजस्थान, मध्य प्रदेश एंव उड़ीसा शामिल है।

कुछ जिलों में विशिष्टीकरण के कारण भी लघु स्तर की इकाइयों में सकेन्द्रण जान पडता है। ऊनी हौंजरी की 92% इकाइयॉ में लुधियाना में थी, सूती हौंजरी की 82% इकाइयॉ लुधियाना, कलकत्ता, एंव दिल्ली में थी। साइकिल की पुर्जो की 62% इकाइयाँ लुधियाना, जालन्धर, हावड़ा, बम्बई में थी। 1987–88 में 2 लाख रूपये से कम अचल पूॅजी (Fixed Capital) वाली इकाइयों का अनुपात लघु क्षेत्र में 84% था। इसी प्रकार 10 लाख रूपये से कम उत्पादन वाली इकाइयों का अनुपात 89.2% था।

लघु उद्यम बीते समय में विवादास्पद विषय रहा है। यह विवाद अभी भी चल रहा है। कुछ राजनीतिज्ञ लघु उद्यमों के प्रबल समर्थक है। किन्तु कुछ अर्थशास्त्री एंव उद्योगपति इनके विरोधी है। लघु उद्यमों के विकास के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :–

– ये बड़े पैमाने पर तत्काल काम जुटाते है, राष्ट्रीय आय के अपेक्षाकृत अधिक न्यायपूर्ण वितरण का आश्वासन करते है और पूँजी एंव कौशल के साधनों को प्रभावशाली ढंग से गति देते है। अन्यथा ये साधन अप्रयुक्त ही रह जाएँ। योजनारहित नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं में से बहुत सी ऐसी है। जिन्हे देश भर में औद्योगिक उत्पादन में लघु केन्द्रों की स्थापना करके दूर किया जा सकता है।

औद्योगिक नीति प्रस्ताव में चार तर्क प्रस्तुत किए गये है–

1. <u>रोजगार सम्बन्धी तर्क (Employment Argument)</u> :- कर्वे समिति ने इस युक्ति पर बल देते हुए लिखा है "सफल लोकतन्त्र के लिए स्व–रोजगार (Self- Employment) का सिद्धान्त कम से कम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वशासन (Self Government) का रोजगार विषयक युक्ति इस धारणा पर आधारित है कि लघु उद्यमों के श्रम प्रधान होने के कारण उनमें विनियुक्त युक्ति इस धारणा पर आधारित है कि लघु उद्यमो के श्रम प्रधान होने के कारण उनमें विनियुक्त पूँजी की इकाई अपेक्षाकृत अधिक रोजगार कायम करती है। यह भी माना जाता है, कि बडे उद्यमो की तुलना में छोटे उद्यमों पर अन्य प्रकार से जो थोडी अधिक लागत आती है उसकी हानि की पूर्ति अंशतः लघु उद्यमों के उपरिव्यय पर होने वाली कम लागत से हो जाती है। अतः यह आग्रह किया जाता है कि पूँजी वस्तु उद्योगों एंव सामाजिक तथा आर्थिक आधार संरचना के निर्माण को छोड़कर विकास शील अर्थव्यवस्था में उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में लघु उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि इनमें दुलर्भ पूँजी की अपेक्षाकृत कम मात्रा द्वारा रोजगार का विस्तार किया जा सकता है।

लघु स्तर उद्योगों की रोजगार निर्माण क्षमता बड़े पैमाने के क्षेत्र से 8 गुना है। इसके अतिरिक्त अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वृहद् स्तर क्षेत्र की तुलना में लघु स्तर उद्योगों का उत्पाद पूँजी अनुपात 3 गुना है। चाहे इनकी श्रम उत्पादिकता सापेक्ष दृष्टि से कम है। इस तर्क के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्पादन एंव रोजगार दोनो ही दृष्टियों से विनियोग की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा लघु स्तर उद्योगों की पक्ष में बाँटी जानी चाहिए

तालिका

विनिर्माण उद्यमों में पूँजी रोजगार एंव उत्पादन

वर्ष	पूँजी आकार	प्रति श्रमिक अचल पूँजी	प्रति श्रमिक मूल्य वृद्धि	प्रति इकाई अचल पूँजी पूँजी पर मूल्य वृद्धि
1974-75	लघु	3,706	4,790	1.29
	मध्यम	7,935	8,785	1.11
	बडी	30,536	13,736	0 43
	लघु	16,582	7,051	0.43
1978-79	मध्यम	27,610	12,521	0.45
	बड़ी	68,166	15,903	0.23

चाहे छोटे पैमाने के उद्योगों में बढते हुए आधुनिकीकरण के कारण चाहे पूँजी श्रम अनुपात बढ़ रहा है। फिर भी 1978–79 के ऑकड़ों से यह पता चलता है कि बड़े उद्यमों मे पूँजी श्रम अनुपात छोटे उद्यमों की तुलना में 4 गुना है। उत्पाद पूँजी अनुपात भी छोटे उद्यमों में अनुकूल है।

तालिका

भारतीय उद्योगों में उत्पादक पूँजी रोजगार और मूल्य वृद्धि **(1994-95)**

प्लान्ट एंव मशीनरी का कुल मूल्य	प्रति कर्मचारी उत्पादक पूँजी	प्रति कर्मचारी मूल्य वृद्धि	प्रति पूँजी की इकाई इकाई के लिए मूल्य वृद्धि
1. अति लघु इकाइयॉ (5 लाख रू0 से कम)	33,020	25,683	0.78
2. लघुस्तर इकाइयाँ (50 लाख रू0 तक)	104,826	64,198	0.61
3. बड़ी इकाइयाँ (50 लाख रू0 से अधिक)	5,89,523	1,61,371	0.27

1994-95 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकडो से पता चलता है कि लघु इकाइयों की तुलना में बड़े पैमाने की इकाइयों में प्रति कर्मचारी उत्पादक पूँजी 5.6 गुना अधिक है। परन्तु पूँजी की प्रति इकाइयो की तुलना में बड़ी इकाइयों में 2.5 गुना अधिक है। 1994-95 का सर्वेक्षण रोजगार एंव उत्पादन की दृष्टि से लघु इकाइयो को बढावा देने का समर्थन करता है ताकि पूँजी न्यून देश उत्पादन एव रोजगार के लक्ष्यो मे समन्वय स्थापित कर सके।

2. समानता सम्बन्धी तर्क (Equailty Argument)·- इस तर्क का सार यह है कि बडे उद्यमों में होने वाली आय समाज में अधिक व्यापक रूप मे वितरित होती है। लघु उद्यमो की आय का लाभ बहुत अधिक लोगों को होता है। जबकि बडे उद्यमों से आर्थिक सत्ता के सकेन्द्रण को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार लघु उद्यम आय के वितरण में अपेक्षाकृत अधिक समानता लाने का साधन है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि लघु उद्यमों में से अधिकॉश एक व्यक्ति स्वामित्व या साझेदारी संस्थाएँ है जिनके फलस्वरूप उनमें मालिक एंव श्रमिकों के बीच सम्बन्ध अधिक सौहार्दपूर्ण रहता है।

3. अन्तर्निहित साधन सम्बन्धी तर्क (Latent re sources Argument): इसका अभिप्राय यह है कि लघु उद्यम अपसंचित धन, उद्यम योग्यता आदि अन्तर्निहित साधनों का उपयोग करने में समर्थ होते है। लघु उद्यमों के कारण छोटे उद्यमकर्ताओं का एक ऐसा वर्ग उभर आता है। जो अर्थव्यवस्था में गतिशीलता का संचार करता है। धर एंव लाइड्रल के मतानुसार, "लघु उद्योग में उद्यमकर्ताओं को अपेक्षाकृत कम पारिश्रमिक मिलता है। लघु उद्यम ऐसे वातावरण के निर्माण में सहायक होते है। इस प्रकार के वतावरण में निजी उद्यमकर्ताओं को स्थानीय उद्यमों और लागत बचाने के उपयों में अपनी अन्तर्निहित प्रतिभा की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। स्वतन्त्रता के पश्चात् बड़ी संख्या में फर्मों का विकास इस तथ्य का प्रमाण है कि यदि बिजली सम्भरण एंव ऋण सुविधा आदि के रूप में आधारभूत परिस्थितियाँ कायम कर दी जायें तो लघु उद्यम विकसित होकर अर्न्तनिहित उद्यम साधनों का उपयोग कर सकते है।

4. <u>विकेन्द्रीयकरण सम्बन्धी तर्क (Decentralization Argument):</u>. इस तर्क द्वारा उद्योगों के विभिन्न प्रदेशों में फैले होने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। बडे उद्योग बडे शहरो में ही केन्द्रीत रहा करते है। छोटे नगरों एंव देहातों को भी आधुनिक औद्योगीकरण का लाभ प्राप्त हो सके। इसके लिए लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। देश का औद्योगीकरण तभी पूर्ण कहा जा सकता है, जब उद्योग देश भर में दूर–दूर तक फैले हों। यह सच है कि प्रत्येक गॉव में लघु उद्योग आरम्भ नही किये जा सकते हैं किन्तु कई ग्रामों मे समूह बनाकर उनमे ऐसे लघु उद्योग चलाये जा सकते है।

अतः बडे उद्यमों के साथ–साथ छोटे उद्यमों का विकास भी किया जाना चाहिए। सरकार की स्वीकृत नीति भी यही है। रोजगार सम्बन्धी तर्क में निश्चय ही काफी बल है, किन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें अन्ततः ऐसे लघु उद्योग स्थापित नही करने है जो अक्षम हो। दीर्घकाल की दृष्टि से विचार करने पर लघु उद्यमों को जारी रखने का समर्थन केवल उसी अवस्था में किया जा सकता है जब कि उनमें काम करने वाले तकनीकी दृष्टि से प्रगतिशील एंव कार्य कुशल बनने की क्षमता रखते हो। अन्तरिम अवस्था में इन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए एंव सरकार को ऐसी परिस्थितियों कायम करनी चाहिए जिनमें ये उद्योग विकसित हो सके।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 1948 की औद्योगिक नीति से लेकर 1956–1957 तथा 1980 के औद्योगिक नीतियों में लघु उद्योगों के महत्व को स्वीकार करके इनके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी उपाय किये गये है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सुविधाएँ, रियायते, उत्प्रेरणाओं एंव मार्ग दर्शन के रूप में लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयास किये गये है।

लघु उद्योगों के विकास के लिए 1948 की औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों में समन्वय स्थापित करने के अतिरिक्त इनके विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौपी गई। 1956 की औद्योगिक नीति में लघु उद्योगों के विकास के लिये बड़े पैमाने के उद्योगों का उत्पादन

सीमित करने का प्रस्ताव किया गया। लघु उद्योगो में उत्पादन के लघु क्षेत्र के लिये सुरक्षित कर दिया गया है। सन् 1968 में ऐसी सुरक्षित सूची में केवल 46 वस्तुएँ थी जिनकी संस्था 1997 के औद्योगिक नीति मे बढाकर 504 कर दी गई। लघु उद्योगो के विकास के लिये 247 पिछडे जिलों में से 101 विशेष पिछडे जिलों में इन उद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार उनके पूँजी विनियोग पर 15% या 15 लाख रूपये (जो भी कम हो) नकद उपादान देने की व्यवस्था करती है। अनेक राज्यो द्वारा भी ऐसा उपादान दिया जाने लगा है जिनमे केन्द्रीय सरकार की योजना नही है। इंजीनियर उद्यमियों द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयॉ के लिये बैंकों एंव अन्य वित्तीय सस्थाओं के लिए गये ऋणों पर देय ब्याज पर उपादान केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है।

लघु उद्योगो द्वारा प्रयोग किए जाने वाले माल एवं कल पुर्जो के आयात के लिए लाइसेन्स दिये जाने में इन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ अभाव वाली वस्तुओं के आयात के लिए लघु क्षेत्र के उद्यमियों की खुले सामान्य लाइसेन्स व्यवस्था के अन्तर्गत लाइसेन्स दिये जाते है। 1984 के अन्त में लघु उद्योगों के लाभ के लिए लाइसेन्स के आधार पर आयात की जाने वाली वस्तुओं में से 467 वस्तुऍं को खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत रखा गया है। लघु औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन करो, आय करो, ब्रिकी करो में रियायतें दी जाती है। लघु औद्योगिक इकाइयों को 70 निर्धारित वस्तुओं को उत्पादन कर से छूट दी गई है। इन उद्योगों के विकास के लिए अन्य विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ तथा प्रेरणाएं दी जा रही है। जैसे सुरक्षा जमा राशि एवं अर्नेस्ट मनी को जमा करने की अनिवार्यता से छूट, पंजीकरण शुल्क से मुक्ति तथा आवेदन फार्मो का निःशुल्क वितरण आदि।

भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न वित्तीय संस्थानों को यह निर्देश दिया है कि उनके द्वारा दिये जाने वाले ऋणों एवं अग्रिमों का 40% प्राथमिकता क्षेत्र को दिया जाएं और लघु उद्योगों के क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र के एक प्रमुख अंग के रूप में मान्यता दी जाये। सन् 1985 के अन्त में प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये कुल ऋणों का 35.9% लघु औद्योगिक क्षेत्र को प्राप्त हुआ था।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा लघु उद्योगों के 12.25 लाख उद्योगो को 5.1 हजार करोड रूपये का ऋण दिया गया था। लघु उद्योग क्षेत्र को व्यापारिक बैंको, राज्य के वित्तीय निगम, सहकारी बैंको एवं औद्योगिक बैंक द्वारा साख की सुविधाएं प्रदान की जाती है। उपरोक्त संस्थाओ से वित्त प्राप्त करने के अतिरिक्त औद्योगिक विकास बैक द्वारा पुनवित्त की सुविधा, बीमा औद्योगिक इकाइयों के लिए मार्जिन धनराशि पर कम ब्याज पर दीर्घ काल के लिए प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैक द्वारा 1960 से साख गारण्टी योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किये गये ऋणो की गारण्टी प्रदान करता है।

लघु उद्योगों के सहायतार्थ संस्थाएं के रूप मे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 1955 में स्थापित किया गया है। संगठन का सर्वप्रमुख उद्देश्य लघु उद्योगों में निमित्त वस्तुओं की बिक्री के लिए सरकारी खरीद को सुगम बनाना था। इन उद्योगों को बड़े उद्योगों की तुलना में 15% मूल्य की प्रमुखता मिल जाती है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लघु इकाइयों को निःशुल्क टेंडर नोटिस भेज सकता है। निगम की सिफारिश पर कोई भी बैंक आसानी से ऋण स्वीकृत कर लेता है।

सन् 1953 में लघु उद्योग विकास संगठन स्थापित किया गया । लघु उद्योग की विकास सम्बन्धी नीतियाँ तैयार करने में यह संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा विभिन्न विशेष कार्यो की पूर्ति के लिए राज्यों में लघु उद्योग निगम को स्थापित किया गया है। राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन निगमों द्वारा किये जाने प्रमुख कार्यो में औद्योगिक संस्थान कें प्रबंधन एवं विकास में सहायता, कच्चे माल का वितरण, आयात निर्यात में सहायता, औद्योगिक इकाइयों का विकास, लघु उद्योगों को प्रबन्धकीय तकनीकी एवं वित्तीय जानकारी देने के साथ–साथ तत्सम्बन्धी उपलब्ध कराना।

भारत सरकार ने विभिन्न उद्योगां में बनने वाले कच्चे एवं पक्के माल की गुणवत्ता का स्तर बनाएँ रखने के लिए भारतीय मानक संस्थान की स्थापना की। बाद में इस संस्थान का

नाम बदलकर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रख दिया गया है। यह संस्थान विभिन्न वस्तुओं के आदर्श गुण तथा उनके परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरणों तथा मानकों के बारे में भारतीय मानक प्रकाशित करना है। लघु उद्योग के उत्पादों के सम्बन्ध में लगभग सभी मामलों पर यह संस्थान जानकारी उपलब्ध कराने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अब तक भरतीय मानक सस्थान में छह हजार से भी अधिक भारतीय मानक तय किये है । संस्थान की प्रमापीकरण मानक योजना लघु उद्यमियों के खरीद दार को यह विश्वास दिलाती है कि इन उद्यमो में उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता की परीक्षा कर ली गई है।

पूर्व मे उद्योगों को लम्बे समय तक उचित दरों पर कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता था। इसके अलावा यदि इन्हें कच्चा माल मिल भी जाता तो उसकी दर इतनी अधिक होती थी कि वे इसे खरीद पाने में अपने आपको असमर्थ पाते थे। इसका लाभ बडे उद्योग ले जाते थे। इसलिए आयतित कच्चे माल को उचित दर पर लघु उद्योगो को उपलब्ध कराने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड की 1956 में स्थापना की गई। यह निगम पूर्णतः सरकारी है क्योंकि इसकी स्थापना के लिए सम्पूर्ण धनराशि भारत सरकार ने उपलब्ध कराई है। साथ ही साथ कच्चे–पक्के माल के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन एवं लघु उद्यमियों को सहायता देने के लिए अनेक निर्यात प्रोत्साहन आयोगों की स्थापना की गई है। अपने सदस्यो को निर्यात नीति में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों की जानकारी उपलब्ध कराना। विदेशी बाजार से सम्बन्धित जानकारी को लघु उद्यमियों तक पहुँचाना है।

लघु उद्योगो के विकास एवं उन पर नजर रखने के लिए देश मे प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारो द्वारा उद्योग निदेशालय स्थापित किये गये है। प्रत्येक व्यापारिक समुदाय किसी न किसी संघ या संगठन की स्थापना करता है। लघु उद्योगों की समस्याओं एवं हितो की रक्षा करने के लिए भी एक संस्था की स्थापना की गई है जिसे भारतीय लघु उद्योग संघ कहा जाता है। कहीं कहीं इस संघ को फेड़रेशन ऑफ एशोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिया के नाम से जाना जाता है। जिला प्रदेश एवं राष्ट्रीय सभी स्तरों पर यह संघ कार्यरत है। लघु उद्योगों

का विकास करने के लिए प्रबन्धन एवं तकनीकी सूचनाए आदि के आदान प्रदान की व्यवस्था, लघु उद्योगों के लिए सामूहिक संस्था के रूप में प्रतिनिधित्व करना तथा इन उद्योगो की विभिन्न संस्थाओ के साथ समन्वय स्थापित करना। लघु उद्योगों के बारे में विभिन्न स्त्रोतो से सूचनाएं एकत्रित करना। इन सूचनाओं के बारे में औद्योगिक, शैक्षणिक व्यापारिक तथा अनुसधान संस्थाओं को अवगत कराना तथा उन्हें सहयोग देना। सर्वेक्षण एव अनुसंधान सम्बन्धी कार्यो का संपादन करना।

विज्ञान तथा औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की गयी थी। परिषद की स्थापना 1942 मे एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। परिषद का उद्‌देश्य देश में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, उसका मार्गदर्शन तथा समन्वय करना, उद्योग तथा व्यापार की समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। अनुसंधान के परिणामों का उपयोग करना। परिषद का प्रमुख उद्‌देश्य देश में औद्योगिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को संचालित करना।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भी लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयास किये गये थे। लेकिन वे प्रयास केवल योजना मात्र ही थे और उनके द्वारा उद्योगों का विकास नही किया जा सका। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश की राष्ट्रीय सरकार ने देश के विकास में इन उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया गया। 1948 में घोषित देश की प्रथम औद्योगिक नीति में इन उद्योगों के महत्व पर प्रकाश ड़ाला गया। योजना आयोग ने भी अपना मत व्यक्त किया था कि इन उद्योगों को पंचवर्षीय योजनाओं में उचित स्थान प्रदान किया जायेगा। इन उद्योगो की उन्नति के लिए सरकार विभिन्न प्रकार से प्रयत्नशील है। पिछले दो दशकों से इस ओर काफी तीव्र गति से काम हो रहा है। इन उद्योगो के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक अलग विभाग खोला है जिसे लघु उद्योग विभाग कहते है। इस विभाग के निर्देशन एवं परामर्श के लिए एक अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड़ स्थापित किया गया है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार

ने अनेक बड़ी बडी संस्थाएँ स्थापित की हैं जिसमे अखिल भारतीय हथकरघा उद्योग की स्थापना अक्टूबर 1952 मे की गई। यह बोर्ड हथकरधा उद्योग के विकास के लिए कार्य करता है। इस बोर्ड ने सहकारिता के आधार पर उद्योगों को विकसित करने पर बल दिया है। सरकार द्वारा लघु उद्योगों को पर्याप्त तकनीकी सुविधाएँ प्रदान की गई है। इसके लिए औद्योगिक विस्तार सेवा का आयोजन किया है जिसके अन्तर्गत 16 लघु प्रयोगशलाएँ, 7 प्रादेशिक सेवाशालाएँ और 65 विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन द्वारा नियमित रूप में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इस संस्थान में लघु उद्योग को विभिन्न औद्योगिक कार्यो के लिए वर्कशाप और माल की जाँच के लिए प्रयोगशाला की सुवधिाएँ देने का प्रबन्ध किया है। राज्य सरकारों ने "राज्य उद्योग सहायता अधिनियमों" के अन्तर्गत इन उद्योग के लिए ऋण की सुविधाएँ को काफी बढा दिया है। अब इन उद्योगों को राज्य सरकारों से अपेक्षाकृत अधिक उदार शर्तो पर और आसानी से ऋण उपलब्ध होने लगा है। सरकार के अतिरिक्त राज्य वित्त निगमों, भारतीय ऋण समितयों आदि की ओर से भी इन उद्योगों को पहले से कही अधिक मात्रा में ऋण सुविधाएँ उपलब्ध होने लगी है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्ड़िया ने सरकार की ओर से 1960 में लघु उद्योगों की सहायता के लिए साख गारण्टी योजना चालू की। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिए जाने वाले ऋणों को गारन्टी जी जाती है।

सरकार लघु उद्योग क्षेत्र में सहकारी संगठन को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार और योजना आयोग इस बात को स्पष्ट स्वीकार करते है कि इन उद्योगों के स्वस्थ एवं तीव्र विकास में औद्योगिक सहकारी समितियाँ काफी हाथ बँटा सकती है। मुख्यतः इन्हीं के माध्यम से ये उद्योग सहकारी सहायता से लाभ उठा सकते है। द्वितीय योजना के अन्त में देश 33,266 में औद्योगिक सहकारी समितियाँ थी जिनकी संस्था बढ़कर 1973-74 मे 48,000 हो गई। 1966 मे औद्योगिक सहकारिता के राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई है। इस संघ का उद्‌देश्य औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित माल के थोक व्यापार और निर्यात में सहायता देना है।

लघु उद्योग की उन्नति के लिए देश के विभिन्न मार्गो में औद्योगिक बस्तियॉ स्थापित की गई है। इन बस्तियों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारो को ऋण देती है। इन बस्तियों का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगो को समान रूप से आवश्यक सेवाएँ तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराना है जो उन्हें अलग नहीं मिल सकती जैसे अलग सुविधाजनक स्थान, बिजली, पानी, गैस, रेल से माल उतारने चढाने की सुविधा आदि। इन उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वह है कि इन उद्योगों को बडे उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धा से बचाने की व्यवस्था। सरकार इस बात को मानती है कि इन उद्योगों को सरकारी सहायता द्वारा ही बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धा से बचाया जा सकता है। जैसे कि कुछ क्षेत्रों को लघु उद्योागों के लिए सुरक्षित रखना, इनको अतिरिक्त छूट का अनुदान देना, मील उद्योगों पर उपकर लगाना आदि।

पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों को उनके महत्व के अनुरूप उचित स्थान दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत इन उद्योगों के विकास पर 43 करोड़ रूपये व्यय किये। जून 1955 में कर्वे समिति की नियुक्ति की गई इस समिति ने बताया है कि ये उद्योग अपेक्षित है और इनके विकास के लिए पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इनके विकास के लिए 6 विशिष्ट बोर्ड की स्थापना की गई और समिति ने वस्त्र उद्योग पर विशेष बल दिया। खादी वस्त्र उद्योग, कृषि उपकरण जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए इन्हें इसी उद्योग में सम्मिलित कर दिया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन उद्योगों पर लगभग 180 करोड रूपये व्यय किये गये। सरकार ने कर्वे समिति की मुख्य सिफारिशों पर अमल करने की चेष्ठा की इस अवधि में एक उद्योग विस्तार सेवा विकसित की गई। 66 औद्योगिक बस्तियों का निर्माण किया गया। 1959–60 में औद्योगिक सहकारिताओं की संख्या 29,000 हो गयी । जिनमें 11,200 हैण्डलूम बुनकर समितियाँ थी।

तृतीय योजना और तीन वार्षिक योजनाएँ की अवधि में इन उद्योगो के तीव्र विकास और सुधार का कार्यक्रम रखा गया। सार्वजनिक क्षेत्र में 240.76 करोड रूपये एव निजी क्षेत्र में 275 करोड रूपये व्यय किये। इस योजना अवधि में विभिन्न दिशाओं में विकास करने के कार्यक्रम किये गये। जैसे श्रमिक के उत्पादन में सुधार करना, संस्थागत वित्त की उपलब्धि करना, छोटे उद्योगों का बडे उद्योगों के सहायक के रूप में विकास करना। तीन वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत इन उद्योगों के विकास में 132.6 करोड रूपये व्यय किये 1968-69 के अन्त तक राज्य उद्योग निदेशालयों में 1,40,000 लघु स्तरीय इकाइयॉ पंजीकृत थी। जब कि 1962 में लगभग 36,000 इकाइयॉ थी। मार्च 1969 में लगभग 348 औद्योगिक बस्तियॉ स्थापित हो चुकी है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में 293 करोड़ रूपये व्यय करने का प्राविधान था, लेकिन 250 करोड रूपये ही व्यय किये गये। इस काल में छोटे उद्योगों की उत्पादन तकनीकी को उन्नत करना, उद्योग के विकेन्द्रीकरण एंव फैलाव को उन्नत करना एंव कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना आदि। पंचम पंचवर्षीय योजना पॉचवी योजना अवधि में गरीबी एंव उपभोग में असमानता को कम करने की दिशा में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वित्तीय सहायता देकर पिछडे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाना, औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना का विस्तार किया गया।

संशोधित पाँचवी योजना में इनके विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 535 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी थी। जिसे बाद में घटाकर 510 करोड़ रूपये कर दिया गया लेकिन योजना के दौरान वास्तविक व्यय 388 करोड़ रूपये का ही हो सका। लघु उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन जो 1974-75 में 538 करोड़ रूपये का था, 1977-78 में बढ़कर 1,000 करोड़ रूपये हो गया। लघु क्षेत्रों की सहायता के लिए जिले को केन्द्रीय बिन्दु बनाया गया। हर जिले में ऐसा संगठन स्थापित किया गया जो इन उद्योग की सभी जरूरतें पूरी कर सके। इसका नाम जिला उद्योग केन्द्र रखा गया। ये केन्द्र मिलों में कच्चे माल की उपलब्धि,

मशीनरी की आपूर्ति, कच्चे माल की व्यवस्था एंव ऋण दिलाने का प्रबन्ध करते है। राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी उम्मीद की गयी कि वे छोटे ग्रामीण उद्योगों के लिए निश्चित अनुपात में ऋण उपलब्ध कराये जिससे कि इस क्षेत्र के उद्योग वित्तीय साधनों से वंचित न रह जाये।

छठी पचवर्षीय योजना मे लघु उद्योगों को राष्ट्रीय विकास नीति के महत्वपूर्ण अग के रूप मे स्वीकार किया गया। इस योजना मे इन उद्योगों के विकास हेतु एक विशेष योजना बनाई गयी जिसके अन्तर्गत देश के कुल 5,011 विकास खण्डो में से प्रत्येक खण्ड मे प्रति वर्ष निर्धनता रेखा के नीचे के 50 परिवारों को प्रशिक्षित किया जाये। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न लघु उद्योगों के लिए उत्पादन रोजगार एंव निर्यात के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे।

सातवीं योजना के प्रारम्भिक प्रपत्र में स्वीकार किया गया है कि उत्पादन रोजगार एंव निर्यात की दृष्टि से इन उद्योगों का अर्थव्यवस्था के अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग के रूप में विशेष स्थान है। अतः इस क्षेत्र के विकास की नीतियों को वित्तीय एंव करों की दृष्टि से उधार तथा प्रबन्ध व्यवस्था की दृष्टि से कुशल बनाया जाना चाहिए। सातवीं योजना में इन उद्योगों पर 2,752 करोड रूपये व्यय करने का प्रावधान था।

आठवीं योजना में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण औद्योगिक की नीति पर अधिक बल दिया गया। आठवीं योजना के अन्त में 1996-97 में लघु इकाइयों की संख्या 285 लाख थी। जिनका उत्पादन मूल्य 4,12,636 करोड़ रूपये था। जिसमें 160 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। खादी कपड़े का उत्पादन जो वर्ष 1991-92 में 114 मि. मी. था। वह 1996-97 में बढ़कर 125 मि. मी. हो गया।

नौवीं योजना में लघु उद्योगों को वरीयता क्रम में रखा गया है जिससे कि ग्रामीण विकास को गति मिल सके। इस योजना में तकनीक, उचित तकनीक का हस्तानान्तरण एंव प्राप्ति को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जायेगा। लघु क्षेत्र की सहायता के लिए सरकार ने कई नीतियों को लागू करने का निर्णय लिया है जैसे वृहद् एंव मध्यम इकाइयों को लघु स्तरीय इकाइयों की 24% अंश भागीदारी की इजाजत देना एंव लघु

इकाइयो के सम्बन्ध मे श्रम कानूनों का सरलीकरण करना आदि।

नौवीं योजना (1997-2002) जिसमें इनका उत्पादन लक्ष्य 2001-02 में 7,25,000 करोड रखा गया जब कि 1996-97 में मात्रा 4,12,638 करोड था। 1996-97 मे 160 लाख व्यक्ति रोजगार पाये हुए थे। 2001-02 में 185 लाख व्यक्ति का लक्ष्य रखा गया। 1996-97 में 39,249 करोड़ रूपये निर्यात था। जब कि 2001-02 में लक्ष्य 78,900 करोड रूपये रखा गया।

वर्तमान समय में लघु उद्योग क्षेत्र उत्पादन रोजगार एंव निर्यात मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह क्षेत्र विनियोग क्षेत्र में कुल ब्रिकी में 40% एंव कुल निर्यात में 35% का योगदान करता है। वर्तमान समय में देश की कुल औद्योगिक इकाइयो की संख्या 32.85 लाख है जिनमें 1,785 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। 1992-93 में 134.06 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। निर्यात 17,785 करोड़ रूपये का था। 1999-2000 में 178.50 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था। इनके निर्यात 53,975 करोड़ रूपये था। प्रधानमंत्री ने अगस्त 2000 में लघु इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय घोषित किये है। जैसे उत्पाद कर की छूट सीमा में वृद्धि ISQ - 9000 मापन के प्रमाण पत्र के लिए वित्तीय सहायता दशवीं योजना के अन्त तक जारी रखना, साख गारण्टी कोष सुनिश्चित रखना आदि।

सरकार ने कुछ से ही इन उद्योग की उपयोगिता एंव महत्व को स्वीकार किया है इसके विकास और विस्तार के लिए कदम उठाये गये है। इस नीति के अन्तर्गत 1947 में इन उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। बाद में इसे तीन अलग–अलग बोर्डों में विभाजित कर दिया गया। ये बोर्ड थे– अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड (1952) , अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड (1952) एंव अखिल भारतीय खादी एंव ग्रामोद्योग बोर्ड (1953) इन बोर्डों की परिधि से बाहर रह गये उद्योगों के लिए 1954 में लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की गयी।

दूसरी योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर खादी एंव ग्रामोद्योग अयोग तथा राज्य स्तरो पर खादी एव ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गयी। जिला एंव ब्लाक स्तर पर उद्योग अधिकारी नियुक्त किये गये। 60 औद्योगिक बस्तियॉ स्थापित की गयी। जिन्हे मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयीं। कुछ वस्तुओ का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया। साख, प्रशिक्षण, तकनीकी सलाह आदि की सुबिधा उपलब्ध करायी गयी। इस योजना में इस क्षेत्र के विकास पर 175 करोड रूपये व्यय किये गये। तीसरी योजना में इस क्षेत्र पर कुल व्यय 241 करोड रूपये था। बाद कि योजनाओं में इस व्यय मे काफी वृद्धि की गयी। परिणामस्वरूप 1999-2000 में लघु उद्योग के क्षेत्र में कुल उत्पादन 5,78,470 करोड रूपये निर्यात 53,975 करोड़ रूपये, कुल इकाइयों की संख्या 32.25 लाख तथा इस क्षेत्र में कार्यरत लोगो की संख्या 178.50 लाख थी।

1997-98 के बजट के पहले लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओ की संख्या 836 थी। इसमें से 15 वस्तुओं पर से आरक्षण हटा लिया गया है। इस समय 821 वस्तुऍ लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है। मई 1986 में लघु उद्योगों के विकास विस्तार, विविधीकरण तथा पुनः स्थापन के लिए पुनर्वित सहायता देने के उददेश्य से लघु उद्योग विकास फंड की स्थापना की गयी। बहुत छोटी लघु इकाइयों की सहायता के लिए राष्ट्रीय इक्विटी फण्ड की स्थापना की गयी है। 1977 में जिला उद्योग केन्द्रो की स्थापना का निर्माण किया गया था। इस समय देश में 422 जिला उद्योग केन्द्र है। संस्थागत साख के लिए लघु क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया। मार्च 1998 के अन्त तक लघु उद्योगों को कुल 31,542 करोड़ रूपये का ऋण प्रदान किया गया। जो कुल बैंक ऋणों का 16.6% था। 1997 में बैंको द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रों को दिये गये ऋणों में लघु उद्योगों का हिस्सा 39.9% था। लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के उददेश्य से 1990 से भारतीय लघु उद्योग विकास (Small Industries Development Bank Of India (SIDBI) की स्थापना की गयी। 1997-98 के बजट में वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋण का 40% अति लघु इकाइयों के लिए आरक्षित किया गया।

अति लघु इकाइयों में पूँजी निवेश की सीमा 2 लाख से बढाकर 5 लाख की गयी बाद में आबिद हुसैन समिति की सिफारिश पर इसे पुनः बढाकर 25 लाख कर दिया गया। इस समिति की सिफारिश पर लघु उद्योगों, सहायक उद्योगो तथा निर्यातोन्मुखी उद्योगों में निवेश की सीमा को बढाकर 3 करोड़ रूपये कर दिया गया था। जिसे पुनः 1 करोड़ रूपये कर दिया गया है। लघु उद्योग की उत्पाद गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से गुणवत्ता प्रमाणन योजना शुरू की गयी थी।

आबिद हुसैन समिति की सिफारिश को 27 जनवरी 1997 को सार्वजनिक किया गया। जिसमें प्रमुख रूप से लघु में निवेश सीमा को 60 लाख रूपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रूपये किया जाये। लघु उद्योगों के लिए आरक्षण व्यवस्था को समाप्त किया जाये। लघु उद्योगों में विदेशी पूँजी निवेश की 24% की मौजूदा सीमा को समाप्त किया जाये। लघु उद्योगों के हितो को ध्यान में रखते हुए अगले पॉच वर्षो के लिए सरकार द्वारा कुल 2,500 करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा की जाये। लघु उद्योगों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र साख के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दी जाने वाली साख का 70% अति लघु इकाइयों को उपलब्ध कराया जाये। लघु उद्योगों के विकास पर नजर रखने के लिए उद्योगमन्त्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जाये। सेवा क्षेत्र की लघु स्तरीय इकाइयों को भी लघु उद्योग क्षेत्र में शामिल किया जाय। लघु उद्योग क्षेत्र को लघु स्तरीय उद्यम क्षेत्र के नाम से जाना जाय। एक ही प्रकार के एक ही स्थान पर केन्द्रित लघु स्तरीय उद्यम समूहों के लिए क्रेडिट रेटिंग की प्रणाली विकसित किया जाए।

मीरा सेठ समिति ने 21 जनवरी 1997 को अपनी सिफारिश प्रस्तुत किया। जिनमें 500 करोड़ के एक राष्ट्रीय हथकरघा कोष की स्थापना की जाएँ। गैर सरकारी क्षेत्र के बुनकरों को इस कोष से ऋण दिया जाये। बुनकरों को हथकरघा खरीदने, हैंडयार्न पर सब्सिडी देने आदि के लिए आपदा राहत कोष लागू की जाये।

बैंको को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने एवं लघु उद्योग इकाइयॉ, विशेषकर निर्यातोन्मुखी एवं लघु इकाइयों को निवेश ऋण के प्रवाह में सुधार लाने हेतु बजट (1999-2000) में नई ऋण बीमा स्कीम की घोषणा हुई। बैकों द्वारा ऋण उद्योग इकाइयों के लिए कार्यकारी पूॅजी की सीमा उनके वार्षिक कारोबार के 20% के आधार पर निर्धारित की जाती है। बैंक की लघु क्षेत्र तक पहुँच बढ़ाने हेतु, लघु क्षेत्र को ऋण देने के प्रयोजनार्थ गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनियां अथवा अन्य वित्तीय मध्यस्थों के बैंको द्वारा ऋण देने को बैंक के ऋण देने की प्राथमिकता के क्षेत्र की परिभाषा में शामिल कर लिया गया है। लघु उद्योग इकाइयो को दी गयी उत्पाद शुल्क से छूट की सुविधा उन वस्तुओं को भी मिलेगी जिनका ब्रांड़ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित दूसरे विनिर्माता का है। ग्रामीण औद्योगीकरण हेतू एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई है जिसका लक्ष्य प्रत्येक वर्ष ऐसे 100 ग्रामीण समूहो की स्थापना करना होगा। जो ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा दे सके। विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) के सम्बन्ध में अघतन विकास का समन्वय करते हुए डी. सी. (लघु उद्योग) के कार्यालय में एक सेल की स्थापना की गयी है। जो हाल की गतिविधियों के सम्बन्ध में उद्योग संघों और एस. एम. ई. इकाइयों की सूचना दे सके। विश्व व्यापार संगठन प्रस्ताव के अनुरूप लघु उद्योगों के लिए नीतियाँ तैयार करे। तथा विश्व व्यापार संगठन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सेमिनारों तथा कार्यशालाओं का आयोजन कर सके। लघु तथा सहायक उपक्रमों के लिए निवेश सीमा को मौजूदा 3 करोड़ रूपये से घटाकर 1 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग क्षेत्र तथा अति लघु क्षेत्र के लिए प्रधानमन्त्री द्वारा घोषित व्यापक नीतिगत पैकेज का विवरण दिया है, जिसमें प्रमुख रूप से इस प्रकार है कि लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतियोगिता में सुधार लाने के लिए उत्पाद शुल्क की छूट सीमा 50 लाख रूपये बढ़ाकर 1 करोड़ रूपये करना। लघु उद्योग मंत्रालय और ए. आर. आई. द्वारा 12 वर्षो में अन्तराल के बाद लघु उद्योगों की तीसरी गणना करना। उद्योग से सम्बन्धित सेवा तथा व्यवसाय उद्यम मे निवेश की मौजूदा 5 लाख रूपये की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रूपये करना।

प्रत्येक लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमो के सम्बन्ध मे दशवी योजना के अन्त तक ISQ 9,000 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 7,500 रूपये प्रदान करने की चालू योजना को जारी रखना। लघु उद्योग संघों को परीक्षण प्रयोगशालाओं के विकास तथा सचालन के लिए प्रोत्साहित किया जाएँ। ऐसे संघो को प्रतिपूर्ति आधार पर प्रत्येक मामले की विस्तृत जॉच के बाद एक समय 50 प्रतिशत का पूँजी अनुदान दिया जाये। निरीक्षण को सुगम बनाने के लिए सुझाव सिफारिश प्रदान करने तथा इस क्षेत्र में लागू निष्प्रयोजक कानूनो तथा विनियमो को रद्द करने हेतू सचिव के अधीन समूह का गठन करना। चालू समेकित विकास योजना के कवरेज को बढाना ताकि उस देश मे उत्तरोत्तर सब क्षेत्रों की पूर्ति करे और जिसमे 50% आरक्षण ग्रामीण क्षेत्र के लिए तथा 50% भूखण्ड अति लघु क्षेत्र हेतू निर्धारित होगे।

लघु उद्योगो के लिए ऋण गारटी फण्ड स्कीम बनाई गयी है। ऋण गारण्टी स्कीम वाणिज्यिक बैंको, सही तरीके से कार्य करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गये 25 लाख रूपये तक के ऋणों के लिए गारण्टी प्रदान करने के लिए जिसमें तीसरे पक्ष द्वारा दी गई गारण्टी सहित अन्य कोई समपार्श्विक गारण्टी नही होगी। प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए ऋण सम्बद्ध पूँजीगत आर्थिक सहायता स्कीम लागू की गई। जिसमें सरकार ने 20 सितम्बर 2000 को अनुमोदित किया है, जिसमें कतिपय उपक्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको, जिन्हें एस. एफ. सी. कहा गया है, लघु उद्योगो को दिये गये ऋणों पर 12% की दर से बैक एड़ेड़ पूँजीगत सहायता स्वीकार्य होगी। लघु उद्योगो को दिये जाने वाले ऋण में सुधार लाने के लिए मिश्रित ऋण स्कीम 25 लाख रूपये बढ़ा दी गई है। 5 लाख रूपये तक के ऋणों के लिए समानान्तर जमानत की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने डिप्टी गर्वनर की अध्यक्षता में लघु उद्योगो को दिये जाने वाले ऋण के प्रवाह की मानीटरिंग के लिए एक समिति गठन की गयी है। लघु सेवाओं और व्यापार (उद्योग सम्बन्ध) उद्योगों के लिए निवेश की सीमा 5 लाख रूपए से बढ़ाकर 10 लाख रूपये की गयी है।

लघु उद्योग क्षेत्र मे उत्पादन एवं रोजगार मे वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छूट की सीमा को 1 सितम्बर 2000 से दोगुना करके 1 करोड रूपये कर दिया गया है। वर्ष 2000–02 में नई साख गारण्टी योजना (Credit Guarantee Scheme) के लिए 100 करोड रूपये की बजटीय व्यवस्था की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत समपार्श्विक प्रतिभूति के बिना साख की सीमा को 10 लाख रूपये से बढाकर 25 लाख रूपए कर दिया गया है। इस योजना के क्रियान्वयन के उद्देश्य से गठित साख गारण्टी कोष ट्रस्ट (Credit Guarantee Fund Trust) के साथ अब तक 7 बैंको ने समझौता किया है। अक्टूबर 2000 मे एक साख सम्बद्ध पूँजीगत अर्थसहायता की योजना (Credit Linked Capital Subsidy Scheme) आरम्भ की गयी थी। जिसका उद्देश्य तकनीकी उन्नयन है तथा इसके अन्तर्गत पूँजी पर 12% की अर्थ सहायता की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत अगले पॉच वर्षो में लघु उद्योग क्षेत्र को 5,000 करोड के ऋण उपलब्ध होने की संभावना है। भारत के कुल लघु उद्योग क्षेत्र में प्रतियोगिता एवं तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से चमड़े की वस्तुओं, जूतो और खिलौने से संबंधित 14 वस्तुओं को अनारक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

लघु उद्योगों की प्रगति के बाद भी अभी इनसे अपेक्षित स्तर तक लाभ नही मिल सका है। इनको अभी विभिन्न कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। योजना काल में विभिन्न योजनाओं के प्रतिवेदनों मे इन उद्योगों के विकास की जो विचारधारा प्रस्तुत की जाती रही है, इसका तत्व यह था कि जो विचार धारा प्रस्तुत की जाती रही है, इसका तत्व यह था कि उनसे उत्पादन क्रियाओं का विक्रेन्द्रीकरण होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका प्रसार होगा। लेकिन लघु उद्योगों का क्षेत्रीय दृष्टिकोण के अत्यन्त असमान विकास हुआ है। उदाहरण के लिए भारत के दिल्ली सहित औद्योगिक दृष्टि से 6 विकसित राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश मे ही इन उद्योगो का विशेष प्रसार हुआ है। वर्ष 1976 तक पंजीकृत समस्त लघु औद्योगिक इकाइयों को 60 प्रतिशत भाग का लाभ इन राज्यों को मिलता था। इससे यह प्रतीत होता है कि देश के अन्य राज्यों में लघु उद्योगों का सम्यक्

विकास नही हो सका। जो असंतुलन का द्योतक है। लघु उद्योगो के सन्दर्भ में दूसरी महत्वपूर्ण कमी यह है कि इन औद्योगिक इकाइयों में निहित क्षमता का पूर्ण उपयोग नही हो पा रहा है। इसके परिणास्वरूप इनकी उत्पादन लागत अधिक हो जाती है। और इस कारण वे बडे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में निर्मित सामानो से प्रतियोगिता नही कर पाते है।

रिजर्व बैंक के अध्ययन के अनुसार ग्राम एवं लघु उद्योग क्षेत्र की बडी इकाइयों को कुल ऋण का 69% भाग मिलता है। छोटी इकाइयॉ पर्याप्त साख आपूर्ति के अभाव मे कच्चे पदार्थ एवं अन्य कार्यशील कार्यो को वहन नही कर पाती है। वित्त सम्बन्धी कठिनाई इन छोटे छोटे उद्योगों की एक प्रमुख समस्या नहीं है। अतएव वित्त सम्बन्धी सुविधाएँ बढाने के लिए विभिन्न दिशाओं मे कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने राज्य उद्योग सहायता अधिनियमों के अन्तर्गत इन उद्योगों के लिए ऋण सुविधाएँ में व्यापक प्रसार किये है। लघु उद्योगों को राज्य सरकारों से अपेक्षाकृत अधिक उदार शर्तो पर ऋण मिलने लगा है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, औद्योगिक विकास बैंक के निर्देशन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य वित्त निगम भी इन्हें वित्तीय सहायता देते है। हाल के वर्षो में लघु उद्योगों के लिए वित्त आपूर्ति त्वरित करने के लिए विभिन्न प्रयास किये है। ग्रामीण क्षेत्रो में व्यापारिक बैंक के राष्ट्रीयकरण, लघु उद्योगों के प्रति अनुकूल नीतियों एवं कार्यक्रमों के कारण इस क्षेत्र के प्रति अब साख का बहाव बढ गया है। लघु उद्योगों के लिए व्यापारिक बैंको द्वारा जून 1979 तक स्वीकृत ऋण की मात्रा केवल 251 करोड रूपये थी, जो दिसम्बर 1989 तक बढ़कर 2,633 करोड़ रूपये हो गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने भी मार्च 1979 तक 45 करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत किया। राज्य वित्त निगमों द्वारा ग्राम एवं लघु उद्योगों को मार्च 1979 तक दीर्घकालीन एवं मध्यम कालीन ऋण दिया गया। औद्योगिक विकास बैंक एवं रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा ग्राम एवं लघु उद्योगों के प्रति किये जाने वाले विकास प्रयासों से इन्हें मिलने वाली वित्तीय सुविधा बढ़ी है। समन्वित की दिशा में एक अत्यन्त सराहनीय प्रयास है।

लघु क्षेत्र को सस्थागत साख सुविधा व्यवस्था मे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की कोटि में रखा गया है ताकि इस क्षेत्र के लिए संस्थागत साख का प्रवाह बढाया जा सके। लघु आकारीय उद्योगों के उत्पादकता में सुधार के लिए वर्ष 1995 में गुणवत्ता प्रमाणन योजना (Quality Certification Scheme) आरम्भ की गयी है। लघु आकारीय उद्यमों को ISQ - 9,000 या इसी प्रकार के अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति के लिए सहायता भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

यद्यपि योजनाकाल में इन उद्योगों के विकासार्थ भारी मात्रा में विनियोग किया गया। तकनीकी जानकारी का प्रसार किया गया। परन्तु इन उद्योगों के महत्व एव देश में इनकी आवश्यकताओं को देखेते हुए यह अपर्याप्त है। छठीं पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों के लिए 1,980 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। जो प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्र के कुल व्यय का 1.0% रही है।

नयी औद्योगिक नीति प्रस्ताव में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गयी है। यह अनुमान किया गया है। कि इस औद्योगिक नीति मे किये गये प्रावधानों में लघु उद्योग क्षेत्र में अधिक सक्षमता आयेगी। तथा वे अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगें। लघु उद्योग के क्षेत्र में नयी औद्योगिक नीति में प्रमुख रूप से नयी औद्योगिक नीति की घोषणा और आर्थिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में यह सोचा जाने लगा था कि इससे बड़े और मध्यम आकार के उद्योग की स्थापना अधिक होगी। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश अधिक सुगम हो जायेगा। अति लघु उद्यमों के लिए विनियोग की सीमा बढ़कर 5 लाख रूपये कर दी गयी। लघु आकारीय उद्यमों में प्रौद्योगिकी उन्नयन एंव नवीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए समता पूँजी में 24% तक अन्य औद्योगिक इकाइयाँ अथवा विदेशी सहयोग की अनुमति दी गयी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से मिलने वाली आर्थिक सहायता को एक ही स्थान पर ऋण की क्रियाविधि के अन्तर्गत लाया गया। नयी औद्योगिक नीति में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 2.0 लाख रूपये तक के ऋणों के लिए रियायती ब्याज दर की व्यवस्था की गयी है ताकि इन औद्योगिक इकाइयों को कम लागत पर वित्तीय सुविधा उ़पलब्ध हो सके।

द्वितीय अध्याय

भारत वर्ष में लघु उद्योगों का विकास एवं वर्तमान स्थिति

लघु उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में अति महत्वपूर्ण स्थान है। इसके विकास का श्रेय स्वर्गीय प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू को जाता है। उनकी कोशिश थी कि वृहद उद्योगो के विकास करने के साथ–साथ उन्हे सहारा देने के लिए लघु स्तर के उद्योगो को भी विकसित किया जाय। लघु उद्योगो का क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का गतिशील एवं सक्रिय क्षेत्र बनकर उभरा है। आज हमारे यहॉ जितना उत्पादन होता है, उसका लगभग 35% लघु उद्योग के क्षेत्र मे होता है और यहॉं से होने वाले कुल निर्यात में उसका योगदान 40% से भी अधिक होता है। मूल्य युक्त की बात की जाये तो निर्माण क्षेत्र में युक्त का 40% के लगभग इसी क्षेत्र मे है। रोजगार को लें तो इस क्षेत्र का योगदान कृषि के बाद दूसरे नम्बर पर आता है, इसलिए यहॉ धन लगाने के लिए अर्थव्यवस्था का अच्छा क्षेत्र है।

पिछले कई वर्षो में लघु उद्योग के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। विभिन्न योजना अवधियो मे वृद्धि की बहुत ही उचित रही है। लघु स्तर की इकाईयों की अनुमानित संख्या वर्ष 1980-81 में 8.74 लाख थी। जो वर्ष 1994-95 में बढ़कर 22.35 लाख हो गई। इस क्षेत्र में सातवीं योजना की अवधि तथा हाल के वर्षो में वृद्धि की जो दरें रहीं है निम्न चित्र में दिखाई गई हैं।
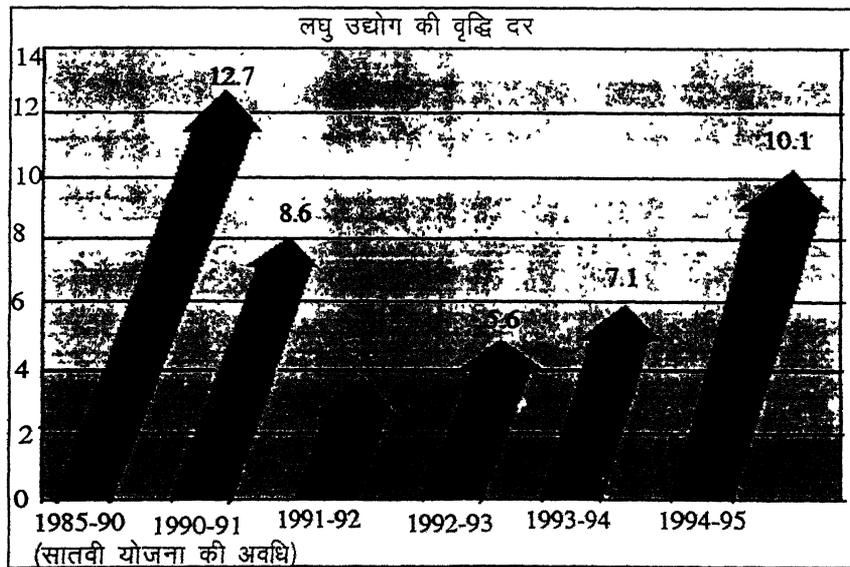
तालिका 1—क उपलब्धि सूचक			
वर्ष	इकाइयो की सख्या (लाख मे)	मौजूदा कीमतो मे उत्पादन (करोड रू मे)	रोजगार (लाख मे)
1986-87	**14.62**	**72250**	**101.40**
1987-88	**15.83**	**87300**	**107.00**
1988-89	**17.12**	**106400**	**113.00**
1989-90	**18.23**	**132320**	**119.60**
1990-91	**19.48**	**155340**	**125.30**
1991-92	**20.82**	**178699**	**129.80**
1992-93	**22.35**	**209300**	**134.06**
1993-94	**23.84**	**234525**	**139.36**
1994-95	**25.71**	**293990**	**146.56**

चित्र 1.2
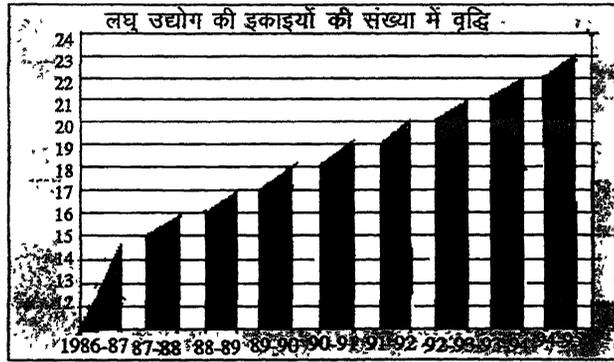
चित्र 1.3
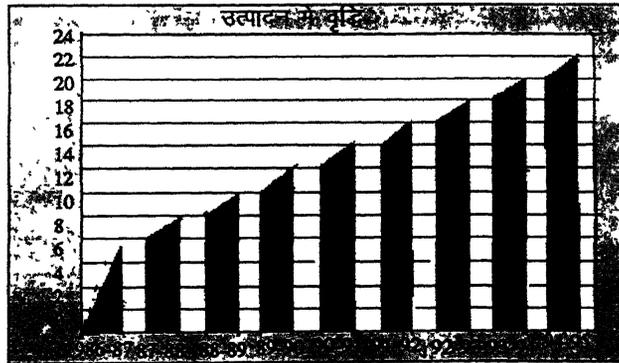
चित्र : 1.4

निम्न चित्र मे लघु स्तर की इकाइयाँ की संख्या और उत्पादन रोजगार निर्यात के सन्दर्भ में उनकी उपलब्धि का आकलन किया गया है। वर्ष 1990 - 91 से इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत वृद्धि की कम दर देखने को मिली है, जो अगले दो वर्षो तक जारी रही वैसे यह स्थिति सकारात्मक रही है और इसे अर्थव्यवस्था में आई सामान्य मन्दी की पृष्ठभूमि मे देखना चाहिए। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में संक्रमण काल पर विदेशी मुद्रा की कमी, कर्ज में संकुचन, मांग में मंदी, ब्याज मे ऊँची दरों, कच्चे माल के अभाव जैसे प्रतिकूल कारको का असर पडा। जब हम इस क्षेत्र की उपलब्धि को समूचे निर्माण तथा उद्योग क्षेत्र में हुई वृद्धि की तुलना मे देखते हैं तो लघु उद्योगों के क्षेत्रों के लचीलेपन में विश्वास बनता है। वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में अनुमानित वृद्धि दिखाई दी है। आने वाले समयों में इस सकारात्मक स्थिति के और मजबूत होने की संभावना है। इससे लघु उद्योग के क्षेत्र का भविष्य उज्जवल हो जायेगा। इसे हम निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट करते हैं :-

आठवीं योजना की अवधि में लघु उद्योग क्षेत्र के औसत 7.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि करने की संभावना है। किन नए शिखरों तक अभी पहुँचना है, लेकिन यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि ये लक्ष्य इस मान्यता पर आधारित हैं कि पर्याप्त अतिरिक्त कार्य शील
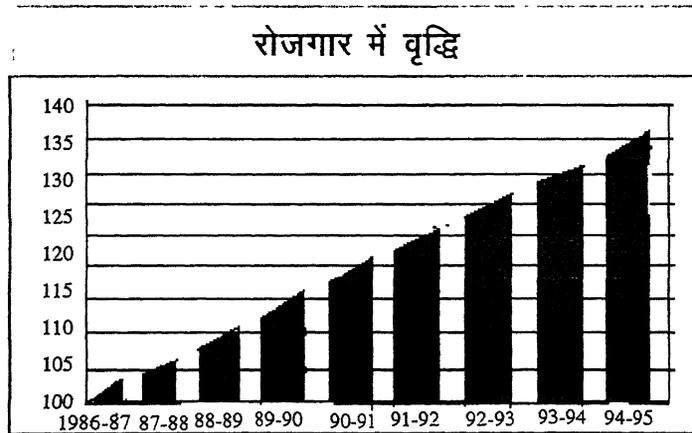
पूँजी इस क्षेत्र के लिए आठवी पचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध होगी।

लघु उद्योग क्षेत्र में तेरह व्यापक समूह हैं। इन व्यापक समूहों के लिए बनाकर रखी गयी औद्योगिक उत्पादन की सूचियों से यह बात सामने आती है, सनराइज (सूर्योदय) उद्योग क्या है और किन उद्योगों पर सनसेट (सूर्यास्त) हो चुका है। तालिका मे यह विश्लेषण दिया गया है।

तालिका

क्रम स	विवरण	प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष के तुलना मे			
		1989-90	**1990-91**	**1991-92**	**92-92**
1.	खाद्य उत्पाद	**32.06**	**10.52**	**0.54**	**16.56**
2.	जूते, चप्पल तथा बुनाई के वस्त्र	**25.48**	**29.87**	**(3.31)**	**16.96**
3.	लकडी तथा लकडी के उत्पाद	**13.56**	**9.73**	**3.16**	**(0.53)**
4.	कागज तथा कागज के उत्पाद	**7.19**	**11.04**	**3.93**	**18.62**
5.	चमडा तथा चमडे के उत्पाद	**27.99**	**3.93**	**17.30**	**9.82**
6.	रबर उत्पाद	**2.14**	**(12.91)**	**5.70**	**7.08**
7.	रसायन तथा रसायन उत्पाद	**12.49**	**1.64**	**1.28**	**17.09**
8.	अधातु खनिज उत्पाद	**29.2**	**8.57**	**9.67**	**(12.35)**
9.	मूल धातु उद्योग	**0.67**	**5.18**	**13.82**	**2.38**
10.	धातु उत्पाद	**1.74**	**10.30**	**(10.50)**	**1.52**
11.	गैर विद्युत मशीनरी तथा उपकरण	**1.32**	**5.90**	**12.18**	**3.95**
12.	विद्युत मशीनरी तथा उपकरण	**12.55**	**2.42**	**6.57**	**6.83**
13.	परिवहन उपकरण	**6.15**	**20.39**	**23.28**	**0.85**

चित्र

रू 2,33,436 00
करोड
रू 150 50
लाख
रू 20,200 00
करोड
8वी
योजना
7वी
योजना
उत्पादन
रोजगार
आयात
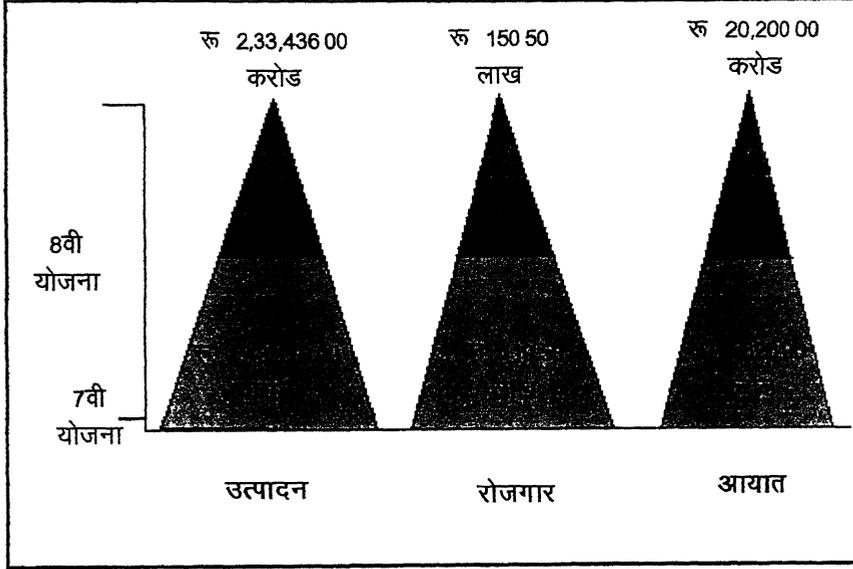
लघु उद्योग क्षेत्र का निर्यात में योगदान

कुल निर्यात का लगभग 30% लघु उद्योग क्षेत्र से सीधे निर्यात होता है। सीधे निर्यात करने वाली लघु इकाइयाँ 5,000 से भी अधिक होंगी। सीधे निर्यात के अलावा, अनुमान है कि लघु उद्योग की इकाइयाँ निर्यात का 15% अप्रत्यक्ष योगदान करती हैं। यह निर्यात व्यापारी निर्यातको, व्यापारिक प्रतिष्ठानो और निर्यात प्रतिष्ठानों के माध्यम से होता है। अप्रत्यक्ष निर्यात बड़ी इकाइयों की ओर से निर्यात के ऑर्डर की शक्ल में या निर्यात के योग्य तैयार सामान में इस्तेमाल किए जानेवाले कलपुर्जे के निर्माण की शक्ल में भी हो सकता है। यह जानकर कई लोगों को आश्चर्य होगा कि लघु उद्योग के निर्यात का 95% से भी अधिक हिस्सा गैर–पारंपरिक उत्पादों का होता हैं।
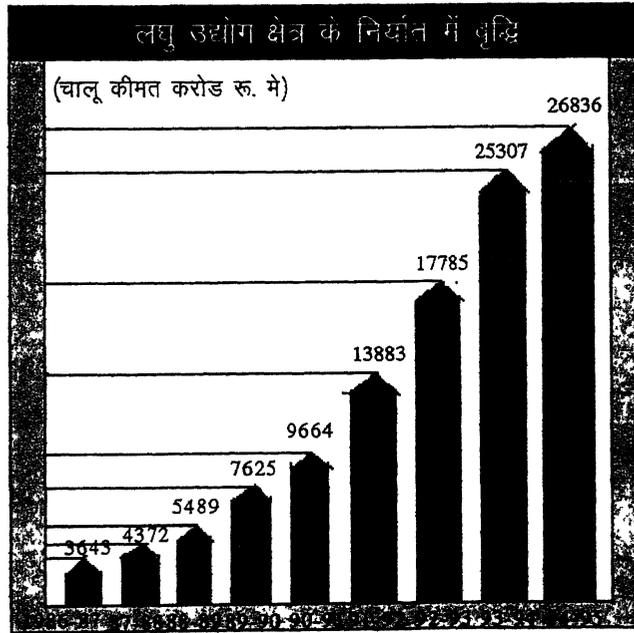
पिछले चार दशकों में लघु उद्योगों में विविध क्षमतायें विकसित हो गयीं है। 7,500 से

भी ज्यादा उत्पाद लघु उद्योग क्षेत्र में बनाये जा रहें हैं और मौजूदा कीमतों पर इन उत्पादों का सकल मूल्य लगभग 3,00,000 करोड रूपये है। निर्यात के मामले में भी लघु उद्योगो की उपलब्धि प्रशंसनीय है। अगर परोक्ष निर्यात को भी शमिल कर लिया जाय तो हमारे कुल निर्यात का 40% लघु उद्योग क्षेत्र से ही होता है।

लघु उद्योग के आकार एवं विविधता को ध्यान में रखे कि हम देखते हैं कि इस क्षेत्र मे निवेश के बडे अवसर उपलब्ध हैं। निर्यात क्षेत्र में तो इसके अवसर और भी है। यह अब सम्भव भी है क्योकि लघु उद्योग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए नीतियों को आसान कर दिया गया है और अब इसमें लाइसेंस नियन्त्रण भी समाप्त कर दिया गया है। अवसर के क्षेत्र विविध एवं बहुल दोनों हैं। भारत का प्रमुख निर्यातक तो लघु उद्योग क्षेत्र ही है। इन क्षेत्रों में निवेश तथा बेहतर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मौजूदा नई क्षमताओं के सहारे काफी लाभ कमाया जा सकता है। लघु उद्योग क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी की भारी मॉग है। बडे उद्योग तथा विदेशी निवेशक इस माँग को पूरा कर सकते है।

कुल निर्यात मे लघु उद्योग का हिस्सा (रू दस लाख)					
वर्ष	कुल निर्यात	प्रतिशत वृद्धि	लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात	प्रतिशत वृद्धि	लघु उद्योगयोजना का प्रतिशत
1971-72	**16080.0**	**-**	**1549.9**	**-**	**9.6**
1972-73	**19710.0**	**22.57**	**3057.9**	**97.29**	**15.5**
1973-74	**25234.0**	**28.57**	**3931.6**	**28.57**	**15.8**
1974-75	**33328.8**	**32.08**	**5407.1**	**33.53**	**16.2**
1975-76	**40422.5**	**21.28**	**5321.1**	**(-)1.59**	**13.2**
1976-77	**51422.5**	**27.21**	**7658.3**	**43.92**	**14.9**
1977-78	**54042.6**	**5.09**	**8448.2**	**10.31**	**15.6**
1978-79	**57262.6**	**5.06**	**10692.9**	**26.56**	**18.7**
1979-80	**64587.6**	**12.79**	**12263.1**	**14.69**	**19.0**
1980-81	**67107.1**	**3.90**	**16432.0**	**33.99**	**24.5**
1981-82	**78059.0**	**16.32**	**20706.1**	**26.01**	**26.5**
1982-83	**89077.5**	**14.12**	**20450.3**	**(-)1.23**	**22.9**
1983-84	**98721.0**	**10.83**	**21639.8**	**5.82**	**21.9**
1984-85	**114937.2**	**16.43**	**25407.8**	**17.41**	**22.11**
1985-86	**108945.9**	**(-) 5.45**	**27691.1**	**8.99**	**25.42**
1986-87	**125666.2**	**15.34**	**36436.7**	**31.58**	**28.99**
1987-88	**157412.0**	**25.26**	**43729.6**	**20.01**	**27.78**
1988-89	**202952.0**	**28.93**	**54896.3**	**25.54**	**27.05**
1989-90	**276814.7**	**36.39**	**76257.4**	**38.91**	**27.55**
1990-91	**325533.4**	**17.60**	**96641.5**	**26.73**	**29.68**
1991-92	**440048.1**	**35.29**	**13883.4**	**43.03**	**31.52**
1992-93	**533505.4**	**21.14**	**17784.8**	**28.10**	**33.34**
1993-94	**695469.7**	**30.35**	**253070.9**	**42.29**	**36.38**
1994-95	**826741.1**	**18.87**	**290681.5**	**14.86**	**35.15**

नई लघु उद्योग की मुख्य विशेषताएँ

विदेशी निवेशकों के लिए लघु उद्योगों के बारे में

सूचना-पत्रक

* एक औद्योगिक कम्पनी यानी उद्योग चलाने वाली एक कम्पनी किसी लघु उद्योग मे 24% का हिस्सों में निवेश कर सकती है।

* अगर यह हिस्सा 24% से बढ गया तो उस इकाई को लघु उद्योग नही माना जायेगा।

* अनिवासी भारतीय एक व्यक्ति या भागीदार के रूप मे कितने भी शेयर ले सकता।

* रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया 35 उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगो मे 51% तक शेयरों में विदेशों निवेश की स्वत अनुमति प्रदान करता है।

* शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों में विदेशी 100% शेयर तक हो सकता है।

* अनिवासी भारतीय और विदेशी कम्पनियों (जिनके बडे हिस्सेदार अनिवासी भारतीय हों) को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगो में 100% शेयर रखने की छूट है। और वे अपना सारा लाभ भी विदेश ले जा सकते है।

* लघु उद्योग क्षेत्र मे आरक्षित किसी उत्पाद को बनाने के लिए कोई बडी औद्योगिक परियोजना लगाने चाहता है तो उसे 75% निर्यात का भरोसा देना होगा।

1. इसका प्राथमिक उद्देश्य है इस क्षेत्र को जीवंत बनाना तथा इसकी वृद्धि को गति देना। इसी क्रम मे इस क्षेत्र को विनियंत्रित किया जाएगा तथा नौकरशाही से मुक्त किया जाएगा ताकि इसकी वृद्धि क्षमता के अवरोध हट जाएँ।
2. सभी नियमों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं में ऐसा संशोधन किया जाएगा ताकि उनमें लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के हित के विरूद्ध कोई बाधा न रहें।
3. लघुतम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अलग पैकेज तथा उद्योग से संबधित सेवा एवं व्यापार उद्यमों को लघु उद्योग के रूप में मान्यता।
4. रियायती कर्ज/ आसान कर्ज के स्थान पर (कुछ विशिष्ट लक्ष्य समूहों को छोड़कर) लघु उद्योग को पर्याप्तता के आधार पर समुचित ऋण प्रवाह पर बल।
5. दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठान को 24% तक का शेयर लघु उद्योग में रखने की छूट ताकि लघु उद्योग की पहुँच पूँजी बाजार तक हो।
6. लघु उद्योगों के बिलों के शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित करना तथा सीमित साझीदारी कानून बनाने के लिए विधेयक लाना।
7. ग्रामीण तथा पिछड़े इलाकों में औद्योगिक को बढावा देने के लिए एकीकृत अवसंरचना विकास की एक नई योजना लागू करना।
8. टैक्नोलॉजी डेवलेपमेंट सेल की स्थापना के जरिये बेहतर टैक्नोलॉजी पर बल तथा एस. आईडीओं में उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर और सशक्त बनाना।
9. संस्थानो, अन्य एजेंसियों तथा सहयोग संघ पद्धति के जरिये तघु उद्योगों के विपणन (मार्केटिंग) को प्रोत्साहन देना।
10. अनुषंगीकरण को प्रोत्साहन।
11. निर्यात विकास केन्द्र (एक्सपोर्ट डेवलेपमेंट सेंटर) की स्थापना के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना मौजूदा समर्थन व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
12. गुणवत्ता नियंत्रण को लागू करना, लघु उद्योग क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा बेहतर

टैक्नोलॉजी के कार्यक्रम को समर्थन देना।

13. महिला उद्यमियों की परिभाषा में परिवर्तन और महिला उद्यमियों का समर्थन।

14. उद्यमियों विकास कार्यक्रमों का पर्याप्त विस्तार।

15. लघु स्तर की उद्यमी स्वतंत्र तथा अवरोधमुक्त वातावरण में कार्य कर सकें, इसके लिए नियमों तथा प्रक्रियाओं में संशोधन।

- सभी प्रकार के लघु उद्योगों के लिए समान नीतिगत ढाँचा
- लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए उत्पादों की आरक्षित सूची
- सरकारी खरीद में लघु उद्योग के उत्पादों को खरीद तथा मूल्य में प्राथमिकता।

नये उपायों के प्रेरक : जैसा पहले भी विचार किया जा चुका है कि पूर्व नीतियों के प्रतिमानों में परिवर्तन आया है। कुछ परिवर्तन दिख रहें हैं और कुछ परिवर्तन भविष्य में होंगे, इसके संकेत हैं।

बदलते समय के अनुरूप उपाय

1. लघु उद्योग की विभिन्न श्रेणियों को परिभाषित करने के लिए स्थलगत मानदंड को समाप्त कर दिया गया है। अब पूरे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नीतिगत पैकेज एक हो गया है– चाहे वह इकाई कहीं भी स्थित हो।

2. निवेश सीमा में वृद्धि 35 से 60 लाख रूपए की हो गई हो इसलिए इस क्षेत्र का कवरेज अधिक हो गया है।

3. अलग–अलग इकाई को आर्थिक सहायता देने के बजाय बुनियादी संरचना सहूलियत देने की रणनीति बनायी गई है। इसके चलते पूँजी निवेश सहायता योजना समाप्त कर दी गई है और उसकी जगह विकास केन्द्र योजना तथा समेकित संरचना विकास योजना लागू की गई है।

4. सेवा क्षेत्र को लघु उद्योग में शामिल किया गया है। फिलहाल 5 लाख तक की निवेश सीमा उद्योगों से संबधित सेवा तथा व्यापार उद्यमों के लिए रखी गई है।

5. ये नीतिगत उपाय बड़े उद्योग तथा लघु उद्योग को निकट लाने के लिए हैं। अब बड़े उद्योग **24%** तक की हिस्सेदारी लघु उद्योग में कर सकते हैं।
6. स्पष्ट किया गया है कि लघुतम क्षेत्र को एकमुश्त तथा निरंतर मौद्रिक तथा वित्तीय दोनों सहायता दी जाएगी। लेकिन आधुनिक लघु लद्योगों को यह सहायता सिर्फ एक बार दी जाएगी। इस तरह लघु उद्योग क्षेत्र में भी विकास किया जा सकेगा।
7. यह मान्यता निहित है कि अब लघु उद्योग क्षेत्र में संरक्षण /विनियमन की जगह गुणवत्ता, टैक्नोलॉजी तथा आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाएगा।

आर्थिक सुधार प्रक्रिया के क्रम मे उद्योग, व्यापार तथा वित्तीय नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। फिर भी नए नीतिगत उपाय नई आर्थिक नीतियों के अनुरूप ही हैं। ये परिवर्तन हैं और ये बदलेंगे नहीं तथा इसकी परिणति नई औद्योगिक पुनः संरचना में होगी। उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते लघु उद्योगों के समक्ष नए अवसर हैं और ये उपाय ऐसे हैं कि लघु उद्योग इन अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनें। इसके अतिरिक्त विगत वर्षो में लघु उद्योग क्षेत्र ने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उनको बढ़ावा, संरक्षण तथा मार्गदर्शन देने की जरूरत पड़ेगी।

राज्य सरकारों एवं लघु उद्योगों का पारस्परिक सम्बन्ध

लघु उद्योग का आकार तथा उनकी विविधता के चलते लघु उद्योगों के विकास और प्रोत्साहन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों तथा उनकी संस्थाओं की ही हो सकती है। इसीलिए राज्य सरकारों ने लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी नीतियों को घोषणा की है। इन नीतियों के अन्तर्गत लघु उद्योगों को अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहायता मिलती है। इस तरह भारत सरकार का नीतिगत ढाँचा केन्द्र सरकार की अन्य संस्थाओं तथा राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शन है और इसके चलते सभी के प्रयास एक–दूसरे के पूरक हैं।

लघु उद्योगों के पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के जरिये सरकार के बीच तालमेल को

संस्थानिक रूप दिया जाता है। यह पंजीकरण योजना स्वैच्छिक है और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे जिला सहायता की नीति के अन्तर्गत कई लाभ ले सकते हैं। साथ ही केन्द्र तथा राज्य सरकारें द्वारा दी जानेवाली प्रत्यक्ष सहायता भी उन्हें मिल सकती है।

पजीकरण योजना और लघु इकाइयों को पंजीकृत कराने की प्रक्रिया का ब्यौरा ब्लॉक 4 एकांक 2 मे दिया गया है। विगत वर्षो में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के यहॉ पंजीकृत इकाइयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दिसम्बर 1999 तक विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों में पंजीकृत इकाइयों की संख्या 16.37 लाख थी।

लघु उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकारें भी नीतियाँ तैयार करती हैं तथा उन्हें क्रियान्वित करती है। ये नीतियाँ राज्य में स्थापित जिला केन्द्रों के माध्यम से लागू की जाती है। बुनियादी संरचना विकास, लघु उद्योग निगम, निर्यात निगम तथा अन्य संबंधित संस्थागत एजेंसियों के द्वारा प्रदान की जाती हैं।

महानगरों को छोड़कर देश के प्रायः सभी जिलों के लिए लगभग 422 जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए हैं। यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में केन्द्र की 50% सहायता से मई 1978 में शुरू किया गया था।

जिला उद्योग केन्द्र की परिकल्पना जिला स्तर पर एकल रूप से लघु उद्योगों से संपर्क बनाये रखने के लिए गई थी। इस केन्द्र के जरिये लघु उद्योगों को एक ही कार्यालय से सेवाएँ तथा समर्थन दिये जाते हैं। ये केन्द्र राज्य तथा केन्द्र सरकारो के विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओ को लागू करते हैं।

जिला उद्योग केन्द्रों मे लघु उद्योगों का पंजीकरण होता है। इन केन्द्रों का प्रबंध राज्य सरकारें देखती हैं। अब यह योजना राज्य सराकारों को सौंप दी गई है तथा वित्तीय वर्ष 1993-94 से राज्य सरकारें ही जिला उद्योग केन्द्रों का खर्च बहन कर रहीं हैं। पिछले पाँच वर्षों में पंजीकृत इकाइयों की संख्या को निम्न तालिका में दिखाया गया है।

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम
31 दिसम्बर तक पंजीकृत इकाइयों की संख्या

क्रम स.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1998	1999	1990	1991	1992	1993
1	आंध्रप्रदेश	69,789	78,051	85,470	93,281	1,07,372	1,38,477
2	असम	9,374	11,518	11,366	12,805	14,354	17,103
3.	बिहार	59,886	65,192	71,804	76,779	83,782	92,695
4	गुजरात	65,553	71,299	78,441	85,220	94879	1,13,593
5.	हरियाणा	61,229	65,166	69,365	74,360	79,953	91,796
6	हिमाचल प्रदेश	9,929	10,565	11,107	11,653	12,165	13,255
7	जम्मू–कश्मीर	17,935	19,080	19,877	21,677	22,653	24,928
8.	कर्नाटक	6,2534	68,300	74,182	80,292	88,513	10,5674
9.	केरल	43,900	49,574	57,738	78,420	86,595	1,16,890
10	मध्यप्रदेश	1,39,700	1,49,239	1,60,896	1,72,545	1,84,245	2,40,556
11	महारष्ट्र	54,610	53,995	56,837	59,953	68,003	75,580
12.	मणिपुर	2,890	3,719	4,152	4,059	4,310	4,797
13	मेघालय	1,003	1,114	1,233	1,368	1,616	1,765
14	नागालैंड	509	547	580	615	642	704
15.	ओड़िसा	16,061	15,251	15,736	16,004	16,505	17,704
16.	पंजाब	96,519	1,06,526	1,15,003	1,24,453	1,34,337	1,34,956
17.	राजस्थान	56,761	58,367	59,931	62,393	64,437	68,872
18.	तमिलनाडु	86,499	96,501	1,07,503	1,16,940	1,33,807	1,83,838
19.	त्रिपुरा	3,252	4,054	4,411	4,967	5,665	7,224
20.	उत्तरप्रदेश	1,45,797	1,61,017	1,85,566	2,17,376	2,47,907	3,00,345
21	सिक्किम	109	131	185	209	224	261
22.	अरूणाचलप्रदेश	365	451	474	525	571	1121
23.	पश्चिम बंगाल	1,31,656	1,34,619	1,37,526	1,39,878	1,42,508	1,44,943
24.	मिजोरम	1,694	2,087	2,245	2,478	2,638	2,693
25	गोवा	4,494	4,794	4,947	5,146	5,381	5,770
26.	अंडमान–निकोबार	537	586	653	795	852	961
27.	चंडीगढ़	2,401	2,512	2,656	2,765	2,844	3,357
28.	दादरा एवं नागर हवेली	272	278	284	282	306	389
29.	दिल्ली	23,817	24,804	25,774	26,228	26,606	28,353
30.	लक्षद्वीप	—	—	104	144	184	264
31.	पांडिचेरी	2,380	2,631	2,893	3,190	3,517	4,023
32.	दमन एवं दिव	228	259	344	385	440	562
	कुल	11,71,034	12,62,238	13,69,283	14,98,193	16,37,812	19,43,519

उत्पत्ति

1977 के औद्योगिक नीतिगत विवरण की सिफारिश पर जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए। ग्रामीण, पिछड़े इलाकों तथा कस्बो में स्थापित लघु उद्योगों को जिला स्तर पर सहायता प्रदान करनेवाले एक प्रशासकीय ढाँचे के रूप मे ऐसे केन्द्रों की स्थापना जरूरी समझी गई। इनका उद्देश्य यह था कि समर्थन सिर्फ महानगरों तथा राजधानियों में एकत्रित रहने के बजाय जिला मुख्यालय तक पहुॅचे।

उद्देश्य

लघु उद्यमी को जिन सेवाओं तथा समर्थनों–यानी निवेश के पहले, निवेश के दौरान तथ निवेश के बाद–की जरूरत लघु उद्योग के लिए होती है, वे सभी उसे जिला उद्योग केन्द्र से ही मिल जाएँ। इनमें स्थानीय संसाधन का आर्थिक अन्वेषण, कच्चे माल का प्राबधान, ऋण सुविधाओं का प्रबंध, विपणन व गुणवत्ता निवेश, परामर्श तथा विस्तार सेवाएँ सम्मिलित है।

क्रियाकलाप

- **विनियामक**

क. इकाइयों का पंजीकरण

ख. नीति क्रियान्वयन से संबधित क्रियाकलाप

ग. प्रशासकीय कार्य (कार्य निपटान समेत)

- **केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा निगरानी**
- **सरकारी एजेंसियों से मिलने वाली सहायता के लिए निम्नलिखित मामलों में सिफारिश :**

क. मशीनरी

ख. वित्त

ग. सामग्री की खरीद

घ. पंजीकरण तथा लाइसेंस जारी करना

◆ **निम्न मदों के लिए प्रोत्साहन :**

क. प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना

ख. जिला कार्य योजना

ग. उद्यमिता विकास

घ सर्वेक्षण

ड परामर्श

च अनुरक्षण सेवाएँ (एस्कॉर्ट सर्विसेज)

भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा उद्योग में परस्पर संपर्क-सम्बन्ध : पंजीकरण योजना केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय हेतु प्राथमिक संस्थागत आधार प्रदान करती है। कई और तरोकों से भी राज्य सरकारों तथा उद्योग समूहों के बीच संबंध बना रहता है। ये निम्नलिखित है :

1. सलाहकार समितियों/शासी बोर्डो में प्रतिनिधित्व : संस्थानों और उद्योगों के बीच निकट सम्पर्क बनाने के लिए विभिन्न संस्थानों की सलाहकार समितियों/शासी बोर्डो में लघु उद्योग विभाग व उद्योग समूहों से सदस्य बनाये जाते हैं। विभिन्न नीतिगत सलाह निकायों/एजेंसियों में लघु उद्योगों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को लेकर कुछ आशंकाएँ रही हैं। वित्तीय संस्थानों तथा व्यापार, उद्योग तथा वित्त से संबधित विभिन्न सलाहकार संस्थानों में लघु उद्योग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास जारी हैं।

2. संघों/चैम्बरों/परिषदों के साथ पारस्परिक संपर्क : विभिन्न उद्योग समूहों के साथ पारस्परिक संपर्क की स्वस्थ तथा सतुलित पद्धति मौजूद है। इसे संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, बैठकों और ऐसे अन्य मंचों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

3. राज्यस्तरीय अंतर-संस्थागत समिति (एस.एल.आई.आई.सी.) : राज्य स्तर पर वित्तीय/बैंकों द्वारा प्रदत्त आवधिक ऋण (टर्म लोन) एवं कार्यशील पूँजी की निगरानी, बीमार लघु इकाइयों के पुनर्वास पैकेज की निगरानी और ऋण देनेवाली अन्य कार्यवाहियों के लिए समिति

का गठन किया गया है। इसमे भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, लघु उद्योग विभागों तथा राज्य सरकार एवं उसकी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल किए जाते है।

4. आंकड़ों का संग्रह : विकास आयुक्त लघु उद्योग (कार्यालय) पंजीकृत लघु इकाइयों के दो प्रतिशत को नमूना मानकर लघु उद्योग के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की गणना करता है। पंजीकरण आँकडों के आधार पर लघु उद्योग से संबधित विभिन्न आँकड़ों को भी जमा किया जाता है। लघु उद्योगों की वृद्धि की निगरानी के लिए ये सारे क्रियाकलाप राज्य उद्योग निदेशालय तथा जिला उद्योग केन्द्रों के सक्रिय सहयोग से पूरा किया जाता है।

लघु उद्योगों के संबधित द्वितीय अखिल भारतीय गणना (सेंसस) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का अनुकरणीय उदाहरण है।

5. राज्य सरकारों को सहायता सेवाएँ : राज्य/जिला पर प्रोत्साहन से जुड़ी एजेंसियों को सलाह एवं सूचना वितरण में लघु उद्योग विभाग के सेवा संस्थान राज्य एजेंसियो को कई प्रकार की सहायता सेवाएँ प्रदान करते हैं। यथा :

- परियोजना रूपरेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल)
- राज्य संभाव्यता सर्वेक्षण
- जिला संभाव्यता सर्वेक्षण
- बाजार संबंधी सूचना
- व्यापार सूचना
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम एवं परामर्श
- आधुनिकीकरण अध्ययन
- संयंत्र अध्ययन

राज्यों की नीतियाँ तथा स्कीम : राज्य सरकारें उद्योग निदेशालयों और जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से लघु इकाइयों को तकनीकी और अन्य सहायता सेवाएँ प्रदान करती हैं। सहायता और सुविधाओं के मुख्य स्रोत हैं :

- औद्योगिक परिसरों का निर्माण तथा प्रोत्साहन
- बिक्रीकर में आस्थगन/रियायत
- बिजली के लिए रियायती सहायता
- विभिन्न जिलों में स्थापित नई इकाइयों को पूँजीगत सहायता
- शुरूआती पूँजी (सीड कैपिटल)/उपांत राशि (मार्जिन मनी) सहायता स्कीम
- औद्योगिक क्षेत्र में भूमि शेडों के आबंटन के लिए हायर परचेज स्कीम
- बिजली, पानी कनेक्शन आदि विभिन्न सुविधाओं में प्राथमिकता
- परामर्श तथा तकनीकी सहायता सेवाएँ

राज्य वित्त निगम लघु इकाइयों को आवधिक ऋण (टर्म लोन) प्रदान करते हैं। राज्य औद्योगिक विकास निगम और भूमि विकास निगम उपकरणों को पट्टे पर लेने, संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद, भूमि विकास, औद्योगिक सम्पदाओं का संवर्धन (प्रोमोशन) और अन्य विकास प्रयासों में सहायता करते हैं। राज्य वित्त निगमों के उद्देश्यों और क्रियाकलापों की झलक दी गई है।

राज्य सरकारों की लघु उद्योगों से संबधित नीतियों और प्रोत्साहन की आम संरचना निम्न तालिका में दी गयी है :–

लघु उद्योग के लिए राज्य सरकारों की नीतियों तथा प्रोत्साहनों की आम संरचना

- औद्योगिक विकास तथा निवेश निगमों द्वारा औद्योगिक, क्षेत्रों का विकास तथा प्रबंधन
- नई इकाइयों के लिए नियत निवेश (अधिकतम सीमा तक ही) के 15 से 25 प्रतिशत तक पूंजी निवेश करना
- इकाइयों को नियत अवधि (पाँच से दस वर्ष) तक विक्रीकर का आस्थगन छूट। इस लाभ की मात्रा नियत पूँजी निवेश और कर दायित्वों के द्वारा सीमित है
- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने पर प्रोत्साहन तथा सब्सिडी महिला एवं कमजोर वर्गो के लिए विशेष सहायता योजना
- आसान शर्तो पर शुरूआती पूँजी (सीड कैपिटल)/उपांत राशि (मार्जिनल मनी) सहायता योजना
- आधुनिकीकरण, टैक्नोलॉजी में बेहतरी के लिए फीजिबिलिटी स्टडी। परामर्श पर आई लागत में सहायता देना
- हायर परचेज अथवा पट्टे पर भूमि/शेड का आबंटन
- अनुमति प्रदान करने तथा विवादों के निपटाने के लिए जिला/राज्य स्तर पर अधिकारसंपन्न समितियों का गठन
- पिछड़े/उद्योगविहीन जिलों में अग्रणी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए और अधिक

प्रोत्साहन संयुक्त/सहायता क्षेत्र परियोजनाओं में राज्य निगमों द्वारा भागीदरी

राज्य वित्त निगमों (एस. एफ. सी.) की विशेषताएँ

- राज्य वित्त निगम जिला स्तर पर लघु और मँझले उद्योगों को वित्त प्रदान करने और उनको संवर्द्धित करने के उद्देश्यों से काम करते हैं।
- देश में अभी 18 राज्य वित्त निगम हैं।
- राज्य वित्त निगम औद्योगिक इकाइयों को आवधिक ऋण/पूँजी में हिस्सेदारी/डिबेंचर,

गारंटी तथा बिल ऑफ एक्सचैंज की डिसकाउटिंग भी करते हैं।

- राज्य वित्त निगम वर्ष भर में 40,000 से भी अधिक इकाइयो को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। अभी 88 प्रतिशत से अधिक इकाइयाँ राज्य वित्त निगम से सहायता प्राप्त हैं
- राज्य वित्त निगम लघु उद्योगों के लिए आई.डी.बी.आई./एस.आई.डी.बी.आई की पुनर्वित्त पोषण (रिफाइनेंस) की योजनाएँ चलाते है।
- अगस्त, 1993 से राज्य वित्त निगमों को एस.एल. आर. बॉन्ड के माध्यम से और संसाधन जुटाने की अनुमति दे दी गई हैं।

लघु उद्योग के लिए राज्य सरकारों की नीतियों तथा प्रोत्साहनों की आम संख्या

- औद्योगिक विकास तथा निगमों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों का विकास तथा प्रबंधन।
- नई इकाइयों के लिए नियत निवेश (अधिकतम सीमा तक ही) के 15 से 25 प्रतिशत तक पूँजी निवेश सहायता।
- इकाइयों को नियत अवधि (पाँच से दस वर्ष) तक बिक्रीकर का आस्थगन छूट। इस लाभ की मात्रा नियत पूँजी निवेश और कर दायित्वों के द्वारा सीमित है।
- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का उपभोग करने पर प्रोत्साहन तथा सब्सिडी
- महिला एवं कमजोर वर्गो के लिए विशेष सहायता योजना।
- आसान शर्तो पर शुरूआती पूँजी (सीड कैपिटल)/उपांत राशि (मार्जिनल मनी) सहायता योजना।
- आधुनिकीकरण, टैक्नोलॉजी में बेहतरी के लिए फीजिबिलिटी स्टडी। परामर्श पर आई लागत में सहायता देना।
- हायर परचेज अथवा पट्टे पर भूमि/शेड का आबंटन ।
- अनुमति प्रदान करने तथा विवादों के निपटान के लिए जिला/राज्य स्तर पर अधिकारसंपन्न समितियों का गठन।

- पिछड़े/उद्योगविहीन जिलों में अग्रणी इकाइयॉ स्थापित करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन।
- संयुक्त/सहायता क्षेत्र परियोजनाओ में राज्य निगमों द्वारा भागीदारी।

योजना काल में लघु उद्योग

(Small & scale industries in Planning)

पचवर्षीय योजनाओं मे लघु उद्योगेा को उनके महत्व के अनुरूप उचित स्थान दिया गया है। योजनाओं के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रम तथा प्रगति का विवरण इस प्रकार है

प्रथम पंचवर्षीय योजना :- प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विकास पर 43 करोड़ रूपये व्यय किये गये। जून 1955 मे कर्बे समिति की नियुक्ति की गई। इन समिति ने बताया कि ये उद्योग उपेक्षित है और इनके विकास क लिए 6 विशिष्ट बोर्डो की स्थापना की गई और समिति ने वस्त्र उद्योग पर विशेष बल दिया। खादी वस्त्र उद्योग, कृषि उपकरण जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए इस उद्योग में सम्मिलित कर दिया गया। पहली योजना मे लघु उद्योगो पर लगभग 42 करोड़ व्यय किये – इस पंचवर्षीय योजना की अवधि मे इसे तीन अलग–अलग बोर्ड़ों में विभाजित कर दिया गया है। नए स्थापित होने वाले बोर्ड थे। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड अक्टूबर 1952, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड नवम्बर 1952, एवं अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड फरवरी 1954 में उन स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश में राष्ट्रीय सरकार बनने पर लघु उद्योग की ओर ध्यान दिया गया और सबसे पहले 1948 में घोषित प्रथम औद्योगिक नीति में लघु उद्योग के महत्व को स्वीकार किया गया। इसके लघु उद्योग के महत्व को स्वीकार किया गया। इसके विकास के लिए सरकार द्वारा सहयोग एंव प्रेरणा देने की घोषणा की गयी। साथ ही साथ, यह भी कहा गया कि लघु उद्योगों एवं वृहद् उद्योगों में समन्वय स्थापित किया गया।

इन उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए जो उपरोक्त बोर्ड के दायरे के बाहर थे और जिन पर उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 लागू नही होता था।

लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। इसके अलावा 1949 में स्थापित केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अप्रैल 1952 में पुनर्गठन किया गया और जुलाई 1954 में नारियल जड़ा बोड़ की स्थापना की गयी। इस तरह पथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर देश के 6 बोर्ड काम कर रहे थे और उनके दायरे में लघ् उद्योग आते है। इन सबको मिलाकर उस समय एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा तैयार हुआ था। जिनके माध्यम से सरकार ने चार क्षेत्रीय लघु उद्योग संस्थान स्थापित किये। इनकी देश मे फैली हुई विभिन्न शाखाओ का कार्य लघु उद्योगो के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने वित्तीय साधनों की पर्याप्त व्यवस्था की थी।

इस योजना अवधि मे लघु उद्योगो पर लगभग 180 करोड रूपये व्यय किये गये। सरकार ने कर्वे समिति की प्रमुख सिफारिशो पर अमल करने की चेष्ठा की। इस अवधि मे एक उद्योग विस्तार सेवा विकसित की गयी। प्रत्येक राज्यों में लघु उद्योग सेवाएँ स्थापित की गई। 66 औद्योगिक बस्तियो का निर्माण किया गया।

इस योजना में 2824 इकाइयों द्वारा 48382 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर 50 16 करोड़ रूपए का उत्पादन किया गया। शासन ने द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल से कृषि के साथ साथ प्रदेश के औद्योगीकरण के विकास पर भी बल दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना के दौरान आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय, व्यापारिक एवं प्रशासनिक उपाय किये गये। उ० प्र० सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वय किया।

इस पचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा लघु उद्योग पर कम ध्यान दिया गया। विकास हेतु 2.90 करोड़ रूपये पूँजी विनियोग का लक्ष्य रखा गया। सन 1955-56 तक 1,060 इकाइयाँ 34.46 करोड़ रूपये का उत्पादन कर 27,550 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। इस पंचपर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में सुधार करना था। 1,647 इकाइयों द्वारा 29,898 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि सम्बन्धी उद्यमों को बढावा दिया गया और ऊर्जा यातायात संचार में रचनात्मक सहयोग दिया गया। इस योजना की प्रगति निम्न है :–

द्वितीय योजना	1956-57 (करोड़ रू०)	1957-58 (करोड़ रू०)	1958-59 (करोड रू०)	1959-60 (करोड़ रू०)	1960--61 (करोड रू०)
कुल व्यय का प्रावधान	94.53	79.09	88.77	107.94	93.54

इन उद्योगो की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए जो उपरोक्त बोर्ड के दायरे के बाहर थे और जिन पर उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1951 लागू नहीं होता था। लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की गयी। इसके अलावा 1941 में स्थापित केन्द्रीय रेशम बोर्ड का 1952 में पुनः गठन किया गया और जुलाई 1954 में नारियल जटा उद्योग की स्थापना की गई। इस योजना अवधि में लघु उद्योगो पर लगभग 180 करोड़ रू० व्यय किये गये। प्रत्येक राज्यों में लघु उद्योग सेवाएँ स्थापित की गयी। 66 औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण किया गया।

इस योजना में 2,824 इकाइयों द्वारा 48,382 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर 50.16 करोड़ रू० का उत्पादन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना के दौरान आवश्यक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय, व्यापारिक तथा प्रशासनिक उपाय किये गये। उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वय किया।

मुख्य सुधार निम्न हैं :

1. राज्य सरकार द्वारा एक मुख्यतः दल ग्रामीण एवं लघुस्तर के उद्योमों के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्योग बनाने के लिए बनाया गया।
2. दो अध्ययन दल देश के विभिन्न प्रदेशों के औद्योगिक कार्यक्रमों का अध्ययन करने के

लिए दल भेजा।

3. सभी जनपद के जिला उद्योग कमेटियों के विचार–विमर्श और सभी जिला के औद्योगिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर सभी जिला मजिस्ट्रेटो से सलाह प्राप्त किया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना : तृतीय पचवर्षीय योजना मे यह स्पष्ट शब्दों मे व्यक्त किया गया कि निम्न मुख्य तथ्यों पर केन्द्रित किया जाए :–

(क) प्रथम और द्वितीय योजनाओं की प्रगति को पूर्ण करके पुष्ट किया जाए और कुछ बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं का विस्तार योजना के प्रारम्भिक वर्षो में पूरा किया जाय।

(ख) औद्योगिक कोआपरेटिव उपाय संगठनात्मक आधारित लघु स्तर उद्योगो को सहायता देता है।

(ग) अधिक सख्या के शिल्पकारों और क्राफ्ट मैन को आधुनिक वैज्ञानिक रीति से उत्पादन करने के लिए अधिक संख्या में प्रशिक्षण देना।

(घ) ऊर्जा स्त्रोतों का विस्तार योजना के साथ समतुल्यता मे उद्योगों का विकास एवं मध्यम उद्योगों का विकास एनसलरी पैटर्न पर लघु स्तर उद्योगों के द्वारा करना।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (करोड़ रूपये)

मदें	प्रावधान	कुल योग	1961-62	1962-63	1963-64	1964-65
हैण्डलूम	275	16.8	35.356	46.220	39.504	36.678
लघु उद्योग	839	40.8	170.680	126.758	129.34	176.24
औद्योगिक आस्थान	375	22.9	15.170	52.832	101.420	62.282
हस्तशिल्प	90	5.5	5.903	9.180	12.180	10.368

इस योजना अवधि में **33.83** करोड़ रूपये का विनियोजन कर **4,842** इकाइयों द्वारा **1,14,431** लोगों को रोजगार प्रदान करके **101.49** करोड़ रूपये का उत्पादन किया गया।

ऋण एंव अनुदान के रूप में 77 लाख रूपये की वित्तीय सहायता 1963-64 में दी गयी।

तृतीय योजना और तीन वार्षिक योजनाएँ - इस योजना में इन उद्योगो के तीव्र विकास एंव सुधार का कार्यक्रम एंव निजी क्षेत्र में 275 करोड रूपये व्यय किये गये। इस योजनाअवधि में विभिन्न दिशाओं में विकास करने के कार्यक्रम किये गये। जैसे,श्रमिकों के उत्पादन में सुधार करना, सस्थागत वित्त की उपलब्धि करना, छोटे उद्योगो का बडे उद्योगों के सहायक के रूप मे विकास करना, गाँवों एव छोटे नगरों में इन उद्योगो का विकास करना तथा कारीगरों की सहकारी समितियों बनाना आदि। तीन वार्षिक योजनाओ के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विकास में 132-6 करोड़ रूपये व्यय किये गये। 1968-69 के अन्त तक राज्य उद्योग निदेशालयो में 140,000 लघु सारीय इकाइयों पंजीकृत थी जबकि 1962 में लगभग 360,000 इकाइयों थी। मार्च 1969 में लगभग 348 औद्योगिक बस्तियॉ स्थगित हो चुकी थी। जबकि 1960-61 में इनकी संख्या 66 थी।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना - इस योजना की अवधि में 239 करोड रूपये व्यय करने का प्रावधान था, लेकिन 250 करोड़ रूपये ही व्यय किये गये। इस काल में छोटे उद्योगों की उत्पादन तकनीकी को उन्नत करना, उद्योग के विकेन्द्रीकरण एवं फैलाव को उन्नत करना कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करना आदि कार्यक्रम थे। जिनमें 11,200 हैण्डलूम घुनकर समितियाँ थी। गाँवो में चलाये जाने वाले उद्योगों को विशेष सहायता दी गयी। इस योजना मे साख–तकनीकी परामर्श एवं कच्चे माल के लिए विशेष व्यवस्था की गयी। इस अवधि मे मशीन, औजार, सिलाई, मशीनें, बिजली के पंखे मोटरों आदि की विशेष प्रगति हुई है।

इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग बोर्डो की स्थापना की गई। जिला और ब्लॉक स्तर पर उद्योग अधिकारी नियुक्त किए गये। 1955 में शुरू किया जाने वाला औद्योगिक बस्तियाँ का कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया और लगभग 60 औद्योगिक बस्तियाँ स्थापित की गयी जहाँ पर कारखानों की स्थापना के लिए बिजली, पानी, यातायात

आदि की सुविधाएँ थी। कुछ वस्तुओ का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया। ओद्योगिक सहकारी समितियो के सगठन का कार्यक्रम आगे बढाया गया। साख, प्रशिक्षण तकनीकी सलाह, अच्छे औजार आदि के रूप मे लघु उद्योगो को सहायता देने की दशा मे भी कार्य हुआ।

इस पचवर्षीय योजना मे लघु स्तर उद्योगो के विकास कार्यक्रमो के विस्तार का मुख्य ध्येय निम्नलिखित किया गया –

1 लघु उद्योगो की उत्पादन तकनीकी के विस्तार को उन्नत करना। इस प्रकार उनके उत्पादो की किस्म को बढाना।

2 उन्हे सहज प्राप्य स्तर पर लाना।

3 उद्योगो के विक्रेन्द्रीकरण को बढावा देना

4 कृषि आधारित उद्योगेा को प्रोत्साहित करना

उपरोक्त विचारो को ध्यान मे रखते हुए 2,01,000 लाख रूपये का प्रावधान किया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना एवं तीन वार्षिक योजनाओं की प्राप्ति

इकाई की स० अनुमानित उत्पादन	विनियोजन (करोड रूपये)	(करोड रूपये)	रोजगारस०
तीन वार्षिक योजना	6,14,742 04	1,24,738	128 82
चतुर्थ पचवर्षीय येाजना	12,85,145 94	1,60,027	249 00

इस योजना अवधि मे 12,851 इकाइयो द्वारा 249 करोड रूपये का उत्पादन कर 1,60,027 व्यक्तियो को रोजगार प्रदान किया गया।

पंचम वर्षीय योजना :- पॉचवी योजना अवधि मे गरीबी और उपभोग मे असामानता को कम करने की दिशा मे लघु उद्योगो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी विषय मे नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्न प्रकार निर्धारित किये गये थे ।

1 सही उद्योगेा का चुनाव करना उन्हे सलाहकार तथा विपणन सेवाओ की सहायता देना।

2 लघु उद्योगो एव बडे उद्योगो के बीच सम्पर्क स्थापित करना।

3 वित्तीय सहायता देना पिछडे क्षेत्रो मे औद्योगिक विकास को बढावा दिया जाना।

4 औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत सरचना का विस्तार किया गया ।

सशोधित पॉचवी योजना मे लघु उद्योगो के लिए 510 करोड रूपये की व्यवस्था की गयी। 1974 से 1978 के दौरान लघु उद्योगो पर 388 करोड रूपये व्यय किये परिमाणत विकेन्द्रीयकृत क्षेत्र (Decentrailised Sector) मे कपडे का उत्पादन 1977-78 मे बढकर 410 करोड मीटर हो गया। 1974-75 एव 1977-78 के बीच हस्तशिल्पो का निर्यात 194 करोड रूपये से बढकर 440 करोड रूपये हो गया। इसी प्रकार लघु स्तर उद्योगो का उत्पादन को 1974-75 मे 538 करोड रूपये था बढकर 1977-78 मे 1,000 करोड रूपये हो गया।

पॉचवी पचवर्षीय योजना मे लघु स्तर के उद्योगो के विकास का महत्वपूर्ण चरण था इस अवधि के दौरान 42,035 लघु स्तर की इकाइयॉ बनी।

इस योजना अवधि मे प्रगति निम्नवत हैं –

प्रगति विवरण

वर्ष	लघु एव लघुत्तर इकाइयो की सख्या	अनुमानित उत्पादन (करोड रूपये मे)	सेवायोजित व्यक्तियो की सख्या
1975-76	29,488	565 00	3,54,970
1976-77	33,587	637 00	3,81,973
1977-78	37,469	782 00	4,33,081
1978-79	42,035	880 00	4,75,180
1979-80	47,943	983 00	5,38,270

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पॉचवी योजना के अन्त तक लघु इकाइयो की सख्या 47943 थी जिसमे अनुमानत. उत्पादन 983.00 करोड रूपया एव 538270 व्यक्तियेा को रोजगार के अवसर सुलभ हुए।

इस योजना के प्रारम्भ करने का निम्नलिखिन उद्देश्य रखा गया –

(1) लघु उद्योगो को प्रोत्साहित करके रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना।

(2) उद्योगो की स्थापना हेतू इच्छुक उधमियो को एक छत्र के बीच उद्योग स्थापना की समस्त जानकारी एव सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

(3) लघु उद्योगो के विकास के लिए एव सर्वेक्षण करना।

छठी योजना (1980- 85) मे लघु उद्योगो - छठी पचवर्षीय योजना मे लघु उद्योगो को राष्टीय विकास नीति को महत्वपूर्ण अग के रूप मे स्वीकार किया गया और यह व्यवस्था की गई कि छठी योजना काल मे लघु उद्योगो का विकास उच्च प्राथमिकता के आघार पर इस प्रकार किया जाय कि निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति हो सके –

(1) उत्पादन के स्तर मे वृद्धि तथा उधमियो की आय मे वृद्धि,

(2) विकेन्द्रित विकास द्वारा अतिरिक्त रोजगार अवसरो का सृजन।

(3) लघु उद्योगो की उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग हो जिससे कुल उत्पादन मे इसका योगदान बढे।

(4) अनुकूल प्रशिक्षण की व्यवस्था द्वारा उधमियो की कार्य कुशलता मे वृद्धि।

(5) लघु उद्योगो की सरचना का निर्माण एव लघु उद्योगो के उत्पादन कोई नियति को प्रोत्साहन दिया जाए।

छठी योजना (1980-85) मे लघु उद्योगो पर वास्तविक अनुमानित परिव्यय 1952 करोड रूपये हुआ। इस क्षेत्र को कुल योजना परिव्यय का 1 8 प्रतिशत प्राप्त हुआ। छठी योजना की प्रगति की समी से पता चलता है कि इस क्षेत्र मे उत्पादन 1979-80 मे 33,538 करोड रूपये था। और यह बढकर 1984-85 मे 65,730 करोड रूपये हो गया। एव इसी प्रकार इस क्षेत्र से निर्यात को 1989-80 मे 2,281करोड रूपये था।

इस योजना के फलस्वरूप 1,10,710 लघु स्तर की इकाइयो की स्थापना की गयी। इस योजना मे नई औद्योगिक इकाइयो को ब्रिकी कर से मुक्त किया गया।

इस अवधि मे वर्ष कर प्रगति निम्नवत है

वर्ष	लघु एव लघुस्तर इकाइयो की सख्या	आनुमानित उत्पादन (करोड रूपये मे)	सेवायोजित व्यक्तियो की सख्या
1980-81	55,896	1,070 00	6,13,813
1981-82	68,426	1,318 00	6,91,145
1982-83	82,037	1,581 00	7,75,149
1983-84	95,847	1,846 00	8,50,149
1984-85	1,10,710	2,143 00	9,20,756

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि इस योजनावधि के प्रारम्भ मे लघु स्तर की इकाइयो की सख्या 55,896 थी। अन्त मे 1,10,710 हो गयी जिसमे 676 00 करोड रूपये का विनियोजन किया गया जिसमे उत्पादन 2,143 करोड रूपया एव 9,20,756 व्यक्तियो को रोजगार के अवसर सुलभ हुए। प्रथम पचवर्षीय योजना के समय मे औद्योगिक सेक्टर मे केवल 2 3% की वृद्धि दर थी। छठी योजना मे 11 8% की वृद्धि हुयी। 4,558 करोड रूपये हो गया। जहॉ तक रोजगार का सम्बन्ध है। यह 1979-80 मे 234 लाख व्यक्ति था। 1984-85 तक बढकर 315 लाख व्यक्ति हो गया। जहॉ पर उत्पादन का लक्ष्य मैट्रिक दृषि को पार कर किया गया, रोजगार लक्ष्य प्राप्त नही किया जा सका। छठी योजना मे लघु उद्योगो द्वारा 3 26 लाख व्यक्तियो के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।

सातवीं पचवर्षीय योजना-(1985-90)- सातवी योजना मे प्रारम्भिक प्रपत्र मे यह स्वीकार किया गया है कि उत्पादन रोजगार तथा निर्यात की दृष्टि लघु उद्योगो का अर्थव्यवस्था मे अत्यन्त महत्पूर्ण अग के रूप विशेष स्थान है। अत. इस क्षेत्र के विकास की नीतियो को वित्तीय एव करो की दृष्टि से उधार तथा प्रबन्ध व्यवस्था की दृष्टि से कुशल बनाया जाना चाहिये। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस योजना मे यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामीण

क्षेत्रो मे निर्धनता के निवारण के लिए तथा रोजगार के नये अवसरो के सृजन के लिए बनाये गये विशिष्ट कार्यक्रम को इस प्रकार चलाया जाय कि कृषि पर से जनसख्या का भार कम हो जाये और उसे इन सम्भव होगा जब कि लघु उद्योगो को बढावा दिया जाय।

इस योजना के प्रारम्भिक पत्र मे यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अति लघु उद्योगो को प्राथमिकता के आधार पर बैक वित्त उपलब्ध कराने के लिये साख के प्रवाह को नियन्त्रित एव नियमित किया जायेगा ।

इस योजना मे लघु उद्योगो के लिए 2,752 करोड रूपये का प्रावधान किया गया जो कुल परिव्यय का 1 5 प्रतिशत था । परन्तु 1985-90 की सातवी योजना को अवधि के लिये वास्तविक व्यय 3,249 करोड रूपये ऑका गया। लघु उद्योगो की प्रगति की समीक्षा से पता चलता है कि आधुनिक लघु उद्योगो एव बिजली करघा कपडा बनाने वाले क्षेत्रो मे तेजी से प्रगति की और वे अपने उत्पादन, रोजगार एव निर्यात के लक्ष्य को पार कर गये।

1984-85 मे आधुनिक लघु स्तर क्षेत्र के 50,520 करोड रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध इस क्षेत्र का उत्पादन बढकर 198 90 मे 92,080 करोड रूपये हो गया। इसमे 12 7 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई किन्तु खादी ग्राम एव हथकरघा कपडे एव नारियल जटा और नारियल उत्पाद से कम रहा। एक और क्षेत्र जिसमे निष्पादन बढकर 1989-90 मे 1,14,314 करोड रूपये हो गया। अत स्थिर कीमतो पर इसमे 1984-85 एव 1989-90 के दौरान 12 1% की वार्षिक वृद्धि हुई। रोजगार के रूप मे वृद्धि दर 4 4 प्रतिशत थी। निर्यात के सदर्भ मे उपलब्धि सराहनीय थी। वर्तमान कीमतो पर लघु उद्योगो के निर्यात जो 1984-85 मे 4,558 करोड रूपये थे जो बढकर 1989-90 मे 14,807 करोड रूपये हो गया। छठी पचवर्षीय योजना के अन्त तक लघु एव लघुत्तर इकाइयो की सख्या 10,710 थी।

सातवीं पचवर्षीय योजना मे इन इकाइयो के लगाने का एक लाख का लक्ष्य रखा गया जिसके समक्ष 1,05,541 ईकाइयो लगायीं गयी जिनमे 2,043 करोड़ रूपये का अनुमानत उत्पादन हुआ। और 5,24,304 व्यक्तियो को रोजगार के अवसर सुलभ हुए है।

सातवीं पचवर्षीय योजना का वर्ष बार प्रगति का विकास निम्नलिखित है

वर्ष	लघु एव लघुत्तर इकाइयो की सख्या	अनुमानित उत्पादन (करोड रूपये मे)	सेवायोजित व्यक्तियो की सख्या
1985-86	1,27,294	2,464 00	10,07,830
1986-87	1,46,187	2,830 00	11,02,295
1987-88	1,67,062	3,234 00	12,00,450
1988-89	1,90,212	3,682 00	13,12,637
1989-90	2,16,251	4,186 00	14,45,060

सातवी योजना अवधि मे जो **105541** इकाइयो लगायी गयी। उनकी वर्षबार प्रगति का विवरण निम्नलिखित है।

वर्ष	लघु एव लघुत्तर इकाइयो की सख्या		अनुमानित उत्पादन (करोड रूपये मे)	रोजगार सख्या
	लक्ष्य	उपलब्ध		
16985-86	16,000	16,584	321 00	87,074
1986-87	18,000	18,893	366 00	94,465
1987-88	20,000	20,875	404 00	98,165
1988-89	22,000	23,150	448 00	1,12,178
1989-90	24,000	26,039	504 00	1,32,423
योग	1,00,000	1,05,541	2043 00	5,24,304

लघु उद्योगो के वास्ते प्रदेश सरकार शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य प्रदान कर रही है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रगति निम्नलिखित है।

कार्यक्रम	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1 लघु एव इकाइयो की कार्यालय	15,884	18,893	20,875	23,150	26,039
2 कालान्तर कार्यालय	34,237	31,082	33,150	31,720	32,454
3 एम्प्लाईमेण्ट जनरेटेड	1,44,599	1,35,723	1,47,146	1,52,144	1,69,271

अर्थात 26 6% की वार्षिक वृद्धि हुई। सातवी योजना की प्रगति से पता चलता है कि राज्य आधुनिक लघु क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराता है क्योकि इनमे उत्पादन एव रोजगार की वृद्धि दरे ऊँची है। निर्यात के सदर्भ मे भी, लघु उद्योग क्षेत्र का निष्पादन निगम क्षेत्र की तुलना मे बेहतर कमाने वाला क्षेत्र है एव लघु क्षेत्र के कुल निर्यात का **89%** इसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

आठवीं योजना-(1992-97) में लघु उद्योग : आठवीं योजना मे ग्रामीण रोजगार को बढावा देने के लिए ग्रामीण औद्योकरण की नीति पर अधिक बल दिया गया। इस योजना मे ग्राम तथा लघु उद्योगो के विकास के लिए **6 334** करोड रूपए का प्रावधान किया है जोकि सार्वजनिक क्षेत्र पर कुल परिव्यय का **1.5%** था। किन्तु चालू कीमतो पर वास्वविक परिव्यय 7,094 करोड रूपए हुआ जो कि परिव्यय का **1 4** प्रतिशत था।

उत्पादन के लक्ष्यों एव इनकी उपलब्धि के रूप में यह कहा जा सकता है कि आठवी योजना के दौरान कच्चे रेशम को छोड जिसके उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त मे कुछ कमी रही, अन्य सभी क्षेत्रो मे उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए। लघु–स्तर उद्योगो का उत्पादन **4,18,863** करोड रूपए के चरम स्तर पर पहुँच गया। इस प्रकार बिजली करघा कपडे का उत्पादन **1996-97** मे **1,730** करोड वर्ग मीटर हो गया जबकि इसका लक्ष्य **1,524** करोड वर्ग मीटर था। पारम्परिक उद्योगो–ग्राम उद्योग, हथकरघा कपड़ा एवं हस्तशिल्पो नारियल के तन्तुओ में उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए।

जहॉ तक रोजगार का सम्बन्ध है, ग्राम तथा लघु उद्योग 575 लाख व्यक्तियो को 1996-97 मे रोजगार उपलब्ध करा पाया। यह वस्तुत प्रशसनीय है। इसमे से आधुनिक लघु–स्तर उद्योगो मे 228 लाख व्यक्तियो को रोजगार उपलब्ध कराया गया (अर्थात् लगभग 40%) और पारम्परिक क्षेत्र मे 347 व्यक्तियो (अर्थात लगभग 60%)। आधुनिक क्षेत्र का बढता हुआ भाग इस तथ्य की ओर सकेत करता है कि लघु तथा ग्राम उद्योगो मे ऐसे क्षेत्र मजबूत हो रहे है। जिनमे उत्पादित (productıvıty) और कमाई अधिक है। यह एक अभिनन्दनीय प्रवृत्ति है।

लघु एव ग्राम उद्योगो की एक अत्यधिक प्रशसनीय उपलब्धि उनका 1996-97 मे निर्यात मे 52,230 करोड रूपये का योगदान है जो कुल निर्यात का 44% है। यह इस बात का प्रमाण है। कि भारतीय अर्थव्यवथा के विश्वीकरण (Globalısatıon) मे लघु एव ग्रामीण उद्योगो का महत्वपूर्ण स्थान है। अत सरकार के लिए अनिवार्य हो जाता है। कि वह इस क्षेत्र को प्रोन्नत करने की ओर और अधिक ध्यान दे।

आठवीं योजना का लक्ष्य विवरण

वर्ष	इकाई की संख्या	रोजगार(लाख में)
1990-91	74,303	2 30
1991-92	87,028	2 62
1992-93	98,749	2 93
1993-94	1,12,247	3 30
1994-95	1,27,751	3.70

आठवीं पचवर्षीय योजना मे 2,550 00 करोड रूपये पूॅजी विनियोजन की 1,65,000 लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयो को लगाये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना अवधि में कार्यक्रम के अन्तर्गत 62,000 कोर्सस के अन्तर्गत 2,80,000 व्यक्तियो को प्रशिक्षित किया जायेगा।

वर्ष	कोसेर्स (सख्या)	प्रशिक्षित व्यक्तियो की संख्या
(लक्ष्य)	62,000	2,80,000
1990-91	856	43,067
1991-92	1,242	56,085
1992-93	1,240	56,000

जहॉ तक रोजगार का सम्बन्ध है, लघु स्तर क्षेत्र मे कुल रोजगार 575 लाख से बढकर 666 लाख हो जायेगा। अत 5 वर्षो मे 91 लाख अतिरिक्त रोजगार कायम किया जायेगा। सरकार द्वारा लघु उद्योगो के विकास पर ध्यान देने के कारण इनकी सस्था मे काफी वृद्धि हुई है। 1960-61 मे 36 हजार इकाइयॉ लघु उद्योगो के रूप मे विद्यमान थी। जिनकी सख्या बढते—बढते 2002-2003 मे 35 72 लाख इकाइयॉ हो गयी है। यह इकाइयॉ 560 वस्तुओ का निर्माण करती है। इन लघु उद्योगो के विकास हेतु प्रारम्भ मे 180 वस्तुओ का निर्माण केवल इन्ही के द्वारा ही करने के लिए सुरक्षित था, लेकिन नयी औद्योगिक नीति, 1977 मे इनकी सख्या बढकर 504 कर दी गयी। वर्तमान मे 674 वस्तुएँ का उत्पादन इनके लिए सुरक्षित है। इससे आशा है कि इन उद्योगो का विकास तीव्र गति से होगा।

पिछले चार दशको मे लघु उद्योगो की सस्था मे आशातीत वृद्धि हुई है जिसका विवरण इस प्रकार है –

वर्ष	लघु उद्योगों की इकाइयों की संख्या
1960-61	36 हजार
1974-75	49 हजार
2000-01	3,312 हजार
2001-02	3,442 हजार

नौवीं योजना (1997-2002) .- नौवी योजना मे लघु उद्योगो को वरीयता क्रम मे रखा गया है जिसमे से ग्रामीण विकास की गति मिल सके । इनके विकास द्वारा निर्धनता निवारण एव रोजगार के सृजन मे मदद मिलेगी। इस योजना मे यह सकेत दिया गया है कि लघु क्षेत्र द्वारा 8,000 वस्तुएँ उत्पन्न की जा रही है जिसमे हाल ही मे किए गये अनारक्षणो (Dereservatıons) को घटा 821 वस्तुओ का उत्पादन आरक्षित है। यह भी उल्लेख किया गया है कि इनमे 200 मदे ऐसी है जिनका या तो उत्पादन ही नही किया जाता या उनका उत्पादन महत्वहीन है। इसके अतिरिक्त, नौवीं योजना ने यह उल्लेख किया है कि पिछले कुछ वर्षो के दौरान 'लघु–स्तर उद्योगो के विकास मे अनारक्षित क्षेत्रो (Non-reserved Areas) मे उत्पादन आरक्षित क्षेत्रो की तुलना मे अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हुआ है जो लघु– स्तर क्षेत्र की अन्तर्निहित मजबूती और शक्ति का प्रमाण है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि यह क्षेत्र बाजार शक्तियो की चुनौतियो का सामना करने की सामर्थ्य रखता है।

नौवी योजना के अनुसार लघु उद्योगो को जिन मुख्य समस्याओ का सामना करना पडता है, वे है

(1) उधार का अपर्याप्त प्रवाह

(2) घिसी–पिटी टेक्नालॉजी, मशीनरी एव औजारो का प्रयोग,

(3) गुणवत्ता के घटिया मानदण्ड और

(4) आधार सरचना सुविधाएँ।

उधार के प्रवाह को बढाने के लिए सरकार ने बैको की विशिष्ट शाखएँ खोलनी आरम्भ कर दी है जो केवल लघु–स्तर–उद्योगो को उधार उपलब्ध कराएँगी।

लघु उद्यम

आठवीं और नवीं योजना के ग्राम तथा लघु उद्योगो के लक्ष्य एव उपलब्धियॉ

		1996-97		नौवीं योजना (2001-02)	
		लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य	औसत वार्षिक वृद्धिदर
क उत्पादन आधुनिक क्षेत्र					
1 लघु स्तर उद्योग	करोड रूपये	4,20,000	4,18,863	7,38,180	12 0
2 बिजली करघा कपडा	करोड वर्ग मीटर	1,524	1,730	3,049	12 0
पारम्परिक क्षेत्र					
3 खादी कपडा	करोड वर्ग मीटर	12 5	12 5	28 0	17 5
4 ग्राम उद्योग	करोड रूपये	4,120	4,120	7,261	12 0
5 नारियल का रेशा	हजार टन	276	271	35	6 7
6 हथकरघा कपडा	करोड वर्ग मीटर	700	700	1,234	12 0
7 कच्चा रेशम	टन	16,250	14,000	20,640	7 9
8 हस्तशिल्प	करोड रूपये	29,620	29,620	52,201	12 0
ख. रोजगार	**लाख**	**585**	**575**	**666**	**3.0**
(1) आधुनिक क्षेत्र	लाख	23	228	264	3 0
1 लघु– स्तर उद्योग	लाख	159	159	184	3 0
२ बिजली करघा	**लाख**	72	69	80	3 0
(2) पारम्परिक क्षेत्र	लाख	351	347	402	3 0
3 खादी एव ग्राम उद्योग	लाख	66	66	76	2.8
4 हथकरघा	लाख	149	149	173	3.0
5 हस्तशिल्प	लाख	78	71	82	3 0
6 रेशम–कच्चा रेशम	लाख	61	61	71	3.0
ग निर्यात	**करोड़ रूपये**	**29,004**	**52,229**	**1,04,000**	**14.7**

समन्वित आधारसरचना विकास केन्द्रो (Integrated Infrastructure Development Centres) की योजना के आधीन पिछडे ग्रामीण क्षेत्रो मे आधार सरचना सुविधाएँ कायम की जा रही है। आठवी योजना के दौरान 50 ऐसे केन्द्र स्थापित किए गए जिनमे से 22 स्वीकृत किए गए है। नौवी योजना के दौरान यह योजना जारी रखी जाएगी ताकि अधिक प्रोत्साहनो एव वित्तीय सहायता के साथ पहाडी क्षेत्रो और उत्तर – पूर्वीय राज्यो मे इस योजना का विस्तार किया जा सके।

नौवी योजना के अनुसार लघु उद्योगो को जिन मुख्य समस्याओ का सामना करना पडता है, वे निम्नलिखित है

(1) उधार का अपर्याप्त प्रवाह

(2) घिसी–पिटी तकनालाजी, मशीनरी एव औजारो का प्रयोग,

(3) गुणवत्ता के घटिया मानदण्ड और

(4) आधार सरचना सुविधाएँ।

उधार के प्रवाह को बढाने के लिए सरकार ने बैको की विशिष्ट शाखाएँ खोलनी आरम्भ कर दी है जो केवल लघु–स्तर–उद्योगो को उधार उपलब्ध कराएँगी। समन्वित आधार/सरचना विकास केन्द्रो (Integrated Infrastructure Development Centres) की योजना के आधीन पिछडे ग्रामीण क्षेत्रो मे आधार सरचना सुविधाएँ कायम की जा रही है। आठवी योजना के दौरान 50 ऐसे केन्द्र स्थापित किए गए जिनमे से 22 स्वीकृत किए गए है। नौवी योजना के दौरान यह योजना जारी रखी जाएगी ताकि अधिक प्रोत्साहनो एव वित्तीय सहायता के साथ पहाडी क्षेत्रो और उत्तर–पूर्वीय राज्यो मे इस योजना का विस्तार किया जा सके। पारम्परिक क्षेत्र मे भी उत्पादन की वृद्धि दर 11 से 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहने की सभावना है। इसमे लघु स्तर क्षेत्र के गतिशील स्वभाव का बोध होता है।

जहाँ तक रोजगार का सम्बन्ध है, लघु स्तर क्षेत्र मे कुल रोजगार 575 लाख से बढकर 666 लाख हो जायेगा। अत. 5 वर्षो मे 91 लाख आतिरिक्त रोजगार कायम किया जायेगा।

इसमे से आधुनिक क्षेत्र का 36 लाख और पारम्परिक क्षेत्र का भाग 55 लाख होगा। लघु क्षेत्र मे रोजगार की समग्र वृद्धिदर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी जोकि नौवी योजना मे अर्थव्यवथा के किसी भी क्षेत्र मे कल्पित दर से कही अधिक है।

किन्तु लघु स्तर क्षेत्र का सबसे अधिक उत्साहवर्धक पहलू निर्यात का 1996-97 मे 52,230 करोड रूपये से बढकर 2001-02 मे 1,04,000 करोड रूपये हो जाना है। अत निर्यात की औसत वार्षिक वार्षिक वृद्धिदर 14 7 प्रतिशत होगी। इसमे योगदान देने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण अशदाता लघु स्तर उद्योग और हस्तशिल्प (Handicrafts) है। ये दोनो मिल कर नौवी योजना मे कल्पित निर्यात– वृद्धि का 88 प्रतिशत उपलब्ध कराएँगे। किन्तु इस बात का ध्यान रखना होगा कि लघु–स्तर–क्षेत्र द्वारा 2001-02 मे प्रत्याशित 1,04,000 करोड रूपये के कुल निर्यात मे आधुनिक क्षेत्र का भाग 86,950 करोड रूपये होगा अर्थात 83 6 प्रतिशत। अत इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि निर्यात बढाने के लिए आधुनिक लघु–स्तर क्षेत्र को मजबूत बनाना होगा। किन्तु पारम्परिक क्षेत्र ग्रामीण एव नगरीय क्षेत्रो मे गरीबो के लिए अनुपूरक रोजगार (Supplementary employment) का स्त्रोत लगातार बना रहेगा।

दसवीं पंचवर्षीय योजना : दसवीं पचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र पर 44 लाख अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने की जिम्मेदारी डाल दी गई है। इसे पूरा करने को लेकर स्वय लघु उद्योग मत्रालय भी असमजस मे है। मत्रालय के अधिकारियो का मानना है कि मौजूदा नीतियो के तहत इन लक्ष्यो को पूरा करना बहुत मुश्किल है।

चालू वित्त वर्ष की मध्यावधि आर्थिक समीक्षा मे वित्त मत्रालय ने लघु उद्योग के लिए आरक्षित उत्पादो के अनारक्षण की वकालत की है। इससे पहले केलकर समूह द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को एक करोड रूपये तक के कारोबार पर मिलने वाली उत्पाद शुल्क छूट को घटाकर 50 लाख करने की सिफारिश की थी। इन सभी घोषणाओ के साथ ही लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की बात भी की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के दोहरे मानदंडो से लघु उद्योग का अपेक्षित विकास नहीं हो सकता है।

योजना आयोग द्वारा नए रोजगार सृजन को लेकर आहलूवालिया और एस पी गुप्ता समितियो ने अपनी रिपोर्ट मे कहा है कि लघु उद्योग क्षेत्र मे नए रोजगार सृजन की सभावनाए सर्वाधिक है। मौजूदा समय मे लघु उद्योग क्षेत्र मे 1 93 करोड लोगो को रोजगार मिला हुआ है, जबकि दसवीं पचवर्षीय योजना के दौरान लघु क्षेत्र मे 44 लाख रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योग के लिए 12 फीसदी की विकास का दर निर्धारित किया गया है। मत्रालय के अधिकारियो का कहना है कि योजना आयोग की रिर्पाट मे जो कुछ भी कहा गया है, वह पूरी तरह से ठीक है। लेकिन मौजूदा नीतियो मे यह जिम्मेदारी पूरा करना काफी मुश्किल लग रहा है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार सबसे बडी दिक्कत वित्त पोषण की है। लघु उद्योग क्षेत्र को न सिर्फ बडी कम्पनियो की तुलना मे कम ऋण दिया जा रहा है, बल्कि उनके लिए वित्त पोषण की लागत भी बहुत अधिक है। इडियन बैक्स एसोसिएशन (आईबीए) के चेयरमैन दलबीर सिह ने भी इस बात को स्वीकार किया है। वित्त पोषण की लागत कम करने के साथ ही अन्य कुछ उपायो पर हाल ही मे योजना आयोग की एक बैठक मे व्यापक विचार–विमर्श हुआ है। इस बैठक मे लघु उद्योग मत्रालय ने लघु क्षेत्र को ऋण बढाने और उसकी लागत को घटाने पर जोर दिया है।

लघु उद्यमों के विकास पर एस. पी. गुप्त अध्ययन दल

(S. P. Gupta Study Group on Development of Small Enterprise)

योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा उद्यमो के विकास के लिए **डा.एस.पी. गुप्त** की अध्यक्षता मे मई 1999 मे एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया। इस अध्ययन दल का गठन करते समय लघु स्तर उद्योग सम्बन्धी सस्थाओं, अर्थशास्त्रियो, इडियन इस्ट्रीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, लघु क्षेत्र के उद्यमियो और विभिन्न विभागों के सचिवो अर्थात्–लघु उद्योगों एव कृषि तथा ग्राम उद्योगों के सचिव, रिजर्व बैंक ऑफ इडिया, भारतीय लघु उद्योग

विकास बैक और फिक्की आदि के प्रतिनिधि शामिल किये गये । अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट मार्च 2001 मे प्रस्तुत की।

अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें

(1) अति लघु (Tiny), लघु और मध्यम क्षेत्र की तीन–स्तरीय परिभाषा

अति लघु (Tiny units) - प्लान्ट एव मशीनरी मे 10 लाख रूपये तक के विनियोग वाली इकाइया

लघु स्तर इकाइयां (Small Scale Units)- प्लान्ट एव मशीनरी मे 10 लाख रूपये से 1 करोड रूपये तक का विनियोग

मध्यम इकाइया (Medium units)- प्लान्ट एव मशीनरी मे एक करोड रूपये से दस करोड रूपये तक विनियोग वाली इकाइया ।

इन तीन क्षेत्रो के सहायक उपायो (Supportive measures) सम्बन्धी निर्णय सरकार द्वारा समय–समय पर किये जायेगें। कोशिश यह होगी कि पिद्दी क्षेत्र को अधिकतम् सहायता और सरक्षण दिया जाए इसमे कुछ कम सहायता लघु स्तर उद्योगो की इकाइयो को दी जाए परन्तु मध्यम इकाइयो (Medium units) को कोई सुविधाएँ अथवा सहायता नही दी जाएगी, सिवाए इसके कि एक पृथक कोष से आधुनिकीकरण के लिए ऋण दिया जाए।

विनियोग की अधिकतम सीमा प्रत्येक तीन वर्षो के पश्चात् सशोधित कर बढायी जाएगी। इसके लिए भारत सरकार का थोक कीमत सूचकाक इस्तेमाल किया जायेगा।

उद्योग से सम्बन्धित सेवा और व्यापारिक उद्यमो (Service and business enterprises) को जिन मे अचल पूजी (Fixed captial) (भूमि तथा भवन को शामिल का) कुल विनियोग 10 लाख रूपये से कम हो, भी लघु स्तर उद्योगो में शामिल किये जाएगे और इनको भी पिद्दी क्षेत्र के समान सहायता उपलब्ध करायी जाएगी परन्तु इन उद्यमो मे ट्रक–चालको, कारो, भारी गाड़ियो, टैक्सियों, आटोरिक्शा और टैम्पों के मालिक शामिल नहीं किए जाएगें।

लघु स्तर उद्योगो की अपेक्षा शब्द ''लघु उद्यमो'' (Small enterprises) का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसके निम्नलिखित अग होगे –

(1) अति लघु औद्योगिक इकाइया

(2) लघु–स्तर औद्योगिक इकाइया और

(3) सेवा और व्यापारिक उद्यम

अध्ययन दल ने पहली बार मध्यम स्तर की इकाइयो की परिभाषा प्लान्ट एव मशीनरी मे विनियोग के रूप मे की है। ऐसा करना उचित समझा गया है। क्यो कि इस प्रकार लघु स्तर इकाइयो को मध्यम स्तर इकाइयो मे उन्नति करने की दिशा प्राप्त होगी।

2 लघु उद्योग क्षेत्र मे विश्व व्यापार सगठन (World Trade Organısatıon- WTO) के प्रति जागरूकता लानी आवश्यक है। और इसके लिए लघु क्षेत्र पर होने वाले प्रभावो का बोध कराना जरूरी है। विशेषकर यह बात समझनी आवश्यक है कि वि व्या स के दायित्वो के कारण और मदो को खुले सामान्य लाइसेस (Open General Lıcence) के अधीन लाना पडेगा। इसके लिए लघु स्तर उद्योग मत्रालय के कार्यालय में एक नया विभाग स्थापित करना होगा जो विश्व व्यापार सगठन और इसके लघु स्तर इकाइयो पर पडने वाले प्रभावो का ध्यान रखे।

3 लघु स्तर क्षेत्र के लिए एक ही व्यापक अधिनियम की आवश्यकता

4 अध्ययन दल ने सिफारिश की कि लघु स्तर क्षेत्र के आरक्षण (Reservatıons) अपने वर्तमान रूप मे जारी रखे जाने चाहिए। किन्तु निर्यात को बढावा देने के लिए अध्ययन दल ने सिफारिशे की कि गैर–लघु–स्तर इकाइया (Non- SSI untis) आरक्षित मदो का उत्पादन कर सकती है। बशर्ते कि वे तीन वर्षो के दौरान अपने उत्पादन के 30 प्रतिशत का निर्यात करे। आज यह सीमा 50 प्रतिशत है।

5 अध्ययन दल ने यह सिफारिशे की है कि निर्यातोन्मुख उद्योगो (Export-oriented Indus-trıes) जैसे चमडे के उत्पाद, सिले सिलाए कपडो, हौजरी, हाथ के औजारो, खिलौनो पैकेज

की सामग्री, आटो के हिस्सो, औषधियो, खाद्य–परिसाधन (Food Processing) आदि मे प्लान्ट एव मशीनरी मे विनियोग की सीमा 1 करोड रूपये से बढाकर 5 करोड रूपये कर देनी चाहिए।

6 आधारसरचना विकास (Infrastructure Development) के लिए अध्ययन दल ने 2,000 करोड रूपये के सग्रह (Corpus) की सिफारिशे की है ताकि लघु स्तर उद्योग क्षेत्र को पर्याप्त आधारसरचना सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सके।

7 हाई–टैक उद्योगो जैसे इलैक्ट्रानिक्स, सूचना–तकनालाजी, तकनालाजी (Bio-technology) और औषधियो के लिए 1,000 करोड रूपये की एक परिपाक आधारसरचना विकास निधि (Incubation Infrastructure Development Fund) कायम करने की सिफारिशे की है। अध्ययन दल के अनुसार यह निधि दसवी योजना मे आरम्भ कर दी जाए और परिपाक केन्द (Incubation centres) कायम किए जाऐ। परिपाक केन्द्र सभी प्रकार की सुविधाएँ और वित्त उपलब्ध कराए जिनके द्वारा टैक्नोक्रैट (Technocrats), और पहली पीढी के उद्यमकर्ताओ को हाल ही मे विकसित तकनालाजी के आधार पर उत्पादन करने के लिए वित्त और परामर्श प्राप्त हो सके। इस प्रकार के परिपाक केन्द्रो से दक्षिण–पूर्व एशियाई देशो मे अच्छे परिणाम प्राप्त हुए है।

8 लघु–इकाइयो द्वारा पूरित माल के लिए बडे पैमाने की इकाइयो को भुगतान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अध्ययन दल ने निम्नलिखित सिफारिशे की है –

- ऐसी बडी इकाइयो को जो लघु स्तर क्षेत्र की इकाइयो द्वारा पूरित माल का भुगतान 120 दिन के विलम्ब के पश्चात् भी नही करती, को मोडवैट उधार (MODVAT credit) उपलब्ध नही कराया जाएगा।
- आयकर मे सशोधन करना ताकि लघु स्तर उद्योगो को भुगतान न किए गए व्यापारिक व्यय को घटाने की इजाजत न दी जाए।
- आढत क्रियाओ (Factoring services) को मजबूत बनाना, और

⊛ विलम्बित भुगतान अधिनियम (Delayed Payments Act) के कार्यान्वयन की निगरानी विकास आयुक्त, लघु स्तर उद्योगो द्वारा करवाना।

9 बडी और मध्ययम इकाइयो के बीच बेहतर सम्बन्धो को बढावा देने के लिए अध्ययन दल ने सिफारिश की –

⊛ बेहतर तकनालाजी हस्तातरण (Technology transfer) के लिए विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को लघु स्तर उद्योगो मे प्रोत्साहित करना।

⊛ अन्य बडी इकाइयो के लिए ब्रैण्ड नाम मे लघु स्तर उद्योगो द्वारा विनिर्मित वस्तुओ पर उत्पाद–शुल्क (Excise) से छूट को शहरी क्षेत्रो मे भी लागू करना, यह छूट अभी तक ग्राम क्षेत्रो को प्राप्त है।

10 अध्ययन दल ने सीमित साझेदारी कानून (Limited Partnership Act) बनाने की सिॅफारिश की है ताकि लघु स्तर उद्योगो मे अधिक जोखिम पूजी (Risk Capital) और सीमित दायित्व की धारणा लायी जा सके। बीमार लघु–स्तर इकाइयो के दायित्व का समाधान योजना द्वारा एक बार निपटारा कर देना चाहिए ताकि उनकी परिसम्पत्तियो का प्रयोग किया जा सके। बीमार इकाइयो को एक बार भुगतान मे ब्याज को शामिल करके ऋण–राशि के दुगने से अधिक राशि नही देनी होगी। इस प्रकार बीमार–इकाइयो को निकास मार्ग (Exit Route) उपलब्ध हो जाएगा।

11 लघु–स्तर उद्योगो के कडे परेशान करने वाले विनियामक कानूनो (Regulatory laws) से मुक्त करने के लिए और विभिन्न विभागो के इस्पेक्टरो के दौरो से भी बचाने के लिए अध्ययन दल ने कई सिफारिशे की है जैसे (क) लघु–उद्यमो के लिए एक एकीकृत कानून, (ख) निरीक्षण की अपेक्षा स्वप्रमाणन (Self-certification) की अनुमति, (ग) विनियामक कानूनो (Regulatory laws) आदि का सरलीकरण।

12 लघु–स्तर क्षेत्र सम्बन्धी आकडो का आधार मजबूत करने के लिए अध्ययन दल ने सिफारिश की है (क) चूकि लघु–उद्यमो की पिछली गणना (Census) 1987-88 मे की गयी

थी और इस बीच परिस्थितिया बहुत बदल गयी है, इस लिए लघु–क्षेत्र सम्बन्धी एक नयी गणना की जानी चाहिए , (ıı) विभिन्न लघु–उद्यमो के समूहो (Clusters) के बारे मे विस्तृत सूचना एकत्र की जानी चाहिए, और लघु–उद्योगो के विकास आयुक्त (Development Commıssıoner) के कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष सैम्पल सर्वेक्षण किए जाने चाहिए।

13 अध्ययन दल ने मानवीय ससाधन विकास के लिए लघु–उद्यमो के बारे मे कई सिफारिशे की है जिनमे प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन (Skıll upgradatıon), नये प्रबन्धकीय व्यवहार आदि का विकास महत्वपूर्ण है।

14अध्ययन दल ने राजकोषीय एव वित्तीय उपायो के रूप मे निम्नलिखित सिफारिशे की है

(ı) अतिलघु और लघु–स्तर उद्योगो की इकाइयो के लिए बैको एव वित्तीय सस्थानो को प्राथमिकता उधार (Prıorıty lendıng) के लक्ष्य निर्धारित करना।

(ıı) लघु स्तर उद्योगो की इकाइयो के लिए ऋण की लागत कम करने की आवश्यकता,

(ııı) लघु–स्तर उद्योगो की इकाइयो के लिए अधिक मात्रा मे विशिष्टीकृत बैक शाखाओ की स्थापना करना,

(ıv) भारतीय लघु उद्योग विकास बैक (SIDBI) के ससाधनो को और मजबूत बनाना ताकि लघु–स्तर उद्योग क्षेत्र के लिए ब्याज की नीची दर पर अधिक ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

(v) 500 करोड रूपये से एक विशेष जोखिम पूजी (Venture capıtal) प्रकार की निधि स्थापित करना जिसका नाम जिसका नाम लघु–निर्माण–निधि रखा जाए जो लघु स्तर इकाइयो को हिस्सा–पूजी समर्थन प्रदान करे ,

(vı) कार्यविधि का मानवीकरण (Standardısatıon) और बैको के फार्मो का सरलीकरण,

(vıı) वर्तमान उत्पाद–शुल्क की छूट सीमा को 50 लाख रूपये से बढाकर 100 लाख रूपये करना,

(vııı) लघु–स्तर उद्योगो की इकाइयो से जो बडी इकाइयां माल खरीदे, उन्हे 5 प्रतिशत

काल्पनिक मोडवैट उधार (MODVAT credit) दिया जाए,

(ix) भारतीय रिजर्व बैक द्वारा लघु–स्तर उद्योग क्षेत्र को उपलब्ध उधार की निगरानी,

(x) लघु क्षेत्र की इकाइयो को उचित लागत पर उधार उपलब्ध कराना अर्थात् प्राथमिक उधार दर (Prime Lending Rate) जमा 3 प्रतिशत,

(xi) अतिलघु इकाइयो को प्रोत्साहित करने के लिए सगठित उधार (Composite- loan) की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये से बढाकर 25 लाख रूपये करना,

(xii) राज्य वित्त निगमो (State Financial Corporations) का पुनर्गठन करना,

(xiv) समय–सीमा के बीच उदार के आवेदनपत्रो का निपटारा करना।

15. लघु-स्तर उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के तकनालाजी उन्नयत (Technology upgradation) **और** आधुनिकीरिंग के लिए निम्नलिखित सिफारिशे की गयी,

(i) आवश्यक तकनालाजी के बारे मे सूचना एकत्र करने और इसका प्रसार करने के लिए तकनालाजी बैक (Technology Bank) की स्थापना ,

(ii) 5,000 करोड रूपये की एक तकनालाजी उन्नयत एव आधुनिकीकरण निधि स्थापित करना जिसे 5 प्रतिशत का साहाय्य (Subsidy) प्राप्त हो :

(iii) तकनालाजी उन्नयन एव आधुनिकीकरण के लिए त्वरित मूल्यह्रास (Accelerated depreciation) का प्रावधान करना,

(iv) ऐसी पूजी वस्तुएँ जिन पर निर्यात–दायित्व या (Export Obligation) है, 5 प्रतिशत सीमाशुल्क लगाना और तकनालाजी आधुनिकीकरण के लिए 5 प्रतिशत साहाय्य (Subsidy) देना,

16. लघु–स्तर उद्योगो की इकाइयो के लिए अधिक विपणन सहायता (Marketing Support) उपलब्ध कराने के लिए अध्ययनदल ने सिफारिश की ,

(i) सरकार द्वारा राजकीय क्रय कार्यक्रम (State Purchase Programme) मे सरकारी विभागो द्वारा खरीद मे कानूनी रूप से कीमत–प्राथमिकता (PricePreference) जारी रखना।

(ii) सयुक्त राज्य अमेरिका की भाति लघु–स्तर–उद्योग क्षेत्र से 33 प्रतिशत तक सरकारी क्रय करना।

(iii) सभी प्रकार के कानसार्टियम उद्योगो (Consortium industries) को उद्योग का दर्जा देना ताकि वे बैको और वित्तीय सस्थानो से वित्त का लाभ उठा सके।

(iv) लघु–स्तर उद्योग क्षेत्र के निर्यात–आदेशो (Export orders) के लिए उचित समय पर सस्थागत वित्त उपलब्ध करना।

अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिशे बहुत ही महत्त्वपूर्ण है परन्तु इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात है कि ये स्वीकार की जाएँ ताकि लघु–स्तर–उद्योगो की इकाइयो को अधिकतम सभव लाभ प्राप्त हो सके।

गुप्त अध्ययन दल की रिपोर्ट का मूल्याकन

एस पी गुप्त अध्ययन दल ने लघु–स्तर क्षेत्र के विभिन्न पहलुओ पर एक व्यापक रिपोर्ट पेश की है और विस्तारपूर्वक सिफारिशे की हैं। इस दृष्टि से लघु–स्तर–क्षेत्र को मजबूत बनाने की इच्छा से यह मार्गदर्शी प्रलेख है। पहली बार इस रिपोर्ट मे मध्यम क्षेत्र की परिभाषा दी गयी है। जो लघु–स्तर–उद्योगो की इकाइयो को उन्नत होकर इसमे प्रवेश करने का दिशानिर्देश करती है। ताकि वे आरक्षण और अन्य लाभो की बैसाखियो को छोड दे जोकि केवल लघु उद्यमो के लिए है। इसकी कुछ सिफारिशे जैसे 2,000 करोड रूपये की आधारसरचना विकास निधि 1,000 करोड रूपये के परिपाक आधारसरचना विकास विधि, गारटी निधि के सग्रह को बढाकर 2,500 करोड रूपये की तकनालाजी उन्नयन और आधुनिकीकरण निधि स्थापित करना, के वित्तीय गुहयार्थ है। यदि सरकार लघु–स्तर को मजबूत बनाना चाहती है। तो इसके लिए पर्याप्त वित्त जुटाना होगा क्योकि इस क्षेत्र में रोजगार–जनन ओर निर्यात प्रोन्नत करने की भारी क्षमता है।

इसकी कुछ सिफारिशे जो विभिन्न निरीक्षण एजेन्सियो को कम करने के सम्बन्ध मे की गयी है। का विस्तृत अध्ययन होना जरूरी है ताकि उदारीकरण के वातावरण मे लघु क्षेत्र

के उद्योगो को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त, लघु–स्तर उद्योग क्षेत्र के लिए एक मात्र व्यापक कानून बनाने की सिफारिशे के लिए एक और अध्ययन दल कायम करना होगा जिसमे श्रम मत्रालय, पर्यावरण मत्रालय, सामाजिक कल्याण और उद्योग मत्रालय, के सहयोग की आवश्यकता है। चूँकि सरकार ने लघु–स्तर उद्योग के लिए एक अलग मत्रालय कायम कर दिया है। इस मत्रालय को लघु–स्तर उद्यमो के लिए व्यापाक विधान बनाने का मसौदा तैयार करना चाहिए।

किन्तु आलोचको ने इस रिपोर्ट मे विद्यमान कुछ विसगतियो का उल्लेख किया है। मुख्य मुद्दे निम्नलिखित है।

1 निर्यातोन्मुख लघुक्षेत्र की इकाइयो की विनियोग की अधिकतम सीमा 1 करोड रूपये से बढाकर 5 करोड रूपये करना-

भारत सरकार ने लघु उद्योग सगठनो द्वारा दिए गए विभिन्न प्रतिवेदनो पर विचार कर लघु उद्योगो मे विनियोग की अधिकतम सीमा जो 1997 मे 3 करोड रूपये कर दी गयी थी, घटा कर सन् 2001 मे 1 करोड रूपये कर दी । अध्ययन दल ने निर्यातोन्मुख उद्योगो के नाम पर इस अधिकतम सीमा को बढाकर 5 करोड रूपये कर दिया जो कि आबिद हुसैन समिति की सिफारिशे से भी कही ऊपर है। इस उद्देश्य के लिए बहुत से उद्योग चुने गए है जिनमे उल्लेखनीय है चमडे के उत्पाद, सिलेसिलाए कपडे, हौजरी हाथ के औजार पैकेज की सामग्री, आटो के हिस्से, औषाधिया, खिलौने, खाद्य–परिसाधन आदि। इस प्रकार एक बडी चतुर चाल द्वारा मध्यम क्षेत्र की बहुत सी इकाइया लघु–क्षेत्र मे घुसेड दी गयी है। जबकि मध्यम इकाइयो को उधार एक पृथक निधि मे से दिया जाएगा, लघु स्तर क्षेत्र की निर्यात प्रेरित इकाइया जिनमे प्लान्ट एव मशीनरी मे विनियोग 5 करोड रूपये तक हुआ है, अपने तकनालाजी उन्नयन के लिए लघु–स्तर–उद्योग के लिए आरक्षित निधि से वित्त प्राप्त करेंगी। से सिफारिशे तार्किक दृष्टि से युक्तिसंगत नही है और इसकी पुन: समीक्षा होनी चाहिए।

2. गैर-लघु-स्तर क्षेत्र की इकाइयों से, जो लघु-क्षेत्र की आरक्षित मदों का उत्पादन करती है, निर्यात दायित्व कम करना-

आज गैर–लघु–स्तर क्षेत्र की इकाइया जो लघु क्षेत्र की आरक्षित मदो का उत्पादन करती है। पर यह शर्त लगायी जाती है कि वे अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत निर्यात करेगी । इस सीमाबन्धन को लगाने का उद्देश्य लघु क्षेत्र को बडे पैमाने के क्षेत्र के हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करना था। निर्यात– दायित्व को 30 प्रतिशत तक कम करके अध्ययन दल ने पहुँचाया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आरक्षित मदो का लघु–स्तर क्षेत्र के रोजगार मे 3 8 प्रतिशत और उत्पादन मे 28 प्रतिशत तक योगदान है। सरकार ने 14 अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आरक्षित मदो पर से आरक्षण हटा कर, लघु स्तर क्षेत्र के हितो को नुकसान पहुँचाया है। हाल ही मे सरकार ने सिलेसिलाए कपडो को अनारिक्षत कर दिया है। यदि लघु उद्योग विरोधी इन नीतियो के साथ, गैर लघु स्तर पर से निर्यात दायित्व को घटा कर 50 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कर दिया जाता है, जो इससे लघु स्तर उद्योगो के हितो पर और अधिक दुष्प्रभाव पडेगा जो कि रोजगार का मुख्य स्त्रोत है।

लघु एंव अति लघु क्षेत्र की सहायता के लिए नीति सम्बन्धी सुझाव

लघु एव अति लघु क्षेत्र (Tiny sectors) की रूग्णता के लिए दो मुख्य कारण उत्तर दायी है– पर्याप्त मात्रा मे उधार का उपलब्ध न होना, विशेषकर कार्यकारी पूँजी के लिए और उत्पादो के विपणन से जुडी हुई समस्याएँ। इस सम्बन्ध मे लघु उद्योगो सम्बन्धी सस्थाओ ने कुछ तथ्यो का उल्लेख किया है

1 लघु–स्तर इकाइयो मे 95 प्रतिशत ऐसी है जिनमे प्लान्ट एव मशीनरी के लिए विनियोग की मात्रा 5 लाख रूपये से कम है।

2 यह बडे खेद की बात है कि 95 प्रतिशत लघु–स्तर इकाइयॉ जिनमें कुल कारखाना क्षेत्र का 33 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध है, अपनी वित्तीय आवश्यकताओ का 3 प्रतिशत से अधिक उधार प्राप्त नहीं कर पातीं।

3 लघु स्तर इकाइयो को उपलब्ध कुल उधर जो 1991-92 मे कुल उत्पादन का 7 प्रतिशत था कम होकर 1995-96 मे 6 5 प्रतिशत हो गया।

4 "ब्रैण्ड" नामो के अभाव और बडी इकाइयो की श्रेष्ठ विज्ञापन सामर्थ्य के कारण लघु–स्तर इकाइयो अपने उत्पादन को प्रभावी रूप मे बेचने मे सफल नही होती।

उधार उपलब्धि की कठिनाइयो को दूर करने के लिए सरकार ने नायक समिति (Nayak Committe) नियुक्त की जिसके अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैक के उप–गवर्नर श्री पी आर नायक थे। इसके बाद, दिसम्बर 1997 मे श्री एस एल कपूर, भूतपूर्व सचिव, लघु स्तर उद्योग, भारत सरकार को एक अन्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

नायक समिति की मुख्य सिफारिशे निम्नलिखित है

1 उत्पादन के अधार पर 8 1 प्रतिशत के उधार के विरूद्ध नायक समिति ने इसे बढाकर 20 प्रतिशत करने की सिफारिश की । इस सिफाारिश को आबिद हुसैन समिति ने भी अपनी अनुमति दी। भारतीय रिजर्व बैक को इस क्षेत्र को उधार के प्रवाह पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि लगभग एक दशक के अन्दर यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

2 नियम के रूप मे रेहन–प्रतिभूति (Collateral Security) को, जिसके लिए बैक आग्रह करते है, समाप्त कर देनी चाहिए भले ही उधार की राशि कितनी ही हो।

3 आबिद हुसैन समिति की सिफारिशे के अनुसार कुल उधार का 40 प्रतिशत ऐसीइकाइयो के उपलब्ध करना चाहिए जिनमे प्लान्ट एव मशीनरी मे विनयोग 5 लाख से 20 लाख रूपये के विनयोग वाली इकाइयो को और शेष 40 प्रतिशत ऐसी इकाइयो को उपलब्ध होना चाहिए जिन मे 20 लाख रूपए से अधिक विनियोग हो।

इस सिफारिश को कार्यान्वित करना चाहिए और भारतीय रिजर्व बैक को इसका पर्यवेक्षण करना चाहिए।

वर्तमान स्थिति (Present Position)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र की निष्पादन स्तर बढता जा रहा है, बडे पैमाने के उद्योगो से भारी स्पर्धा के बाद भी लघु उद्योगो ने स्वतन्त्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था मे रोजगार एव विकास की दिशा मे महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। औद्योगिक इकाइयो की सख्या, उत्पादन सरचना रोजगार एव निर्यात की दृष्टि से इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारत मे नियोजन काल मे लघु उद्योगो के लिए किये गये विभिन्न प्रयासो के फलस्वरूप इस क्षेत्र मे उल्लेखनीय प्रगति हुई है। लघु उद्योग क्षेत्र मे हुई प्रगति का विवरण निम्नलिखित शीर्षको मे इस प्रकार है।

उत्पादन (Production)- भारत मे लघु स्तरीय उद्योगो के उत्पादन एव उत्पादित वस्तुओ की सख्या मे वृद्धि हुई है। लघु स्तरीय उद्योग परम्परागत वस्तुएँ बनाने के साथ–साथ आधुनिक अन्य विविध वस्तुएँ लगा है। इन गैर परम्परागत परिमार्जित वस्तुओ मे रेडियो, टेप रिकार्डर, पखे, सिलाई मशीन, टीवी सेट, माइक्रोवेव के हिस्से, इलेक्ट्रानिक उपकरण, आदि का बडी मात्रा मे उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र द्वारा 5,000 से भी अधिक वस्तुओ का उत्पादन होता है।

1979-80 मे प्रचलित कीमतो के आधार पर लघु उद्योगो द्वारा कुल 30,935 करोड रूपए के सामान का उत्पादन किया गया। जो इस वर्ष के कुल औद्योगिक उत्पादन के कीमत का 49 प्रतिशत था।

इससे यह प्रतीत होता है कि विभिन्न विकास प्रयासो के फलस्वरूप योजनाओ मे इन उद्यागो ने महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। हाल के वर्षो मे यद्यपि परम्परागत एव आधुनिक लघु उद्यमो मे प्रगति हुई है परन्तु मुख्य प्रगति आधुनिक उद्यमो मे हुई है। लघु उद्योग क्षेत्र मे 1984-85 मे 50,520 करोड रूपये की वस्तुओ का उत्पादन हुआ था। जो 1997-98 मे बढकर 4,12,638 करोड रूपये का हो गया।

रोजगार-(Employment) रोजगार की दृष्टि से भी लघु उद्योग क्षेत्र का स्थान अत्यन्त ऊँचा हो गया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के एक अनुमान के अनुसार 1965 मे विभिन्न उद्योगो मे कार्य करने वालो की सख्या 165 लाख भी जिनमे 130 लाख लघु उद्योगो मे लगे थे। 1973-74 मे लघु उद्योगो मे कार्य करने वालो की सख्या बढाकर 176 4 लाख थी। अकेले हथकरघा उद्योग मे 61 50 लाख श्रमिक कार्य करते है। जो वृहद् एव मध्यम आकार के उद्योगो मे लगे कुल श्रमिको की सस्था से अधिक है। वर्ष 1979-80 मे अशकालिक या पूर्ण कालिक व्यवसाय के रूप मे लघु उद्योगो मे 234 लाख श्रमिक कार्य करते थे, जबकि वृहद् एव मध्यम आकार के उद्योगो से कुल 45 लाख लोग ही रोजगार पाते है।

1984-85 मे लघु उद्योगो से कुल 309 लाख लोगो को रोजगार प्राप्त हुआ था। यह औद्योगिक क्षेत्र के समस्त रोजगार का लगभग 80 प्रतिशत भाग है। बाद के वर्षो मे रोजगार अवसरो मे अपेक्षाकृत अधिक तीव्र वृद्धि हुयी है। रोजगार सृजन की दृष्टि से लघु उद्योगो की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। लघु उद्योगो क्षेत्र मे 1984-85 मे 9 0 मिलियन लोगो को रोजगार प्राप्त हुआ था। इस क्षेत्र मे रोजगार पाने वाले व्यक्तियो की सख्या 1997-98 मे 16 0 मिलियन हो गयी। यह रोजगार देने वाला कृषि के बाद अकेला सबसे बडा क्षेत्र है।

निर्यात व्यापार (Export Trade) - निर्यात व्यापार से विदेशी विनिमय की प्राप्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। भारत मे निर्यात व्यापार मे भी लघु उद्योगो का महत्त्व बढता जा रहा है मुख्य बात यह है कि जिस प्रकार सार्वजनिक एव निजी क्षेत्र के बडे उद्योगो का मे गैर परम्परागत वस्तुओ का निर्यात बढ रहा है। 1984-85 मे लघु उद्योगो क्षेत्र मे 2350 करोड रूपये का सामान निर्यात किया गया। इस प्रवृत्ति मे प्रतिशत था।लगातार वृद्धि हुई 1996-97 मे 39249 करोड रूपए की वस्तुएँ लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात की गयी। भारत के कुल निर्यात व्यापार मे लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात का अश लगभग 35 प्रतिशत था।

लघु उद्योग क्षेत्र का निष्पादन

वर्ष	इकाइयो की सख्या(लाख मे)	उत्पादन चालू कीमतो पर (करोड रूपये मे)	रोजगार (मिलियन व्यक्ति)	निर्यात चालू कीमतो पर (करोड रूपये)
1984-85	16 0	50,520	9 0	2,350
1991-92	20 8	1,78,690	13 0	13,883
1998-99	31 2	5,27,515	17 0	49,481

तालिका से स्पष्ट है कि लघु उद्योग क्षेत्र से 1998-99 मे कुल लगभग 49481 करोड रूपए का सामान निर्यात किया गया। उल्लेखनीय पक्ष यह है। कि हाल के वर्षो मे लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात की वार्षिक वृद्धि दर हुयी है। 1993-94 मे इस क्षेत्र से होने वाले निर्यात से 34 9 प्रतिशत की वृद्धि हुयी थी। योजनाकाल मे पजीकृत औद्योगिक इकाइयो की सख्या मे अत्यन्त तेजी से वृद्धि हुई है। भारत मे 1951 कुल पजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयो की सख्या 16 हजार थी। इनकी पजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयो की सख्या दिसम्बर 1991 बढा कर 20 8 लाख हो गयी। इनकी सख्या मे तीव्र का क्रम बना है। दिसम्बर 1996-97 के अन्त तक पजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयो की सख्या दिसम्बर 1991 तक बढकर 20 0 लाख हो गयी। आठवी योजना मे उद्योगो के विकेन्द्रित विकास शिल्पकारो की आय वृद्धि, स्वरोजगार अवसरो का सृजन स्थनीय दक्षता एव ससाधनो का प्रयोग प्रोत्साहन एव प्रशिक्षण के माध्यम से उत्पादन प्रविधि मे सुधार का लक्ष्य रखा गया। आठवी योजना मे लघु उद्योगो के क्षेत्रो मे प्रस्तावित उक्त प्रयासो से इस क्षेत्र मे अधिक सुधार की सम्भावना है। आठवी योजना मे लघु उद्योगो के विकास के लिए निजी क्षेत्र को अधिक सक्रिय बनाने का प्रावधान किया गया।

नयी औद्योगिक नीति प्रस्ताव मे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधानो की व्यवस्था की गयी है। यह अनुमान किया गया है कि इस औद्योगिक नीति मे किये गये प्रावधानो से लघु उद्योग क्षेत्र से अधिक सक्षमता आयेगी। तथा वे अधिक प्रतिस्पर्धा बन

सकेगे। लघु उद्योग क्षेत्र के सम्बन्ध मे नयी औद्योगिक नीति मे निम्नलिखित प्रावधान किये गये है –

1 अति लघु उद्यमो के लिए विनियोग की सीमा बढाकर 5 लाख रूपए कर दी गयी। इन उद्यमो की स्थापना के लिए स्थानगत रूकावटो को भी हटा दिया गया है। लघु आकारीय उद्योगो मे प्रौद्योगिकी उन्नयन एव नवीनीकरण को बढावा देने के लिए समता पूँजी मे 24 प्रतिशत तक अन्य औद्योगिक इकाइयो अथवाा विदेशो सहयोग की अनुमति दी गयी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैक से मिलने वाली आर्थिक सहायता को एक ही स्थान पर ऋण की क्रिया विधि के अन्तर्गत लाया गया।

2 नयी औद्यौगिक नीति मे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 2 0 लाख रूपये तक के ऋणो के लिए ब्याज दर की व्यवस्था की गयी ताकि इन औद्योगिक इकाइयो को कम लागत पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध हो सके।

3 लघु उद्योग क्षेत्र को सस्थागत साख व्यवस्था मे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की कोटि मे रखा गया ताकि इस क्षेत्र के लिए सस्थागत साख का प्रवाह बढाया जा सके।

4 नयी औद्योगिक नीति मे यह व्यवस्था की गयी है कि सम्पूर्ण लघु उद्योग क्षेत्र के लिए दिये जाने वाले साख का 40 प्रतिशत भाग अति लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया जाये।

5 लघु आकारीय उद्योगो के उत्पादकता मे सुधार के लिए वर्ष 1995 मे गुणवत्ता प्रमाणन योजना (Quality Certification Scheme) शुरू की गयी लघु आकारीय उद्यमो को ISQ - 9000 या इसी प्रकार के अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मानको की प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

6 नयी आर्थिक नीति उदारीकरण एव वैश्वीकरण पर बल देती है। इसमे प्रतिस्पर्धा और क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नयी औद्योगिक नीति 1991 की व्यवस्था के अनुसार बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का भारत मे प्रवेश अत्यन्त सरल हो गया

है। आबिद हुसैन समिति 1997 (Expert Committee on Small and Medium Enter prises) ने लघु उद्योगो के विकास कार्य से क्षणात्मक उपायों से पृथक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था। समिति के सुझावो के अनुसार अप्रैल 1997 से 15 वस्तुओ को लघु उद्योगो की आरक्षित सूची से बाहर कर दिया गया। लघु उद्योगो क्षेत्र के लिए आरक्षित मदो मे से 58 को 30 मार्च 2000 को घोषित 2000-01 की व्यापार नीति मे आरक्षित सूची से खुली सामान्य लाइसेस प्रणाली के अन्तर्गत लाया गया। इस प्रकार अब लघु उद्योग क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा बनाना आवश्यक हो गया।

लघु उद्योग क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उधमिता विकास आवश्यक है। एक सीमा के पश्चात् आयवृद्धि की अधिकाश राशि कोष्ठ वस्तुओ के क्रय पर ब्यय होती है। इसलिए श्रेष्ठ वस्तुओ को बनाने एव प्रतिस्पर्धा कर सकने वाले उधमियो के प्रवेश की आवश्यकता है। इन सन्दर्भ मे भारत सरकार भारतीय लघु उद्योग विकास बैक एव यू एन डी पी द्वारा सम्मिलित रूप से 1997 मे Trade Relatee Enterpreneur Asistance and Development (TREAD) कार्यक्रम आरम्भ किया।

7 ग्रामीण औद्योगीकरण को त्वरित करने के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। इसमे प्रति वर्ष 100 ग्रामीण समूह बनाने का मिशन रखा गया है। इसी प्रकार 1999-2000 के बजट मे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए साख प्रवाह बढाने एव बैको को पर्याप्त सुरक्षा देने हेतु एक नवीन साख बीमा योजना शुरू की गयी है।

लघु उद्योगो के विकास पर योजना आयोग द्वारा गठित अध्ययन दल ने लघु उद्योगो को तीन अलग–अलग श्रेणियो मे वर्गीकृत करने इनमे निवेश की सीमा मे वृद्धि करने इनमे विदेशी निवेश को बढावा देने, इन उद्योगो के लिए क्रेडिट गारण्टी फड योजना के वित्तीय आधार मे वृद्धि करने तथा गैर लघु उद्योगो को आरक्षित उत्पादो का उत्पादन करने की सशर्त अनुमति प्रदान करने आदि की सस्तुतियॉ की है, योजना

आयोग के सदस्य एस पी गुप्ता की अध्यक्षता वाले इस अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट आयोग के उपाध्यक्ष के सी पन्त को 25 मई 2001 को प्रस्तुत की है।

अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट मे लघु उद्योगो को मौजूदा दो के स्थान पर तीन श्रेणियो अतिलघु, लघु एव मध्यम, उद्योगो को वर्गीकृत करने को कहा है अति लघु इकाइयो मे निवेश की मौजूदा 25 लाख रूपये की सीमा को बरकरार रखते हुए दूसरी (लघु) श्रेणी के निर्यातोन्मुखी उद्योगो (Export Onented Industries) मे प्लान्ट एव मशीनरी मे निवेश की सीमा को मौजूदा 1 करोड रूपये से बढाकर 5 करोड रूपये की सस्तुति दल ने की है अध्ययन दल के अनुसार गैर निर्यातोन्मुखी इकाइयो के लिए यह सीमा 1 करोड रूपये ही रहे,लघु उद्योगो की तीसरी नई प्रस्तावित श्रेणी (मध्यम) मे निवेश की सीमा 1 करोड रूपए 10 करोड रूपये तक रखने को अध्ययन दल ने कहा है, किन्तु साथ ही यह भी सस्तुति की है कि ऐसी इकाइयो को लघु इकाइयो के लिए उपलब्ध राजकोषीय एव अन्य नीतिगत समथर्न प्रदान नही किये जाएँ।

लघु उद्योगो के लिए प्रारम्भ की गई क्रेडिट गारण्टी योजना के लिए उपलब्ध कोष के आधार को मौजूदा 125 करोड रूपये से बढाने तथा लघु उद्योगो लिए 500 करोड रूपये का एक विशेष वेचर फण्ड स्थापित करने को दल ने कहा है। रिपोर्ट मे कहा गया है कि वर्तमान मे 811 उत्पाद लघु उद्योगो क्षेत्र मे उत्पादन के लिए आरक्षित है। विश्व व्यापार सगठन की शर्तो के अनुपालन के लिए इनमें से 643 उत्पादो के आयात को खुले सामान्य लाइसेस (OGL) के तहत अप्रैल 2001 से लाया जा चुका है। दल के अनुसार ऐसे मे इन उत्पादों के आरक्षण का कोई अर्थ नही रह गया किन्तु लघु उद्योगो के लिए आरक्षित उत्पादो को उत्पादन गैर लघु उद्योगो द्वारा किए जाने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान करने की संस्तुति दल ने की है कि वह अपने उत्पादन का कम से कम 30 प्रतिशत भाग निर्यात करे। रिपार्ट मे कहा गया है कि सरकारी विभागो एव सार्वजनिक उपक्रमो द्वारा अपनी आवश्यकता का 33 प्रतिशत भाग लघु उद्योगो क्षेत्र से खरीदा जाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि

लघु उद्योगो क्षेत्र के लिए वर्तमान मे लागू कई तरह के नियमो एव नियमो एव कानून के चलते 21 वी सदी मे इन उद्योगो का विकास नही किया जा सकता, सयुक्त राज्य अमेरीका के स्मॉल विजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट की तर्ज पर लघु उद्योगो के लिए एक एकीकृत अधिनियम की आवश्यकता अध्ययन दल मे अपनी रिपोर्ट मे बताई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

वर्ष	लक्ष्य (करोड रूपये)	उपलब्धि (करोड रूपये)
1991-92	2,500	3,038
1992-93	2,500	1,913
1993-94	3,500	शून्य
1994-95	4,000	4,843
1995-96	7,000	362
1996-97	5,000	380
1997-98	4,800	902
1999-2000	5,000	5,371
2000-2001	10,000	1,829
2001-2002	10,000	1,869
2002-2003	12,000	5,687

जुलाई 1991 की औद्योगिक नीति मे लघु उद्योगो सहायक उद्योगो तथा निर्यातोन्मुखी इकाइयो की सयन्त्र एव मशीनरी मे पूँजी निवेश की सीमा को क्रमश 60 लाख रूपये एव 75-75 लाख रूपए तक बढा दिया गया है। किन्तु 7 फरवरी 1997 को की गई घोषणा के अनुसार ऐसी समस्त औद्योगिक इकाइयो की निवेश की सीमा को बढाकर 3 करोड रूपए कर दिया गया था। किन्तु 17 फरवरी 1999 को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने लघु

उद्योगो की मॉग पर इस सीमा को घटाकर 1 करोड रूपये कर दिया। लघु इकाई के रूप मे पहचान के लिए सहायक एव निर्यातोन्मुखी इकाइयो के लिए अलग से छूट सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैक ने अपनी साख नीति मे बैंको से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लघु उद्योगो की सभी श्रेणियो के लिए उपलब्ध कोष का 40 प्रतिशत मॉग ऐसी लघु इकाइयो को उपलब्ध कराया जाय जिनमे प्लान्ट एव मशीनरी मे निवेश 5 लाख तक हो। 5 लाख रूपये से 25 लाख रूपये तक निवेश वाली इकाइयो को लघु उद्योग क्षेत्र के ऋणो का 20 प्रतिशत एव शेष इकाइयो को 40 प्रतिशत कोष उपलब्ध कराया जाये।

उपलब्ध क्षेत्र के अग्रिमो मे लघु क्षेत्र का हिस्सा मार्च 1998 के अन्त मे 27% से गिरकर मार्च 1999 के अन्त मे 22 2% रह गया। लघु औद्योगिक विकास सगठन (STDO) द्वारा पजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयो की सख्या 1972 मे 2 58 लाख से बढकर 2000-2001 मे 33 79 लाख हो गयी। जिनके अर्न्तगत लगभग 185 64 लाख व्यक्तियो को रोजगार मिला हुआ था। कुल निर्यातो मे लघु इकाइयो का हिस्सा 2000-2001 मे 35% था। जबकि औद्योगिक क्षेत्र के सकल उत्पादन मे इनका हिस्सा 40% था। 2000-2001 के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र की विकास दर 8 09% थी जो औद्योगिक क्षेत्र की 4 9% की विकास दर से अधिक थी।

लघु औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन, निर्यात तथा रोजगार

वर्ष	उत्पादन (चालू कीमतो पर) (करोड रूपये)	निर्यात (करोड रूपये)	रोजगार (लाख रूपये)
1991-92	1,78,699	13,883	129.80
1998-99	5,27,515	48,979	171 58
1999-2000	5,72,887	54,200	178.50
2000-2001	645496	59978	185.64

सरकार ने 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितम्बर 2005 तक के पॉच वर्षे के लिए लघु उद्योग क्षेत्र मे प्रौद्योगिकी उन्नयन के उद्देश्य से एक नई कैबिरल सब्सिडी योजना लागू की है। SIDBI के माध्यम से लागू की गई इस योजना के तत्व प्रौद्योगिक उन्नायन के लिए लघु उद्योगो को विशेष ऋण उपलब्ध कराए जाएगे जिनमे 12% राशि सब्सिडी की होगी।

प्रधानमन्त्री ने 15 अगस्त, 2000 को लघु उद्योगो के लिए क्रेडिट गारण्टी योजना की घोषणा की थी इसके तहत लघु एव लघुत्तर क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयो जो बैक ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी को उपलब्ध कराने मे अक्षम है। अब अपने ऋणो की गारण्टी क्रेडिट फण्ड ट्रस्ट से कराकर ऋण प्राप्त कर सकती है।

लघु एवं अति लघु उद्योगों के लिए व्यापक नीति पैकेज 2000

(Coraprenensire policy Package for small Scale And Tiny Sector 2000)

30 अगस्त 2000 को प्रधानमन्त्री न लघु उद्याग क्षत्र एव अति लघु क्षेत्र क लिए व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की जिसके मुख्य तत्व निम्नलिखित है –

(i) लघु उद्योग क्षेत्र मे प्रतिस्पर्धा मे सुधार लाने के लिए उत्पादन शुल्क की 50 लाख रूपए की छूट सीमा को बढाकर एक करोड रूपए करना।

(ii) विनिर्दिष्ट (विनिर्दिष्ट) उद्योगो में प्रौद्योगिक सुधार के लिए ऋणो के सबध मे 12 प्रतिशत की ऋण सम्बद्ध पूँजी सब्सिडी (Credit linked Capital Subsidy) उपलब्ध कराना।

(iii) लघु उद्योगो की तीसरी गणना करना जिसमे रूग्णता एव उसके कारणो को भी शामिल किया जायेगा।

(iv) उद्योग से सम्बन्धित सेवा एव व्यवसाय उद्यम मे निवेश की मौजूदा 5 लाख रूपए की सीमा को बढाकर 10 लाख रूपए करना।

(v) प्रत्येक लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमो के सम्बन्ध मे दशवीं योजना के अन्त तक ISO 9000 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 75000 रूपए प्रदान करने की चालू योजना को जारी रखना।

(vi) सम्मिक्रा ऋणो (Composite Loans) की सीमा 10 लाख रूपए से बढाकर 25 लाख रूपए करना।

(vii) चालू समेकित आधारभूत विकास योजना को एव क्षेत्रो मे लागू करना तथा सारे देश मे इसका विस्तार इस प्रकार करना कि 50 प्रतिशत आरक्षण ग्रामीण क्षेत्रो के लिए हो तथा 50 प्रतिशत भूखड अति लघु क्षेत्रो का उपलब्ध हो।

इस व्यापक नीति पैकेज को लागू करने की दिशा मे हाल के महीनो में कुछ कदम उठाए गए है। आर्थिक समीक्षा 2000-01 मे इन कदमो को निम्नलिखित 5 वर्गों मे बॉटा गया है –

1.संपार्श्विक समस्याओं को हल करने एवं प्रौद्योगिकी सुधार को प्रोत्साहित करने की योजनाएँ (Schemes to Address the problem of Collaterals and encourage technology upgradation) . लघु क्षेत्र के उद्योगो का सपार्श्विक (Collateral) प्रदान करने मे जो कठिनाई होती है उसका समाधान करने के लिए एक साख गारण्टी फड (स्कीम) की शुरूआत की गई है। जो इन उद्योगो को वाणिज्यिक बैंको, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको तथा अन्य वित्तीय सस्थाओ द्वारा 25 लाख रूपए तक दिए गए ऋण की गारण्टी देगा। इस येाजना के कार्यान्वयन के लिए एक साख गारण्टी ट्रस्ट फड की स्थापना की गई है। प्रौद्योगिकी मे सुधारो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने 20 सितबर 2000 को ऋण सम्बद्ध पूँजी सहायकता स्कीम (Credit Linked Capital Subsidy Scheme) को अनुमोदन प्रदान किया गया जिसके अधीन लघु उद्योगो के कुछ चुनिदा उपक्षेणो मे विशिष्ट राज्य वित्तीय निगमो द्वारा दिए गये ऋणो पर 12% की दर से बैक एडिड पूँजीगत सहायता दी जायेगी। वित्त मत्री के अनुसार, इस येाजना के अधीन अगले पॉच पर्षो मे लघु उद्योगो को 5000 करोड रूपए की सहायता प्रदान की जायेगी।

2 **उत्पाद शुल्क छूट की सीमा बढाना** **(Enhancing the Excise Exembtion Limit)**

1 सितबर 2000 से लघु उद्योगो के लिए उत्पाद शुल्क छूट की सीमा को 50 लाख रूपए से बढाकर एक करोड रूपए कर दिया गया है।

3 **ऋण सुविधाओ मे सुधार** **(Improving Credit)** मिश्रित ऋण स्कीम के अधीन ऋण सीमा को 25 लाख रूपए तक बढा दिया गया है। 5 लाख रूपए तक के ऋणो के लिए समानान्तर जमानत की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

4 **निवेश सीमा में वृद्धि** **(Increasing of Investment Limitation)** सरकार ने लघु सेवाओ एव व्यापार उद्यमो के लिए निवेश की सीमा को 5 लाख से बढाकर 10 लाख रूपए कर दिया गया है

इन सभी उपायो का मूल रूप मे लघु–स्तर उद्यमो की सहायता करना है। किन्तु अभी भी ऋण के रूप मे भारतीय लघु औद्योगिक विकास (SIDBI) द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋणो को और बढानेकी जरूरत है ताकि लघु स्तर इकाइयो की अचल एव चल पूँजी सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी की जा सके । इस बात की यह आवश्यता है कि निरीक्षण एव अन्य विनियामन कानून (Regulatory Laws) जो लघु क्षेत्र के उद्यमकर्ताओ को अनुचित रूप से परेशान करते है। तेजी से हटाए जाए। एक अधिक स्वतत्र वातावरण के साथ यदि उधार एव आधुनिक आलम्ब उपलब्ध कराया जाय, तो इससे लघु क्षेत्र का विकास त्वरित हो सकता है।

पिछले चार दशको मे लघु उद्योगो की संस्था में आशातीत वृद्धि हुई है जिसका विवरण इस प्रकार है –

वर्ष	लघु उद्योगों की इकाइयों की संख्या
1960-61	36 हजार
1974-75	49 हजार
2000-01	3,312 हजार
2001-02	3,442 हजार
2002-03	3,572 हजार

2002–03 मे लघु उद्योगो ने 7,42,021 करोड रूपये के मूल्य की वस्तु का उत्पादन किया और इस वर्ष मे इन उद्योगो मे 199 65 लाख व्यक्तियो को रोजगार मिला हुआ था।

इसे निम्न रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाता है।

लघु उद्योगो का कारोबार

लघु उद्योगो का वार्षिक उत्पादन (चालू मूल्यो पर)
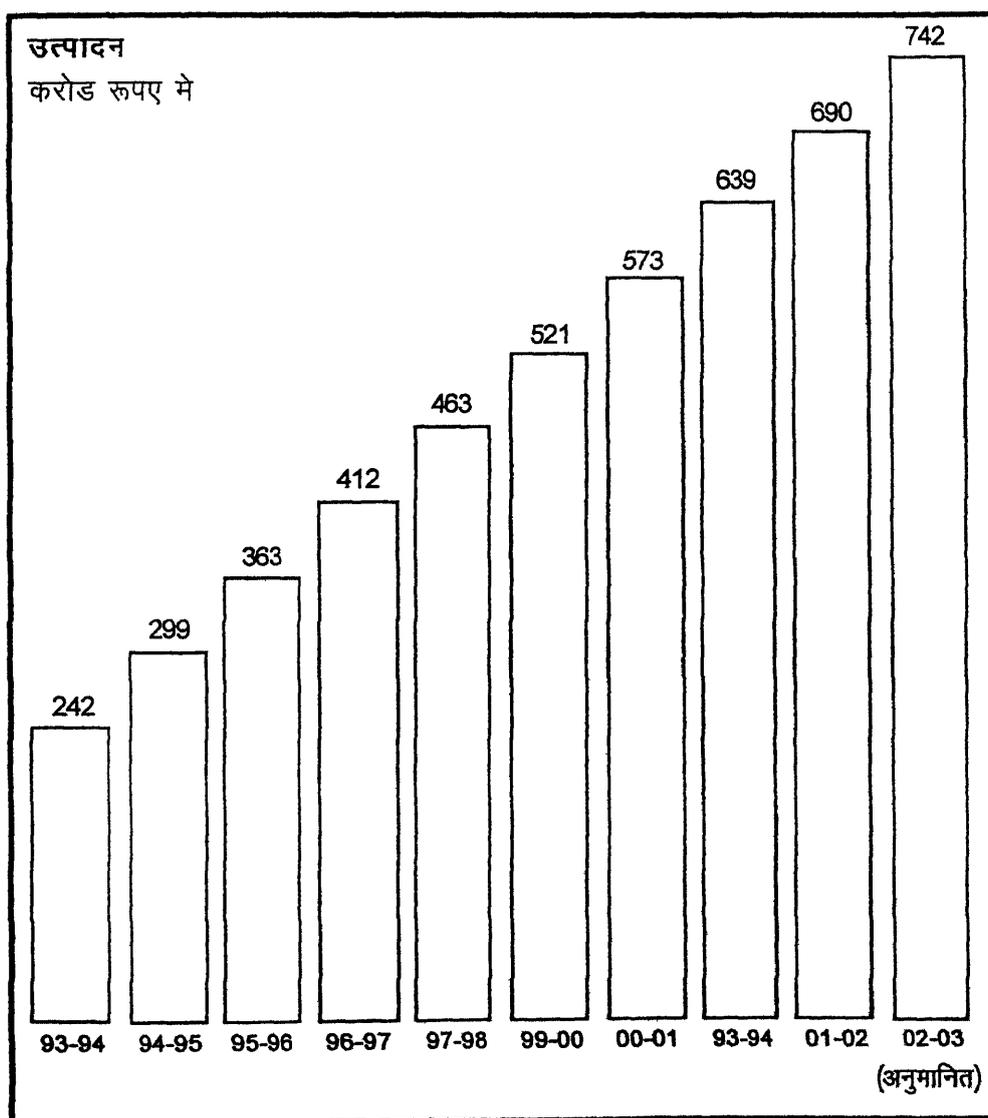
लघु उद्योगो की वर्तमान स्थिति
पजीकृत लघु उद्योगो की 30 जून 2002 को
राज्यवार अनुमानित सख्या (हजार मे)
393 9
384 3
243 4
216 9
193 8
182 2
155 5
154 1
154 1
132 2
91 9
91 9
55 6
45 7
19 8
219 2
उत्तर प्रदेश
तमिलनाडु
केरल
मध्य प्रदेश
गुजरात
कर्नाटक
पजाब
पश्चिम बगाल
महाराष्ट्र
आन्ध्र प्रदेश
बिहार
राजस्थान
हरियाणा
पूर्वोत्तर राज्य
दिल्ली
अन्य
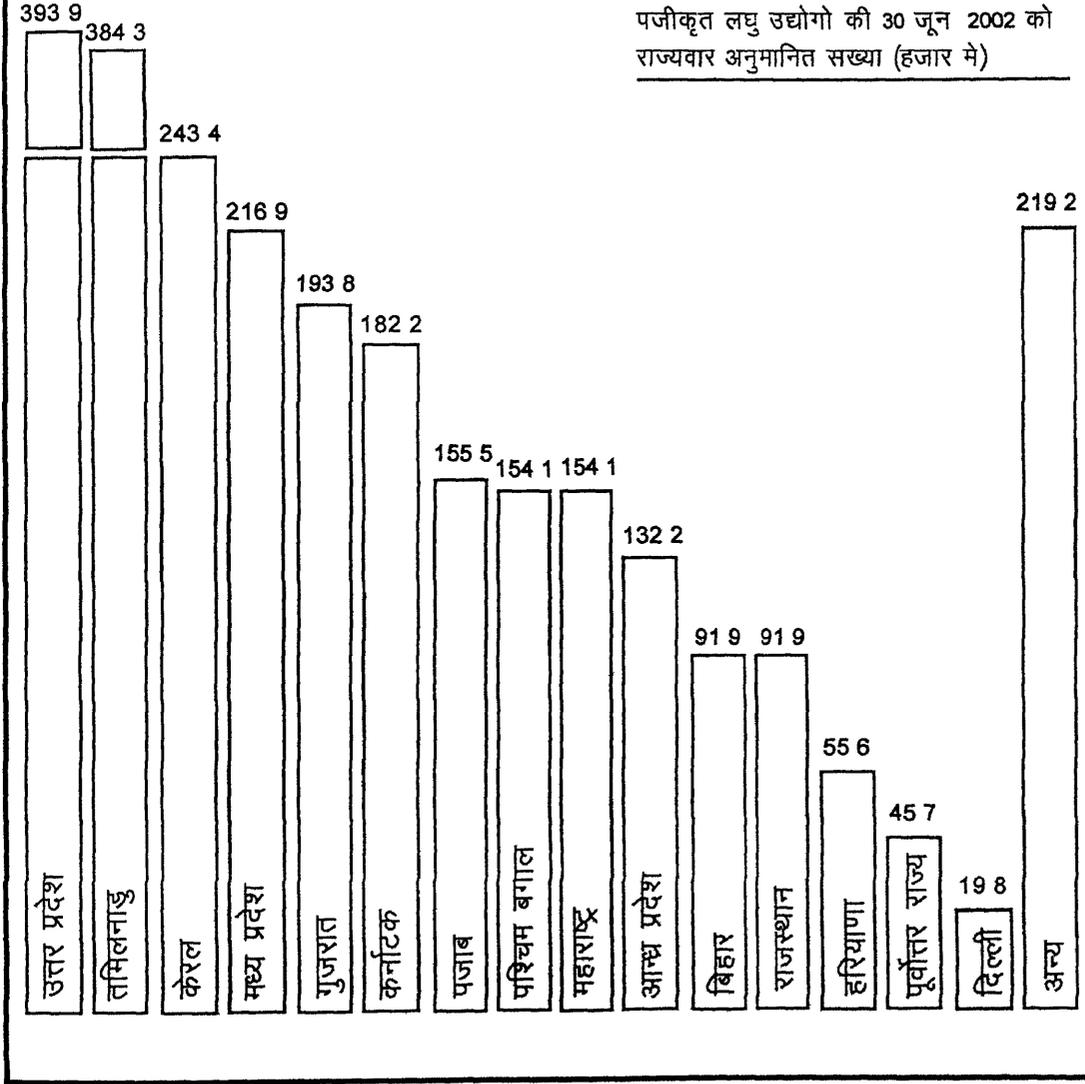
लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए निवेश का एक प्रमुख आदान है, इसलिए इस क्षेत्र के बैको से प्राथमिकता क्षेत्र के उधार मे रखा गया है। लघु उद्योग क्षेत्र को व्यापारिक बैको द्वारा कार्यकारी पूजी प्रदान की जाती है और राज्य वित्त निगम इस क्षेत्र को सर्वाधिक ऋण उपलब्ध कराते है। छोटे लघु उद्योगो (अति लघु) क्षेत्र का मिश्र ऋणो के रूप मे इसी एजेसी से सर्वाधिक ऋण और कार्यकारी पूजी दोनो ही मिलते है। इन सस्थानो की पुनर्वित व्यवस्था सिडबी द्वारा की जाती है। लघु उद्योगो क्षेत्रो को ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए है

(I) अति लघु इकाइयो के लिए ऋण अलग से निर्धारित करना ,

(II) 5 लाख रू तक के बधक–मुक्त ऋण (पात्र मामलो मे 15 लाख रू तक) ,

(III) मिश्र ऋण सीमा को 10 लाख रूपये से बढाकर 25 लाख करना ,

(IV) 25 लाख रूपये तक के बधब–मुक्त ऋणो की गारटी के लिए ऋण गारटी योजना शुरू करना।

लघु उद्योग क्षेत्रो से होने वाले निर्यात को भारत की निर्यात सवर्द्धन रणनीति में बढावा देने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है, इसमे निर्यात प्रक्रियाओ का सरलीकरण शामिल है, और यह अपनी निर्यात आमदनी को अधिक से अधिक बढाने के लिए लघु क्षेत्र को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन भी देती है। लघु उद्योगो द्वारा अपने उत्पादो के निर्यात के लिए निम्नलिखित योजनाए बनाई गई है

(क) लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादो को अतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियो में प्रदर्शित किया जाता है और इस सबध मे किया गया खर्च सरकार वहन करती है ;

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र से निर्यात को बढावा देने के लिए विनिर्माता–निर्यातको को एक्सपोर्ट हाउस/ट्रेडिग हाउस/स्टार ट्रेडिग हाउस/सुपर स्टार ट्रेडिग हाउस के रूप मे मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष महत्व दिया जाता है ,

(ग) लघु उद्योगो इकाइयों को निर्यात संवर्द्धन पूजीगत माल के फायदे उठाये जाने

मिक्सचर, डाईज कोल्ड्स के आयात के लिए पूर्ण लागत बीमा, भाडा (सी आई एफ) मूल्य के प्रतिबधित 20 प्रतिशत के बजाय, पूर्ण लाइसेस मूल्य की अनुमति दी गई है, लघु उद्योग निर्यातको को नवीनतम लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निवेश की सीमा एक करोड रूपये बनी रही। लघु उद्योग मत्रालय ने उच्च तकनीक और निर्यातोन्मुख उद्योगो की ऐसी विशेष सूची निकाली है जिन्हे प्रतिस्पर्धात्मक बढत बनाए रखने के लिए उचित प्रोद्योगिक उन्नयन मे मदद के लिए उनकी निवेश सीमा बढाकर पाच करोड रूपये की जा रही है। लघु उद्योग क्षेत्रो के लिए उत्पादन शुल्क मे छूट की सीमा 50 लाख रूपये से बढाकर एक करोड रूपये कर दी गई है।

ऋण गारटी योजना के तहत पात्रता की सीमा मे भी सशोधन किया गया है। यह सीमा 25 लाख रूपये से घटाकर दस लाख रूपये कर दी गई है। *एकीकृत ढाचागत विकास योजना* अब देश के ग्रामीण क्षेत्रो के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ देश के सभी क्षेत्रो पर लागू कर दी गई है। उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए निरतर पूल मे उपलब्ध धनराशि का इस्तेमाल क्लस्टर विकास के लिए इन्क्यूबेशन केद्रो के लिए किया जा रहा है। लघु उद्योग विकास सगठन ने एस एस आई एम डी ए योजना शुरू की है, जो अतर्राष्ट्रीय विपणन गतिविधियो के विरोध शुरू करने और बार कोडिग अपनाने के लिए वाणिज्य मत्रालय की योजना जैसी है।

आर्थिक सुधारो की अनवरत प्रक्रिया और विश्व सगठन के आगमन के साथ अतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य के परिवर्तनो ने लघु उद्योग तथा अति लघु उद्योग के क्षेत्र के लिए माननीय प्रधानमत्री ने अगस्त 2000 मे एक व्यापक नीतिगत पैकेज की घोषणा की थी। इस नीतिगत पैकेज का उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र को मजबूत बनाना और देश में और विदेशो मे इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढाना है। पैकेज मे आसान ऋण की उपलब्धता, बिना गिरवीं रखे 25 लाख रूपये तक के ऋण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और बेहतर आधारभूत सुविधाओ के लिए पूजीगत सब्सिडी शामिल है।

2002-03 के केन्द्रीय बजट की विशेषताए .

(I) लघु उद्योग क्रेडिट कार्ययोजना की घोषणा।

(II) छोटी नवीनताओ के लिए सूक्ष्म वेच पूजी निधि स्थापना का प्रस्ताव।

(III) निटवेयर, कुछ खेतहर यत्रो, मोटर गाडी के पुर्जो, कुछ रसायनो और दवाओ आदि जैसी 50 से अधिक मदो का आरक्षण समाप्त करना।

(IV) पॉच वर्षो की अवधि के लिए लघु उद्योगो के लिए ऋण गारटी निधि न्यास की `आमदनी पर कर से पूरी छूट।

(V) आयकर, अधिनियम की धारा 54 ई सी के तहत पूजीगत लाभो मे छूट 'सिडबी' द्वारा जारी बाडो मे निवेश की जाने वाली राशि पर दी जाएगी।

लघु उद्योग क्षेत्र ने पिछले 50 वर्षो मे देश के सामाजिक–आर्थिक विकास मे प्रमुख स्थान बना लिया है। इसने सकल घरेलू उत्पाद की समग्र अभिवृद्धि के साथ–साथ रोजगार और निर्यात वृद्धि की दृष्टि से भी योगदान दिया है। 1996-98 से 2001-02 तक की इस क्षेत्र की प्रगति निम्न सारणी मे दी गई है

लघु उद्योग क्षेत्र का कार्य निष्पादन

वर्ष	इकाइयो की सख्या (लाख रू मे)			उत्पादन (करोड रू मे)		रोजगार	निर्यात
	पजीकृत	गैरपजीकृत	कुल	चालू मूल्यो पर	स्थिर मूल्यो पर 1993-94	(लाखो मे)	(करोड रू मे) चालू मूल्यो पर
1996-97	21 53	6 50	28 03	4,11,858	3,29,935	160 00	39,248
			(5 46)	(13 57)	(11 32)	(4 24)	(7 61)
1997-98	22 82	6 62	29 44	4,62,641	3,57,296	167 20	44,442
			(5 03)	(12 33)	(8 43)	(4 5)	(13 23)
1998-99	24 06	6 74	30 80	5,20,650	3,85,296	171 58	48,979
			(4 62)	(12 54)	(7 70)	(2 62)	(10 21)
1999-2000	25 26	6 86	32 12	5,72,887	4,16,736	178 50	54,200
			(4 29)	(10 03)	(8 16)	(4 03)	(10 66)
2000-01	26 72	6 98	33 70	6,39,024	4,51,033	185 64	59,978
			(4 92)	(11 54)	(8 23)	(4 00)	(10 66)
2001-02	27 53	7 11	34 64	6,90,522	4,77,870	192 23	N A
			(4 65)	(8 06)	(5 95)	(3 55)	

टिप्पणी कोष्ठक मे दिए गए आकडे पिछले वर्ष मे तुलना मे प्रतिशत वृद्धि दर्शाते है।

लघु उद्योग क्षेत्र मे पिछले कुछ वर्षो मे समग्र औद्योगिक क्षेत्र की समग्र वृद्धि दर से अधिक ही दर बनी हुई है। राष्ट्र की आर्थिक प्रगति मे इसका काफी योगदान है। औद्योगिक उत्पादन मे इसका योगदान लगभग 40 प्रतिशत और प्रत्यक्ष निर्यात मे लगभग 35 प्रतिशत है। यह क्षेत्र नई सहस्राब्दी मे विकास के माध्यम के रूप में उभरा है। बदले हुए उदारीकृत और प्रतिस्पर्धी आर्थिक परिवेश में सरकार ने अनके महत्वपूर्ण उपाय किए है जिनमें चुने हुए क्षेत्रो मे निवेश सीमा मे परिवर्तन करना, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन सहायता, विदेशी भागीदरी की सुविधा, विकास केद्रो की स्थापना, क्लस्टरो का विकास, निर्यात सवर्द्धन,

गुणवत्ता सुधार के लिए प्रोत्साहन, विश्व सगठन समझौतो के निहितार्थो के बारे मे लघु उद्योग इकाइयो को सहायता, बौद्धिक सपदा अधिकार सुविधा, अतर्राष्ट्रीय क्रमाकन मानको के इस्तेमाल बार कोडिग आदि शामिल है।

आर्थिक समीक्षा 2002-03 के अनुसार घरेलू मदी के बाद भी लघु क्षेत्र का प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2002-03 मे सतोषजनक रहा है। वित्तीय वर्ष 2002-03 मे लघु क्षेत्र मे कार्यरत औद्योगिक इकाइायो की सख्या के 35 72 लाख होने का अनुमान है। जबकि गत वर्ष यह सख्या 34 42 लाख थी। चालू मूल्यो पर वित्तीय वर्ष 2002-03 मे लघु क्षेत्र के समग्र उत्पादन का मूल्य 7,42,021 करोड रू० आकलित किया गया है जो गत वर्ष की तुलना मे 7 5% की वृद्धि दर्शित करता है। स्थिर कीमतो पर भी वित्तीय वर्ष 2002-03 मे 7 5% की भी वृद्धि आकलित की गई है। वर्तमान मे लघु क्षेत्र मे 199 95 लाख लोागो को रोजगार प्राप्त है। जो वित्तीय वर्ष 2001-02 की तुलना मे 3 9% की वृद्धि दर्शित करता है।

देश के समग्र निर्यात मे लघु क्षेत्र की भागीदरी एक तिहाई से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2002-03 मे लघु क्षेत्र के उद्यमियो की तत्कालिक वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गयी।

लघु उद्योगो के लिए सुधारों द्वारा चुनौती

नवीन औद्योगिक एव आर्थिक नीतियो के फलस्वरूप लघु उद्योगो के सक्षम अपने आप को बनाए रखने की चुनौती उत्पन्न हो गई है। इसका कारण यह है कि एक ओर तो आयात खोल दिए गए है व दूसरी ओर विदेशी कम्पनियो के द्वारा भारत मे आकर उद्योग स्थापित किए जा रहे है। इन दोनो का परिणाम यह है कि भारत मे अब उपभोक्ता को अच्छी क्वालिटी की वस्तु कम मूल्य पर मिलने लगी है, जिससे भारतीय लघु उद्योगो की स्थिति खराब होने लगी है। अनेक उद्योगों ने या तो व्यापार को बन्द कर दिया है या फिर नाम मात्र का व्यापार चल रहा है अर्थात् उत्पादन की मात्रा धीरे–धीरे कम होती जा रही है।

भारत मे 20 उद्योग ऐसे है जहॉ नवीन आर्थिक नीति के लागू होने के बाद की देशी कम्पनियो का असर तेजी से बढा है। उदाहरण के लिए हिन्दुस्तान लीवर समूह ने प्रतिस्पर्द्धी टाटा आयल मिल्स सहित कई कम्पनियो को अपने समूह मे ले लिया है। इसी प्रकार आइसक्रीम बाजार के सहारे 'वाल्स' को जमाया जा रहा है क्योकि वाल्स ने भारतीय क्वालिटी आइसक्रीम को खरीद लिया है।

रेफ्रिजरेटर उद्योग मे भारत की केल्विनेटर व गोदरेज कम्पनियो पर क्रमश अमरीका का वर्लपूल व जी ई की पकड है। टेलीविजन मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की बहार आई हुई है। जैसे सोनी, अकाई, नेशनल, पैनासोनिक। वैक्यूम क्लीनर का बजार अब पूरे तौर पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियो की पकड मे है। सॉफ्ट ड्रिग उद्योग पर अब कोका कोला का आधिपत्य सा है जो अमरीका की है। कई भारतीय कम्पनियो ने अपने व्यवसाय उन्हे बेच दिया है।

सक्षेप मे भारत मे 20 हजार करोड रूपये की टिकाऊ वस्तुओ के उपभोक्ता बाजार मे भी अशुभ सकेत मिलना प्रारम्भ हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र की भारतीय कम्पनियो का हिस्सा घटकर 35% रह गया है। विदेशी कम्पनियो ने रगीन टेलीविजन, फ्रिज, वाशिग मशीन और इसी प्रकार के अन्य उत्पादो मे अपना हिस्सा 65 फिसदी बढा लिया है।

बजाज ऑटो के अध्यक्ष प्रबन्ध निर्देशक राहुल बजाज और आर पी जी इन्टरप्राइजेज के उपाध्यक्ष सजीव गोयनका ने बताया है कि विदेशी कम्पनिया अपेक्षाकृत कम कीमत अदाकर भारतीय बाजार पर कब्जा जमा रही है। इनका कहना है कि उदारीकरण का प्रमुख उद्देश्य प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध कौशल, निर्यात वृद्धि आदि का जो आकलन किया गया था, वे खरे नही उतरे है बल्कि इससे कई क्षेत्रो मे स्वदेशी उपकरण नष्ट हो गए है और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रो मे विदेशी कम्पनियो ने बिना ज्यादा निवेश के ही बाजार पर सम्पूर्ण कब्जा कर लिया है।

स्पष्ट है कि भारतीय उद्योग विदेशी कम्पनियो से मुकाबला करने के स्थान पर उनके सामने हथियार डार रहे है और अपने उद्योगो को उन्हे बेच रहे हैं जैसे हल्के पेय थम्स अप

माजा, गोल्ड स्पोट, लिम्का भारतीय उद्योगपतियो ने 120 करोड रूपये मे कोका कोला को बेच दिया। अब बिसलरी मिनरल वाटर को भी बेजा जा रहा है। यह प्रक्रिया देश के लिए हानि कारक है। ऐसा अनुमान है कि अबतक लगभग 5 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गये है।

यदि भारतीय लघु उद्योग अपनी वस्तु की क्वालिटी मे सुधार नही कर पायेगा और मूल्यो को भी प्रतियोगी नही बना पायेगा तो वह दिन दूर नही जबकि लघु उद्योग पूर्णतया बन्द हो जाये। अत लघु उद्योगो को अपने आप को जीवित रखने के लिए वस्तु की क्वालिटी मे सुधार लाना होगा एव मूल्य प्रतियोगी रखने होगे।

तृतीय अध्याय

भारत वर्ष में लघु उद्योंगों के वित्तीयन का स्त्रोत

लघु उद्योगो को पूँजी तथा अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने के क्षेत्र मे भी सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। राज्य सरकारो ने राज्य उद्योग सहायता अधिनियमो के अन्तर्गत इन उद्योगो के लिए ऋण की सुविधाओ को काफी बढा दिया है। अत इन उद्योगो को राज्य सरकारो से अपेक्षाकृत अधिक उदार शर्तो पर और आसानी से ऋण उपलब्ध होने लगा है। सरकार के अतिरिक्त राज्य वित्त निगमो, भारतीय ऋण समितियो आदि की ओर से भी इन उद्योगो को पहले से कही अधिक मात्रा मे ऋण सुविधाये उपलब्ध होने लगी है।

लघु उद्योगों का वित्तीयन

(Finance for Small-Scale Industries)

उत्पादन, वितरण तथा विकास के क्षेत्र मे वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह औद्योगिक विकास की गति मे तीव्रता लाने के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। जिस प्रकार रक्त के अभाव मे मानव शरीर की कल्पना नही की जा सकती ठीक उसी प्रकार वित्त के अभाव मे औद्योगिक विकास सभव नही हो सकता इसलिये इसे उद्योगो के सदर्भ मे 'जीवनरूपी रक्त' की सज्ञा दी गयी है। वित्त उद्योगो के लिए रीढ की हड्डी का कार्य करती है।

स्वतत्रता के पूर्व हमारे देश मे वित्त की समस्या थी जो देश के औद्योगिक विकास मे अवरोध उत्पन्न करती थी परतु स्वतत्रता के बाद हमारी सरकार ने पर्याप्त पूँजी आधार वाली विशिष्ट वित्तीयन सस्थाओ के एक ऐसे तत्र का निर्माण किया जो देश के विभिन्न उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सके जिसके अतर्गत लघु उद्योग भी शामिल है।

एक नवोदित अर्थव्यवस्था के वित्तीय ढॉचे के सहारे की आवश्यकता होती है, जो कि विकास की आवश्यकताओ के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत मे वित्तीयन की प्रक्रिया मे, व्यापारिक बैको के महत्वपूर्ण भूमिका है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो मे तथा विकास के

विभिन्न स्तरो पर वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति करते है। इस प्रक्रिया मे उन्होने विभिन्न तरीके तथा साधन विकसित किये, विभिन्न सगठनो की स्थापना की, परम्परागत व्यापारिक बैकिग की नीति का परित्याग कर और उन्हे विकास बैको के रूप मे विकसित किया।

उन व्यापारिक बैको द्वारा उद्यमियो को वित्त समग्रता के आधार पर उपलब्ध कराया जा रहा है, मात्र उन परिस्थितियो को छोडकर जहॉ राज्य वित्तीय निगम या उसी प्रकार की अन्य वित्तीय सस्थाओ के मध्यकालीन आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु उपलब्ध है। कारखाना भवन के निर्माण के लिये, यत्र और औजारो को क्रय करने के लिये तथा कार्यशील पूॅजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त साख स्वीकृत किया जाता है। विस्तार, जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण हेतु भी ऋण उपलब्ध कराये जाते है। बैक एव अन्य सस्थाएँ निर्यात की भी सुविधा प्रदान करती है। जो लघु उद्योगो के लिये होती है। सस्थागत सहायता और आर्थिक घटक उद्यमिता की गतिविधियो को प्रोत्साहित करते है। जिससे सुदृढ आर्थिक विकास सभव हो पाता है।

Central Govt		State Govt
(1) SSI Boards (2) SIDO (3) SISI's		(1) DI's (2) DIC's (3) SFC's
(4) PPDC's (5) RTC's (6) CFTI's	**SSI's**	(4) SSIDC's (5) TCO's
(7) EDI's (8) NSIC's (9) SIDBI		

अन्य

(1) औद्योगिक सगठन

(2) गैर–सरकारी सगठन

औद्योगिक वित्त के प्रकार – क्रियाकलापो की प्रकृति के आधार पर यह तीन प्रकार की होती है।

1 <u>अल्पकालीन वित्त</u> – अल्पाकालीन वित्त के अतर्गत उन फण्डो को शामिल किया जाता है जिनका निर्माण एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिये किया जाता है। अल्पकालीन वित्त

की आवश्यकता अधिकाशत सामयिक या अस्थिर कार्यशील पूँजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिये होती है।

बैको से उधार लेना अल्पकालीन वित्त का सबसे प्रमुख तथा प्रचलित साधन है। व्यापारिक साख, किस्त साख और ग्राहको द्वारा अग्रिम आदि अल्पकालीन वित्त के अन्य रूप है।

2 <u>मध्यकालीन वित्त</u>– जो वित्त एक वर्ष से अधिक समय के लिये परन्तु पॉच वर्ष से कम समय के लिये प्रदान किये जाते है, वे मध्यकालीन वित्त के श्रेणी मे आते है। स्थायी कार्यशील पूँजी, छोटे स्तर पर किये जाने वाले विस्तार, प्रतिस्थापन, नवीनीकरण आदि उद्देश्यो के लिये मध्यकालीन वित्त सहायक सिद्ध होते है।

मध्यकालीन वित्त निम्न साधनो से एकत्रित किया जा सकता है–

(क) अशो के निर्गमन द्वारा

(ख) ऋणपत्रो के निर्गमन द्वारा

(ग) बैक एव अन्य वित्तीय सस्थाओ से ऋण लेकर

(घ) लाभो मे से धन सचित करके

3 <u>दीर्घकालीन वित्त</u>–5 वर्ष से अधिक समयावधि के लिये प्रदत्त की गयी वित्त को हम दीर्घकालीन वित्त की श्रेणी मे रखते है। अचल सपत्तियों को क्रय करने के लिये, नये व्यापार प्रारभ करने के लिये, वर्तमान व्यापार मे विस्तार करने के लिये, यत्रीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिये दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता पडती है।

दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने के निम्न प्रमुख साधन है–

(क) अशो के निर्गमन द्वारा

(ख) ऋणपत्रो के निर्गमन द्वारा

(ग) वित्तीय सस्थाओ से ऋण लेकर

(घ) लाभो मे से धन सचित करके

लघु उद्योगो की एक विशेष बात यह होती है कि इनकी कुल सपत्तियो मे उद्यमियो के व्यक्तिगत कोष एक बडी मात्रा मे होते है। लघु उद्यमियो के स्वामी सामूहिक अर्थात बडे उद्योगो के स्वामियो के अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वहन करते है। व्यापारिक बैक, विशिष्ट सस्थाए जैसे– State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra, Gujarat Industrial Investmetn Corporation तथा सहकारी बैंक आदि ऐसे साधन है जो इन उद्योगो की कार्यशील पूॅजी की आवश्यकता को पूरा करते है। स्वदेशी बैकर तथा साहूकार द्वारा भी पूॅजी आवश्यकता की पूर्ति हेतु भी ऋण प्रदान करते है। स्थायी पूॅजी आवश्यकता की पूर्ति State Government, State Financial Corporation, National Small Industries Corporation, State Small Industries Corporation, State Industrial Development Corporation तथा अन्य व्यापारिक बैको द्वारा की जाती है।

वे साधन जिनसे एक लघु उद्योग कोष के व्यवस्था करता है, उससे अर्थिक चिट्ठे मे प्रदर्शित किये जाते है। सामान्यत ये साधन निम्नलिखित शीर्षिको के अतर्गत है–

A आतरिक	B वाहय
I चुकता पूॅजी	IV उधार लेना
a साधारण अश	a बैक से
b पूर्वाधिकार अश	b सरकारी एव गैर–सरकारी सस्थाओ से
c हरण किये गये अश	c विशिष्ट सस्थाओ जैसे IDBI, IFCI, ICICI
d अन्य	d अन्य
II सचित कोष	V व्यापारिक देयता एव अन्य चालू दायित्व
a पूॅजी सचय	a विविध लेनदान
b विकास छूट सचय	b अन्य
c अन्य	

III प्रावधान	VI विविध
a करारोपण	
b ह्रास	

ये सभी वित्त के साधन लघु उद्योगो के लिये उपलब्ध नही है। वित्त की उपलब्धता उद्योगो के स्तर, लक्षण समयावधि आदि पर निर्भर करती है। कोष, जो लघु उद्योग निर्माण करती है, कपनी के लक्षण पर निर्भर करती है– चाहे वह उद्योग प्राइवेट लिमिटेड हो या स्वामित्व सबधी हो।

लघु उद्योगो द्वारा निर्माण किये गये कोष उत्पादक गतिविधियो तथा उन उद्देश्यो के लिये जिनके लिये इन फण्डो को प्रयोग मे लाया जाता है पर निर्भर करते है।

a. सकल चल सपत्ति– भूमि, भक्त, मशीनरी इन सभी के आवष्यकताओ की पूर्ति बाजार से ऋण लेकर या वित्तीय सस्थाओ जिसमे बैक भी शामिल है से सामयकि ऋण लेकर की जाती है।

b कार्यरत पूँजी– कच्चा माल, तैयार माल, चालू कार्य, सचालन व्यय (मजदूरी, वेतन, रोशनी तथा अन्य खर्चे)– इन सभी की पूर्ति व्यापरिक बैंक द्वारा माराक्राति साख या प्रतिज्ञा ऋण के रूप मे की जाती है।

c फण्ड की आवश्यकता (i) सपत्ति को क्रय करने हेतु (ii)विनियोग करने के लिये (iii) देनदारो को भुगतान करने हेतु होती है।

सस्थागत अवलब ढॉचा– भारत सरकार द्वारा गणित लघु उद्योग बोर्ड लघु उद्योगो के सदर्भ मे सभी प्रकार के मुद्दो पर सलाह देने की एक शीर्ष सस्था है। इसका गठन सन् 1954 मे समन्वय स्थापित करने तथा इस क्षेत्र को विकसित करने के लिये अतर–सस्थागत सबध स्थापति करने के उद्देश्य से किया गया। 1997 तक उद्योग मत्री इस बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करते थे परतु इसके बाद यह बोर्ड, जिसमे राज्य स्तरीय उद्योग मत्री, चयनित सासद, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागो के सचिव, वित्तीय सस्थाओ के मुखिया, और लघु उद्योग के क्षेत्र

के विशिषज्ञ सदस्य होते है जो प्रधानमत्री की अध्यक्षता मे कार्य करते है।

योजना का निर्माण करने, लघु उद्योगो को प्रोत्साहित करने के लिये पर्याप्त योजनाओ तथा स्कीमो को आरभ के लिये Department of SSI और Agra & Rural Industries का गठन भारत सरकार के उद्योग मत्रालय के अतर्गत की गयी। इन विभागो का कार्य के अतर्गत ऐसी सस्थाओ का तत्र बनाते है। जो विविध प्रकार के कार्य कर सके जैसे– प्रशिक्षण, परीक्षण सुविधाएँ, विपणन सहायता आदि। केन्द्र/राज्य सरकार, विभिन्न एजेन्सी तथा देश मे फैले विभिन्न स्वैच्छिक सगठनो द्वारा ऐसे क्रियाकलापो मे सहायता की जाती है।

भारत सरकार की फोर्ड फाउण्डेशन टीम की सिफारिशो के आधार पर 1954 मे लघु उद्योगो के विकास कमिश्नर के कार्यलय क स्थापना की गयी जिसे लघु उद्योग विकास सगठन (SIDO) के नाम से जाना जाता है। 1991 से SIDO Department of SSI और Agra & Rural Industries के अतर्गत कार्य कर रही है। केन्द्रीय सरकार की नीतियो को कार्यान्वित करने मे तथा देश मे लघु उद्योगो को सुदृढ बनाने मे SIDO की महत्वपूर्ण भूमिका है। SIDO का प्रमुख कार्य सभी भारतीय पालिसियो और योजनाओ को प्रस्तुत करना। राज्य सरकार की पालिसियो और योजनाओ को समन्वित करना, केन्द्र और राज्य मत्री, योजना आयोग, रिजर्व बैक, वित्तीय सस्थाओ मे सपर्क स्थापित करना है। SIDO सनद्धित सस्थाओ के माध्यम से व्यापक पैमाने पर विस्तार की सुविधाए प्रदान करता है और सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमो का सचालन करना है।

राज्य स्तर पर Commisioner/Director of Industries लघु माध्यम तथा बडे पैमाने के उद्योगो को प्रोत्साहित तथा विकास प्रदान करने वाली योजनाओ को क्रियान्वित करते है। लघु उद्योगो के क्षेत्र मे केन्द्रीय पालिसियो की महत्वपूर्ण भूमिका है परन्तु प्रत्येक राज्य की अपनी स्वय की पॉलिसी होती है। राज्य सरकार क्षेत्रीय कार्यालयो की गतिविधियो पर भी नजर रखती है। इसके अतिरिक्त राज्य वित्तीय कारपोरेशन, राज्य लघु उद्योग विकास कारपोरेशन, तकनीकी परामर्श सस्थाए राज्य स्तर पर कार्य करती है जो लघु उद्योगो के

विकास और प्रोत्साहन मे सहायता प्रदान कर रही है। अन्य क्षेत्रीय स्तर की एजेसियॉ निम्न है। जो लघु उद्योगो को सहायता प्रदान कर रही है , वे है State Infrostructure Development Corportation, State Co-operative Banks, Reginal Rural Banks, State Depart Cor, Agra Industries Cor , Handloom & Handicrfat Co आदि। मानव ससाधन विकास के लिये SIDO से Associated विशिष्ट सस्थाओ का एक जाल है।

स्तर पर गैर–सरकारी सस्थाओ द्वारा भी इन उद्योगो के विकास मे सराहनीय योगदान किया जा रहा है।

औद्योगिक सगठन लघु उद्योगो को सहारा प्रदान करते है और उद्योगो से सनधित मुद्दो को उठाने के लिये, उन पर चर्चा करने के लिये एक सघ प्रदान करते है। हाल की सरकारी नीतियो मे इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि औद्योगिक सगठन प्रोद्योगिकी विपणन और अन्य सेवाओ Schemes of Assistance (सहायता की परियोजना)– विस्तृत रूप मे SFC, SIDC और व्यापरिक बैको द्वारा निम्न सहायता प्रदान की जाती है।

- लघु तथा माध्यम वर्ग की नयी परियोजनाओ का वित्तीयन
- लघु तथा मध्यम वर्ग के आधुनिकीकरण का वित्तीयन
- लघु तथा माध्यम वर्ग के पुर्नस्थापना का वित्तीयन
- पूॅजी साधन के आयात का वित्तीयन

और अन्य व्यापारिक बैको द्वारा वित्तीय कठिनाई की समस्या को ध्यान मे रखते हुये यह उधार लेने वाले व्यक्तियो के हित मे होगा कि वह इस बात से अवगत हो कि IDBI द्वारा उपरोक्त उद्देश्यो की पूर्ति के लिये किस सीमा तक पुन विर्त्तायन सहायता मे वृद्धि की गयी है। पुन सहायता मे की गयी वृद्धि निम्नलिखित है –

वर्ग	पुन वित्तीयन का प्रतिशत
• लघु ईकाई	
(1) SFC's & SIDC's	85
(11) व्यापरिक बैंक	60
• मध्यम श्रेणी की ईकाई	
(1) SFC's & SIDC's	75
(1i) व्यापारकि बैंक	60
• SIDC's द्वारा दी जाने वाली विदेशी मुद्रा ऋण	100

लघु ईकाईयो को उपलब्ध की जाने वाली वित्तीय सहायता – लघु उद्योगो को ऋण रियायती दर पर उपलब्ध कराये जाते हैं। पिछडे क्षेत्रो मे स्थित लघु इकाईयो के लिये ब्याज की 12 5 प्रतिशत वार्षिक है। गैर–पिछडे क्षेत्रो मे स्थित इकाईयो के लिये 25 लाख तक के लिये ब्याज की दर 13 5 प्रतिशत वार्षिक है तथा 25 लाख से ऊपर की रकम के लिये ब्याज की दर 14 प्रतिशत वार्षिक है।

लघु क्षेत्रो की ईकाइयो पर 5 लाख रूपये तक गैर–सुपुर्दगी भार लगाया जाता है। अन्य नकद ऋणो पर उसके स्वीकृत होने के 12 माह के बाद 1 प्रतिशत की दर से सुपुर्दगी भार लगाया जाता है। पिछडे क्षेत्रो के श्रेणी A मे आने वाली ईकाईयो पर सुपुर्दगी भार मे 50 प्रतिशत रियायत प्रदान की जाती है।

लघु उद्योगो को प्रदान की जाने वाली साख सहायता– लघु क्षेत्र के कारखानो द्वारा आवश्यक कार्यशील साख तथा पूजी व्यापरिक बैंको, सहकारी बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य वित्तीय निगमो द्वारा प्राप्त की जाती है, एक ऐसी बैंकिग प्रणाली जो मुख्यतया कार्यशील पूँजी प्रदान करती है। किराया क्रय पद्धति के आधार पर मशीनरी की आपूर्ति करके लघु उद्योगो को सहायता राष्ट्रीय स्तर पर **National Small Industries Corporation** द्वारा

तथा राज्य स्तर पर State Small Industries Development Corporations द्वारा प्रदान की जाती है। लघु उद्योगो को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से SIDBI, NABARD तथा IDBI, बैंको तथा अन्य वित्तीय निगमो को पुनर्वित्तीय सुविधाए प्रदान करते है। बैको द्वारा लघु क्षेत्र की इकाइयो को प्रदान की जाने वाली साख को प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान की गयी साख की तरह माना जाता है।

व्यापारिक बैकों और वित्तीय सस्थाओ द्वारा लघु उद्योगो को विकसित करने मे अहम् भूमिका रही है। बैंक द्वारा लगातार नयी योजनाओ को विकसित किया जात रहा है ताकि इस तीव्र गति से बढते हुये तथा परिवर्तित होते हुये क्षेत्र की आवश्यकताओ को पूरा किया जा सके।

जैसा कि बहुत बडी मात्रा मे ईकाइयो को अपने समता कम होने के कारण प्रारभिक विनियोजन की कठिनाई का सामना करना पडता है, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जो कि लघु क्षेत्र की ईकाइयो को वित्तीय सुदृढता प्रदान करने की एक अग्रणी सस्था है, वे स्वय को समता कर इस उद्देश्य से गठित किया है ताकि नये उद्यमियो को सहायता प्रदान की जा सके। इस योजना के अतर्गत नये इकाईयो को ब्याज मुक्त ऋण की सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

साख सूचीबद्ध व्यापरिक बैको द्वारा लघु उद्योगो को प्रदान की गयी Outstanding Avances की सुविधा जो कि June 1991 में 16,590 14 करोड थी। मार्च 1999 मे बढाकर 48483 करोड रूपये कर दी गयी। जबकि क्षेत्रीय बैंको की Outstanding Advances की सुविधा जो कि कलाकार, गावो तथा हथकरघा उद्योग मो प्रदत्त की जाती थी। जो मार्च 1990 मे 612 5 करोड रूपये थी, घटाकर मार्च 1999 मे 282 04 करोड रूपये कर दी गयी।

रिजर्व बैंक द्वारा वितरण प्रणाली को और विकसित करने के लिये लघु उद्योगो को प्रदान की जाने वाली साख सुविधाओ की प्रक्रिया में उदारता लाने के लिये तथा लघु उद्योगो से सबंधित अन्य बातो को विचार करने के लिये S.L.Kapoor की अध्यक्षता मे उच्च स्तरीय

समिति का गठन किया गया। इस समिति द्वारा अब तक प्रदान की गयी 126 सिफारिशो मे से रिजर्व बैंक द्वारा तात्कालिक क्रियान्वयन किया गया।

रिजर्व बैक द्वारा स्वीकृत की गयी कुछ सिफारिशे निम्नलिखित है–

(a) इन कोषो का अनुदान करने के लिये शाखा प्रबन्धको को और अधिक अधिकार प्रदान करना (आबटन सीमा के परे अल्पकालिक आवश्यकता को पूरा करने वाले कोष जोकि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाये गये हो)

(b) आवेदन प्रक्रिया और सरल बनाना।

(c) बैंको को अपनी साख आवश्यकताओ के मानको को निर्धारण करने की स्वतत्रता।

(d) वाणिज्यिक बैंको द्वारा विशिष्ट शाखाओ का प्रकार।

(e) मिश्रित ऋण की सीमा को 2 लाख से बढाकर 5 लाख कर देना।

(f) लोक अदालत की मदद द्वारा वसूली प्रणाली को मजबूत करना।

(g) औद्योगिक रूप से अविकसित प्रदेशो की साख सबधी आवश्यकताओ की ओर बैक द्वारा अधिक ध्यान देना।

(h) शाखा प्रबधको को छोटी परियोजनाओ का अनुमान लगाने के लिये विशिष्ट कार्यक्रमो को आयोजन ।

(i) ग्राहक शिकायत प्रणाली मे पारदर्शिता लाना और शिकायतो को समाधान करने की प्रक्रिया को सरल करना।

राज्य वित्तीय निगम का लघु उद्योगो के विकास मे उच्च प्राथमिकता रही है। राज्य वित्तीय निगम द्वारा सहायता आवटित करते समय लघु उद्योगों को अधिक प्राथमिकता दी गयी है। 1998–99 के दौरान 73 2 प्रतिशत से अधिक की सहायता को राज्य वित्तीय निगम द्वारा बढा दिया गया है।

बैंको द्वारा लघु उद्यम के क्षेत्र में निम्नलिखित माध्यमो द्वारा प्रदान की जाती है।

(1) उदारवादी योजना–July 1955 मे Imperial Bank of India का State Bank of India द्वारा अधिग्रहण करने के ठीक बाद ही इस बैक द्वारा लघु उद्योगो का वित्तीयन करने के उद्देश्य से उदारवादी योजना अस्तित्व मे लायी गयी। इस योजना के अतर्गत भारत मे पहली बार लघु उद्योगो के वित्तीयन के लिए आवश्यकता पर आधारित सकल्पना को प्रस्तुत किया गया जो कि धारणा से भिन्न थी। एक बार ईकाई की कार्यक्षमता सिद्ध हो जाने पर बैको द्वारा उनकी उचित साख आवश्यकताओ को पूरा करने मे तत्परता दिखायी गयी।

2 योजना – तकनीकी क्षेत्र के उद्यमियो को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से 1967 मे एक अनोखी परियोजना अस्तित्व मे आई जिसे योजना कहा गया। इसके अतर्गत न्यूनतम समता योगदान के बिना ही ऐसे लोगो को 100 प्रतिशत वित्त उपलब्ध कराया गया जो योगदान करने मे असमर्थ थे। इसमे ऐसे लोगो को शामिल किया गया जो तकनीकी रूप से शिक्षित थे। साथ ही साथ ऐसे लोगो को भी शामिल किया गया जो तकनीकी शिक्षा तथा बुद्धि के धनी थे परन्तु उन्होने कोई तकनीकी शिक्षा नही प्राप्त की थी। बाद मे इस योजना के अतर्गत औद्योगिक गतिविधियो से सबध रखने वाले व्यक्तियो को भी शामिल किया गया जैसे– प्रबध विशेषज्ञ,Chartered Accountant लागत विश्लेषक इत्यादि।

3 कारीगरो तथा शिल्पियो के लिए वित्तीय सुविधा– प्रारभिक दौर मे भारतीय स्टेट बैक द्वारा आधुनिक क्षेत्र मे स्थिर लघु उद्योगो पर अधिक ध्यान दिया गया परन्तु ग्रामीण क्षेत्रो मे शाखाओ के विस्तार के साथ ही भारतीय स्टेट बैक का ध्यान ग्रामीण उद्योगो तथा कारीगरो के वित्तीयन की तरफ भी गया। ग्रामीण उद्योगो तथा शिल्पकला को पोषित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1962 से Rural Industries Project को अस्तित्व मे लाया गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के मध्य असमानता को दूर किया जा सके। 1969 मे बैक द्वारा एक विशेष योजना लाई गई जिसमे ग्रामीण औद्योगिक परियोजना मे लगे कारीगरो और शिल्पियो को सरकार की सहायता से 7500 रू0 तक की उदार साख सहायता दी गयी। इस योजना की प्रमुख विशेषताए निम्नलिखित थी–

a. इसकी शर्तों और परिस्थितियो मे सरलता।

b वित्तीय प्रक्रिया मे सरलता तथा वसूली मे सरलता।

c योग्य कारीगरो का चुनाव करने मे तथा वसूली मे बैंक और सरकार के मध्य समन्वय।

4 रोजगार योजना इस योजना के द्वारा देश मे रोजगार की क्षमता बढाने के उद्देश्य से बैक ने 1971 से लघु स्तरीय आर्थिक गतिविधियो का वित्तीयन प्रारभ कर दिया गया जिसके अतर्गत खादी उद्योग, जूता–चप्पलो का निर्माण, डालिया आदि का निर्माण शामिल है। 5 प्रतिशत वार्षिक की अत्यधिक रियायती दर पर उत्पादन गतिविधियो से सबधित समाज की कमजोर विभागो को वित्त उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा Differential Interest Rates Scheme अस्तित्व मे लायी गयी जिससे कि लघु उद्योगो और ग्रामीण शिल्पकारो को प्रोत्साहन मिला।

ग्रामीण उद्योगो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और बडी मात्रा मे ग्रामीण कारीगरो तथा शिल्पकारो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा 1977 मे अपने प्रत्येक स्थानीय मुख्य कार्यालय मे ग्रामीण उद्योग विभाग की स्थापना की गयी। ग्रामीण उद्योगो के विकास मे लगी एजेन्सियो की सहायता से ये विभाग ग्रामीण उद्योगो को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की योजनाओ को प्रस्तुत करते हैं तथा उन परियोजनाओ के क्रियान्वयन मे सहायता प्रदान करते है।

बैंको द्वारा लघु क्षेत्र के उद्योगो की ओर ध्यान आकर्षित होने के साथ–साथ उन्हे तकनीकी तथा प्रबधकीय शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गयी। अत बैंक द्वारा 1973 मे ऋणदाताओ को ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिये अपने स्थानीय मुख्य कार्यालयो मे Technical Consultancy Cells की स्थापना की गयी। इस उद्देश्य के लिए बैंक के तकनीकी तथा प्रबधकीय योग्यता रखने वाले अधिकारियो द्वारा योग्य व्यक्तियों को चयनित किया जाता है। इन अधिकारियो को विभिन्न विषयों पर एक से दो वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये बैंक ने प्रतिदिन व्यापारिक संस्थाओं तथा औद्योगिक परामर्श सगठनों से

समझौता किया है। इन विषयो के अतर्गत वित्तीय विश्लेषण, वित्तीय प्रबध, उत्पादन नियोजन तथा नियत्रण, बजटरी नियत्रण, लागत तथा विपणन इत्यादि को शामिल किया गया है।

बैक द्वारा कराये गये सर्वेक्षणो ने परामर्श विभाग की आवश्यकता को उजागर किया है। इस विभाग के अधिकारियो द्वारा व केवल जरूरतमद उद्यमियो को परामर्श दिया जाता है। बल्कि बैक द्वारा लघु उद्यम से सबधित तथ्यो जैसे लघु उद्यम प्रबध (जिसमे Accounting System का रख–रखाव इत्यादि शामिल है) आदि विषयो पर बुक्लेट भी प्रकाशित किया जाता है।

प्रोत्साहन तथा विकास प्रदान करने वाली गतिविधियॉ– वित्त प्रदान करने के अतिरिक्त SIDBI विकास तथा लघु उद्योगो को सुदृढ करने सबधी सेवाए भी लघु उद्यम क्षेत्र को प्रदान करता है। बैक द्वारा उठाये गये ऐसे कदम एक ओर तो लघु क्षेत्र की ईकाइयो के सगठन को और सुदृढ बनाते है तो दूसरी ओर ये रोजगार के अवसर प्रदान करते है तथा ग्रामीण लोगो की आर्थिक स्थिति मे भी सुधार लाते है।

(1) उद्यम प्रोत्साहन

a. ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम

b महिला विकास निधि

c उद्यमिता विकास कार्यक्रम

d. प्रचार तत्र

(2) मानव ससाधन विकास

(3) तकनीकी सुधार

(4) वातावरण तथा गुण प्रबध

(5) सूचना प्रसार

वित्त सम्बन्धी कठिनाई इन छोटे–2 उद्योगों की एक प्रमुख समस्या रही है। अतएव वित्त सम्बन्धी सुविधाये बढाने के लिए विभिन्न दिशाओ मे कार्य किया जा रहा है। लघु

उद्योगो उपलब्ध वित्तीय साधनो को दो वर्गो मे विभक्त किया जा सकता है।

A. गैर सस्थागत स्त्रोत – **(Non Institutional Sources):** स्वामित्व पूँजी एव ऋण पूँजी दोनो ही प्रकार की पूँजी की व्यवस्था व्यक्तिगत साधनो से की जाती है। एकाकी एव साझेदारी सगठनो मे स्वामी अथवा साझेदारी कुछ सीमा तक अपनी निजी पूँजी का विनियोग करते है, जिनके द्वारा भूमि एव मशीनो, आदि के रूप मे कुछ स्थिर सम्पति की व्यवस्था की जा सके। प्राइवेट तथा पब्लिक लिमिटेड रूपी सगठन की दशा मे अश–पूँजी जोखिम पूँजी का कार्य करती है। और इसी आधार पर ऋण पूँजी की व्यवस्था की जा सकती है। अत इसका व्यवसाय के सगठन मे विशेष महत्व होता है।

अल्प अवधि के ऋण दर्शनी हुण्डियो के आधार पर दिये जाते है जो प्राय एक माह की होती है। अधिक अवधि के ऋण के स्थिर सम्पत्ति की जमानत पर प्रदान किये जाते है। साहूकारो एव महाजनो के अतिरिक्त बिचौलिये व्यापारी लघु उद्योगो को वित्तीय सहयोग प्रदान करते है और इस प्रकार उनकी कार्यशील पूँजी की बहुत सी आवश्यकताओ की पूर्ति इनके द्वारा हो जाती है। माल के विक्रय मे भी बिचौलिये व्यापारी पर्याप्त सहायता देते है। लघु उद्योगो को व्यक्तिगत सूत्रो से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, इसका सही अनुमान लगाया जाना सम्भव नही है, क्योकि इस विषय मे विश्वस्त सूचनाओ का अभाव है।

फिर भी स्टेट बैक एव अन्य वित्तीय सस्थाओ द्वारा लघु उद्योगो की कार्यशील पूँजी के लिये दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋणो की अपर्याप्तता से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कि लघु उद्योगो को प्राप्त होने वाले, महाजनो, साहूकारो, बिचौलियो एव व्यापारियो का भाग आज भी बहुत अधिक है।

देशी साहूकारो की उपयोगिता मे वृद्धि करने के लिए विभिन्न समितियो ने इनके सगठन एव कार्य–सचालन मे उचित परिवर्तन किये जाने के सुझाव समय–समय पर दिये है। कुछ बडे साहूकारो अथवा उनके द्वारा सगठित फर्मो को रिजर्व बैंक से सम्बद्ध किये जाने का सुझाव भी दिया गया है, किन्तु इनकी सख्या इतनी अधिक है तथा इनके सगठन एव

कार्य–सचालन के तरीको मे इतना अधिक अन्तर है कि इस सुझाव को कार्यरूप मे परिणत करना सम्भव नही हो सका है।' साहूकारो के वित्तीय साधन अत्यन्त सीमित है।

भारत के कुछ भागो मे लघु उद्योगो ने जनता का विश्वास प्राप्त कर जन–निक्षेपो को आकर्षित करने मे सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए, बम्बई एव दक्षिण के कुछ क्षेत्रो मे लघु उद्योगपति आकर्षक ब्याज दर देकर जनता का रूपया अपने यहॉ जमा रखते है। किन्तु जहॉ तक इस साधन की उपयोगिकता का प्रश्न है, यह वित्त प्राप्ति का एक अविश्वसनीय साधन है, क्योकि आवश्यकता के समय मे जब वित्त की अधिक आवश्यकता होती है तो यह साथ छोड देता है। जब तक सस्था सम्पन्नता की स्थिति मे होती है तथा इन्हे आकर्षित करने के लिए ऊँचा ब्याज देती रहती है, जन–निक्षेप सहायक होते है। किन्तु जैसे ही सस्था मे कोई सकट उपस्थित हो जाता है, जमाकर्ता अपनी राशि वापस मॉगने लगते हे और इस प्रकार वे सस्था की स्थिति को और अधिक सकटपूर्ण बना देते हे।

1 <u>देशी बैकर</u> :- केन्द्रीय बैकिग ऋण समिति 1929 के अनुसार इम्पीरियल बैक, विनिमय बैक व्यापारिक बैक तथा सहकारी साख समितयो को छोडकर वे सभी व्यक्ति, जो हुण्डियो का व्यवसाय करते है तथा जनता से रूपये का लेन देन करते है, देशी बैंकर कहलाते है। देशी बैकर कोई भी व्यक्ति है या व्यक्तिगत फर्म है जो ऋण देने के साथ जमा पर रूपया स्वीकार करता है या हुण्डियो का व्यापार करता है या दोनो का कार्य करता है।

इन बैकरो को महाजन या साहूकार भी कहा जाता है। समय–समय पर ऋण देता है इन साहूकारो या महाजनो के कार्य करने के ढग सरल होते है यह अल्पकालीन माध्यमकालीन एव दीर्घकालीन तीनो प्रकार के ऋण होते है। ऋण जमानत लेकर या बिना जमानत दोनो प्रकार से दिये जाते है। यदि इनके ब्याज समय पर मिलता रहता है तो यह मूलधन की वापसी पर अधिक जोर नही देते हैं। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार इन साहूकारो एव महाजनो का कृषि वित्त मे महत्वपूर्ण स्थान रहा है, परन्तु अब इनके महत्व मे कमी आ गई है। फिर भी आजकल यह कृषि वित्त की लगभग 25

आवश्यकताओ की पूर्ति करते हैं।

देशी बैकर बहुत अधिक ब्याज दर से ऋण लेते हैं जो सामान्यत 18 प्रतिशत से लेकर 36 प्रतिशत तक होते है लेकिन ऋणी ऋण की रकम किस्तो मे चुकाता है तो ब्याज की दर 40 प्रतिशत तक पहुँच जाती है। साहूकार ऋण देते समय पूरे एक वर्ष की ब्याज अग्रिम रूप मे लिखा है कि साहूकरो के लेन देन का ढग इस प्रकार का है कि एक बार उनसे ऋण लेने पर छुटकारा पाना कठिन है। अत सरकार ने इन पर नियन्त्रण लगा दिये है जिनके अनुसार प्रत्येक साहूकार एव महाजन को इस प्रकार का व्यवसाय करने पर रिजर्व बैक से अनुमति पत्र लेना पडता है।

2 <u>बिचौलिए</u>— बिचौलिए व्यपारी एव कमीशीन एजेण्ट भी लघु उद्योगो को ऋण प्रदान करते है।माल के लिये अग्रिम राशि का भुगतान एव कच्चे माल के उधार विक्रय आदि के द्वारा ये बिचौलिए उद्योगो को वित्तीय सहायता करते है।

3 <u>रिश्तेदार</u> **:-** लघु उद्योगो को आवश्यकता पडने पर रिश्तेदार एव मित्र भी नकद या वस्तुओ के रूप मे उधार प्रदान करते है। ये साख आपसी सम्बन्धो के आधार पर अनौपचारिक ढग से लिये जाते है। ऐसे साख पर ब्याज दर शून्य या मामूली होती है। लघु उद्योगो को व्यक्तिगत साधनो से प्राप्त सहायता के लिये प्रमुख सूचनाओ का आभाव रहा है।

4 <u>जन निक्षेप (**Public Deposits**)</u>**:-** भारत के कुद्द भागो मे लघु उद्योगो ने जनता का विश्वास अर्जित करके जन निक्षेपो को आकर्षित करने मे सफलता प्राप्त की है। मुम्बई, अहमदाबाद एव शोलापुर की लघु सूती मिले आर्कषक ब्याज दरे प्रदान करके जनता का रूपया अपने पास जमा कर लेती है। यह स्त्रोत मात्र अच्द्दे समय का साथी रहा हैं।

संस्थागत स्त्रोत

1 **वाणिज्यिक बैक (Commercial Banks):-** 1950–51 तक अखिल भारतीय स्तर पर लघु उद्योग वित्तीयन मे वाणिज्यिक बैंको का योगदान बहुत कम था। लेकिन अब धीरे–धीरे योगदान बढ रहा है। वास्तव मे लघु उद्योगो की लाभदायकता मे कमी, अप्रभावी प्रबन्ध, जोखिम पूँजी की कमी, अपर्याप्त हिसाब किताब, उचित जमानत का अभाव होने के कारण वाणिज्यिक बैक अधिक सहयोग नही कर सके। फिर भी राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैक के निर्देशन मे 'लीड बैक' योजना के माध्यम से वाणिज्यिक बैंक विशिष्ट तरीके से योगदान कर रहे हैं।

पहले व्यापारिक बैंक लघु उद्योग के विकास मे कोई महत्वपूर्ण योगदान नही देती थी, लेकिन 14 व्यापारिक बैंको का 1969 को एव 6 बैंको का 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात् इन बैको के द्वारा अब कृषि वित्त मे योगदान दिया जाने लगा है। यह बैक अल्पकालीन एव मध्यकालीन दोनो प्रकार के ऋण प्रदान करती है। 1999–2000 वर्ष मे इन सभी व्यापारिक बैंको ने 2,588 करोड रूपये की साख वितरित किया। विगत कुछ वर्षों मे भारतीय बैको के निक्षेपो मे भारी वृद्धि हुई है। 1951–52 मे अनुसूचित बैको के कुल निक्षेप 8,806 करोड रूपये हो गये। इसका मुख्य कारण मुद्रा की मात्रा मे वृद्धि होना है।

पिछले कुछ वर्षों मे इन बैंको के अग्रिम मे भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1950–51 मे अनुसूचित बैको के अग्रिमो की कुल मात्रा 546 93 करोड रूपये थी जो बढकर 3 जनवरी 1997 को 2,63,240 करोड रूपये हो गई। 1950–51 मे ये बैंक अपनी कुल जमाओ का लगभग 62 प्रतिशत अग्रिमो मे लगाते थे, अब यह प्रतिशत बढकर 67 प्रतिशत हो गया। 1969 मे 14 बडे बैंको का तथा 15 अप्रैल 1980 के 6 बैंको के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप किसान एव उद्योग पतियो को दिये जाने वाले अग्रिम की राशि मे वृद्धि हुई है।

तरलता का अर्थ है माग होने पर नकद रूपये देने की क्षमता। स्पष्ट है कि नकद कोष बैंक का सर्वाधिक तरल साधन है, किन्तु इससे बैंक को कोई आय प्राप्त नही होती है। नकद

कोष से चूकि वाणिज्य बैको को कोई लाभ नही मिलता है। इसलिए इस कोष मे न्यूनतम आवश्यक राशि ही रखी जाती है। वाणिज्य बैको द्वारा दिया गया उधार एव अग्रिम (Loans and Advances) इनकी सर्वाधिक लाभदायक सम्पत्ति है। उधार एव अग्रिम व्यवसायियो को अधिविकर्ष (Overdraft) या विनिमय बिलो की कटौती के माध्यम से दिया जाता है।

भारतीय बैकिग का एक महत्वपूर्ण पहलू सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता है। भारतीय स्टेट बैक तथा इसके साथ सम्बद्ध बैक तथा 20 राष्ट्रीयकृत बैको का कुल जमाओ एव ऋणो मे करीब 90 प्रतिशत हिस्सा है। भारतीय ग्रामीण साख की बढती हुई आवश्यकताओ को देखते हुए 12 जुलाई 1982 को कृषि ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक (NABARD) की स्थापना की गई। इसने रिजर्व बैक के कृषि वित्त सम्बन्धी तथा कृषि पुनर्वित विकास निगम के पुनर्वित्त कार्य का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। वाणिज्य बैक उद्योगो के लिए विकास वित्त (Development Finance) का प्रावधान नही कर सकता। क्यो कि इस वित्त की आवश्यकता दीर्घ कालीन है।

वाणिज्य बैको के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैक राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निजी क्षेत्र के बैक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते है। भारतीय स्टेट बैक भी वस्तुत सार्वजनिक क्षेत्र का बैक है। वाणिज्य बैक के तुलना पत्र (Balance Sheet) मे बायी ओर दायित्व (Liabilities) तथा दायी ओर सम्पत्ति (Assets) को दिखाया जाता है। तुलना पत्र से यह जानकारी मिलती है कि वाणिज्य बैको को तीन स्त्रोतो से कोष प्राप्त होता है।

1 प्रदत्त पूँजी यह अशधारियो द्वारा दी गई हिस्सा पूँजी है।

2 रिजर्व बैक यह अवितरित लाभ है।

3 जमा – लोगो का जमा बैक के कोष का सबसे बडा स्त्रोत है। इन सभी स्त्रोतो से प्राप्त कोष बैक का दायित्व है क्यो कि इन्हे इनके स्वामियो को लौटाना होता है। ऐसे दायित्वो को वाणिज्य बैक उधार देकर उन्हे सम्पत्ति मे बदल देता है। बैक ठीक ढग से कार्य कर रहा है। इसकी जानकारी इसके सम्पत्ति के वितरण की रचना से ही मिल सकती है।

चूकि वाणिज्य बैक अशधारियो (Share Holders) का बैंक है अत इसे अशधारियो के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहिए। लाभ आय या प्राप्ति तथा लागत का अन्तर है। इसी अन्तर को अधिकतम करने पर लाभ अधिकतम होगा। बैक की लागत मे कर्मचारियो का वेतन, मकान का किराया तथा जमा पर दिया गया ब्याज आदि शामिल है।

बैको को अधिकाश कोष लोगो की जमा द्वारा ही प्राप्त होता है। लोग अपनी बचत को बैक मे तभी तक जमा करते है जब तक उन्हे विश्वास रहता है। कि माग होने पर बैक अपने नकद की आवश्यकता को पूरा करते रहेगे। इस प्रकार सम्पत्ति का वितरण करने समय बैक को लाभदायकता तथा तरलता के मध्य का सघर्ष का सामना करना पडता है। भारत मे वाणिज्य बैंक को अनुसूचित (Scheduld) तथा गैर अनुसूचित (Non-Scheduld) बैको मे भी विभाजित किया गया है। रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया अधिनियम के लागू होने के साथ ही यह विभाजन भी किया जाने लगा। इस अधिनियम के अनुसार अनुसूचित बैक वे बैक है जिन्हे रिजर्व बैक ने अपनी तालिका मे शामिल कर लिया है। तालिका मे शामिल करने के लिए इन्हे निम्न शर्तें पूरी करनी पडती है–

1 इन बैंको की प्रदत्त पूँजी (Paid up Captital) तथा आरक्षित कोष (Reserves) का योग 5 लाख रूपयो से कम नही होना चाहिए।

2 कम्पनी अधिनियम 1956 मे परिभाषित कम्पनी के अनुसार ही इसे कम्पनी या राज्य सहकारी बैक का होना चाहिए।

3 रिजर्व बैक को ऐसा विश्वास होना चाहिए कि इन बैको की समस्त कार्यविधियो का सचालन जमाकर्ताओ के हितो को ध्यान मे रखते हुए किया जा रहा है।

एक ससोधन द्वारा मार्च 1966 से राज्य सहकारी बैंक की तालिका 2 मे सम्मिलित कर लिए गये है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैक की तालिका 2 मे शामिल कर लिये जाते है। तालिका 2 में शामिल कर लेने से रिजर्व बैक इन अनुसूचित बैको को कुछ सुविधाएँ प्रदान करता है। जैसे रिजर्व बैक से उधार

प्राप्त विदेशी विनिमय व्यवसाय के लिए अधिकृत व्यापारी का लाइसेन्स आदि। इसके बदले मे अनुसूचित बैंको को नकद कोष के रूप मे अपनी जमाओ को एक निर्धारित भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होता है।

अनुसूचित बैको के विपरीत, गैर अनुसूचित बैक वे हैं जिन्हे रिजर्व बैक ने अपनी तालिका 2 मे शामिल नही किया है। इन बैको की प्रदत्त पूँजी तथा आरक्षित कोष का योग 5 लाख रूपये से कम होता हैं। तालिका 2 मे शामिल नही होने के कारण इन बैको को रिजर्व बैक से वे सुविधाएँ प्राप्त नही होती जो अनुसूचित बैको को मिलती है। जून 1982 के अन्त मे केवल 4 गैर अनुसूचित बैक थे जब कि 1960 के अन्त मे 335 तथा 1969 के अन्त मे 14 थे। कुल बैकिग का व्यवसाय का नगण्य भाग इन बैको के द्वारा किया जाता है। 1981 के अन्त मे इनका जमा 10 करेाड से भी कम था। जबकि अनुसूचित बैको का कुल जमा 43,432 करेाड रूपया था।

वाणिज्य बैक औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक दीर्घकालीन पूँजी प्रदान करने मे सक्षम नही है। अत आवश्यक समझा गया है। कि कुछ ऐसी विशिष्ट वित्तीय सस्थाएँ होनी चाहिए जो नये उद्योगो की स्थापना के लिए आवश्यक पूँजी प्रदान कर सके, इसलिए विकास बैंको की स्थापना की गयी। इन्हे सर्वाधिक सस्थाएँ (Terng Lendıng Instıtutıons) भी कहा जाता है, क्यो कि ये मध्यम एव दीर्घकालीन वित्त उद्योगो को प्रदान करती है। ऐसी कुछ प्रमुख सस्थाएँ निम्नलिखित है–

1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrıal Fınance Corporatıon of Indıa)
2 भारतीय औद्योगिक विकास बैक (Industrıal Development Bank of Indıa)
3 भारतीय औद्योगिक साख एव विनियोग निगम (Industrıal Credıt and Investment Corporation of India)
4. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India)

5 भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैक

(Industrıal Reconstructıon Bank of Indıa)

6 राज्य वित्त निगम (State Fınancıal Corporatıon)

7 राज्य औद्योगिक विकास निगम (State Industrıal Development Corporatıon)

8 आधारिक सरचना विकास वित्त निगम (Infrastructure Development Fıanance Corporatıon)

19 जुलाई 1969 को सरकार ने 14 वाणिज्य बैंको का राष्ट्रीयकरण किया। अप्रैल 1980 मे 6 अन्य वाणिज्य बैंको का राष्ट्रीकरण सार्वजनिक क्षेत्र मे बैकिग व्यवस्था का प्रारम्भ हुए। राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैको की शाखाओ मे अभूतपूर्व वृद्धि हुई। विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रो मे तथा उन क्षेत्रो मे जहॉ पहले बैंक नही थे। जून 1969 मे वाणिज्य बैको की शाखाओ की सख्या 8,262 थी जो 30 जून 1998 मे बढकर 64,280 हो गयी। इसलिए जहॉ जून मे 1969 मे वाणिज्य प्रति बैक औसत जनसख्या 65,000 थी वहॉ जून 1998 मे यह जनसख्या घटकर 10,000 से कम रह गई। बैंक की साखा मे वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे बडे पैमाने पर इन शाखाओ के खुलने पर वाणिज्य बैंको की जमाओ की मात्रा मे वृद्धि हुई है। सभी अनुसूचित बैको का जमा 1970–71 मे 5,910 करेाड रूपये था उसी तरह बैक साख की मात्रा भी 1970–71 के 4,685 करोड रूपये से बढकर 1980–81 मे 25,270 करेाड तथा 20 नवम्बर 1998 को 3,36,124 करोड रूपये हो गयी।

आरम्भिक काल मे कृषि के असगति स्वरूप तथा उत्पादन मे व्याप्त अनियमितता के कारण व्यापारिक बैको ने ग्रामीण साख के क्षेत्र मे रूचि नही दिखायी और उनका ध्यान औद्योगिक क्षेत्र पर केन्द्रित रहा। इसके परिणाम स्वरूप 1950–51 मे ग्रामीण साख मे व्यापारिक बैको का योगदान केवल 0.9 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रो में प्रदान किये ऋणो मे भी तेजी से वृद्धि हुई। 1969 मे 40 करोड रूपये (1.3 प्रतिशत) से बढकर यह राशि मार्च 1997 मे 25,962 करोड रूपये (13.2) प्रतिशत हो गयी।

राष्ट्रीयकरण के बाद से ग्रामीण क्षेत्रो मे व्यापारिक बैको की शाखाओ तथा ग्रामीण वित्त मे इसके हिस्से मे काफी वृद्धि हुई है। तेजी से हुए इस विस्तार के कारण बैको के कामकाज तथा सेवा के स्तर मे गिरावट आई है। बैंको के विस्तार के समय बैंको की शाखाओ के भौगौलिक प्रसार पर ध्यान नही दिया गया। बैंको द्वारा प्रदत्त ऋणो की भी कही स्थिति रही। जहाँ देश के दक्षिणी क्षेत्र मे ही 50 प्रतिशत से अधिक ऋण दिये गये। वही अन्य सभी क्षेत्रो का सम्मिलित हिस्सा 50 प्रतिशत कम रह गया। सातवी योजना के दस्तावेज के अनुसार ऋणो की वसूली की स्थिति अच्छी नही है। यदि इस प्रवत्ति पर रोक नही लगाई गयी और बैक दुर्लभ साधन प्रदान करने के स्त्रोत न रहकर अनुदान देने वाली सस्था बन कर रह गये तो बैको को भविष्य मे ऋण प्रदान करने की क्षमता अत्यधिक सीमित हो जायेगी।

जुलाई 1996 मे बैंको के पास कुल जमा राशि 4665 करोड रूपये थी जो मार्च 1999 मे 7,01,871 करोड रूपये की गई। जमा राशि मे इस तीव्र वृद्धि मे ग्रामीण क्षेत्रो का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन वर्षो मे यद्यपि शहरी एव अर्द्ध–शहरी क्षेत्रो भी जमा राशियो मे तेज वृद्धि हुई है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रो मे जमा का हिस्सा बढा है। बैंको की जमा राशि मे ग्रामीण क्षेत्र के हिस्से मे वृद्धि तथा इन क्षेत्रो का झुकाव मियादी जमा की ओर होने के कारण बैको की कुल जमा मे मियादी जमा का हिस्सा बचा जमा की तुलना मे अधिक गति से बढा है।

जुलाई 1996 मे कुल बैंक साख की राशि 3,399 करोड रूपये थी जो 28 मार्च 1999 को बढ कर 3,89,460 करोड रूपये हो गई। अर्थात राष्ट्रीयकरण के बाद से इसमे लगभग 115 गुने की वृद्धि हुई है। लेकिन इस सन्दर्भ मे ध्यान देने योग्य बात यह है कि बैक जमा राशियो मे वृद्धि के अनुपात मे साख मे वृद्धि नही हुई है। यही कारण है कि साख जमा राशि अनुपात 1967 के 768 से गिरकर मार्च 1999 मे 53.4 हो गई है।

बैंक साख के क्षेत्र मे दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि लघु उद्योग एव अन्य प्राथमिक क्षेत्रो को बैंक साख की कुल बैंक साख में बढती हुई हिस्सेदारी है। राष्ट्रीयकरण के पूर्व इन क्षेत्रो को बैंक साख का नितान्त अभाव था जबकि मार्च 1999 में इन क्षेत्रो का हिस्सा कुल बैंक साख

मे 43 5 प्रतिशत हो गया। वस्तुत बैको के राष्ट्रीकरण को प्रमुख उद्देश्य मे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रारम्भिक क्षेत्रो को बैक साख उपलब्ध कराना भी था।

बैको के राष्ट्रीयकरण के बाद से शाखाओ के विस्तार, जमाराशियो के सग्रह, बैंक साख की उपलब्धता की दृष्टि से बैकिग सेवाओ मे महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्रो को साख की उपलब्धता तथा ग्रामीण क्षेत्र मे साखाओ के विस्तार मे भी पर्याप्त प्रगति हुई है। इन उपलब्धियो के बावजूद बैकिग क्षेत्र के विस्तार के कुछ नकारात्मक पक्ष रहे है। जिनकी उपेक्षा नही की जा सकती है।

निर्देशित निवेश (Dırected ınvestment) तथा निर्देश साख कार्यक्रम (Dırected Credıt Programmes) के कारण बैंको की लाभप्रदत्ता मे कमी आयी है। बैंक के बढते हुये व्यय के कारण इनमे और अधिक कमी हुई है। यही कारण है कि 1992–93 मे घोषित नए मानदण्डो के अनुसार इस वर्ष सभी बैको की कार्यशील निधि के अनुपात मे लाभ ऋणात्मक (–11प्रतिशत) थे। 1993–94 मे इनमे और वृद्धि हुई जबकि 1994–95, 1995–96 तथा 1996–97 मे क्रमश 0 4 प्रतिशत, 0 2 प्रतिशत तथा 0 2 प्रतिशत रहा। इन वर्षो मे भारतीय स्टेट बैंक तथा सहयोगी बैंक तथा कुछ अन्य बैंको ने ही शुद्ध लाभ कमाये। शेष बैंक को हानि उठानी पडी है।

मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण तथा भारतीय रिजर्व बैंको से केन्द्र सरकार द्वारा लगातार किये जाने वाले ऋणो के कारण नकद कोष अनुपात (Cash Reserve Ratio) तथा वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Lıquıdıty Ratıo) को ऊँचे स्तर पर रख गया जिसके कारण जहॉ एक ओर बैको की साख सृजन की क्षमता प्रभावित हुई है। वही बैंको को कम ब्याज दर वाली सरकारी तथा अन्य वित्तीय सस्थाओ की प्रतिभूतियो मे निवेश करना पडा। इससे इनकी लाभप्रदता प्रभावित हुई।

प्राथमिक क्षेत्रो को साख उपलब्ध कराने मे भी बैंको को उच्च्व लागत का सामना करना पडा है। इन क्षेत्रो मे विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत ऋण प्रदान करते समय बैकिंग के मूलभूत

सिद्धान्तो की ओर ध्यान नही दिया गया। तथा प्रतिभूतियो की ओर ध्यान दिये बिना ऋण दिये गये, जिनकी वसूली की दशा अच्छी नही रही। इन सब कारणो से जहॉ बैंको को हानि उठानी पडी, वही उनकी सेवाओ की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। इन्ही अनुभवो के आधार पर नरसिम्ह समिति ने प्राथमिक क्षेत्रो को दी जाने वाली साख का लक्ष्य कुल साख के 40 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।

1995–96 मे सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैको मे से शुद्ध लाभ अर्जित करने वाले बैंको की सख्या केवल 19 थी। 1998–99 मे शुद्ध लाभ अर्जित करने वाले बैको की सख्या बढकर 25 हो गयी। 1995–96 मे सभी 27 बैको को कुल मिलाकर 367 37 करोड रूपये की हानि हुई थी। 1998–99 मे स्थिति मे परिवर्तन हुआ। और सभी बैंको ने कुल मिलाकर 3257 97 करोड रूपये का लाभ अर्जित किया।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भारतीय बैकिग क्षेत्र मे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन आर्थिक, सामजिक एव राजनीतिक क्षेत्र मे हुए। 1996 से 1998 के मध्य व्यापारिक बैंको ने धनात्मक परिणाम दिये। वर्ष 1996 मे बैंको की कुल शाखएँ 8262 थी।

योजनाकाल मे दीर्घ काल तक व्यापारिक बैको की सख्या कमी की प्रवृत्ति रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की यह नीति रही है। कि कमजोर एवं अक्षम बैंको का बडे बैंको के साथ विलयन कर दिया जाये। विलयन एव समूहीकरण की इस नीति के कारण बैंको की सख्या मे तीव्र कमी आई। विशेष कमी 1951 से 1974 की अवधि मे आई। इस अवधि मे व्यापारिक बैको की सख्या 566 से घटकर 83 हो गयी। विशेष कमी गैर अनुसूचित बैको की सख्या मे कमी से सम्बद्ध रही है। उक्त अवधि मे इनकी सख्या 474 से घटकर केवल 9 रह गयी। 1947 के बाद अनुसूचित बैंको की सख्या बढी है, परन्तु गैर – अनुसूचित बैंको की सख्या मे नितात कमी होती रही। 1976 के बाद व्यापारिक बैंकों की सख्या मे लगातार वृद्धि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना के बाद हुई।

तीव्र आर्थिक एव सामाजिक विकास के लिए बैकिग प्रणाली को एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप मे अपनाया गया। यह प्रयास 1970 से 'लीड बैंक' स्थापित करके आगे बढाया गया। लीड बैक योजना राज्यो एव जिलो मे शाखा विस्तार की दृष्टि से बहुत ही प्रभावशाली रही। वर्ष 1976 मे ग्रामीण विकास के पटल पर तीव्र परिवर्तन के साथ सरकार ने निर्यात एव आयात बैंक (Exim Bank) एव कृषि एव ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (NABARD) वर्ष 1982 मे स्थापित किया गया।

अनुसूचित वाणिज्य बैको के कार्य कलापो से यह पता चलता है कि 1990–91 मे अधिक काम काज के दौरान समग्र जमा राशियो एव बैक ऋण दोनो मे ही वृद्धि ऊँची रही है। निम्न तालिका से सफल बैंक ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन का विवरण इस प्रकार है –

(करोड रूपये)

		1992–93	1997–98
A.	एकता बैक ऋण	21,134	41,292
	(i) सार्वजनिक खाद्य प्राप्ति	2,073	4,888
	(ii) सफल खाद्य भिन्न ऋण	19,061	36,404
	1 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1,806	3,427
	2 मध्यम एव भारी उद्योग	11,546	14,926
	3 थोक व्यापार	815	877
	4 अन्य क्षेत्र	2,293	5,974
B.	निर्यात ऋण	5,062	3,939

देश की लघु औद्योगिक इकाइयो को वित्त प्राप्त करने की कठिनाई के निदान हेतु सुझाव देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने 1991 मे श्री पी. आर. नायक की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया। समिति ने लघु आकारीय औद्योगिक इकाइयों के लिए

सस्थागत वित्त के अपेक्षाकृत अधिक प्रवाह की आवश्यकता पर बल दिया ताकि लघु उद्यमकर्ता यह अनुभव कर सके कि बैंक उनकी आवश्यकतओ के प्रति सजग है। समिति ने सुझाव दिया कि नाबार्ड (NABARD) एव सिडबी (SIDBI) को लघु औद्योगिक इकाइयो को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि लघु औद्योगिक इकाइयो के लिए अम्बुसमान (ABBUSMAN) पद्धति का प्राधिकरण निर्मित्त किया जाना जाहिए।

Bank Credit to SSI Sector

(Rs. Crores)

Year end March	Net Bank Credit	Credit to industry	Credit to SSI	Percentage Share of SSI
1991	1,16,301	6,1576	17,118	14 72
1992	1,23,161	65,240	17,830	14.47
1993	1,51,982	78,662	2,0026	13 17
1994	1,64,418	80,482	27,620	13.75
1995	2,11,560	1,02,953	27,612	13 05
1996	2,54,015	1,24,937	31,726	12.49
1997	2,78,402	1,38,548	34,113	12 25
1998	3,24,079	1,61,048	43,508	13 43
1999	3,68,837	1,78,799	48,483	17 88

लघु उद्योगो को वित्तीय सहायता देने के साथ ही मिन्दे व्यापारिक बैंकों ने प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत साख प्रदान की है। ये बैंक लघु स्तरीय उद्योगों को अधिक सरलता से ज्यादा साख प्राप्त हो सके । जिसके लिए बैंकों को यह सलाह दी गयी कि वे उन उद्योगो

की क्रियाशीलता की आवश्यकता के आकलन मे सरल दृष्टिकोण अपनाये।

2. राज्य वित्तीय निगमे **(State Financial Corporations)**-भारत सरकार द्वारा सन् 1951 मे पास किये गये राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के अन्तर्गत इन निगमो को विभिन्न राज्यो मे स्थापित किया गया है। अभी तक कुल 18 राज्य वित्त निगमो की स्थापना की जा चुकी है। इन निगमो का उद्देश्य छोटी एव मध्यम आकार की उन इकाइयो को दीर्घ कालीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जो औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) के कार्य क्षेत्र मे नही आती है। इसके अतिरिक्त समस्त राज्यो मे राज्य औद्योगिक विकास निगम (State Industrial Develpment Corporation) की स्थापना की जा चुकी है।

लघु इकाइयो को अधिक और उदार ऋण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सरकार ने "एक सस्था से ऋण लेने की योजना" (Single Window Scheme) शुरू की है। जिसके अन्तर्गत एक ही सस्था राज्य वित्त निगम या राज्य औद्योगिक विकास निगम से छोटे–छोटे उद्योगपति ऋण सम्बन्धी समस्त सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं।

राज्य वित्त निगम तीन प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं –

(i) औद्योगिक इकाइयो को 20 वर्ष तक अवधि के ऋण देकर।

(ii) कम्पनियो के अशो तथा ऋण पत्रो का अभिगोपन करके।

(iii) अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानो से प्राप्त होने वाले 20 वर्ष तक की अवधि के ऋणो की गारण्टी करके।

अखिल भारतीय वित्तीय सस्थाओ की भॉति राज्य स्तर पर भी लघु एव मध्यम आकार वाले उद्योगो को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 28 सितम्बर 1951 को राज्य वित्त अधिनियम पारित किया गया। वास्तव मे बडे उद्यमी तो अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओ से सम्पर्क कायम प्रबन्धन की स्थिति में होते हैं, जबकि लघु एव मध्यम उद्यमियो हेतु राज्य स्तरीय वित्त निगम स्थापित किये गये। राज्य वित्त निगम उन औद्योगिक वित्त निगम के कार्य क्षेत्र मे नही आते। वे मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियो के

अतिरिक्त सरकारी समितियो सयुक्त हिन्दू परिवारो, साझेदारियो एव एकाकी स्वामित्व वाली व्यावसायिक गृहो को ऋण दे सकते है। सबसे पहले 1953 मे पजाब वित्त निगम की स्थापना की गई। इस समय देश के 18 राज्यो (आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उडीसा, पजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एव पश्चिमी बगाल) मे राज्य वित्त निगमे कार्य कर रही हैं।

प्रत्येक राज्य वित्त निगम का प्रबन्ध एक सचालक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्यो की सख्या 10 होती हैं। सम्बन्धित राज्य सरकार 3 सचालक नियुक्त करती है। औद्योगिक वित्त निगम, रिजर्ब बैंक, अनुसूचित बैंके, अन्य वित्त सस्थाएँ एव अन्य अशधारी प्रत्येक एक एक सचालक नियुक्त करते हैं।

राज्य वित्त निगमो के वित्तीय साधन इस प्रकार हैं –

(A) अश पूँजी – राज्य वित्त निगम अधिनियम के अन्तर्गत राज्य निगमो की अधिकृत पूँजी की न्यूनतम सीमा 1 करोड रूपये एव उच्चतम सीमा 10 करोड रूपये निश्चित की गई। जिसे अब 50 करोड रूपये कर दिया गया है। राज्य वित्त निगमो की प्रदत्त पूँजी एवं न्यूनतम लाभाश के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारो द्वारा गारण्टी दी गयी है। राज्य वित्त निगम की अश पूँजी राज्य सरकार, रिजर्व बैक, औद्योगिक विकास बैंक, जीवन बीमा निगम एव अन्य वित्तीय सस्थाओ तथा सामान्य जनता द्वारा क्रय की जा सकती है।

(B) ऋण पत्र – राज्य वित्त निगम अपनी राज्य सरकार एव रिजर्व बैंक की सलाह पर ऋण जारी कर पूँजी एकत्रित करने का अधिकार रखते हैं।

(C) जमा राशि – राज्य वित्तीय निगम पूँजी प्राप्त करने के लिए जनता के निक्षेप एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसकी राशि सम्बन्धित वित्त निगम की चुकता पूँजी से अधिक नही होनी चाहिए।

राज्य वित्त निगम 20 वर्ष के लिए ऋण प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यह ऋण स्थायी सम्पत्ति के 50 प्रतिशत मूल्य तक दिये जा सकते है। यह निगम औद्योगिक सस्थाओ के अशो एव ऋण पत्रो के अभिगोपन का कार्य कर सकते हैं। इन निगमो ने 1998–99 मे 2,494 करोड रूपये के ऋण स्वीकृत किये हैं। जिसमे से उद्योगो ने केवल 21,23 करोड रूपये ही निकाले हैं।

1997–98 तक राज्य वित्त निगमो ने कुल 29,217 करोड रूपये के ऋण देना स्वीकार किया तथा 23,123 करोड रूपये के ऋण वितरित किये। 1997–98 मे इन निगमो ने कुल 2,911 करोड रूपये की सहायता देना स्वीकार किया।

यद्यपि इन निगमो द्वारा स्वीकृत एव वितरित वित्तीय सहायता मे लगातार वृद्धि हुई है लेकिन कुछ निगमो को छोडकर, शेष सभी मे दी जाने वाली वित्तीय सहायता सीमित है। इनकी ब्याज दर ऊँची है। तथा प्रतिभूति की शर्ते भी कडी है। जिससे छोटी इकाइयो को ऋण मिलना कठिन हो जाता है। राज्य वित्त निगमो की पूँजी एव ऋण देने की क्षमता मे वृद्धि करने की आवश्यकता है। इनकी पूँजी कम है। ऋणो की समानता के सम्बन्ध में निगमो का दृष्टिकोण कठोर है। अत ये पूर्ण जमानत पर ऋण स्वीकृत करते हैं। जिस कारण ये लघु उद्योगो के वित्तीयन पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नही कर पा रहे हैं। 31 मार्च 1997 को इन सभी निगमो के कुल पूँजी 1,157 करोड रूपये भी जब कि इनकी कुल हानियॉ 1,125 करोड रूपये थी।

3 राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैक **(National Bank for Agriculture and Rural Development)** : देश के कृषि एव ग्रामीण आवश्यकताओ की पूर्ति मे वृद्धि करने एवं लघु उद्योगो की वित्तीयन प्रोत्साहन हेतू राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक स्थापित करने का निर्णय दिसम्बर 1979 मे तत्कालीन प्रधानमन्त्री चौधरी चरण सिह के मन्त्रिमण्डल द्वारा लिया गया था। कृषि क्षेत्र को दिये जाने वाले ऋणो में वृद्धि और कमजोर वर्ग की सहायता के लिए कई योजनाएँ तैयार की गई है। इसी श्रृखला में 12 जुलाई 1982 को एक अधिनियम

के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई है। यह बैंक कृषि के उन्नयन लघु उद्योगो, गृह एव ग्रामोधोगो के सम्बन्ध मे नीति निर्धारण योजना एव क्रियान्वयन के सम्बन्ध मे सर्वोच्च सगठन है।

इस बैक की स्थापना के बाद से कृषि पुनवित्त एव विकास निगम (A R D E) के समस्त कार्य और रिजर्व बैक के कृषि–साख के मुख्य कार्य इस बैंक के अधीन हो गये। नाबार्ड की अधिकतम पूँजी 100 करोड रखी गयी है जो 500 करोड रूपये तक बढायी जा सकती है। इसकी पूँजी का आधा भाग केन्द्रीय सरकार ने और आधा भाग रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने दिया है।

कृषि एव ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैको की स्थापना एक शीर्षस्थ सस्था के रूप मे की गयी है। राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक ग्रामीण क्षेत्रो के विकास के लिए कृषि, लघु उद्योग उद्योग कि लिए पुनवित्त की व्यवस्था करना। भूमि विकास बैंको, अनुसूचित व्यापारिक बैंको, राज्य सहकारी बैको तथा ग्रामीण विकास बैंको के लिए 25 वर्ष तक के दीर्घ कालीन ऋणो की व्यवस्था करता है। नाबाड़ ने रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यो का दायित्व सम्भल लिया है। कृषि एव ग्रामीण विकास के सभी आयामो के लिए पर्याप्त धन एव तकनीकी जानकारी की व्यवस्था करता है।

कृषि एव ग्रामीण वित्त की शीर्ष संस्था होने के कारण ग्रामीण साख के क्षेत्र मे इसकी भूमिका अत्तयन्त महत्वपूर्ण है। 1982 मे स्थापना के बाद इसकी परिसपत्ति एव देयताओ मे वृद्वि हुई है। 1982–86 मे इस बैक की परिसम्पत्ति एव देयताऐ 6,596 करोड रूपये थी जो 1996–97 मे बढकर 22,571 करोड रूपये हो गयी। मौसमी कृषि आवश्यकताओ के लिये 1989–90 मे 2,807 करोड रूपये उपलब्ध कराये गये थे। 1997–98 मे यह राशि बढकर 5,185 करोड रूपये हो गयी। इसके अतिरिक्त अन्य अल्पकालीन आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये 1997–98 मे 1,060 करोड रूपये की राशि उपलब्ध कराई गयी।

निर्माणाधीन ग्रामीण आधारिक परियोजनाओ को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से 1995–96 के बजर प्रावधानो के अन्तर्गत एक ग्रामीण आधारिक सरचना विकास फण्ड (Rural Infrastructure DEvelopment Fund RIDF) की स्थापना की गई है। 1995–96 मे नाबार्ड ने RIDF-I के अन्तर्गत 2,010 करोड रूपये की सहायता स्वीकृत की। 1996–97 मे RIDF-II के अन्तर्गत 2,647 करोड रूपये की सहायता स्वीकृत की गई जो लक्ष्य (2,500 करोड रूपये) से अधिक थी लेकिन मार्च 1997 तक वितरित सहायता केवल 292 करोड रूपये थी। 1997–98 मे RIDF-III के अन्तर्गत 2,500 करोड रूपये का प्रावधान किया गया। RIDF (IV) 1998–99 के अन्तर्गत 3000 करोड रूपये, RIDF-V 1999–2000 के अन्तर्गत 3,500 करोड रूपये तक RIDF-VI 2000–2001 4,500 करोड रूपये का प्रावधान किया गया।

इस प्रकार 1995–96 से 2000–01 के मध्य 6 वर्षो में ग्रामीण आधारिक सरचना विकास कोष RIDF के अन्तर्गत कुल आबटन 18,000 करोड रूपये का किया गया। नाबार्ड द्वारा 1996–97 मे सहकारी बैको तथा राज्य सरकारो को प्रदत्त साख इस प्रकार है –

(राशि करोड रूपये में)

साख विवरण	स्वीकृत सीमा	आहरण	पुनर्भुगतान	बकाया राशि
1 राज्य सहकारी बैंक				
(A) अल्प कालीन	6049 36	6287 74	6409 93	3,382 82
(B) मध्यम कालीन	268 60	57.73	44 39	79 86
2 राज्य सरकार				
(दीर्घ कालीन)	100 58	76.84	21.57	418 47

नाबार्ड अब पुनर्वित सहायता के रूप मे 25 वर्षो के लिए राज्य उधार विकास बैंक (अब इसे राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है।) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों को दीर्घकालीन उधार विनियोग ऋण

प्रदान करने के लिए दे सकता है। ऐसा दीर्घ कालीन ऋण के दायरे मे कारीगर लघु स्तरीय इकाइयॉ भी आते हैं।

1995–96 से 2000–01 के मध्य 6 वर्षो मे ग्रामीण आधारिक सरचना विकास कोष RIDF के अन्तर्गत कुल आबटन 18,000 करोड रूपये का किया गया। किन्तु इस निधि के आधीन उपयोग स्तर सतोष जनक नही है। कृषि और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक के तीन मुख्य कार्य है। कृषि और ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक के तीन मुख्य कार्य हैं – पुन वित्त (Refinance) सस्थात्मक विकास (Structural Development) तथा अन्य बैंको के कार्यो का निरीक्षण। इसमे से पुन वित्त के कार्य पर ज्यादा जोर दिया गया अन्य दो कार्यो पर कम ध्यान दिया जाता है। लघु उद्योगो के वित्तीय स्थिति तथा सहकारी सस्थाओ की कार्य प्रणाली को सुधारने मे अभी तक इसे कोई महत्वपूर्ण सफलता नही मिली है।

नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता (करोड रूपये)

उद्योग	1996–97	1997–98	1998–99	मार्च 1999 के अन्त तकसचयी
खाद्य उत्पादक वस्त्र	57 7	51 4	62 5	382 1
कागज एव कागज उत्पाद	19 8	15 6	14 1	141 9
चमडा एव चमडा उत्पाद	7 3	7 9	7 0	36 3
रबड़ एव रबड उत्पादन	4 1	3 5	4 2	73 0
रसायन एव रसायन उत्पाद	6.9	8 2	9 6	56 1
सेवाऍ	341 5	314 7	347	1666 2

4 भारत का औद्योगिक विकास बैक (INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA):

औद्योगिक विकास बैंक भारत मे स्थापित विशिष्ट वित्तीय संस्थाओ की श्रृखंला मे नवीनतम एव विशाल कडी है। इसकी स्थापना एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय एवं समन्वयकारी

विशिष्ट वित्तीय सस्था के रूप मे हुई है। 30 अप्रैल, 1964 को लोकसभा ने भारतीय औद्योगिक बैंक की स्थापना हेतू एक विधेयक पास किया जिसे राज्यसभा ने 7 मई, 1964 को स्वीकार कर लिया। इस बैंक ने 1 जुलाई, 1964 से अपने कार्यो को शुभारम्भ किया। शुरू मे इसने भारतीय रक्षित अधिकोष की सहायक सस्था के रूप मे कार्य किया। लेकिन 1975 मे इसको भारतीय रक्षित अधिकोष से अलग करने का अधिनियम पारित किया। 16 फरवरी, 1976 को इसे एक स्वतन्त्र एव स्वायत्त सस्था के रूप मे पुनर्गठित किया गया। इसकी पूॅजी केन्द्रीय सरकार द्वारा ली गई है।

इसके द्वारा प्रदत्त सहायता प्राय पुनर्वित्त (Refinance) के रूप मे होती है। पुनर्वित्त की ये सुविधाऍ व्यापारिक बैको, सहकारी बैको एव राज्यो के वित्तीय निगमो द्वारा लघु उद्योगो को दिये गये ऋणो के लिए प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय निगमो द्वारा लघु उद्योगो को कुछ वित्तीय सहायता विशिष्ट योजनाओ के अन्तर्गत भी प्रदान की जाती है। औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बीज पूॅजी योजना (Seed-Capital Scheme) के अन्तर्गत नये उद्यमियो (New Enterpreveurs) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता राज्यो के उद्योग विकास निगम के माध्यम से दी जाती है।

औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश मे औद्योगीकरण की गति तीव्र करना एव औद्योगिक विकास से सम्बन्धित योजनाओ की स्थापना मे सक्रिय भाग लेना है। इस मूलभूत उद्देश्य के साथ ही औद्योगिक वित्त के अभाव को दूर करना एव औद्योगिक वित्त की समस्या का समाधान करना भी इसके कार्यो का महत्वपूर्ण अग है'

इस बैंक द्वारा लघु उद्योगो को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी जाती है। उद्योगो के अश एव ऋण पत्र की गारन्टी देकर एव अभिगोपन करके वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके द्वारा लघु उद्योगो तथा आधुनिक पद्धतियो को विकसित करने के लिए ऋण दिया जाता है। राज्य वित्त निगमो एव केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा औद्योगिक उपक्रमो को 3 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के लिए दिये गये ऋण के लिए पुनर्वित्त प्रदान

करना। उद्योगो के विकास से सम्बन्धित विनियोग एव तकनीकी आर्थिक अध्ययन के विषय मे अनुसधान कार्य एवं सर्वेक्षण करना। किसी उद्योग के प्रर्वत्तन, प्रबन्ध अथवा विस्तार हेतु तकनीकी एव प्रशासकीय सेवाये उपलब्ध करना। देश की औद्योगिक सरचना की कर्मियों को दूर करने हेतु उद्योगो का नियोजन, प्रवर्त्तन एव विकास करना। 1972–73 मे इस बैंक के अधिनियम मे सशोधन करके कार्य क्षेत्र को काफी बढा दिया है।

30 जून, 2001 तक औद्योगिक विकास बैंक ने अपने कार्यकारी जीवन के 37 वर्ष पूरे कर लिए है। बैंक ने 1999–00 मे 28,307 करोड रूपये की कुल सहायता स्वीकृत की हैं जब कि वास्तविक वितरण 17,059 करोड रूपये की ही हुआ था। इस बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण एव भुगतानो के बराबर वृद्धि हो रही है। इस बैंक ने अपनी स्थापना से 2000–01 के अन्त तक जो ऋणो की स्वीकृति दी है। उसमे से सबसे अधिक स्वीकृति निजी क्षेत्र को दी है। दिसम्बर 1968 से इसने निर्यात के लिए प्रत्यक्ष ऋण एव गारण्टी की योजना प्रारम्भ की है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वित्तीय सहायता के साथ ही विकासात्मक कार्य के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। देश के सभी पिछडे राज्यो और केन्द्र शासित क्षेत्रो में 'औद्योगिक' क्षमता सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। विकसित राज्यो मे पिछडे जिलो का सर्वेक्षण करने के लिए बैंक से सम्बन्धित राज्यो एव राज्य वित्त निगमो से सम्पर्क स्थापित किया है। और उनको इस सम्बन्ध मे आवश्यक सहायता भी उपलब्ध की है।

औद्योगिक विकास बैक एक शीषस्थ एव समन्वय कारी वित्तीय सस्था के रूप मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पुनर्वित्त के क्षेत्र मे इसने लघु एव मध्यम स्तरीय उद्योगो को विशेष सहायता प्रदान की है। इस वित्तीय योगदान के अतिरिक्त विकास बैक के कारण देश के अर्द्धविकसीत क्षेत्र मे सर्वेक्षण कार्य करके इसने देश की औधोगिक सरचना मे अद्धितीय योगदान दिया हैं।

भविष्य मे इस सस्था को अभी बहोत कुछ करना है क्यो कि भारत जैसे विशाल देश में प्रादेशीक असतुलनो और वित्त के आभाव की समस्या बहुत समय तक बनी रहेगी। बैंक को

चाहिए की पूँजी बाजार मे पुनर्जीवन डाले वित्तीय सस्थाओ को औधोगिक वित्त व्यवस्था मे निश्चित प्राथमिकता के क्रम के अनुसार सहायक बनाये।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त सस्थाओ से सहायता दिलाने मे यह बैंक मध्यस्थ के रूप मे कार्य कर सकता है। इस बैक की जिम्मेदारिया निरन्तर बढ रही है। आशा है कि अन्य विशिष्ट सस्थाओ के सहयोग से यह सस्था शीर्षस्थ सस्था कि भूमिका उचित ढग से निभाते हुए देश के औधौगिक विकास मे वित्त व्यवस्था को सुद्दढ आधार प्रदान करेगी। औधोगिक विकास बैंक लघु उधोगो के वित्तीयन पर विशष ध्यान देने की आवश्यकता है। इनके स्त्रोत पर वृद्धि की आवश्यकता है।

आई. डी बी आई उधोर बार सहायता

(करोड रूपये)

उद्योग	1996–97	1997–98	1998–99	मार्च 1999के अन्त तक सचयी
वस्त्र	1343 3	2136 6	2020 7	19924 2
रसायन एव रसायन उत्पाद	1718 6	1764 6	1575 5	17117 2
रिफाइनरी एव तेल शोधन	625 0	1567 7	1846 0	6289.1
मूल धातु	2008 5	2613 3	2578 6	15504 3
इलेक्ट्रानिक उपकरण	498 1	556 1	984 6	7705 8
बुनियादी क्षेत्र	2508 9	8092 7	9287.8	33156.7
सेवाए	595.7	1198.6	1309.6	14369 1
	14942.5	23922.9	25484.7	16934.1

5. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

[Small Industries Development Bank of India or SIDBI]

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक सस्था के रूप मे 1989 मे ससद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसने 2 अप्रैल 1990 से आपना कार्य प्रारम्भ किया है। इसे लघु क्षेत्र मे स्थित इकाइयो के उन्नयन एव वित्तीयन और विकास के शीर्ष बैंक के रूप मे स्थापित किया है। लघु इकाइयो को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त सिडवी का उद्देश्य विद्यमान इकाइयेा की तकनीकी प्रगति एव आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाना, घरेलू एव अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे लघु इकाइयो के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रो मे रोजगार अवसरो मे वृद्धि करना है।

सिडबी की प्राधिकृत पूॅजी 250 करोड रूपये थी। सिडबी ने भारतीय औद्योगिक विकास बैक की लघु उद्योग विकास निधि एव राष्ट्रीय समता निधि (National Equity Fund) के अन्तर्गत 31 मार्च 1990 तक 4,228 करोड रूपये की बकाया राशि से सम्बन्धित परिचालन कार्य अपने पास ले लिया है। 31 मार्च 1999 तक इनकी पूॅजी 15,298 करोड रूपये हो गई। बाद मे बैंक की स्वीकृत पूॅजी बढाकर 500 करोड तथा प्रदत्त पूॅजी 450 करोड रूपये हो गई।

1997–98 मे सिडबी के पास कुल 13,912 करोड रूपये की वित्तीय साधन थे। सिडवी ने 1997–98 तक कुल 36,264 करोड रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत एव 26,702 करोड रूपये के ऋण वितरित किये है। यह बैक विद्यमान साख वितरण मध्यमो जैसे राज्य वित्तीय निगम , राज्य औद्योगिक विकास निगम, वाणिज्यिक बैंको, सहकारी बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इस प्रकार सिडबी की स्थापना से लघु उद्योग के वित्तीय एवं गैर वित्तीय आवश्यकताओ को पूरा करने हेतु एक विस्तृत आधार वाली सरचना का निर्माण करने का प्रयास किया है। सिडबी को लघु क्षेत्र मे स्थित इकाइयो के उन्नयन का निर्माण ,वित्त पोषण एव विकास के

लिए एक प्रमुख वित्तीय सस्था की भूमिका सौपी गई है। साथ ही इसे इस प्रकार के कार्यो मे लगी सस्थाओ के कार्यो मे समन्वय स्थापित करना होगा।

1996–97 के दौरान सिडबी ने 6,485 करोड रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की जिसमे से 4,585 करोड रूपये की वित्तीय सहायता का वितरण किया। मार्च 1997 के अन्त तक स्वीकृत कुल वित्तीय सहायता 28,780 करोड रूपये थी। जिसमे से 21,461 करोड रूपये की सहायता वितरित की गई। 1998–99 के दौरान सिडवी ने 450 करोड रूपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। जो पूर्व वर्ष के 405 करोड रूपये के लाभ से 11 1 प्रतिशत अधिक है।

सुविधाएँ **(Facilities)** :-सिडवी द्वारा उपलब्ध कराई गयी सुविधाएँ निम्नलिखित है

1 बैको तथा अन्य पात्रता वाली वित्तीय सस्थाओ द्वारा स्वीकृत किये गये दीर्घ कालीन ऋणो के लिए पुनर्वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करना।
2 उद्यमियो को राष्ट्रीय समता निधि एव बीज पूँजी सहायता के अन्तर्गत समता पूँजी की सहायता उपलब्ध करना।
3 लघु क्षेत्र के उत्पादन की बिक्री के कारण उपलब्ध अल्पकालीन बिलो के लिए पुनर्कटौती (Rediscount) की सहायता प्रदान करना।
4 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा लघु क्षेत्र के कच्चे माल एव विपणन व्यवस्था मे लगी अन्य सस्थाओ को ससाधन उपलब्ध कराना।
5 औद्योगिक आस्थानो की स्थापना, औद्योगिक क्षेत्रो के विकास, किराया क्रय एव लीजिग सुविधा के विस्तार के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करना।
6 लघु उद्योग के उत्पाद के निर्यात प्रवर्त्तन हेतु सहायता उपलब्ध करना।
7 लघु उद्योग के विकास तथा प्रवर्त्तन के लिए तकनीकी एव अन्य सम्बन्धित समर्थन सेवाओ का विस्तार करना।

नवीनतम् योजनाएँ (New Schemes):

1 ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए ग्रामीण औद्योगिक आस्थान की स्थापना के समर्थन देने के लिए पुनर्वित्त योजनाओ को आरम्भ किया गया है।

2 खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र के उत्पादो के विपणन के लिए बिक्री वाहन के सम्बन्ध मे पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

3 उदारीकरण तथा सरलीकरण की वर्तमान योजनाओ पर ध्यान देने के साथ साथ उनके सामर्थ्य को वित्तीय एव अन्य समर्थन सेवाओ से शक्तिशाली बनाने के प्रयास किया गया है।

4 भारतीय स्टेट बैंक तथा केनारा बैंक पश्चिमी एव दक्षिणी क्षेत्रो मे फैक्टरिंग के प्रवर्तन करने के लिए सिडवी ने कार्यक्रम बनाया है। इससे लघु इकाइयो को फैक्टरिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकेगी।

5 वर्तमान सस्थाओ के प्रयासो मे सहायता करने के साथ साथ उनके सामर्थ्य को वित्तीय एव अन्य समर्थन सेवाओ से शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

6 मध्यम एव बडे उद्योगो को सहायक औजार की पूर्ति करने के लिए लघु उद्योगो के अल्प कालीन करने के लिए लघु उद्योगो के अल्प कालीन बिलो के लिए भुनाने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

विस्तार समर्थन सेवाएँ

1 ग्रामीण उद्यमियो, लघु उद्योगो के पारिवारिक प्रबन्धको तथा उद्यमियो की प्रबन्धकीय चातुर्य को बढाने के लिए योजनाएँ तैयार की गई है।

2 खादी एव ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अभिज्ञानित कुटीर उद्योग के 100 समूह का चयन किया गया है। जिससे कि दस्तकारों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा सके।

3 तकनीकी परामर्श सगठनो द्वारा 400 परियोजनाओ के बारे मे प्रारम्भिक अध्ययन

किया जा रहा है। उनका प्रकाशन शीघ्र ही किया जायेगा।

4 ग्रामीण परियोजनाओ को बढावा देने के लिए 6 ग्रामीण विकास खण्डो दक्षिणीअण्डमान विकास खण्ड, मध्य प्रदेश के पेटलावाद विकास खण्ड, उत्तर प्रदेश के कान्डला विकास खण्ड का चयन गहन विकास हेतु किया गया है।

5 सरकार के नीतिगत समर्थन एव सिडबी के सक्रिय सहयोग से लघु क्षेत्र को आगे बढाने मे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी।

6 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एव लघु क्षेत्र के कच्चे माल तथा विपणन व्यवस्था मे लगी अन्य सस्थाओ को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदत्त करने हेतु तत्पर हैं।

सिडबी के दायित्व एव सम्पत्तियॉ निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है –

सिडबी के दायित्व एव सम्पत्तियॉ (करोड रूपये में)

दायित्व / सम्पत्तियॉ	**1993-94**	**1994-95**	**1995-96**	**1996-97**	**1997-98**	**1998-99**
अश पूँजी	450	450	450	450	450	450
सचय एव कोष	302	494	750	1,114	2,068	2,622
बॉण्ड एवं ऋणपत्र	856	1,399	1,592	1,984	1,876	2,002
जमा	549	310	124	355	168	299
भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण	1,172	1,381	1,605	1,730	2,005	8,023
भारत सरकार से ऋण	1,356	1,708	1,740	1,738	1,732	8,023
अन्य से ऋण	3,943	3,511	3,827	3,692	3,952	8,023
अन्य दायित्व	825	1,105	1,518	1,978	1,661	1,902
कुल दायित्व	**9,453**	**10,358**	**11,606**	**13,041**	**13,912**	**15,298**

सरकारी प्रतिभूतियो मे विनियोग	393	161	138	254	572	1,044
अन्य विनियोग	370	702	724	700	643	1,044
बैक एव वित्तीय सस्थाओ को ऋण एव अग्रिम	6,304	6,482	7,178	7,945	8,625	11,184
औद्योगिक सस्थाओ को ऋण एव अग्रिम	339	686	917	960	1,088	1,981
विपलो एव प्रतिज्ञ पत्रो की कटौती	1,394	1,669	1,915	2,322	1,933	N A
अन्य सम्पत्तियॉ	653	658	734	860	1051	1,089
कुल सम्पत्तियॉ	**9,453**	**10,358**	**11,606**	**13,041**	**13,912**	**15,298**

तालिका –2

सिडबी द्वारा वित्तीय सहयोग की स्वीकृति एव वितरण की राशि

(करोड रूपये मे)

योजना	1996-97		1997-98		मार्च तक	1998
	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित	सचय स्वीकृत	राशि वितरित
(अ) प्रत्यक्ष सहयोग						
(i) प्रत्यक्ष कटौती	1,748 3	1,595 2	1,422 5	1,312 8	7,965 5	7,172 2
(ii) विपणन योजना	12 0	1 4	147 6	48 5	180 4	59 9
(iii) लीजिग सहयोग	553 0	302 1	258 0	117 4	2,236 8	1,465 5
(iv) गुणवत्ता जॉच केन्द्र	-	-	-	0 1	0 1	-
(v) आधारमूल विकास	237 3	6 0	476.6	113 8	970 2	135 4
(vi) फैक्टरिंग सेवा	60 0	44 0	70 0	59.0	279 0	222 0
(vii) अन्य	333 7	180 1	568 7	268 7	1,590 2	710.1
कुल (अ)	**2,944.3**	**2,128.8**	**2,943.2**	**1,919.7**	**1,3141.2**	**9,765.2**

(ब) अप्रत्यक्ष सहयोग

(i) पुन वित्त	2451 0	1941 7	3171 8	2640 2	18048 5	13977 9
(ii) बिलो की पुन कटौती	260.6	176 1	203 2	147 0	1950 8	1359 1
कुल (ब)	**2,944.3**	**2,128.8**	**2,943.2**	**1919.7**	**13,141.2**	**9,765.2**

(स) समता पूँजी समर्थन

(i) बीज पूँजी	-	-	-	-	1 1	1 3
(ii) समता कोष	21 6	15 8	28 8	24 4	70 0	54 0
(iii)समफेक्स योजना	0 2	0 2	0 1	0 1	18 9	16 5
(iv) महिला उद्यम मिधी योजना	0 9	0 8	2 2	1 8	12 5	9 5
कुल (स)	**22.7**	**16.8**	**31.1**	**26 3**	**102.5**	**81.3**

तालिका

योजना	1996-97		1997-98		मार्च 1998 तक कुल सचय राशि	
	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित	स्वीकृत	वितरित
(द) ससाधन समर्थन	-	-	-	-	-	-
(i) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि0	-	-	-	-	49 0	32 6
(ii)राज्य लघु उद्योग विकास निगम	40 5	28 1	36 2	36 3	233 8	191 0
(iii) अन्य	766.2	293 2	1,098.7	471 2	2,738.1	1,258 7
कुल (द)	**806.7**	**321.7**	**1,139.9**	**507.5**	**3,020.9**	**1,482.3**
कुल योग	**6,485.3**	**4,584.7**	**7,484.2**	**5,240.7**	**36,263.9**	**26,710.8**

उद्देश्य बार सहायता (करोड रूपये)

उद्देश्य	1996–97	1997–98	1998–99	मार्च 1999 के अन्त तक सचची
नयी	1,834 2	2,591 5	1,826 4	17,767 8
विस्तार	247 2	347 8	367 5	2,383 5
आधुनिकीकरण	293 7	496 0	557 6	2,340 3
पुनर्वास	2 5	14 9	5 5	69 6
अन्य	374 5	678 5	684 8	2,248 2
	2,752 1	4,128 7	3,441 8	24,809 4

<u>निधियो के स्त्रोत एव उपयोग</u> वर्ष 1997–98 के दौरान सिडबी को कुल 6,328करोड रूपये की निधियो की आवश्यकता हुई। इसमे से बडा हिस्सा सवितरणो (75 5%) के लिए था। इसके बाद ब्याज, लाभाश/ अन्य व्यय (13 4%) एव ऋणो एव जमा राशि की चुकौती (14 8%) का स्थान रहा। वर्ष के दौरान सिडबी ने 81,333 करोड रूपये की निधियॉ एकत्रित की गई, जो कि कुल एकत्र की गई निधियो का 88 5 प्रतिशत था।

1998–99 के दौरान अधिकतम सहायता नई परियोजनाओ को (53 1%) दी गयी एव इसके बाद आधुनिकीकरण (16 2%) तथा विस्तार (10 77%) का स्थान रहा। आधुकिनीकरण एव अन्य उद्देश्य के लिए मजूरियो मे क्रमश 12 4% एव 5 7% एव 0 9% मे वृद्धि हुई, जब कि अन्य सभी उद्देश्यो के लिए सहायता पिछले वर्ष की तुलना मे कमी आई।

वर्ष 1998–99 के दौरान पुनर्वित्त मे लघु उद्योगो का हिस्सा 87 4% था। 1996–97 क दौरान 1,492 4 करोड रूपये, 1997–98 मे 2,598 3 करोड रूपये, 1998–99 मे 1,924.5 एव मार्च 1999 के अन्त तक सचयी 15,427.6 करोड रूपये था।

<u>1998–99 के दौरान परिचालन</u> वर्ष 1998–99 के दौरान सिडबी द्वारा की गई मंजूरियो

एव सक्तिरणो मे क्रमश 18 6% एव 19 9% की वृद्धि हुई जो क्रमश 8,880 करोड रूपये तथा 6,285 करोड रूपये के रहे। मार्च 1999 तक के अन्त मे सिडबी की कुल मजूरियॉ 45,114 करोड रूपये एव सवितरण 32,987 करोड रूपये के रहे।

स्वीकृत एव सवितरित सहायता

वर्ष	स्वीकृतियॉ	वृद्धि दर %	सवितरण	वृद्धि दर
1990—91	2,408 7	—	1,438 5	—
1991—92	2,846 0	18 2	2,027 4	10 3
1992—93	2,909 2	02 2	2,146 3	5 9
1993—94	3,356 3	15 4	2,672 7	24 5
1994—95	4,706 3	40 2	3,389 8	26 8
1995—96	6,065 6	28 9	4,800 8	41 6
1996—97	6,485 3	6 9	4,584 7	(—)4 5
1997—98	7,584 2	15 4	5,240 7	14 3
1998—99	8,879 8	18 6	6,285 2	19 9
मार्च 1999 के अन्त तक सचयी	45,143 8	—	32,987 0	—

<u>प्रत्यक्ष सहायता</u> 1998—99 के दौरान प्रत्यक्ष वित्त के अधीन मजूरियो 11 4% की कमी आई जो 2,354 करोड रूपये रहे और ये अस्ति निर्माण हेतु कुल मजूरियॉ के 26 5% रहे जबकि सवितरणो मे 4 3% की वृद्धि हुई। जो 1848 करोड रूपये हो गये। और अस्ति निर्माण हेतु सहायता के 29 4% रहे। विदेशी मुद्रा ऋणो की मंजूरियो मे 16.6% वृद्धि रही जो 357 करोड रूपये के रहे। जबकि रूपया ऋणो मे 32 9% की कमी आई जो 601 करोड रूपये के रहे।

योजनाबार मंजूर सहायता (करोड रूपये)

(तालिका)

(प्रत्यक्ष सहायता)

	योजना	1996-97	1997-98	1998-99	मार्च 1999 के अन्त तक सचची
(A)	आस्ति सृजन प्रत्यक्ष वित्त				
(i)	रूपया ऋण	499 5	895 2	601 1	2,728 7
(ii)	विदेशी मुद्रा ऋण	84 5	306 4	357 4	778 1
(iii)	प्रत्यक्ष अभिदाय	-	-	-	5 8
(iv)	बिल फीस	1,748 2	1,422 5	1,370 1	9,355 6
	प्रत्यक्ष भुनाई				
(v)	इक्विटी प्रकार की सहायता	22 7	31 0	24 8	127 3
	बीज पूँजी उप जोड	**2,354.9**	**2,655.1**	**2,353.5**	**12,975.6**

(तालिका)

<u>अप्रत्यक्ष सहायता</u>

(i)	पुनर्वित्त	2,451 0	3,171 8	4,743 8	22,792 3
(ii)	बिल पुनर्भुनाई	260 6	203 2	310 0	2,260 8
(iii)	वित्तीय मध्यस्थ सस्थाओ	853 1	1,189 7	1415 4	4,664 2
	को ससाधन सहायता				
(iv)	एस एफ सी/एस/सी	553 0	258 0	50 0	2,286 5
	एन बी एफ सी को				
	उपजोड	**4,117.7**	**4,822.7**	**6,519.2**	**32,804.1**

अप्रत्यक्ष सहायता

पुनर्वित्त जिसके अर्न्तगत मजूरियो एव पुन वित्त के बदले ऋण सहायता शामिल है। तथा बैको द्वारा दी गई सहायता (अल्पावधि ऋण) मे क्रमश 49 6 तथा 23%की वृद्धि हुई। जो कि क्रमश 4,744 करोड रूपये एव 3,247 करोड रूपये हो गई। जो की अस्ति निर्माण हेतू मजूरियो एव सेवितरणो मे क्रमश 53 5% एव 51 7% रहे। बैको के पुन वित्त मे बैको से सम्बन्धित हिस्सा 1997–98 के 55 2% से 1998 से 99मे बढकर 28 1%रह गयी।

उद्योगवार मजूर सहायता (करोड रूपये मे)

योजना	1996-97	1997-98	1998-99	मार्च 1999 के अन्त तक सचची
खाद्य पदार्थ	238 6	313 0	366 5	2,331 7
वस्त्र	311 2	441 6	338 7	2,795 0
रसायन एव रसायन उत्पाद	344 1	333 2	340 0	2,574 4
मशीनरी बिजली एवं इलक्ट्रानिक उपकरण	363 7	342 4	328 9	2,335 1
विद्युत उत्पादन	439 9	434 4	511 6	3,554 5
सेवाए	904 3	1,519 8	983 6	6365 2

राज्य वार मजूरियो को प्रमुख हिस्सा महाराष्ट्र (18%) तमिलनाडु (10 6%) गुजरात (9 5%), कर्नाटक (8 7%), हरियाणा (6 4%), पश्चिमी बगाल (6 1%) को मिला सिक्किम (230%), मिजोरम (150%), नागालैंड (66 7%), अरूणाचल प्रदेश (50%), महाराष्ट्र (23 6%), तथा पश्चिमी बगाल (21 5%) को हुई स्वीकृतियो मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

राज्यवार स्वीकृत सहायता (करोड रूपये)

राज्य	1996–97	1997–98	1998–99	मार्च 1999 के अन्त तक सचयी
गुजरात	372 1	683 3	457 6	4,278 6
हरियाणा	261 9	430 5	306 3	2,038 2
कर्नाटक	306 0	411 7	418 5	2,915 5
महाराष्ट्र	816 1	700 3	865 5	5,289 9
तमिलनाडु	571 6	532 7	509 4	3,767 5
पश्चिमी	156 6	242 4	294 6	1,352 5
बगाल	4,500 3	5,551 2	4,810 3	34,143 4

सिडबी की देयताएँ एव आस्तियाँ (करोड रूपये)

देयताएँ	1998 (रूपये)	1999 (रूपये)	देयताएँ	1998 (रूपये)	1999 (रूपये)
(i) चुकता पूँजी	450 5	450 0	(i) नकदी एव बैंक शेष	580 8	386 1
(ii) रिजर्व एव निधियाँ	2,068 0	2,622 2	(ii) निवेश	1,215 3	1,043 7
(iii) भारत सरकार रिजर्व	7,681 0	8,022 9	(iii) ऋण एव अग्रिम	9,713 1	11,183 7
बैक आई आदि से उधार			(iv) बिलो की भुनाई	1,933 2	1,981 2
(iv) बाड एव ऋण पत्र	1,876 1	2,002 4			
(v) जमा राशियो	168 3	299 0			
अन्य	1,668 7	1,907 9	अन्य	469 7	703 7
	1,3912.1	15,298 4		13,912.7	15,298 1

सिडवी की आय व्यय लेखा (करोड रूपये)

व्यय	1998 (रूपये)	1999 (रूपये)	आय	1998 (रूपये)	1999 (रूपये)
(ı) ब्याज का भुगतान	938 7	1,047 6	(ı) ऋणो पर ब्याज	1,257 9	1,430 0
(ıı) अन्य लाभ	64 6	80 5	(ıı) बिलो पर	83 9	92 6
(ııı) लाभ	405 2	450 4	(ııı) अन्य	48 7	55 9
	1,408 5	1,578 5		1,408 5	1,578 5

सिडबी की स्थायी जमा योजना

SCHEMES

Mınımum Deposıt @

A.	Cumulatıve Deposıt	10,000/-
B	Quarterly Income	10,000/-
C.	Monthly Income	17,000/-

* Addıtıonal amounts ın multıples of Rs. 1,000

Interest Rates

The Interest Rate Structure for SIDBI Fixed Deposıt

(wıth effect from June 3,2003)

Duration	**Interest Rate %p.a.**	**Annualised yield% p.a.***	**Brokesage for deposit from Indvidual & H.U.F. %**
12 months to 23 months	5 50	5 61	
24 months to 35 months	5 75	6.04	
36 months to 60 months	6 00	6.52	0.20

* In respect of Cumulative Deposıt, ınterest is compounded on quarterly basıs depositors ınclude Assocıation of Persons, Company, Partnership Firms, Soci Corportate Bodies, Proprıetorship etc.

DURATION OF DEPOSIT

The mınımum and maxımum duratıon of the deposıt ıs 12 respectıvely The deposıts are accepted for a tenure in multiples of

ELIGIBLE DEPOSITORS

- Resıdent Indıvıdual
- Mınors,
- HUFs
- Partnershıp firms
- Companıes
- Bodıes Corporate
- Socıetıes
- Assocıatıon of Personss

6 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

1998–99 के दौरान इस निगमो ने किराया खरीद, उपकरण लीमिग तथा विपणन सहायता की योजनाये के अन्तर्गत कुल 892 करोड रूपये की सहायता प्रदान की।

योजनाबार सहायता (करोड रूपये)

	1996–97	1997–98	1998–99
किराया खरीद	2 6	4 4	13 3
उपकरण लीजिग	14 4	12 7	10 7
विपणन सहायता	641 8	830 6	868 0
(A)घरेलू विपणन	70 8	87 7	69 1
(B)निर्यात विपणन	16 7	13 8	12 1
(C)कच्चे माल की आपूर्ति	554 3	729 1	786 8

इस दौरान मे वर्ष 1998–99 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 13 करोड रूपये के मूल्य की मशीनरी की आपूर्ति की। मशीनरी का बडा हिस्सा 42.9%, इजीनियरिंग उद्योग को मिला।

इसके बाद वस्त्र, परिधान आदि(20 3%), छपाई, सामग्री तथा कागज उत्पाद का 9 8% तथा प्लास्टिक, रबड एव चर्म उत्पाद 8 3 का स्थान रहा। मार्च 1999 के अन्त तक इस निगम मे मशीनरी के लिए 297 करोड रूपये की किराया खरीद सहायता प्रदान की। वर्ष 1998–99 के दौरान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई विपणन सहायता ने 4 5% की वृद्धि हुई यह 869 करोड रूपये की होगयी। सरकारी भडार खरीद कार्यक्रम मे सहभागिता के जरिये लघु उद्योगो के उत्पादो का विपणन कार्य 1956 मे शुरू किया गया। 1976 मे एकल बिन्दु पजीकरण योजना के रूपये पुन प्रतिपादित किया गया।

इस योजना के अन्तर्गत पजीकृत इकाइयो की सख्या 1997–98 के 913 की तुलना मे 1998–99 मे बढकर 1170 हो गयी। इस निगम ने वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी विभागो तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपयुक्तो मे 1670 करोड रूपये मूल्य के अधिक प्राप्त किये।

वित्तीय कार्य निष्पादन   मार्च 1999 के अन्त मे इस निगम की पूॅजी, रिजर्व बैक तथा कुल अस्तियो क्रमश 151 करोड रूपये, 14 करोड रूपये तथा 555 करोड रूपये थी। इस निगम ने वर्ष 1998–99 के दौरान 177 करोड रूपये की कुल आय एव 3 करोड रूपयो का शुद्ध लाभ अर्जित किया।

(करोड रूपये)

वित्तीय विशेषताऐ	1997–98	1998–99
कुल आय	189 6	177 3
लाभ	1 9	3 3
चुकता पूॅजी	132 0	151 0
रिजर्व	10 6	13 8
अस्तियॉ	450 7	555 4

7 <u>राज्य लघु उद्योग विकास निगम</u> राज्य लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना राज्य सरकार के उपक्रमो के रूप मे कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन विशिष्ट प्रयोजनो की पूर्ति के लिए की गयी थी। जिससे निगम अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य/ सघ प्राशित क्षेत्रो मे लघु, अत्यन्त लघु उद्योग का सवर्धन एव विकास कर सके।

राज्य लघु उद्योग विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे महत्वपूर्ण क्रिया कलाप है

(1) कच्चे माल की व्यवस्था एव वितरण।

(11) किराया खरीद आधार पर मशीनरी की आपूर्ति।

(111) लघु इकाइयो के उत्पादो हेतु सहायता करना।

(1V) औद्योगिक सपदाओ (शेडो का निर्माण सम्बद्ध बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना तथा उनका रख रखाव करना)

(v) सम्बन्धित राज्य सरकारो की ओर से बीज पूँजी सहायता प्रदान करना।

(v1) हथकरघा, हस्त्रकला एव लघु उद्योग इकाइयॉ की वस्तुओ के लिए बिक्री स्थल उपलब्ध कराने हेतु प्रबन्ध।

बदलते माहौल को देखते हुए राज्य लघु उद्योग विकास निगम ने अपने कार्यकलापो के दायरे को बढाने के लिए कई कदम उठाये है।

यद्यपि राज्य लघु उद्योग विकास निगम के कार्यकलापो मे अभी भी मुख्य कार्य, कच्चे माल का वितरण है, ये लघु उद्योगो के विकास के विभिन्न पहुलओ विशेषकर मार्केटिन्ग पर ध्यान रखते है। इस प्रकार वे अति लघु एव लघु उद्योगो के उनके मार्केट शेयर को बढाने मे सहायता करते हैं। कुछ राज्य लघु उद्योग विकास निगम ने निर्यात मार्केटिन्ग पर जरूरत मन्द लघु उद्योग इकाइयो के लिए लघु उद्योग के उत्पादो के प्रर्दशन एव सूचना प्रसार के लिए केन्द्र खोलते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य लघु उद्योग विकास निगम उनके लिए वेब पेजो का विकास भी कर रहे हैं। और सामान्य निर्यात प्रबन्धक के रूप मे कार्य कर रहे हैं। चडीगढ, गोवा, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एव तमिलनाडु मे स्थित आठ राज्य

लघु विकास निगमो को वर्ष 1998–99 के दौरान के परिचालनो के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त हुई।

कच्चे माल का वितरण   लघु उद्योग को कच्चे माल का वितरण राज्य लघु विकास निगमो के महत्वपूर्ण कार्यकलापो मे से एक बना रहा है। वर्ष 1998–99 के दौरान उपरोक्त 7 राज्य लघु उद्योग निगम द्वारा वितरित कच्चे माल का कुल मूल्य374 करोड रूपये रहा। जो वर्ष 1997–98 के दौरान उपरोक्त 7 राज्य लघु उद्योग विकास निगमो द्वारा वितरित कच्चे माल का कुल 374 करोड रूपये रहा जो वर्ष 1997–98 के समान ही रहा तथापि सहायता प्राप्त इकाइयो की सख्या 1997–98 के समान ही रहा। तथापि सहायता प्राप्त इकाइयो की सख्या 1997–98 के 7500 की तुलना मे 1998–99 मे घटकर 6687 रह गयी। राजस्थान मे राज्य लघु उद्योग विकास निगम द्वारा वितरित कच्चे माल के मूल्य मे सबसे अधिक 42 3% की वृद्धि हुई। उसके बाद गोवा 33 8%, चडीगढ 26 8%, केरल 21 1% तथा महाराष्ट्र 15 3% का स्थान रहा।

राज्य लघु उद्योग विकास निगम के क्रियाकलाप (करोड रूपये)

	1997–98	1998–99
कच्चे माल का वितरण	373 6	373 4
विपणन सहायता	387 7	418 7

विपणन सहायता   कच्चे माल के वितरण एव आपूर्ति के अलावा राज्य लघु उद्योग विकास निगम लघु उद्योगो को उनके उत्पादो का घरेलू एव अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारो पर मार्केटिन्ग कर सहायता करते है। वे लघु उद्योग इकाइयो के लिए उनकी ओर से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय उद्योगो व्यापार मेलो मे सहभागिता के जरिए एव सरकारी विभागो /उपक्रमो से बडे आदेश प्राप्त करते हैं। वे लघु उद्योग इकाइयो के आदेश कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कच्चे माल की खरीद बिल भुनाई एव अग्रिम/तत्काल अदायगी की

व्यवस्था के लिए ऋण सुविधा भी प्रदान करते है। योजना के अन्तर्गत देशी विपणन के लिए कुल सहायता 1997–98 के 388 करोड रूपये से बढकर 1998–99 मे 419 करोड रूपये हो गयी। इस प्रकार की सहायता मे केरल मे (133 3%) की वृद्धि दर्ज की। इसके बाद गोवा (50%) एव मध्य प्रदेश (12 1%) एव महाराष्ट्र 19 2% का स्थान रहा।

स्टेट बैक ऑफ इण्डिया लघु स्तरीय उद्योगो एव लघु व्यवसाय वित्त **(Small Business Finance)** का स्टेट बैंक के ऋण कार्यक्रम मे एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 1997–98 के दौरान लघु उद्योग इकाइयो को दिया गया अग्रिम बढाकर 10,014 करोड रूपये हो गया। जो पिछले वर्ष की तुलना मे 16 प्रतिशत अधिक था। लघु व्यवसाय के अन्तर्गत खुदरा व्यापारियो व्यक्तियो, परिवहन प्रचालको को, व्यवासायिको तथा स्वनियोजित व्यक्तियो के प्रदान किया गया। अग्रिम 1997–98 मे 3,711 करोड रूपये रहा। जो 1996–97 की तुलना मे 32 8 प्रतिशत अधिक था।

लघु एव मध्यमो उद्यमो की वित्तीय आवश्यकताओ को पूरा करो कि साथ साथ बैंक अपने प्रौद्योगिकी समूह के मध्यम से तकनीकी उन्नयन मे एक उत्प्रेरक की भूमिका भी निभाता है।

7 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया · रिजर्व बैंक द्वारा लघु उद्योगो की सहायता के लिए 1960 मे एक साथ गारण्टी योजना बनायी गयी। इसका उद्‌देश्य लघु उद्योगो के ऋण देने वाली सस्थाओ को सम्भावित हानि के विरूद्ध गारण्टी देना है, ताकि लघु उद्योगो को अधिकाधिक साख उपलब्ध हो सके। इस येाजना के अन्तर्गत व्यापारिक बैंको द्वारा लघु उद्योगो को दिये गये ऋणो की गारण्टी करता है। फरवरी, 1970 के एक सशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक जिन ऋणो की गारण्टी करता है, उन पर होने वाली हानि का 7 5% लाख रूपये के ऋण दिये जा सकते है। लम्बी अवधि के 2 5 लाख रूपये के ऋण दिये जा सकते है। जिसकी रिजर्व बैंक के गारण्टी सगठन के द्वारा गारण्टी की जाती है।

रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंको को उदार साख सुविधाएँ देकर उन्हे छोटे–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योग धन्धो को वित्तीय सहायता देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है । 31

मार्च, 1981 को रिजर्व बैंक ने इस योजना को रद्द कर 1 अप्रैल 1981 से इसके स्थान पर नयी योजना प्रारम्भ की गयी। इसका लक्ष्य इस सभी साख सस्थाओ को गारण्टी देना था। जो लघु उद्योगो को वित्तीय सहायता दे रही थी। पुरानी योजनाओ मे जो गलती पायी जाती थी। उन्हे इस योजना से दूर कर दिया गया था। सभी व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, राज्य वित्त निगम तथा सहकारी बैंक इसमे भाग ले सकते थे। 30 जून 1999 तक 592 साख सस्थाएँ इसमे भाग ले रही थी। इनमे से 92 व्यापारिक बैंक , 110 प्रादेशिक ग्रामीण बैक, 190 सहकारी बैक, राज्य वित्त निगम, तथा 3 राज्य विकास एजेन्सी थी। 30 जून, 1999 को इस योजना के अन्तर्गत 15232 करोड रूपये के ऋणो की गारण्टी दी गयी थी।

निष्कर्ष आर्थिक समीक्षा 2002–03 के अनुसार घरेलू मदी के बाद भी लघु क्षेत्र का प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2002–03 मे सतोषजनक रहा है। वित्तीय वर्ष 2002–03 मे लघु क्षेत्र मे कार्यरत औद्योगिक इकाइयो की सख्या के 35 72 लाख होने का अनुमान है। जबकि गत वर्ष यह सख्या 34 42 लाख थी।

साख चालू मूल्यो पर वित्तीय वर्ष 2002–03 मे लघु क्षेत्र के समग्र उत्पादक का मूल्य 7,42,021 करोड रूपये आकलित किया गया जो गत वर्ष की तुलना मे 7 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शित करता है। स्थित कीमतो पर भी वित्तीय वर्ष 2002–03 मे 7 5 की भी वृद्धि आकलित की गयी है। वर्तमान मे लघु क्षेत्र मे 199 65 लाख लोगो को रोजगार प्राप्त है। जो वित्तीय वर्ष 2001–02 की तुलना मे 3 9 की वृद्धि दर्शित करता है।

दर्शक समग्र निर्यात मे लघु क्षेत्र की भागदारी एक तिहाई से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2002–03 मे लघु क्षेत्र के उद्यमियो की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गयी।

Table
SOURCES AND USES OF FUNDS OF 1,125 SELECTED SMALLPRIVATE LIMITED COMPANIES

(1)	(Rs Crores) (2)	%share in the total (3)
Sources of Funds		
Internal Sources	**468**	**22.52**
A 1 Paid-up capital	9	0 43
B Reserve and surplus	13	0 58
2 Capital reserve	5	
3 Development rebate reserve	16	
4 Others	2	
C Provisions	**446**	**21.46**
5 Depreciation	408	19 63
6 Taxation (net of advance of income-tax)	17	0 82
7 Other current	10	0 48
8 Non- current	11	0 53
External Sources	**1,610**	**77.48**
D Paid-up capital	100	4 81
9 Net issues	100	4 81
10 Premium on shares	-	-
E Borrowings	**898**	**43.21**
11 From banks	543	26 13
12 From Industrial Finance Corporation and	-	-
State Financial Corporations	27	1 30
13 From other institutional agencies		
14 From Government and semi-Government	5	0 24
agenices	323	15 54
15 From others	**611**	**29.40**
F Trade dues and other liabilities	575	27 67
16 Sundry creditors	36	1 73
17 Others	-	-
G *18 Miscellaneous non-current liabilities*	**2,078**	**100.00**
19 TOTAL		
Uses of Funds		
H Gross fixed assets	**710**	**34.17**
20 Land	31	1 49
21 Buildings	140	6 74
22 Plant and Machinery	420	20 21
23 Capital works in progress	2	0 10
24 Others	116	5 58

(1)	(2)	(3)
I Inventones	**514**	**24.73**
25 Raw materıals, components, etc	290	13 96
26 Fınıshed goods	193	9 29
27 Work ın progress	27	1 30
28 Others	59	2 84
J Loans and other advances and other debtor balances	**744**	**35.80**
29 Sundry debtors	598	28 77
30 Others	146	7 02
K 31 Investments	37	1 78
L 32 Other assets	7	0 34
M 33 Cash and bank balances	80	3 85
34 Total	2,078	100 00

Table

ASSISTANCE SANCTIONED TO SMALL-SCALE SECTOR BY SFCS

(Rs crore)

Year	Total	Small-scale Sector	(2) as % of (1)
	(1)	(2)	(3)
1986-87	1,210 8 (28964)	997 6 (27868)	82 4 (96 2)
1987-88	1,305 0 (33510)	1,004 4 (31849)	77 0 (95 0)
1988-89	1,391 1 (34498)	1,117 8 (32804)	80 4 (95 1)
1989-90	1,514 2 (41664)	1,263 1 (40466)	83 4 (97 1)
1990-91	1,863 9 (49177)	1,491 8 (45092)	80 0 (91 7)
1991-92	2,190 3 (43981)	1,871 9 (42554)	85 5 (96 8)
1992-93	2,015 3 (38040)	1,685 7 (36713)	83 6 (96 5)
1993-94	1,908 8 (29641)	1,561 1 (28279)	81 8 (95 4)
1994-95	2,702 4 (31891)	1,920 4 (28331)	71 1 (88 8)
1995-96	4,188 5 (35998)	2,513 3 (30224)	60 0 (84 0)
1996-97	3,544 8 (34445)	2,115 0 (26525)	59 7 (77 1)
1997-98	2,628 6 (25545)	1,767 9 (22182)	67 3 (86 8)
Cumulative upto end March 1998	29,138 8 (673359)	20,545 7 (600639)	70 5 (89 2)

Note Figures in brackets under cols (1) & (2) relate to number of units sanctioned assistance and under col (3) percentage share in respect of unmber of units

Table

ASSISTANCES SANCTIONED AND DISBURSED

(Rs crore)

Year	Sanctions	Growth rate %	Disbursements	Growth rate %
1990-91	2,408 7	-	1,838 5	-
1991-92	2,846 0	18 2	2,027 4	10 3
1992-93	2,909 2	2 2	2,146 3	5 9
1993-94	3,356 3	15 4	2,672 7	24 5
1994-95	4,706 3	40 2	3,389 8	26 8
1995-96	6,065 6	28 9	4,800 8	41 6
1996-97	6,485 3	6 9	4,584 7	(-)4 5
1997-98	7,484 2	15 4	5,240 7	14 3
1998-99	8,879 0	18 6	6,285 2	19 9
1999-2000	10,265 0	-	6,964 0	-
2000-2001	10,821 0	-	6,441 0	-
Cumulative upto end March 2001	66,229 0	-	46,392 0	19,837 0
(i) Refinance	22,792 3	-	17,225 2	8,749 8
(ii) Bills Redis-counting	2,260 8	-	1,622 9	664 9
(iii) Others	7,115 1	-	4,190 3	1,268 1
(iv) Direct Finance	12,975 6	-	9,948 6	1,960 2

लघु उद्योगो के सहायतार्थ संस्थाएं

1 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड –इस सगठन को लघु लिए 1955 मे स्थापित किया गया था । सगठन का सर्वप्रमुख उद्देश्य लघु उधोगो मे निर्मित वस्तुओ की बिक्री के लिए सरकारी खरीद को सुगम बनाना था । लेकिन कुछ समय के पश्चात इस निगम ने लघु उधोगो मे इस्तेमाल होने वाले उपकरणो तथा मशीनरी को किराया खरीद के आधार पर इन उधोगो को उपलब्ध कराने का जिम्मा ले लिया । लघु उधोग निगम निदेशालय द्वारा स्वीकृति मिलने के आधार पर फिलहाल इस कार्य को सपन्न करता है।

भारत सरकार के नियमो के अनुसार सरकारी खरीद में प्राथमिकता हासिल करने के लिए किसी भी निगम का स्टोर खरीदारी मे रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक हैं। लघु उद्योग इकाइया इस पजीकरण के माध्यम से जिन लाभो के लिए अधिकृत हो जाती है वे निम्नलिखित है–

(1) इकाइयो को सुरक्षा धन देने से छुटकारा मिल जाता है।

(2) इन उद्योगो को बडे उद्योगो की तुलना मे 15 प्रतिशत मूल्य प्रमुखता मिल जाती है। इसके कारण सरकारी खरीद मे लघु उद्योगे से माल खरीदने को प्रमुखता मिल जाती है।

(3) निगम की सिफारिश पर कोई भी बैंक आसानी से स्वीकृत कर लेता है।

(4) लघु उधोग पतियो को निगम मशीनो की किराया पद्वति खरीद मे विशेष तौर पर सहायता देने के लिए प्रयास करता है। मशीन की कीमत और ब्याज की पूरी रकम को सात वर्षो मे वापस लौटाना होता है इसके साथ–2 निगम ने लघु उद्यमियो को उत्पादन एव प्रशिक्षण देने के लिए भी केन्द्रो को स्थापना की है।

पता–

1– केंद्रीय कार्यालय इडस्ट्रियल एस्टेट, ओखला, नई दिल्ली–20

2– क्षेत्रीय कार्यालय

पूर्वी क्षेत्र 2,सेट जार्ज गेट रोड कलकत्ता–32

उत्तरी क्षेत्र इडस्ट्रियल एस्टेट, ओखला, नई दिल्ली–20

3– उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र

इडो–जर्मन उत्पादन एव प्रशिक्षण केन्द्र,

इडस्ट्रियल एस्टेट, ओखला, नई दिल्ली–110020

इडो–अमेरीकन उत्पादन एव प्रशिक्षण केन्द्र,

राजकोट गुजरात

2 लघु उद्योग विकास सगठन – इस सगठन को लघु उद्योगो के विकास के लिए सन् 1953 मे स्थापित किया गया था। लघु उद्योग की विकास सबधी नीतिया तैयार करने मे यह सगठन महत्व पूर्ण भूमिका निभाता है इसके अलावा सगठन विभिन्न प्रदेशो के औद्योगिक विकास एवे उनसे सबधित सस्थानो के बीच तालमेल बैठाने का काम करता है। इस सगठन के तहत 17 लघु उद्योग सेवा सस्थान, महत्वपूर्ण स्थानो पर 15 शाख सस्थान तथा 53 छोटे वर्कशाप शामिल है। यह सगठन फिलहाल निम्न बिन्दुओ पर विशेष तौर पर कार्य करता है।

(1) औद्योगिक विकास तथा आधुनीकीकरण की सहायता देना।

(2) तकनीकी जानकारी देने के साथ–2 आर्थिक सुविधा जुटाना।

(3) प्रबधन एव तकनीकी सबधी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

(4) कारखाना स्थापित करने हेतु भूमि एव भवन के लिए सहयोग करना।

(5) सरकारी विपणन मे लघु उधोगो द्वारा भाग लेने के बारे मे जानकारी उपलब्ध कराना।

(6) उद्योग से सबधित मशीनो की खरीदारी तथा अन्य सुविधाए प्राप्त करने के लिए सलाह देना।

3 राज्य लघु उद्योग निगम – देश के विभिन्न राज्यो की सरकारो द्वारा विभिन्न विशेष कार्यो की पूर्ति के लिए राज्यो मे लघु उद्योग निगमो को स्थापित किया जाना चाहिए। राज्य की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए निगमो द्वारा किया जाने वाला प्रमुख कार्य है।

(1) औद्योगिक सस्थान के प्रबधन एव विकास मे साहयता।

(2) औद्योगिक इकाई का विकास।

(3) आयात –निर्यात मे सहायता।

(4) कच्चे माल का वितरण।

(5) आरक्षित वस्तुओ की बिक्री मे मदद।

इसके अलावा, देश के अधिकाश राज्यो मे सभव सहायता देने, यहा तक कि देश मे निर्मित वस्तुओ को विदेशी बाजार मे बेचने के लिए सहायता देने हेतु स्टेट स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन स्थापित किए गए है। इनके राज्य वार पते निम्नलिखित है–

1– दि हिमाचल प्रदेश स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड,शिमला।

2– मध्य प्रदेश लघु उधोग निगम लिमिटेड, सुल्तानिया रोड, भोपाल।

3– दि असम स्माल इडस्ट्रीज डेवलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड,1,इडस्ट्रियल ब्लाक, गुवाहाटी।

4– आध्र प्रदेश स्माल स्केल इडस्ट्रियल डेवलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड, बी–1–174, फतेह मैदान रोड, हैदराबाद–4।

5– दि बिहार स्टेट स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, एस0 पी0 वर्मा रोड, पटना–1।

6– दि केरल स्टेट स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पतम कडियार रोड, त्रिवेन्द्रम–4।

7– दि उत्तर प्रदेश स्माल इडस्ट्रीज लिमिटेड, 14/40 सिविल लाइस, कानपुर।

8– दि पजाब स्टेट स्माल इडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, पो0 बा0 11, चडीगढ।

9– दि उडीसा स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड पो0 बा0 85, किला मैदान, कटक–1।

10– दि राजस्थान स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, के–18 दुर्गादास पथ मालवीय मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर।

11– दि कर्नाटक स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिगस इडिस्ट्रियल एस्टेट, राजाजी नगर, बगलौर।

4 **भारतीय मानक सस्थान .–** भारत सरकार ने विभिन्न उद्योगो मे बनने वाले कच्चे और पक्के माल की गुणवत्ता का स्तर बनाए रखने के लिए भारतीय मानक सस्थान की स्थापना की। बाद मे इस सस्थान का नाम बदलकर 'ब्यूरो ऑफ इडियन स्टैंडर्स (BIS) रख दिया गया।

अब तक भारतीय मानक सस्थान ने छह हजार से भी अधिक भारतीय मानक तय किये हैं। खेलकूद के समान, साबुन स्याही, खाद्य तेल, पशु चारा, कृषि उपकरण, टाइल्स चमडे की वस्तुओ आदि के लिए भारतीय मानक सस्थान मे मानको को तय किया है। सस्थान का प्रमाणीकरण मानक योजना लघु उद्यमियो के खरीददार को यह विश्वास दिलाती है कि इन उद्यमो मे उत्पादित वस्तुओ की गुणवत्ता की परीक्षा कर ली गई है। सस्थान का चिन्ह हासिल करने के लिए लघु उद्यमी को निम्न प्रक्रिया का पालन करना पडता है –

1 भारतीय मानक सस्थान का डायरेक्टर को निर्धारित फार्म के तहत दो प्रतियो मे आवेदन करना पडता है।

2 एक मानक के तहत आने वाली मद हेतु भिन्न–2 आवेदन करना पडता है।

3 निरीक्षण तथा परीक्षण के परिणाम फर्म के पक्ष मे होने की स्थिति मे सस्थान योजना का मसौदा तैयार करने के बाद आवेदक के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।

4 अब निर्माता को लाइसेसधारी कहा जाता है और उसे सलाना लाइसेस शुल्क देना

पडता है। लाइसेस के नवीनीकरण के लिए रूपये सदा करने होगे।

यदि लघु उद्यमी को भारतीय मानक सस्थान द्वारा निर्धारित शर्त का पालन करने मे कठिनाई महसूस होती है तो वह 'क्यू' चिन्ह लगाने के लिए आवेदन कर सकता है। इस चिन्ह को लगाने की सुविधा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, बगाल आदि राज्यो मे सफलता पूर्वक चल रही है।

भारत सरकार द्वारा निर्मित अथवा गठित सभी तकनीकी समितियो मे लघु उद्योग के प्रतिनिधि को आवश्यक रूप मे शामिल किया जाता है। राज्यो के उद्योग निदेशक, लघु उद्योग विकास सगठन तथा राज्यो के उत्पादो के गुणवत्ता सबधी चिन्ह लगाने वाले केन्द्र इस सस्थान की गतिविधियो को अपने –2 स्तर पर चलाते रहते है।

भारतीय मानक सस्थान का पता

मुख्य कार्यालय – बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–1

शाखाए –

1 54, जनरल पैटर्स रोड, चेन्नई–2।

2 117/418 बी, सर्वोदय नगर, कानपुर–5।

3 5–9–201/2 चिराग अली लेन हैदराबाद–1।

4 5, चौरगी एप्रोच, कलकता–13।

5 लघु उद्योग सेवा सस्थान – इन सस्थानो को लघु उद्योग विकास सगठन द्वारा सचालित किया जाता है। इन सस्थानो की स्थापना देश के लगभग सभी प्रदेशो मे हो चुकी है। प्रत्येक राज्य तथा दिल्ली के सघीय राज्य क्षेत्र मे एक–एक ऐसा सस्थान है। हरियाणा की आवश्यकताओ की पूर्ति नई दिल्ली के सघीय राज्य क्षेत्र। जब कि गुवाहटी स्थित लघु उद्योग सेवा सस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश मेघालय और मिजोरम के लिए भी कार्य करता है। इन सस्थाने की स्थापना लघु उद्योग के विकास को तेज करने तथा इन उद्योगो के उद्यमियो को विभिन्न विशेष सुविधाए प्रदान की गई है। चूकि लघु उद्यमी आम तौर

पर योग्यता प्राप्त इजीनियर तथा प्रबधको को नियुक्त करने मे सक्षम नही होते इसलिए बडे उद्योगो की तुलना मे जिन कठिनाइयो का सामना लघु उद्योग के उद्यमियो को करना पडता है। सेवा सस्थान उसे दूर करने का प्रयास करता है। इन सस्थानो के प्रमुख कार्य निम्न है –

1 प्रबधन तथा उत्पादन मे सुधार लाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाए।

2 आदर्श योजना, डिजाइन, तकनीकी पुस्तके, नक्शे आदि की तैयारी।

3 प्रबधन तथा तकनीकी सलाह तथा सबधित उद्योग की उन्नति तकनीको का प्रदर्शन।

4 आर्थिक अन्वेषण।

5 सबधित क्षेत्र मे सर्वेक्षणो की व्यवस्था।

6 प्रायोगिक रिर्पार्ट और बिक्री सबधी रिपोर्ट की तैयारी।

7 लघु उद्योगो मे निर्मित उत्पादो के निर्यात–आयात, बिक्री आदि के सबध मे कम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमो का आयोजन।

लघु उद्योग सेवा संस्थानो, विस्तार एव उत्पादन केन्द्रो के पते

आन्ध्र प्रदेश–

3–4–812 बरकतपुर स्वर्ण विलास, हैदराबाद–27	रासायनिक परीक्षण और विश्लेषण प्रयोगशाला, रेत और धातु परीक्षण, सिरेमिक्स परीक्षण इकाई, स्टोन एनेमल करना, विट्रियस–ग्लास ब्लोइग और प्रयोगशाला के काच के समान की साधारण वस्तुए।

विस्तार केन्द्र

1 ए–1 इडिस्ट्रियल एस्टेट सनत नगर हैदराबाद–18	इलेक्ट्रो प्लेटिग और हीट ट्रीटमेट, टूल रूम
2 पापना इडूपेट वाया रेनीगटा नलिया,जिला चित्तूर	सामान्य इजियनरी तथा धातु परीक्षण, काच की प्लास्टिक और काच के मोती।
3 बी–2 यूनिट इडस्ट्रियल एस्टेट विजयवाडा, जिला कृष्णा	सामान्य इजीयनरी, फाउंडरी वर्कशाप

असम–

मुख्य लघु उद्योग एव सेवा सस्थान–

1 ट्रेजरी बिल्डिग सदर घाट, सिल्चर

2 पासी घाट, ब्यूनि मैदान, गुवाहटी

शाखा लघु उद्योग सेवा सस्थान–

सचिवालय का उत्तर खड, डाकघर इम्फाल, मणिपुर

विस्तार केन्द्र

1 राजाबाडी जोरहाट वर्कशाप

2 पार्वती गाव विनसुखिया वर्कशाप

गोवा–

शाखा लघु उद्योग सेवा सस्थान

मिराडा बिल्डिग, मीराबाज पोस्ट बॉक्स स 334 मारगावो गोवा   रासायनिक परीक्षण

वर्कशाप

अलकार बिल्डिग मार्टायर्स, डियास रोड   वर्कशाप, सामान्य इजीनियरी

मझगावो गोवा

दिल्ली और हरियाणा–

मुख्य लघु उद्योग सेवा सस्थान

ओखला इडस्ट्रियल एस्टेट के सामने   टूलखम और सामान्य इजीनियरी, वर्कशाप,

यात्रिक परीक्षण,   नई दिल्ली–20   रासायनिक प्रयोगशाला,

विद्युतीय प्रयोगशाला, लेस   ग्राइडिग आदि। औद्योगिक डिजाइन कक्ष भी है।

विस्तार केन्द्र

1. रेवाडी (हरियाणा)   जूते और अलौह धातु

2 बाल सहयोग, कनाट सर्कस नई दिल्ली–1	बेत की लकडी का फर्नीचर, शीट मेटल और दर्जी का काम
3 242–1, माडल टाउन यमुनानगर, जगाधारी (हरियाणा)	धातु परीक्षण

जम्मू कश्मीर–

मुख्य लघु उद्योग सेवा सस्थान

1 17–डी, गाधीनगर, जम्बू (सर्दियो के लिए)

2 स्कूल ऑफ डिजाइन्स बिल्डिग, करन नगर, श्रीनगर (गर्मियो के लिए)	वर्कशाप और प्रयोगशाला

शाखा लघु उद्योग सेवा सस्थान

इडस्ट्रियल स्टेट, जम्मू	वर्कशाप

शाखा लघु उद्योग सेवा सस्थान (उत्तर प्रदेश)

1 1ई 178/8 इडस्ट्रियल एस्टेट नैनी, इलाहाबाद	टूलरूम, सामान्य इजीनियरी और शीट मेटल
2 एवागढ हाउस, 121, महात्मा गाधी रोड आगरा	सामान्य इजीनियरी, धातु रेत परीक्षण और रासायनिक प्रयोगशाला

विस्तार केन्द्र

1 एस एन मार्ग, फिरोजाबाद	काच परीक्षण
2 सूजर कुड रोड, मेरठ	चमडे को फिर से कमाना और चमडे का काम
3 रहीम की सराय, अलीगढ	टूलरूम, सामान्य इजीनियरी, सॉल्ट वाथ, परीक्षणके लिए प्रयोगशाला

पश्चिम बगाल–

मुख्य लघु उद्योग सेवा सस्थान

112 बी टी रोड, कलकता–3	मशीन शाप, ताप उपचार, मृतिका वर्कशाप, विघुतीय धात्विक।

विस्तार केन्द्र

1 58/5 बी बीटी रोड कलकता–2	जूते
2 33/1 नार्थ टाप्सिया, रोड, कलकता–46	चमडा कमाना
3 चेल्स पुरा रोड, पुराना माल्दा, माल्दा	लोहार गिरी और बढईगिरी
4 टी0 बी0 अस्पताल, के समीप, नव, द्वीप नाडिया	पीतल और बेल धातु

राजस्थान

मुख्य लघु उद्योग सेवा सस्थान

मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर–1	वर्कशाप और प्रयोगशाला

विस्तार केन्द्र

1 A/2–3 इडस्ट्रियल एस्टेट डाकघर प्रताप नगर, उदयपुर	इलेक्ट्रोप्लेटिग और एनोडाइजिग मशीन शाप
2 रोड न AII–2 इडस्ट्रियल स्टेटफोटा	यान्त्रिक

7 **स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन** –देश के लगभग सभी प्रदेशो मे फाइनेशियल कारपोरेशन यानी वित्तिय निगमो को स्थापित किया गया है, जिनका प्रमुख कार्य लघु एव बडे उद्योगो को उचित ब्याज पर ऋण की सुविधा देना है। इकाई उद्योग निदेशालय मे रजिस्टर्ड सस्थाओ के आवदेन–पत्रो पर ही वित्तिय निगम विचार करते है। ऋण लेने के लिए निगम के निर्धारित प्रपत्र को जमा किया जाता है। इस प्रपत्र का अध्ययन करने के बाद ऋण मजूर हो जाता है। ऋण उपलब्ध कराने के लिए अलावा वित्तीय निगम कुछ दूसरो कार्यो के लिए भी सहायक होते है, जिनमे से प्रमुख है –

1 कुछ विशिष्ट क्षेत्रो को प्रबधन तकनीकी एव आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

2 निर्यात व्यापार मे सहायता देना।

3 औद्योगिक प्रतिष्ठानो को ऋण देने के अलावा ऋण–पत्र की खरीद।

4 इन प्रतिष्ठानो द्वारा शेयरो, स्टाक, ऋण–पत्र आदि की जिम्मेदारी लेना।

वितियी निगम की ब्याज की दरे आमतौर पर रिवर्ब बैक की ब्याज दरो के अनुपात मे रहती है। इन दरो से यह निगम एक या दो प्रतिशत अधिक लेते है। आमतौर पर इन निगमो द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अदायगी के लिए सात से 20 वर्ष का समय तय किया जाता है। वित्तीय निगमो के अलावा लघु उद्योगो को ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनेक सस्थान एव निगम कार्यरत है। इनके राज्यवर पते निम्नलिखित है –

1 उत्तर प्रदेश फाइनेशियल कारपोरेशन, 7/174 स्वरूप नगर कानपुर ।

2 हरियाणा फाइनेशियल कारपोरेशन, चण्डीगढ।

3 उडीसा स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन, किला मैदान, कटक–1

4 केरल स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन, बेल्लायाम्बलम, त्रिवेन्द्रम–1।

5 आध्र प्रदेश स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन, पो0 बा0 165, 5–9–194, चिराग अली लेन, हैदराबाद–।

6 असम फाइनेशियल कारपोरेशन, क्लेनर क्वार्ट, हाउस, शिलाग–1।

7 बिहार स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन, फ्रेजर रोड, पटना–1

8 दिल्ली स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन, सरस्वती भवन, ई ब्लाक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–1।

9 मध्य प्रदेश फाइनेशियल कारपोरेशन, शिव विलास, इदौर–2।

10 पजाब स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन, 72,73, सेक्टर 17 बी, बैक स्क्वायर, चडीगढ।

11 कर्नाटक, स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन, थी सैलीम न 7, पहली मेन रोड गाधी नगर बगलौर।

8 भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड – पूर्व मे उद्योगो को लबे समय तक उचित दरो पर कच्चा माल उपलब्ध नही हो पाता था। इसके अलावा यदि इन्हे कच्चा माल मिल भी जाता तो उसकी दर इतनी अधिक होती थी कि वे इसमे वे अपने आपको असमर्थ पाते थे। इसका लाभ बडे उद्योग ले जाते है। कच्चा माल उचित दर पर उद्योगो को उपलब्ध कराने के लिए भारतीय व्यापार निगम लिमिटेड की 1956 मे स्थापना की गई।

राज्य व्यापार निगम लघु उद्योग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाल उन वस्तुओ की पहचान कराता है। इसके बाद किसी विदेशी फर्म को थोक मे आर्डर देकर इन वस्तुओ को सस्ती दर पर खरीद लेता है। यदि सभी रजिस्टर्ड उद्योग अपने उत्पाद को निगम मे पजीकृत करा ले तो निगम विदेशी माग की पूर्ति के लिए इन उद्योगो से विदेशी समानो की खरीद के अलावा उनकी बिक्री को विदेशी बाजार मे सुनिश्चित करने मे मदद देता है। यहा यह जानकारी देना आवश्यक है कि लघु उद्योग निर्यात सहायता योजना के तहत केवल कुछेक वस्तुओ को शामिल किया गया है। इसलिए यही उत्पाद इस योजना का लाभ ले पाते हैं।

लघु उद्योग के लिए निर्यात सहायता योजना के तहत कृषि सबधी उपकरण और औजार, कटलरी, पाइप फिटिग, कृत्रिम आभूषण, रेजर ब्लेड, डुब्लीकेटर, प्रेशर स्टोव, घरेलू तथा कार्यालय का स्टील फर्नीचर, स्टोरेज बैटरिया, टेलकम पाउडर, ऊन के स्वेटर, स्टेनलेस स्टील से बने सर्जरी मे काम आने वाले उपकरण, वायुरोधक आदि मशीन शामिल है।

एस0 टी0 सी (स्टेट ट्रेडिग कारपोरेशन)

मुख्य कार्यालय – भारतीय राज्य व्यापार निगम लि0, चद्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली

प्रादेशिक कार्यालय –

महाराष्ट्र	निर्मल बिल्डिग, नरीमन पॉइट , मुबई–20
विशाखापतनम	14/37 बीच रोड विशाखापतनम
पश्चिम बगाल	स्टैडर्ड बिल्डिग, 32 डलहौजी स्क्वेयर साउथ, कलकता–1
तमिलनाडु	119–120 आर्मेनियम स्ट्रीट, चेन्नई–1

उपशाखा कार्यालय

कच्छ	बगला न एस डी बी/।।–12, डा0 आदिपुर, (कच्छ)
बगलौर	38, वसतनगर एक्स्टेशन, बगलौर छावनी
बेलगाम	31/21 गुड्स शेड रोड, रेल पुल के निकट
कोचीन	बिलिग्डन द्वीप कोचीन
हास्पेट	फर्स्ट क्रास रोड, पटेल नगर हास्पेट
नागपुर	31/64 राजेद्र नगर, विमाचरेल पोस्ट
विदेशी कार्यालय	बुडापेस्ट, नैरोबी, माट्रियल, प्राग
विदेशी शो रूम	बैकाक, बगदाद, बेखत, तेहरान

निर्यात प्रोत्साहन परिषद कच्चे माल या पक्के माल के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन तथा लघु उद्यमिया को सहायता देने के लिए अनेक निर्यात प्रोत्साहन आयोगो की स्थापना की गई है। इन आयोगो के प्रमुख कार्य इस प्रकार है –

1 विदेशी बाजार से सबधित अधिकाश जानकारी को लघु उद्यमियो तक पहुचाना।

2. अपने सदस्यो को निर्यात नीति मे समय–समय पर होने वाले परिवर्तनो की जानकारी उपलब्ध कराना।

3 विदेशी खरीददार तथा उनकी भारतीय उद्यमियो से उत्पाद सबधी अपेक्षाए एव मात्रा

आदि की जानकारी अपने पजीकृत आपूर्ति कर्ताओ को देना।

4 छोटे निर्यात कर्ताओ के समानो को विदेशी बाजार मे बेचने के लिए मदद पहुचाना।

इनका पते सहित विवरण निम्नलिखित है –

काजू केश्यू एक्सपोर्ट, प्रोमोशन कौसिल वर्ल्ड ट्रेड सेटर, महात्मा गाधी रोडरासायनिक तथा केमिकल एड एलाइड प्रोडक्टस एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौसिल, 14–। बी,

सबद्ध पदार्थ एज्रा स्ट्रीट, दुसरा तल्ला, कलकता।–।

लाख शैलेक एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौसिल, 14/ ।–बी अजरा स्ट्रीट कलकता

वस्त्र कौसिल, रेशम भवन 78, वीर नरीमन रोड मुबई

चमडा लैदर एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौसिल, मार्बल हॉल 3/38 वेपेरी हाईरोड, चेन्नई–3

सूती वस्त्र काटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौसिल, इजीनियरिंग सेटर, 9–मैथ्यू रोड मुबई

तबाकू टोबेफो एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौसिल, 123 माउट रोड, चेन्नई।

रेशमी और रेयनके सिल्क एड रेयन टैक्सटाइल्ज एक्सपोर्ट प्रोमोशन

जडित आभूषण सेटर, तारदेव, मुबई

बुनियादी रसायन बेसिक केमिकल्स, फार्मस्यूटिकल्स एड

भेषज और साबुन सोप एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौसिल प्लाट न 56, अशोक चेबर्स, झासी कोरेल, 7 कुपरेट स्ट्रीट मुबई

वस्तु बोर्ड (कोमोडिटी बोर्ड)

रेशम दि सेट्रल सिल्क बोर्ड, 'मेघदूत' 95–बी, मेरीन ड्राइव, मुबई–2

चाय दि टी बोर्ड, पोस्ट बॉक्स न 2172, 14, ब्रेबोर्न रोड, कलकता

इलायची कार्डमम बोर्ड, 14/44 चितौड रोड, एर्नाकुलम कोचीन

हथकरघा दि आल इडिया हैंडलूम बोर्ड, पोस्ट बाक्स 1004, मुबई–1

कॉफी	दि कॉफी बोर्ड न 1, विधाना विधि बगलौर
नारियल रेशा	दि कायर बोर्ड, पोस्ट बाक्स 80, एनीकुलम (केरल)

राज्य निर्यात निगम–

हरियाणा	हरियाणा राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम बैक स्ट्रीट, सेक्टर 17–डी, चडीगढ
पजाब	पजाब निर्यात निगम यूनाइटेड कामर्शियल बैंक बिल्डिग, तीसरा तल्ला, सेक्टर 17–बी, चडीगढ
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम द्वारा उद्योग निदेशक, जी टी रोड, उद्योग भवन, कानपुर
गुजरात	गुजरात निर्यात निगम इडस्ट्रीज हाउस, एचके आर्ट्स कॉलेज के सामने, अहमदाबाद–9

बदरगाहो पर निर्यात संवर्धन कार्यालय–

मुबई	सयुक्त निदेशक (निर्यात सवर्धन) संयुक्त मुख्य नियत्रक, आयात और निर्यात कार्यालय, न्यू मैरीन लाइस, चर्च गेट मुबई–1
एर्नाकुलम	उपमुख्य नियत्रक (निर्यात सवर्धन) सयुक्त मुख्य निर्यातक, आयात और कार्यालय, हीडी रोड, एर्नाकुलम (केरल)

9 उद्योग निदेशालय – लघु उद्योग के विकास एव उन पर नजर रखने के लिए देश के प्रत्येक राज्रू मे राज्य सराकारो द्वारा उद्योग स्थापित किए जा रहे है। ये कच्चे–पक्के माल का वितरण, जमीन भवन और उपकरणो के प्रबधन से लेकर ऋण दिलाने तक यह निदेशालय कच्चे माल एव उपकरणो के उपयोग पर भी नजर रखते है तथा मागदर्शन देते हैं। शुरूआत मे उद्योग निदेशालयो मे कुशल अधिकारी नही थे। लेकिन धीरे–2 राज्य अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूप होते गये और उन्होने विभागो मे योग्य व्यक्तियो की नियुक्ति की।

किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन राज्य उद्योग निदेशालय या जिला उद्योग सरकारी सहायता अधिनियम के तहत किसी फर्म को ब्याज एक लाख रूपये का अधिकतम ऋण मजूर किया जाता है। उद्योग निदेशक कच्चे माल व वित्तीय सहायता के समुचित उपयोग पर कडी नजर र,खते है। नजर रखने का यह कार्य जिला उद्योग अधिकारी का होता है।

लघु उद्यमियो को यथा सभव लाभ पहुचाने के उद्देश्य और अपने राज्य के उद्यमो के हितो की देखरेख करने के लिए सभी राज्यो के उद्योग आयुक्तो ने नई दिल्ली मे अपने–2 कार्यालय स्थापति किये है।

लघु उद्योगो द्वारा तैयार किए जाने वाले माल की बिक्री के लिए राज्य सरकारो की ने एपोरियम या इसी प्रकार के अन्य विपणन केन्द्र खोले गए है। खरीददारी करने समय भी लघु उद्योगो को राज्य सरकारो की प्राथमिक सूची मे रखा जाता है। विभिन्न राज्यो के उद्योग निदेशालयो मे पते निम्नलिखित है –

1 उद्योग निदेशक	आध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद
2 उद्योग निदेशक	हरियाणा सरकार, चडीगढ
3 उद्योग निदेशक	हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला
4 उद्योग आयुक्त	कर्नाटक सरकार, बगलौर
5 उद्योग निदेशक	त्रिपुरा सरकार, अगरतला
6 उद्योग तथा पूर्ति निदेशक	राजस्थान सरकार, जयपुर
7 उद्योग निदेशक	नागालैण्ड सरकार, कोहिमा
8 उद्योग एव वाणिज्य निदेशक	जम्मू और कश्मीर सरकार, श्रीनगर
9 उद्योग एव वाणिज्य निदेशक	केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम

10 भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम – खनिज एव धातुओ का व्यापार करने के लिए सन् 1965 मे भारत सरकार ने इस निगम की स्थापना की। इसका कार्य आयात–निर्यात तथा विकास कार्यो की निगरानी व नियत्रण रखना होता है। इसका पता निम्नलिखित है – प्रधान कार्यालय भारतीय खनिज तथा व्यापार निगम लिमिटेड, इडियन एक्सप्रेस बिल्डिग, दिल्ली–1

प्रादेशिक कार्यालय

तमितनाडु	1/155, माउट रोड, चेन्नई–2
आध्र प्रदेश	25–15–50, गोदावरी स्ट्रीट, विशाखापतनम

राष्ट्रीय परीक्षण गृह यह सस्थान उद्योग तथा व्यापार मे होने वाले कच्चे और पक्के माल का परीक्षण का कार्य करता है। किसी भी परीक्षण करने के लिए यह सस्थापन एक निश्चित शुल्क लेता है। परीक्षण गृह का पता इस प्रकार है –

नेशनल टेस्ट हाउस	अलीपुर, कलकता (पश्चिम बगाल)
श्रीराम टेस्ट हाउस	श्री राम इस्टीट्यूट ऑफ इडस्ट्रियल रिसर्च यूनिवर्सटी इक्लेव, दिल्ली

11 भारतीय लघु उद्योग सघ – प्रत्येक व्यापारिक समुदाय अपनी समस्या व हितो की रक्षा के लिए किसी न किसी सगठन की स्थापना करता है। जिला स्तर व राष्ट्रीय सभी स्तरो पर यह सघ कार्यरत है। हम सघो के उद्देश्य निम्न है –

1 व्यवसाय व तकनीकी सबधी परामर्श सेवाए जारी करता।

2 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा लघु उद्योगो को उनके बारे मे जानकारी देना

3 सर्वेक्षण तथा अनुसधान सबधी कार्यो का सर्वेक्षण।

फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्माल इडस्ट्रीज ऑफ इडिया के पते –

पजीकृत कार्यालय :– लघु उद्योग कुटी, 23–बी/2 रोहतक रोड, नई दिल्ली–5

प्रादेशिक कार्यालय – 67–71 तेमरिंड लेन, फोर्ड चैबर्स मुबई 10, जी एम टी, चेन्नई–32 (तमिलनाडु)

विशिष्ट क्षेत्र मे कार्य करने वाले लघु उद्योग मण्डल – अखिल भारतीय ऑल इडिया मैन्यू फैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन 30, फिरोजशाह रोडद्व नई दिल्ली–1

दिल्ली स्माल स्केल इडिस्ट्रयल एसोसिएशन, 33, डिप्टीगज दिल्ली–6

उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश स्माल इडस्ट्रीज एसोसिएशन, 106/377 'पी' रोड कानपुर

चेन्नई स्माल स्केड इडस्ट्रीज एसोसिएशन, 44 माउट रोड

मुबई मुबई स्माल स्केल इडस्ट्रीज एसोसिएशन, 91–92 पठान स्ट्रीट, मुबई–4

केरल दि केरल स्टेट स्माल इडस्ट्रीज, एसोसिएशन, कोचीन

12 राष्ट्रीय अनुसधान प्रयोगशाला – भारत सरकार द्वारा औद्योगिक अनुसधान परिषद की स्थापना 1942 मे एक स्वायत निकाय के रूप मे की गई। इस अनुसधान का समन्वय एक यूनिट के रूप मे लघु उद्यमियो की मदद तथा सूचना सपर्क स्थापित करता है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद देश भर मे लगभग 40 राष्ट्रीय प्रयोगशालाए तथा अनुसधान को स्थापित किया गया है। परिषद का प्रमुख उद्देश्य देश मे औद्योगिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रो मे औद्योगिक एव विकास कार्यक्रम सचालित करना है। प्रयोगशाला, पाशान, पूना–8।

1 राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पाशान, पूना–8

2 राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, हिलसाइड रोड, पूसा नई दिल्ली–12

3 राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला पोस्ट बॉक्स 4, बगलौर–17

4 क्षेत्रीय अनुसधान प्रयोगशाला, जोरहाट आसाम

5 राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान सस्थान , राजा प्रताप मार्ग , लखनऊ

6 क्षेत्रीय चर्म अनुसधान सस्थान, अडयार, चेन्नई–20

7 राष्ट्रीय चीनी सस्थान, नवाबगज, कानपुर

8 केन्द्रीय डेरी अनुसधान सस्थान करनाल, हरियाणा

9 केन्द्रीय खनन अनुसधान केन्द्र, बर्वा रोड, धनबाद (बिहार)

10 भारतीय पेट्रोलियम सस्थान मोहकमपुर देहरादूर

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसधान परिषद द्वारा सहायता प्राप्त

1 अहमदाबाद टेक्सटाइल इडस्ट्रीज इडस्ट्रीज एसोसिएशन, अहमदाबाद

2 वाकले एक्सपेरीमेट स्टेशन, सिन्नमारा, जोरहाट (असम)

3 ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इडिया, 41, अशोक नगर, पूना–7

4 इडियन जूट इडस्ट्रियल, 17, रिसर्च एसोसिएशन, तारातोला रोड, कलकता

13 निर्यात एव ऋण गारटी निगम – लघु उद्यमियो को अपनी बनाई वस्तु बेचने के लिए पहले से खरीददार होना जरूरी है। चूँकि विदेश मे बसे साख इसके बारे मे नही जानते उन्हे जुटा पाना असभव है। इसी लिए निगम स्वय उस खरीददार फार्म की साख के सबध जानकारी जुटा लेता है और उसे उद्यमी को विदेशो मे भेजता। इनके पते निम्न है –

प्रधान कार्यालय 4–रेमपोर्ट रो, मुबई–1 (महाराष्ट्र)

आयात निर्यात का मुख्य नियत्रक आयात के मुख्य नियत्रक का कार्यालय 1941 मे दिल्ली मे स्थापति किया गया। मुख्य नियत्रक आयात–निर्यात नई दिल्ली के अतिरिक्त लाइसेस देने वाली 17 और प्रादेशिक कार्यालय है। इनमे के कुछ का तार पता क्षेत्र इस प्रकार है –

लाइसेस देने वाले प्राधिकरण या क्षेत्र	तार–पता
1 सयुक्त मुख्य नियत्रक, आयात तथा निर्यात 4, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकता, अधिकार क्षेत्र उडीसा बिहार, पश्चिम बगाल	Conımpextra कनइम्पेक्सट्रा कलकत्ता
2 सयुक्त मुख्य नियत्रक, आयात तथा कस्टम हाउस, चेन्नई	Conımpextra चेन्नई
3 उपमुख्य नियत्रक, आयात तथा निर्यात, 112/1–बी बेनझाबर, कानपुर–2 अधिकार क्षेत्र .समस्त उत्तर प्रदेश	Conımpextra कानपुर

चतुर्थ अध्याय

लघु उद्योग बनाम् बृहत् उद्योग

(Small Vs. Large Industries)

आज लघु उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था मे बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनके विकास का प्रमुख श्रेय स्वर्गीय प्रधानमत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। नेहरूजी की कोशिश थी कि बडे उद्योग का विकास करने के साथ–साथ उन्हे सहारा देने के लिए लघु स्तर के उद्योगो को भी रखा जाये। लघु उद्योगो का क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का गतिशील और सक्रिय क्षेत्र बनकर उभरा है। आज हमारे यहॉ जितना उत्पादन होता है उसका लगभग 35% लघु उद्योग के क्षेत्र मे होता है, और यहॉ से होने वाले कुल निर्यात मे उसका लगभग 40% से भी अधिक होता है। मूल्य युक्त की बात की जाये तो निर्माण क्षेत्र मे मूल्य युक्त का 40% के लगभग इसी क्षेत्र मे है। रोजगार को ले तो इस क्षेत्र का योगदान कृषि के बाद दूसरे नबर पर आता है। इसलिए यह पैसा लगाने के लिए अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा मित्र है।

पश्चिम के विकसित देशो मे छोटे पैमाने पर उत्पादन का सगठन बडे पैमाने पर उत्पादन का पूरक होता है और इस प्रकार यह भी पूजीवादी ढग से ही सगठित होता है। भारत मे या लघु उद्योग प्राय पूजीवादी ढग से संगठित नही है। छोटे पैमाने पर सगठित औद्योगिक क्षेत्र मे अनेक प्रकार के उद्योग आते है। शहरी लघु उद्योग जिनमे मजदूरी के बदले मे काम करने वाले श्रमिको को लगाया जाता है लेकिन शक्ति से चलने वाली मशीनो का प्रयोग नही किया जाता तथा ऐसे लघु उद्योग जिनमे आधुनिक मशीनो एव बिजली का प्रयोग किया जाता है। तात्पर्य यह है कि भारत मे छोटे स्तर पर औद्योगिक उत्पादन का क्षेत्र एक–सा नही है।

जब मजदूरी के बदले मे काम करने वाले 10 से 50 तक श्रमिको की सेवाए प्राप्त की जाती है तो वह लघु उद्योग होता है। सम्भवत इसी परिभाषा को आधार मानकर औद्योगिक (विकास एव नियमन) अधिनियम, 1951 मे उन औद्योगिक इकाइयो को लाइसेसिग से मुक्त रखा गया जिनमे यदि बिजली का इस्तेमाल होता है तो 50 से कम श्रमिक लगे हो और यदि

बिजली का इस्तेमाल नही होता तो 100 से कम श्रमिक लगे हो।

एक अन्य मापदण्ड के आधार पर भी लघु उद्योगो को बडे तथा मध्यम उद्योगो से अलग किया जाता है। यह मानदण्ड औद्योगिक इकाई मे स्थिर पूजी के निवेश से सम्बन्धित है। स्थिर पूजी के निवेश से सम्बन्धित है। स्थिर पूजी की सीमा को लगातार ऊपर उठाया गया है। 1975 से पहले व सारी औद्योगिक इकाइया जिनमे प्लाट व मशीनो मे निवेश 7 5 लाख रूपये से कम हो लघु क्षेत्र मे शामिल की जाती थी। सहायक औद्यौगिक इकाइया (ancillary units) के लिए उच्चतम सीमा 10 लाख रूपये थी। 1 मई, 1975 से इन सीमाओ को क्रमश 10 तथा 15 लाख कर दिया गया। 23 जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति वक्तव्य मे इन्हे और बढाकर क्रमश 20 लाख तथा 25 लाख कर दिया गया। मार्च 1985 मे परिभाषा मे फिर परिवर्तन किया गया। इस परिभाषा के अनुसार वे सभी औद्योगिक इकाइया जिनमे प्लाट और मशीनो मे निवेश 35 लाख रूपए से कम था लघु क्षेत्र मे रखी गई। सहायक औद्योगिक इकाइयो के लिए निवेश की सीमा 45 लाख रूपये थी। अप्रैल 1991 मे लघु क्षेत्र की इकाइयो के लिए निवेश सीमा 60 लाख रूपए तथा सहायक औद्योगिक इकाइयो के लिए 75 लाख रूपए कर दी गई। इसके अलावा एक अति लघु क्षेत्र (tiny sector) भी परिभाषित किया गया जिसमे उन औद्योगिक इकाइयो को शामिल किया गया जिनमे निवेश की सीमा 5 लाख रूपए तक थी (अगस्त 1991) से पहले यह सीम 2 लाख रूपए थी। लघु और सहायक इकाइयो के लिए निवेश की सीमा को, आबिद हुसैन समिति की सिफारिश पर, फरवरी 1997 मे और बढा कर 3 करोड रूपए कर दिया गया। अति लघु क्षेत्र के लिए भी निवेश सीमा 25 लाख रूपए कर दी गई। सरकार के अनुसार, निवेश सीमाओ मे यह वृद्धि मुद्रा–स्फीति और अवमूल्यन के कारण रूपए की कीमत मे होने वाली कमी को पूरा करने के लिए की गई। परन्तु फरवरी 1999 मे लघु क्षेत्र के लिए निवेश सीमा को घटाकर 1 करोड रूपए कर दिया गया।

लघु उद्योगो के विकास के लिए पचवर्षीय योजनाओ के अन्तर्गत व्यय इस प्रकार

किये गये हैं–"प्रथम तीन पचवर्षीय योजनाओ मे कुल 459 करोड रूपये, तीन वार्षिक योजनाओ मे 126 करोड रूपये, चतुर्थ योजना मे 243 करोड रूपये, पचम योजना मे 593 करोड रूपये, छठवी योजना मे 1,945 करोड रूपये, सातवी योजना मे 3,249 करोड रूपये व आठवी योजना मे 7,094 करोड रूपये।" इस विवरण से यह स्पष्ट अर्थ निकलता है कि योजनाओ मे लघु उद्योगो पर व्यय की गयी राशि मे बराबर वृद्धि की गयी है। यह इस बात का द्योतक है कि वर्तमान सरकार लघु उद्योगो के विकास पर अधिक जोर दे रही है।

सरकार द्वारा लघु उद्योगो के विकास पर ध्यान देने के कारण इनकी सख्या मे काफी वृद्धि हुई है। 1961 मे 46 हजार इकाइयॉ लघु उद्योगो के रूप मे विद्यमान थी जिनकी सख्या बढते–बढते 1998–99 मे 31 21 लाख इकाइयॉ हो गयी है। यह इकाइयॉ 5,600 वस्तुओ का निर्माण करती हैं। इन लघु उद्योगो के विकास हेतु 180 वस्तुओ का निर्माण केवल इन्ही के द्वारा की करने के लिए सुरक्षित था, लेकिन नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत इनकी सख्या बढाकर 822 कर दी गयी है। इससे आशा है कि इन उद्योगो का विकास तीव्र गति से होगा।

1999–2000 मे लघु उद्योगो की इकाइयो का उत्पादन 5,80,000 करोड रूपए का हुआ है और इस वर्ष मे इन उद्योगो मे 171 6 लाख व्यक्तियो को रोजगार मिला हुआ था।

"नवी योजना के अन्तिम वर्ष 2001–2002 मे लघु उद्योगो की इकाइयो के उत्पादन का लक्ष्य 7,25,000 करोड रूपये का रखा गया है तथा इसी वर्ष 185 लाख व्यक्तियो को इस प्रकार के उद्योग मे रोजगार मिले होने की सम्भावना है।

बडे पैमाने के क्षेत्र से भारी प्रतिस्पर्द्धा के बावजूद छोटे पैमाने के उद्यमो ने भारतीय अर्थव्यवस्था मे स्वतन्त्रता–उपरान्त काल के दौरान विकास की दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण भाग अदा किया है, चाहे सरकार से इन्हे पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त नही हुआ। इसका प्रमाण यह है कि जहॉ 1950 मे 16,000 लघु–इकाइयॉ पजीकृत (Registered) थी, वहॉ इनकी सख्या बढकर 30 25 लाख हो गयी। पिछले दशक के दौरान, लघु स्तर क्षेत्र ने इस दिशा में तरक्की की है कि साधारण वस्तुओ को बनाने के अतिरिक्त, यह बहुत–सी परिमार्जित वस्तुऍ एवं

बढिया उपकरण जैसे इलैक्ट्रानिक नियन्त्रण उपकरण, माइक्रो–वेव हिस्से(Micro-wave components) , इलैक्ट्रो–चिकित्सा उपकरण, टी वी सैट आदि का निर्माण करने लगा है। इन इकाइयो द्वारा 5,000 से अधिक वस्तुऍ उत्पन्न की जाती है।

सरकार लघु–स्तर क्षेत्र के विकास के लिए वस्तुओ के आरक्षण (Reservation) की नीति अपनाती चली आई है। 1972 के छोटे पैमाने के उद्योगो की अखिल भारतीय गणना (Census of small-Scale Industries) के समय 177 मदे आरक्षित सूची मे थी। 1983 तक इनकी सख्या बढाकर 837 कर दी गयी। इन इकाइयो मे 7,500 वस्तुऍ तैयार की जाती है।

केन्द्रीय साख्यिकी सगठन (Central Statistical Organisation) द्वारा 1994–95 मे विनिर्माण उद्यमो के सर्वेक्षण (Manufacturing Enterprises Survey) से पता चला कि 72 4 प्रतिशत पजीकृत इकाइया (Registered units) ग्राम क्षेत्रो मे और केवल 27 6 प्रतिशत शहरी क्षेत्रो मे स्थित थी।

छोटे विनिर्माण उद्यमों का स्वामित्व ढाचा

	दूसरी अखिल–भारतीय गणना	विनिर्माण उद्यमो का सर्वेक्षण
	(1887–88)	1994–95
एक–व्यक्ति स्वामित्व	81 0%	97 6%
साझेदारी	17 2%	1 9%
सीमित कम्पनिया	1 7%	—
रिपोर्ट न की गयी	—	0 5
कुल	100.0	100.0

नोट– इनमे कारखाना कानून के अधीन पजीकृत इकाइया भी शामिल हैं।

कारखाना कानून (Factory Act) के अधीन पजीकृत इकाइयो का लगभग 98 प्रतिशत

एक–व्यक्ति स्वामित्व इकाइया (Proprietory Units) थी और केवल 1 9 लगभग साझेदारी के अधीन पजीकृत थी। 1987–88 मे, दूसरी अखिल–भारतीय गणना (Second All-India Census) मे 81 प्रतिशत इकाइया एक–व्यक्ति स्वामित्वाधीन, 17 प्रतिशत साझेदारी के अधीन और केवल 1 7 प्रतिशत सीमित कम्पनिया (Limited Companies) थी। परन्तु 1994–95 के विनिर्माण सर्वेक्षण मे एक भी इकाई सीमित कम्पनी के रूप मे नही पायी गयी। अत लघु उद्योगो के स्वामित्व–ढाचे (Ownership pattern) मे एक व्यक्ति स्वामित्व का प्रभुत्व है और एक थोडा सा अनुपात साझेदारी इकाइयो के रूप मे है।

सी एस ओ के विनिर्माण उद्यम सर्वेक्षण के (1994–95) के अनुसार, लघु–उद्यमो का लगभग पाचवा भाग (19 8%) लकडी की वस्तुओ मे लगा हुआ था, 16 5 प्रतिशत खाद्य वस्तुओ मे और 15 1 प्रतिशत मरम्मत सेवाओ (Repair Services) मे। ये तीन उद्योग मिलकर कुल इकाइयो का 51 4% थे। सूती वस्त्र, हौजरी और सिलेसिलाए कपडे (Garments) का एक अन्य मुख्य क्षेत्र था जिसमे 13 1 प्रतिशत इकाइया थी, इसके बाद पेय पदार्थो और तम्बाकू पदार्थो मे 9 8 प्रतिशत इकाइया लगी हुई थी। इसके अतिरिक्त, लघु स्तर इकाइया ऊन, रेशम और साशिलिष्ट तन्तुओ(Synthetic fibres), पटसन उद्योग, कागज पदार्थो एव प्रकाशन, चमडे और चमडे की वस्तुओ, रसायन पदार्थो, धातु पदार्थो, मशीनरी (इलैक्ट्रिकल एव गैर–इलैक्ट्रिकल), परिवहन सामान आदि मे कार्य कर रही थी।

लघु–स्तर क्षेत्र की इकाइयो का उद्योगवार वितरण		
	इकाइया (लाखो मे)	कुल का प्रतिशत
लकडी की वस्तुऍ	28 73	19 8
खाद्य–वस्तुऍ	23 94	16 5
पेय पदार्थ एव तम्बाकू पदार्थ	14 27	9 8
विविध विनिर्माण उद्योग	11 59	8 0
हौजरी एव सिलेसिलाए कपडे	10 94	7 5
सूती वस्त्र	8 19	5 6
अन्य	28 57	11 8
कुल	**145 04**	100 0

लघु उद्योगो का उत्पादन– 1973–74 और 1999–2000 के दौरान लघु–स्तर इकाइयो की सख्या 4 2 लाख से बढकर 32 25 लाख हो गयी। इसी अवधि मे इस क्षेत्र मे रोजगार की मात्रा 40 लाख से बढकर 178 5 लाख हो गयी और उत्पादन 7,200 करोड रूपए से बढकर 5,78,460 करोड रूपए हो गयी। 1980–81 से 1990–91 के दौरान लघु स्तर क्षेत्र मे रोजगार मे औसत वार्षिक वृद्धि–दर 5 8 प्रतिशत और उत्पादन मे 18 6 प्रतिशत बैठती है। 1990–91 और 1999–2000 के दौरान उत्पादन की वृद्धि दर 4 प्रतिशत रही। इससे यह विश्वास परिवक्व हो जाता है कि अतिरिक्त श्रम को रोजगार दिलाने के लिए लघु–स्तर उद्यम महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है। 1981–82 मे 30,810 करोड रूपए से बढकर 1990–91 मे 85,025 करोड रूपए हो गया।

लघु–स्तर क्षेत्र की इकाइयो का उद्योगवार वितरण		
	इकाइया (लाखो मे)	कुल का प्रतिशत
लकडी की वस्तुएँ	28 73	19 8
खाद्य–वस्तुएँ	23 94	16 5
पेय पदार्थ एव तम्बाकू पदार्थ	14 27	9 8
विविध विनिर्माण उद्योग	11 59	8 0
हौजरी एव सिलेसिलाए कपडे	10 94	7 5
सूती वस्त्र	8 19	5 6
अन्य	28 57	11 8
कुल	**145 04**	**100 0**

लघु उद्योगो का उत्पादन– 1973–74 और 1999–2000 के दौरान लघु–स्तर इकाइयो की सख्या 4 2 लाख से बढकर 32 25 लाख हो गयी। इसी अवधि मे इस क्षेत्र मे रोजगार की मात्रा 40 लाख से बढकर 178 5 लाख हो गयी और उत्पादन 7,200 करोड रूपए से बढकर 5,78,460 करोड रूपए हो गयी। 1980–81 से 1990–91 के दौरान लघु स्तर क्षेत्र मे रोजगार मे औसत वार्षिक वृद्धि–दर 5 8 प्रतिशत और उत्पादन मे 18 6 प्रतिशत बैठती है। 1990–91 और 1999–2000 के दौरान उत्पादन की वृद्धि दर 4 प्रतिशत रही। इससे यह विश्वास परिवक्व हो जाता है कि अतिरिक्त श्रम को रोजगार दिलाने के लिए लघु–स्तर उद्यम महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते है। 1981–82 मे 30,810 करोड रूपए से बढकर 1990–91 मे 85,025 करोड रूपए हो गया।

लघु स्तर क्षेत्र मे रोजगार और उत्पादन

(उत्पादन करोड रूपये)

वर्ष	चालू कीमतो पर	1990–91 की कीमतो पर	रोजगार (लाखो मे)	निर्यात (चालू कीमतो पर) करोड रूपये
1973–74	7,200	–	39 7	393
1980–81	28,060	–	71 0	1,643
1990–91	1,55,340	1,55,340	125 3	9,100
1991–92	1,78,699	1,60,156	129 8	13,883
1992–93	2,09,300	1,69,125	134 1	17,785
1993–94	2,41,648	1,81,133	139 4	25,304
1994–95	293,990	1,99,427	146 6	29,068
1995–96	356,213	222,162	152 6	36,470
1996–97	4,12,636	2,47,311	160 0	39,249
1997–98	4,65,171	2,68,159	167 2	43,946
1998–99	5,27,515	2,88,807	171 6	48,979
1999–2000	5,78,470	3,12,576	178 5	53,975
वार्षिक चक्रवृद्धि–दर				
1974–75 से 1980–81	21 4	8 7	8 7	22 6
1980–81 से 1990–91	18 6	11 7	5 8	18 6
1990–91 से 1999–2000	15 7	8 1	4 0	21 9

नोट 1973–74 से 1980–81 से 1990–91 के लिए वृद्धि–दरो 1981–82 की कीमतो पर परिकलित की गयी हैं।

औसत वार्षिक दर 11 7 प्रतिशत बैठती है जो इस काल के दौरान बडे पैमाने के उत्पादन की 8 7 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर से कही ऊँची है।

1990–91 और 1999–2000 की 9–वर्षीय अवधि के लिए, लघु–स्तर क्षेत्र के उत्पादन (1990–91 की कीमतो पर) की औसत वृद्धि दर 8 1 प्रतिशत थी (अर्थात् 1,55,340 करोड रूपए से 3,12,576)। इस अवधि मे रोजगार की वृद्धि दर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। दोनो सूचको से स्पष्ट है कि लघु–क्षेत्र का निष्पादन बडे पैमाने के उत्पादन की तुलना मे बेहतर है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि लघु–स्तर क्षेत्र के उत्पादन मे बडे पैमाने के क्षेत्र की तुलना मे अधिक तेजी से वृद्धि हुई। जाहिर है समग्र औद्योगिक उत्पादन मे मन्द गति की तुलना मे लघु क्षेत्र का निष्पादन सराहनीय है। इस तथ्य का हमारी राष्ट्रीय आर्थिक नीतियो के सदर्भ मे विशेष महत्व है। छोटे पैमाने के क्षेत्र के विकास से गैर–चिरस्थायी जन–उपभोग की वस्तुओ (Non-durable consumer goods of mass consumption) का उत्पादन उन्नत होता है। इस प्रकार यह अस्फीतिकारी शक्ति के रूप मे कार्य करता है। यदि लघु–क्षेत्र को बडे जोर का धक्का दे दिया जाए, तो वह भारत जैसी पूँजी न्यून अर्थव्यवस्था (Capital scarce economy) मे उत्पाद–पूँजी अनुपात की ऊँची दर एव रोजगार–पूँजी–अनुपात (Employment capital ratio) की ऊँची दर द्वारा स्थायीकारी कारणतत्व (Stabilising factor) बन सकता है।

इस सम्बन्ध मे हम लघु–स्तर उद्योगो के निम्न क्षमता–उपयोग (Capacity utilisation) का उल्लेख कर सकते है। समग्र लघु–क्षेत्र मे क्षमता–उपयोग 53 प्रतिशत था किन्तु कुछ उद्योगो मे क्षमता–उपयोग 60 से 80 प्रतिशत के बीच है। इनमे है काजू, सिले–सिलाए कपडे, टाइल और औद्योगिक मशीनरी के पुर्जे। प्लास्टिक उत्पादन जैसे उद्योगो मे क्षमता–उपयोग बहुत ही नीचा था (29 प्रतिशत)।

निर्यात– सिले–सिलाए कपडो, डब्बाबन्द एव विधयित मछली, चमडे की चप्पलो एव सैडलो, खाद्य वस्तुओ और चमडे की वस्तुओ मे विशेष रूप मे निर्यात मे भारी वृद्धि हुई है। 1978 मे

निर्यात का मूल्य बढकर 845 करोड रूपए हो गया और 1999–2000 तक यह 53,975 करोड रूपए के रिकार्ड–स्तर पर पहुँच गया। लघु–क्षेत्र से निर्यात का एक बहुत महत्त्वपूर्ण लक्षण इनका अपारम्परिक निर्यात मे भाग था। 1999–2000 मे कुल निर्यात मे लघु–क्षेत्र का भाग 33 प्रतिशत था। इस क्षेत्र द्वारा किए गए मुख्य उत्पाद है इजीनियरिंग वस्तुएँ, कमाया हुआ चमडा और चमडे की निर्मित वस्तुएँ, सिले–सिलाए कपडे, हौजरी और समुद्री उत्पाद।

लघु उद्योगो के अन्त राज्यीय वितरण से पता चलता है कि छ राज्यो अर्थात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बगाल, उत्तर प्रदेश, पजाब और गुजरात मे लघु क्षेत्र की कुल इकाइयो का 59 प्रतिशत भाग स्थित भाग था, इनके द्वारा कुल रोजगार का 62 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया गया, इसमे कुल उत्पादन का 69 प्रतिशत भाग उत्पन्न होता था। वे राज्य जो लघु–स्तर के उद्योगो को प्रोत्साहित करने मे बहुत पिछडे हुए है, उनमे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उडीसा शामिल है।

कुछ जिलो मे विशिष्टीकरण के कारण भी लघु–स्तर की इकाइयो मे सकेन्द्रण जान पडता है। ऊनी हौजरी की 92 प्रतिशत इकाइयॉ लुधियाना, कलकत्ता और दिल्ली मे थी, साइकिलो के पुर्जो की 62 प्रतिशत इकाइयॉ लुधियाना, जालन्धर, हावडा बम्बई मे थी। 1987–88 मे 2 लाख रूपए से कम अचल पूँजी (Fixed capital) वाली इकाइयो का अनुपात लघु–क्षेत्र मे 84 प्रतिशत था। इसी प्रकार, 10 लाख रूपए से कम उत्पादन वाली इकाइयो का अनुपात 89 2 प्रतिशत था और कुल इकाइयो के 88 प्रतिशत मे 9 श्रमिको से कम के लिए रोजगार उपलब्ध था। दूसरे शब्दो मे, इन तीनो कसौटियो के आधार पर यह कहना उचित होगा कि लघु–क्षेत्र मे अति लघु इकाइयो का प्रभुत्व है।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को समझने मे उसके औद्योगिक ढाचे से काफी सहायता मिलती है। जिन देशो मे केवल उपभोग की वस्तुओ का उत्पादन करने वाले उद्योग विकसित होते है उनकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर होती है। लोहा व इस्पात, इन्जीनियरिंग तथा रसायन उद्योगो का बडे पैमाने पर स्थापना नही होती, अर्थव्यवस्था का आधार कमजोर बना रहता है। आजादी से पहले देश मे सूती वस्त्र, जूट, लोहा व इस्पात, चीनी तथा सीमेट उद्योगो की स्थापना हुई थी। बृहत्त् उद्योग की स्थिति इस प्रकार है –

कपडा उद्योग (Cloth Industry) -

कपडा उद्योग भारत का सबसे बडा, सगठित एव व्यापक उद्योग है, जो देश के औद्योगिक उत्पादन का 14 प्रतिशत, सकल घरेलू उत्पाद (G D P) का लगभग 4 प्रतिशत, कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन के 20 प्रतिशत व कुल नियार्तो के 30 प्रतिशत की आपूर्ति करता है, जबकि देश के कुल आयात खर्च मे इसका हिस्सा केवल 7 प्रतिशत है। यह उद्योग देश के लगभग 35 लाख लोगो के रोजगार प्रदान करता है। कृषि क्षेत्र के साथ यह उद्योग करीब 9 करोड लोगो को रोजगार उपलब्ध कराता है।

भारत मे आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपडा मिल सन् 1818 मे कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर मे लगायी गयी थी, किन्तु यह मिल लक्ष्य प्राप्ति मे सफल न हुई। द्वितीय मिल 'बम्बई स्पिनिग एण्ड वीविग कम्पनी' सन् 1854 मे बम्बई ' कवास जी एन डाबर' द्वारा स्थापित की गयी सच्चे अर्थो मे इस कारखाने मे भारत के आधुनिक सूती कपडा उद्योग की नीव रखी। सन् 1854 के पश्चात् सूती कपडा मिलो की सख्या लगातार बढती गयी।

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन व सूती वस्त्र उद्योग के विकास के बीच बडा ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। बगाल विभाजन (16 अक्टूबर 1905) के विरूद्ध चले स्वदेशी आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन (1920–22), सविनय अवज्ञा आन्दोलन (1930–31), भारत छोडो आन्दोलन (1941) आदि ने विदेशी वस्त्रो का बहिस्कार तथा स्वदेशी वस्त्रो का प्रचार करके सूती वस्त्र उद्योग के विकास मे भरपूर सहयोग दिया। 1947 मे देश के विभाजन ने देश के सूती वस्त्र

उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। अधिकाश मुस्लिम बुनकर पाकिस्तान चले गये। जिससे यह उद्योग भी दो टुकडो मे बट गया। 13 अगस्त 1947 को भारत मे 394 सूती वस्त्र मिले थी, लेकिन 14 अगस्त को 14 मिले पाकिस्तान मे चली जाने से भारत मे 15 अगस्त 1947 को 380 मिले रह गयी।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कपास उत्पादन करने वाला 40 प्रतिशत क्षेत्र पाकिस्तान मे चला गया और केवल 60 प्रतिशत भारत मे रह गया। यही कारण है कि भारत को कपास के आयात के क्षेत्र मे कदम रखना पडा। पचवर्षीय योजनाए इस उद्योग के लिए वरदान सिद्ध हुई, जिनके फलस्वरूप न केवल इस उद्योग पर्याप्त विकास किया, अपितु अन्तराष्ट्रीय बाजार मे भी अपनी छाप छोडी है। सरकार ने कपडा आदेश (विकास एव नियमन) 1993 (Textiles Development and Regulation Order 1993) के माध्यम से इस उद्योग को लाइसेस मुक्त कर दिया गया है। 31 मार्च 1999 को देश मे 1824 सूत/कृत्रिम धागो की मिले थी। इन 1824 मिलो मे से 192 सार्वजनिक क्षेत्र मे, 153 सहकारी क्षेत्र मे और 1479 निजी क्षेत्र मे है। सूती/कृत्रिम धागो की अधिकतर मिले महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात मे है।

भारत का वस्त्रो उद्योग मुख्यत सूत (Cotton) पर ही आधारित रहा है तथा देश मे कपडे की खपत का 58 प्रतिशत भाग सूत से ही सम्बद्ध है। 1990–91 मे इनकी क्षमता का प्रयोग 58 प्रतिशत था। जो 1998–99 मे बढकर 78 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2000–01 मे कुल 40,256 मिलियन वर्ग मीटर कपडे का उत्पादन हुआ था। कपडे के उत्पादन मे 2000–01 मे मिल क्षेत्र का हिस्सा 4 1 प्रतिशत, बिजली करघा (हाजिरी सहित) का हिस्सा 75 8 प्रतिशत तथा हथकरघा एव अन्य का हिस्सा 20 1 प्रतिशत था। धागे का उत्पादन 2000–01 मे 1,824 मिलियन किग्रा0 हुआ । देश के निर्यात मे भी इस उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के कुल निर्यातो के लगभग 30 प्रतिशत की आपूर्ति इस उद्योग द्वारा की जाती है।

यहाँ यह बता देना उचित होगा कि एजो रगो (Azo Dyes) के प्रयोग के कारण जर्मनी ने 1 अप्रैल 1996 से भारत से ऐसे टेक्सटाइल आयात बन्द कर दिये है। सरकार ने इसी सन्दर्भ मे जून 1997 से एजो रगो के उपयोग को पूर्णत प्रतिबन्धित कर दिया है। इसके बावजूद भी यूरोपीय आयोग ने भारत सहित छ राष्ट्रो से आयातित बिना साफ किये सूत से बने कपडो पर औसतन 16 09 प्रतिशत अस्थायी एटी डम्पिग शुल्क आरोपित किया है। यह दूसरा अवसर है, जबकि 25 मार्च 1998 से ऐसे कपडो पर अस्थायी एटी डम्पिग शुल्क लगाया गया है। USA जैसे हमारे महत्वपूर्ण व्यापरिक भागीदार की अर्थव्यवस्था मे मदी के कारण वस्त्र उत्पादो के निर्यात मे गिरावट आयी है।

वर्ष 1996 मे विश्व के कुल टेक्सटाइल्स निर्यात मे भारत की हिस्सेदारी 2 9 प्रतिशत थी। टेक्सटाइल मत्रालय मे सन 2005 तक 40 अरब डालर मूल्य का टेक्सटाइल निर्यात वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे विश्व के कुल निर्यात मे भारती की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक हो सकेगी। 1998–99 मे भारत का टेक्सटाइल निर्यात (जूट एव हस्तशिल्प) के साथ 12 533 अरब डालर था। वर्ष 1999–2000 के दौरान वस्त्रो का निर्यात मूल्य 13 32 अरब डालर था। वर्ष 2000–01 का निर्यात लक्ष्य 15 अरब डालर का है। कपडे के कुल निर्यात मे सिले सिलाए वस्त्रो का हिस्सा लगभग 41 प्रतिशत के बराबर है।

भारत मे प्रति व्यक्ति कपडे की खपत 2000–01 मे 30 7 मीटर वार्षिक थी, जिसमे सूती कपडे की प्रति व्यक्ति खपत 14 2 मीटर तथा ब्लैंडेड मिश्रित मानव निर्मित कपडे की 16 5 मीटर थी। उन्नत देशो मे कपडे की वार्षिक खपत 50 से 60 मीटर प्रति व्यक्ति है, अर्थात विकसित देशो मे खपत भारत की तुलना मे लगभग दो गुनी है।

टेक्सटाइल्स उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक प्रौद्योगिक उन्नयन निधि की स्थापना की है। 25 हजार करोड रूपये के प्रावधान वाले प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष को 1 अप्रैल 1999 से प्रभावी किया गया यह राशि उपलब्ध कराने मे वित्तीय ससाधनो विशेषत सिडवी की अग्रणी भूमिका रही है।

कपडा मन्त्रालय एव कृषि मन्त्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कपास प्रौद्योगिकी मिशन का शुभारम्भ 21 फरवरी 2000 को किया गया। जिसमे कपास के अनुसधान, विकास, विपणन एव प्रसस्करण के चार लघु मिशन सम्मिलित है।

तालिका

भारत मे वस्त्र उत्पादन

(मिलियन वर्ग मीटर मे)

क्षेत्र	1998–99	1999–2000	2000–2001	2001–02 (अप्रैल–अक्टूबर)
मिल क्षेत्र	1,785	1,714	1,670	889
	(5 0)	(4 0)	(4 1)	(3 7)
विद्युत् करघा	26,966	29,561	30,499	18,609
	(74 7)	(75 4)	(75 8)	(76 6)
हथकरघा	6,792	7,352	7,506	4,453
	(18 8)	(18 8)	(18 7)	(18 3)
अन्य	559	575	581	339
	(1 5)	(1 5)	(1 4)	(1 4)
योग	3,610	39,202	40,256	24,290
	(100 0)	(100 0)	(100 0)	(100 0)

नोट– कोष्ठक मे दी गई सख्या कुल उत्पादन मे प्रतिशत भाग को बताती है।

वर्ष 2001–02 के बजट मे सरकार ने एक टैक्सटाइल पैकेज की घोषणा की थी। जिसमे निम्नलिखित स्कीमे शामिल थी –

1 एकीकृत परिधान पार्कों की स्थापना करने की एक योजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया गया जिसमे अनारक्षित रेडीमेड गारमेन्ट उद्योग, सर्वोत्तम आधारभूत आधुनिक इकाइयॉ स्थापित कर सकेगा इसके लिए 2001–02 के बजट मे 10 करोड रूपये का प्रावधान किया गया था।

2 एक सुदृढ और आधुनिक बुनकर क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम से निधियॉ उपलब्ध करायी जायेगी। इसमे 50 करोड रूपये के बजट प्रावधान को 2001–02 मे 200 करोड रूपये करने का लक्ष्य रखा गया।

3 कपास प्रौद्योगिकी मिशन को 2001–02 के दौरान जारी रखा जायेगा इसके लिए बजट प्रावधान को 15 करोड रूपये से बढाकर 25 करोड रूपये किया गया।

4 हथकरघा गतिविधियो के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2000 से 'दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना' प्रारम्भ की गयी है।

लोहा एवं इस्पात उद्योग :– आज भारत विश्व का नौवा सबसे बडा इस्पात उत्पादक देश है। इस उद्योग मे 90 हजार करोड रूपये की पूँजी लगी हुई है और 5 लाख से अधिक लोगो को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। भारत मे लोहा और इस्पात उद्योग का आरम्भ 1870 मे हुआ था, जब बगाल आयरत वर्क्स कम्पनी ने झरिया के निकट कुलटी, पश्चिम बगाल मे अपने सयन्त्र की स्थापना की थी। यह कारखाना केवल ढलवा लोहे का उत्पादन कर सका । बडे पैमाने पर उत्पादन का प्रयास 1907 मे जमशेदपुर मे टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के स्थापना के साथ आरम्भ हुआ। इसके बाद 1919 मे बर्न पुर मे इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की स्थापना हुई। यह दोनो इकाइयॉ निजी क्षेत्र मे स्थापित की गयी थी। सन् 1923 मे भद्रावती मे विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील वर्क्स की स्थापना के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई ने कार्य प्रारम्भ किया। स्वतन्त्रता के बाद इस्पात उद्योग के विकास के सम्बन्ध मे पहली पचवर्षीय योजना मे विचार किया गया। किन्तु इसका काम दूसरी पचवर्षीय योजना मे प्रारम्भ हो सका जबकि 10–10 लाख टन इस्पात पिण्डो की

क्षमता की परियोजनाऐ भिलाई छत्तीसगढ मे (सोवियत सघ के सहयोग से), दुर्गापुर पश्चिमी बगाल मे (ब्रिटेन के सहयोग से) और राउर केला उडीसा मे (पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से) मे स्थापित की गयी। निजी क्षेत्र के दो इस्पात कारखानो – 'टिस्को' तथा 'इस्को' की उत्पादन क्षमता दो गुनी करके क्रमश 20 लाख और 10 लाख टन कर दी गयी। सार्वजनिक क्षेत्र के 3 कारखानो मे उत्पादन 1956 तथा 1962 के बीच प्रारम्भ हुआ।

तीसरी पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र के तीनो इस्पात कारखानो का विस्तार किया गया। तथा सोवियत सघ के सहयोग से बोकारो (बिहार) मे एक और इस्पात कारखाने की स्थापना पर जोर दिया गया है।

चौथी पचवर्षीय योजना मे इन कारखानो की वर्तमान क्षमता का अधिक उपयोग किया गया। तथा सलेम (तमिलनाडु), विजयनगर (कर्नाटक) और विशाखपतनम (आन्ध्र प्रदेश) मे नये इस्पात कारखाने स्थापित करके इस्पात की उत्पादन करने की क्षमता मे वृद्धि करने का लक्ष्य निश्चित किया गया। सन्1978 मे बोकारो इस्पात सयन्त्र के प्रथम चरण के पूरा हो जाने पर इस्पात उत्पादन क्षमता मे वृद्धि हो गयी।

1974 मे सरकार ने स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया की स्थापना की तथा इसे इस्पात उद्योग के विकास की जिम्मेदारी दी गयी। यह भिलाई , दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो एव बर्नपुर स्थित एकीकृत इस्पात सयन्त्रो के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है तथा साथ ही साथ दुर्गापुर के एलाय स्टील प्लाट व सनेम इस्पात कारखाने के प्रबन्ध के लिए भी उत्तरदायी है। उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र के इस्पात सयन्त्र (इस्को) का स्वामित्व 14 जुलाई 1976 को सरकार ने अपने हाथ मे ले लिया था। अब यह कम्पनी सेल के नियन्त्रण मे है।

सेल ने जनवरी 1986 मे इस्पात और पेरो मैंगनीज का उत्पादन करने वाला लघु इस्पात सयन्त्र महाराष्ट्र इलेक्ट्रामैल्ट अपने अधिकार मे ले लिया और 1 अगस्त 1986 को कर्नाटक सरकार के नियन्त्रण वाली बीमार इकाई विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड इस्पात लिमिटेड को भी अपने अधिकार मे ले लिया। पिछले 10 वर्षो से सेल प्राय बढते हुए लाभ की स्थिति

को प्रदर्शित कर रहा है। 31 मार्च 1999 को सेल की अधिकृत पूँजी 5 हजार करोड रूपये तथा चुकता पूँजी 4,130 40 करोड रूपये थी।

तालिका

लोहे और इस्पात का उत्पादन (मिलियन टन में)

मद	1999—2000	2000—2001	2001—2002 (अप्रैल—दिसम्बर)
1 तैयार माल का उत्पादन	27 17	29 27	21 98
	(14 0)	(7 7)	(—0 3)
(a) मुख्य उत्पादक	11 27	12 49	9 50
	(13 7)	(10 7)	(1 9)
(b) गौण उत्पादक	15 90	16 78	12 48
	(14 2)	(5 5)	(—2 0)
2 कच्चे लोहे का उत्पादन	3 18	3 40	2 88
	(6 1)	(6.8)	(8 9)
(a) मुख्य उत्पादक	1 23	0 96	0 78
	(—9 4)	(—21 3)	(7 3)
(b) गौण उत्पादक	1 95	2 43	2 11
	(18 9)	(24 5)	(9 5)
3 कुल उत्पादन (1 + 2)	30 35	32 67	24.86

नोट— कोष्ठक मे दिये गये ऑकडे पिछले वर्ष की समान अवधि मे हुए प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाते हैं।

विगत कुछ वर्षो मे इस्पात उद्योग के उत्पादन को तालिका 4 मे प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2000—01 मे इस्पात की खपत 26 65 मिलियन टन थी, जबकि 1999—2000 में यह 25 01 मिलियन टन थी। वर्ष 2000—01 मे तैयार इस्पात का निर्यात 2 67 टन था। जो

1999–2000 मे 260 मिलियन टन था। लोहे और इस्पात से बनी सभी वस्तुओ के आयात और निर्यात की वर्तमान मे पूरी छूट है। वर्ष 2000–01 के दौरान बिक्री योग्य इस्पात का आयात 18 मिलियन टन था।

लघु इस्पात संयन्त्र :– बिजली की इस्पात भट्टियॉ, जिन्हे सामान्यत लघु इस्पात सयत्र कहा जाता है, रद्दी (स्क्रेप) धातु और स्पन्ज लोहे से इस्पात तैयार करती है, ये सयत्र हमारे देश के इस्पात उद्योग के महत्वपूर्ण भाग हैं, एकीकृत इस्पात सयत्र प्राय विशाल मात्रा मे नम इस्पात का उत्पादन करते है, जबकि लघु इस्पात सयन्त्र नम इस्पात के साथ–साथ मिश्र इस्पात भी तैयार करते है, जिसका एकीकृत इस्पात सयन्त्रो द्वारा उत्पादन महॅगा पडता है 1999–2000 मे इस क्षेत्र ने 700 लाख टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया था, जुलाई 1991 मे घोषित नई औद्योगिक नीति मे लोहे और इस्पात को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगो की सूची से निकाल दिया गया है और इसके लिए लाइसेस की अनिगर्मता भी समाप्त कर दी गई है

विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना (VSP)

यह भारत मे तट निकट स्थित पहली एकीकृत इस्पात योजना है, जिसे दक्षिण क्षेत्र मे आन्ध्र प्रदेश मे विशाखापत्तनम मे बन्दरगाह के पास स्थापित किया गया है इस सयत्र की वार्षिक क्षमता 30 लाख टन कच्चे इस्पात की है, इस परियोजना द्वारा निर्मित पिग इस्पात और वायर रॉड की किस्म अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की है इस परियोजना मे लगभग 15000 कर्मचारी कार्य करते है तथा वर्ष 1996–97 मे इसकी उत्पादकता 186 टन प्रति व्यक्ति वार्षिक के लगभग थी, जोकि भारत के किसी भी इस्पात सयत्र राष्ट्र को समर्पित किया था, 1999–2000 मे इस कारखाने मे 294 लाख टन धातु , 266 लाख टन तरल इस्पात, 238 लाख टन विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन हुआ ।

लौह तथा इस्पात उद्योग की समस्याए

1 सरकारी क्षेत्र की इकाइयो की अकुशलता।

2 प्रशासित कीमतो की समस्या।

3 क्षमता का अल्प प्रयोग।

4 मिनी स्टील प्लाटो की रूग्णत।

5 कोकिग कोल की कमी।

चीनी उद्योग (Sugar Industry) :- चीनी उद्योग देश की प्रमुख कृषि पर आधारित उद्योगो मे से एक है कुटीर उद्योग के रूप मे इसका विकास 3000 वर्ष ईसा पूर्व से माना जाता है, किन्तु बडे उद्योग के रूप मे इसका विकास 20 वी सदी से प्रारम्भ हुआ, कृषि उत्पादो पर आधारित उद्योगो मे सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग द्वितीय वृहत्तम उद्योग है, यह उद्योग न केवल लाखो लोगो को रोजगार प्रदान कर रहा है, बल्कि उप–उत्पादो तथा सह–उत्पादो से सम्बन्धित उद्योगो को विकसित करने की क्षमता भी रखता है। 2000–2001 मे देश मे कार्यरत चीनी मिलो की सख्या 493 थी जबकि 1950–51 मे इसकी सख्या 138 है ,इन मिलो मे से 271 मिले सहकारी क्षेत्र मे हैं, वर्ष 1999–2000 मे चीनी की वार्षिक खपत154 2 लाख टन होने का अनुमान था जिसमे से 46 लाखटन की आपूर्ति सा वि प्र के जरिए की जाती थी। 2000–2001 के दौरान चीनी की उत्पाद184–21 लाख टन था जो अब तक का सर्वाधिक उत्पादन था वर्ष 2001–2002 मे चीनी का उत्पादन था वर्ष 2001–2002 मे चीनी का उत्पादन 175 लाख टन होने की आशा की जाती है वर्ष 2000–2001 के दौरान 12 5 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया जबकि 1999–2000 मे 30,012 टन चीनी का आयात किया गया था।

भारत विश्व मे चीनी उत्पादन एव उसकी खपत करने वाला सबसे बडा देश है और चीनी उत्पादन मे अकेले महाराष्ट्र राज्य का उत्पादन एक–तिहाई से अधिक है। देश मे चीनी मिलो की सख्या महाराष्ट्र में सबसे अधिक है।

अभी तक चीनीं मिलों की स्थापना के लिए लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य था,किन्तु 20 अगस्त,1998 को सरकार ने इन उद्योग को लाइसेन्स मुक्त करने की घोषणा कर दी।गन्ने

के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित साविधिक न्यूनतम मूल्य के अतिरिक्त राज्य सलाहकारी कीमते भी राज्यो द्वारा निर्धारित की जाती है,जो कि साविधिक न्यूनतम कीमतो से ऊँची होतीहै। कृषको को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए ' कृषि मूल्य लागत आयोग 'की स्थापना की गई है, जो फसल आने से पहले फसलो के समर्थन मूल्यो का सुझाव सरकार को देता है और अधिकाशत केन्द्र सरकार गन्ने के साविधिक समर्थन मूल्य (SMP) उसके सिफारिशी मूल्य से अधिक ही घोषित करती है। चीनी उद्योग वर्ष 2001–2002 (अक्टूबर–सितम्बर) के लिये गन्ने के SMP मूल्य 62 05 रूपये प्रति क्विटल निर्धारित किये गए थे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 1फरवरी 2001 से केवल BPL को वितरण करने के लिये खुले बाजार मूल्यो से कम कीमत पर चीनी उत्पादन का कतिपय हिस्सा (15%) राज्य सरकारो और सघ राज्य क्षेत्रो को लेवी के रूप मे आवटित किया जाता है। खुले बाजार मे बिक्री के लिए जारी की गई चीनी पर कोई मूल्य नियन्त्रण नही है। 20 अगस्त, 1998 को केन्द्र सरकार ने चीनी उद्योग पर 1931 से लागू लाइसेन्स व्यवस्था समाप्त कर दी, किन्तु दो चीनी मिलो के बीच 15 किलोमीटर के फासले की शर्त को जारी रखा गया है। नई चीनी मिलो पर क्षमता से सम्बन्धित भी कोई शर्त लागू नही की गई है। वर्ष 2000–2001 के बजट मे सरकार ने आयकरदाताओ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी उद्योग की सुविधा से वचित कर दिया था। सरकान ने वर्ष 2002–2003 के दौरान चीनी उद्योग को पूरी तरह से नियत्रण मुक्त करने का निर्णय किया है। विनियत्रण की समाप्ति के बाद चीनी की लेवी खरीद की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।

चीनी उद्योग की समस्याए

1 चीनी मिलो द्वारा कुल गन्ना उत्पादन का एक छोटा–सा भाग ही प्रयुक्त कर पाना।

2 प्रति हेक्टेयर गन्ने की निम्न उत्पादकता।

3 उत्तम किस्म के गन्ने की कमी।

4 उत्पादन लागतो मे वृद्धि।

5 मिलो के आधुनिकीकरण की समस्या।

6 मौसमी उद्योग।

7 अनुसधान की कमी।

8 चीनी मिलो द्वारा कृषको को गन्ने के मूल्य का पूरा–पूरा भुगतान न कर पाना।

सरकारी प्रयत्न–चीनी उद्योग के विकास के लिए धन एकत्र करने हेतु1982 मे एक **'चीनी विकास कोष'** की स्थापना की गई थी। इस कोष का उपयोग मिलो के आधुनिकीकरण एव मिल क्षेत्रो मे गन्ने के विकास के लिए आसान शर्तो पर ऋण प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। उद्योग मे तकनीकी कुशलता के सुधार हेतु कानपुर (उ प्र) मे **इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ सुगर टेक्नोलॉजी** की स्थापना भी की गई है।

सरकार ने हाल ही मे चीनी के निर्यात को डिकैनालाइज (Decanalise) करने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप अब चीनी मिले सीधे ही चीनी का निर्यात कर सकेगी अभी तक इसका निर्यात केवल इण्डियन सुगर एण्ड जनरल इण्डस्ट्री एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट कॉर्पोरेशन (ISGIEIC) के माध्यम से ही होता है।

कोयला उद्योग (Coal Industry):- भारत मे कोयले की खोज का श्रेय सभर और हैटली नामक दो अग्रेजो को जाता है। उन्होने रानीगज और वीरभूम क्षेत्रो मे कोयला उल्लखन के लिए 1774 ई मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अध्यक्ष वारेन हेस्टिंग्स से आज्ञा मानी थी। यद्यपि उन्हे कोयला का हल्की श्रेणी का मिला, फिर भी उनके प्रयास से देश मे कोयला क्षेत्रो का सर्वेक्षण प्रारम्भ हो गया था। 1814 ई मे रानीगज मे ही रूपर्ट जोन्स की रिपोर्ट के आधार पर कोयले की खुदाई शुरू की गई। 1830 ई0 मे रानीगज क्षेत्र मे कई नई खानो का पता लगाया गया।

भारत मे उपलब्ध शक्ति साधनो मे कोयला उद्योग का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय कोयला उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। जिस पर अन्य उद्योगो का विकास निर्भर करता है। खाडी सकट के पश्चात् इसका महत्व और बढ गया। वर्तमान समय के शक्ति के

साधन के रूप उद्योग का महत्व का परिचायक है। कुल ऊर्जा उपभोग के कोयले का अश 67% है। कुल कोयला उत्पादन मे गैर–कोकिग कोल का भाग लगभग 90% है।

कोयला उत्पादक क्षेत्र

हमारे देश मे कोयला उत्पादक क्षेत्रो को दो भागो मे विभाजित किया जा सकता है।

1 **गोडवाना कोयला क्षेत्र** – इस क्षेत्र का अधिकाश कोयला सोन, दामोदर, गोदावरी, वर्धा आदि नदियो की घाटियो मे स्थित है। हमारे देश मे प्राप्त होने वाले कुल कोयले का 98 प्रतिशत भाग गोडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाला कोयला इन्थ्रेसाइट और बिटूमिनस किस्म का होता है। गोडवाना क्षेत्र का अधिकाश कोयला पश्चिम बगाल, बिहार, उडीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आध्र प्रदेश आदि राज्यो मे मिलता है।

2 **टरशियरी कोयला क्षेत्र**– इस क्षेत्र से देश मे प्राप्त होने वाली कुल कोयले का केवल 2 प्रतिशत कोयला ही प्राप्त होता है। टरशियरी क्षेत्र का कोयला जम्बू–कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश आदि राज्यो मे इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाला कोयला लिगनाइट किस्म का होता है, जिसे 'भूरा कोयला' भी कहा जाता है।

कोयला उद्योग की वर्तमान स्थिति

अद्यतन स्थिति के अनुसार, **कोयला उत्पादन में आज भारतका विश्व में तीसरा स्थान है।**

1जनवरी, 2001 को भारत मे कोयले के भण्डार का राज्यवार अनुमानित वितरण इस प्रकार है –

राज्य	भण्डार (मिलियन टन मे)
आन्ध्र प्रदेश	13,674 90
अरूणाचल प्रदेश	90 23
असम	320 21
बिहार (झारखण्ड सहित)	69,174 59
मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ सहित)	44,139 02
महाराष्ट्र	7,295 56
मेघालय	459 43
नागालैण्ड	19 94
उडीसा	51,571 29
उत्तर प्रदेश	1,061 80
प बगाल	25,918 54
योग	**2,13,905 51**

देश के कोयला उद्योग मे लगभग 800 करोड रूपए की पूँजी विनियोजित है तथा 7 लाख से अधिक लोगो को रोजगार मिला है। भारतीय भू–गर्भ सर्वेक्षण के अनुसार, भारत मे 1 जनवरी 2001 तक 21390 55 करोड टन कोयले के भण्डार थे, जो 1200 मीटर की गहराई तक 0 5 मीटर या उससे मोटी परत के रूप मे विद्यमान थे। भारत मे कोयले का उत्पादन 2000–2001 मे 309 6 मिलियन टन था।

देश के प्रमुख कोयला क्षेत्रो मे रानीगज, झरिया, पूर्वी व पश्चिमी बोकारो, पेन्च कन्हान, तवाघाटी, जलचर, चन्दा–वर्धा व गोदावरी घाटी है।

ऊर्जा के स्रोत के रूप मे कोयले के महत्व तथा कोयले की बढती मॉग की पूर्ति के लिए आवश्यक निवेश को देखते हुए कोयला उद्योग का 1972 व 1973 मे दो चरणो मे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किन्तु कोयला क्षेत्र मे निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 मे 9 जून, 1993 को सशोधन कर दिया गया। खुले सामान्य लाइसेन्स (OGL) के अन्तर्गत कोकिग कोल के आयात को अनुमति प्रदान करके आयात शुल्क को 85% से घटाकर 35% कर दिया गया। 1 मार्च, 1996 से केन्द्र सरकार ने कोकिग कोयले तथा ए बी व सी श्रेणी के गैर–कोकिग कोयले पर से मूल्य नियत्रण हटा लिया है। उल्लेखनीय है कि कोयले की कुल आपूर्ति मे लगभग 17% भाग कोयले की उपर्युक्त किस्मो का है। वर्तमान समय मे भारतीय कोयला उद्योग का सचालन एव नियत्रण सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित दो प्रमुख सस्थानो–कोल इण्डिया लि० (CIL) तथा सिगरेनी कोलरीज द्वारा किया जा रहा है। कोल इण्डिया लि का देश मे कोयले के कुल उत्पादन के लगभग 90 प्रतिशत भाग पर नियत्रण है। यह एक धारक कम्पनी (Holdıng Co) है तथा इसके अधीन 7 कम्पनियॉ कार्यरत है। सिगरेनी कोलरीज आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार का सयुक्त उपक्रम है। कोयले के कुल उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत भाग इस कम्पनी से प्राप्त होता है।

तालिका

1 जनवरी, 2001 को भारत मे कोयले के भण्डार का राज्यवार अनुमानित वितरण

राज्य	भण्डार (मिलियन टन मे)
आन्ध्र प्रदेश	13,674 90
अरूणाचल प्रदेश	90.23
असम	320 21
बिहार (झारखण्ड सहित)	6,9174 59

मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ सहित)	44,139 02
महाराष्ट्र	7,259 56
मेघालय	459 43
नागालैण्ड	19 94
उडीसा	51,571 29
उत्तर प्रदेश	1,061 80
प बगाल	25,918 54
योग	2,13,905 51

कोयला मत्रालय ने नौवी पचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (2001–2002) तथा दसवी योजना के अन्तिम वर्ष (2006–2007) के लिए कोयले की मॉग का अनुमान क्रमश 43 99 करोड टन तथा 65 30 करोड टन का लगाया है।

रेशम उद्योग (Silk Industry) :-आदिकाल से ही रेशम भारत का प्रमुख उद्योग रहा है। वर्ष 1999–2000 मे देश मे कुल रेशम उत्पादन मे से मलबरी किस्म के रेशम का उत्पादन 91 7% इरी रेशम का 6 4%, टसर रेशम का 1 4% तथा मूगा किस्म की रेशम का उत्पादन 0 5% था। रेशम व्यवसाय कृषि पर आधारित गृह उद्योग है। वर्ष 1999–2000 मे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो मे लगभग 94 लाख लोग इस उद्योग के जरिए अपनी आजीविका चला रहे थे। चीन के बाद भारत विश्व मे प्राकृतिक रेशम उत्पन्न करने वाला दूसरा बडा सबसे बडा उत्पादक देश है। भारत मे कुल कपडा निर्यात मे रेशमी वस्त्रो का हिस्सा लगभग 3% है। 2000–2001 के दौरान 1,525 74 करोड रूपए मूल्य के रेशमी वस्त्रो का निर्यात किया गया।

विश्व मे रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से प्रारम्भ हुआ। भारत मे भी रेशम का उत्पादन प्राचीन युग से होता आ रहा है। विश्व के कुल रेशम उत्पादन का लगभग 16%

रेशम भारत मे उत्पन्न होता है। भारत के मुख्यत 5 राज्यो–कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, प बगाल तथा जम्मू–कश्मीर मे अधिकाश रेशम का उत्पादन होता है। देश के कुल रेशम उत्पादन का आधे से कुछ अधिक भाग अकेले कर्नाटक मे ही उत्पादित किया जाता है। नए किस्म के रेशमो का सर्वाधिक उत्पादन मणिपुर एव जम्मू–कश्मीर के पठारी क्षेत्रो मे किया जा रहा है।

तालिका से रेशम व इसके उत्पादो का निर्यात

(करोड रूपये में)

वर्ष	निर्यात मूल्य
1990–91	440 00
1993–94	789 26
1999–2000	1,501 78
2000–2001	1,525 74

रेशम उद्योग के विकास हेतु सरकारी प्रयत्न– भारत मे रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए **1949 में केन्द्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना की गई**। केन्द्रीय रेशम अनुसधान प्रशिक्षण सस्थान की स्थापना मैसूर (कर्नाटक) एव बरहमपुर मे की गई है। केन्द्रीय ईरी अनुसधान सस्थान मेन्दीपाथर (मेघालय) मे एव केन्द्रीय टसर अनुसधान प्रशिक्षण सस्थान राची (झारखण्ड) मे स्थापित किए गए है। इसको और व्यापक बनाने के लिए 13 स्थानो पर क्षेत्रीय अनुसधान स्टेशन स्थापित किए गए है। नौवी येाजना मे सरकार ने रेशम उद्योग के विकास के लिए 302 करेाड रूपए का आवटन किया था।

पेट्रोलियम उद्योग [Petroleum Industry] :- पेट्रोलियम के सम्बन्ध मे भारत की स्थिति अभी सन्तोषजनक नही कही जा सकती। द्वितीय पचपर्षीय योजना के आरम्भ तक देश मे केवल डिगबोई (असम) के आसपास के क्षेत्र मे तेल निकाला जाता था। तब से कई और भागो मे तेल निकाला जाने लगा है। भारत के तूल क्षेत्र असम, त्रिपुरा,

मणिपुर, पश्चिम बगाल, मुम्बई, गुजरात, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल के तटीय प्रदेशो तथा अण्डमान एव निकोबार द्वीपसमूह मे स्थित है। देश मे तेल का कुल भण्डार 13 करोड टन अनुमानित किया गया है। किन्तु इतना कुछ होने के बाद भी वर्तमान मे तेल का घरेलू उत्पादन देश की आवश्यकता के हिसाब से काफी कम बैठता है। वर्ष 1950–51 मे देश मे कच्चे तेल का उत्पादन केवल 2 5 लाख टन था। जबकि मॉग 34 लाख टन थी। वर्ष 2000–2001 मे देश मे खनिज तेल का उत्पादन 32 43 मिलियन टन रहा था, जबकि अप्रैल–नवम्बर 2001 के दौरान उत्पादन 21 24 मिलियन टर रहा।

डॉलर के रूप मे तेल आयात बिल 1998–99 मे 6 3 अरब डॉलर था जो 1999–2000 मे बढकर 12 5 अरब डॉलर तथा 2000–2001 मे 18 अरब डॉलर हो गया था। कृषि एव उद्योग क्षेत्रो मे मॉग मे वृद्धि के कारण वित्तीय वर्ष 2001–2002 मे देश में पेट्रोलियम टन रहने की सम्भावना है। जबकि 2000–2001 मे यह खपत 100 मिलियन टन अनुमानित थी।

देश मे खनिज तेल की कुल आवश्यकता के लगभग 30 प्रतिशत भाग की आपूर्ति ही स्वदेशी उत्पादन द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2000–2001 मे कुल 32 43 मिलियन टन खनिज तेल का उत्पादन देश मे हुआ है। जबकि 2001–2002 मे भी यह इतना ही रहने की सम्भावना है। 2001–2002 के दौरान आयात किए जाने वाले अनुमानित 75 मिलयिन टन खनिज तेल मे सर्वाधिक 45 मिलियन टन का आयात भारतीय तेल निगम (IOC) द्वारा किए जाने की सम्भावना है। जबकि दूसरे स्थान पर 27 मिलियन टन तेल का आयात निजी क्षेत्र की रिलायस पेट्रोलियम द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। ज्ञातव्य है कि देश मे कार्यरत् 17 रिफायनरियो की कुल वार्षिक शोधन क्षमता 112 मिलियन टन है।

पेट्रोलियम क्षेत्र की स्थिति (मिलियन टन में)

विवरण	1997–98	1998–99	1999–00	00–01	01–02
					(अप्रैल–नवम्बर)
खनिज तेल का उत्पादन	33 86	32 72	31 95	32 43	21 24
पेट्रोलियम पदार्थो का उत्पादन	61 31	64 54	79 41	95 61	65 82
खनिज तेल का आयात	54 02	39 80	57 80	78 34	–
पेट्रोलियम पदार्थो की खपत	79 80	90 60	97 10	99 60	–
रिफायनरियो का कुल उत्पादन	65 20	68 54	85 96	103 44	70 37
शोधन क्षमता	62 24	–	92 63	112 54	115 0

जिनमे सार्वाधिक क्षमता निजी क्षेत्र की रिलायस पेट्रोलियम कम्पनी की रिफायनरी की है. रिलायस पेट्रोलियम की 27 मिलीयन टन वार्षिक क्षमता वाली जामनगर रिफायनरी विश्व मे सबसे बडी तेल रिफायनरी है तेल रिफाइनरियो का वास्तविक निष्पादन 2000–2001 मे यह 95 प्रतिशत रहने की सभावना है देश मे तेलशोधन क्षमता मे तेजी से वृद्धि के लिये पेट्रोलियम क्षेत्र को जून 1998 से लाइसेन्स मुक्त कर दिया गया है सरकार ने 1 अप्रैल 2002 से पेट्रोल एव डीजल के मूल्यो का निर्धारण पेट्रोलियम कम्पनीयॉ स्वय ही मासिक अथवा त्रैमासिक आधार पर करेगी

8मार्च 2002 को केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार पेट्रोल एव डीजल के बिक्री केन्द्र स्थापित करने का अधिकार मौजूदा चार कम्पनीयो (HPCL, BPCL, IOC, IBP) तक ही सीमित नही रहेगा। इन उत्पादो के बिक्री केन्द्र अब अन्य पात्र कम्पनियो द्वारा भी स्थापित किए जा सकेगे इनमे निजी क्षेत्रो की कम्पनियॉ भी शामिल होगी। यदि इस क्षेत्र मे उनका निवेश कम से कम 2 हजार करोड रूपये का किया गया हो या फिर इतनी राशि का निवेश आगामी 10 वर्षो मे करने की प्रतिबद्वता हो इस प्रकार के विपणन की अनुमति के

लिए रिलायस कम्पनी ने सरकार को आवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है।

सीमेण्ट उद्योग — किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए तीन उद्योग आधारभूत उद्योग माने जाते है जिनमे लोहा एव इस्पात उद्योग का स्थान प्रथम, कोयला उद्योग का द्वितीय व सीमेण्ट उद्योग का स्थान तृतीय है। आधुनिक युग मे भी सभी परियोजनाएँ सीमेण्ट पर ही आधरित होती है। सडक निर्माण, भवन निर्माण, कारखाना निर्माण, सिचाई एव विद्युत् योजनाएँ, आदि सभी मे सीमेण्ट की आवश्यकता है।

(I) उद्योग का विकास—भारत मे सीमेण्ट का प्रथम कारखाना मद्रास मे 1904 मे साउथ इण्डिया इण्डस्ट्रियल लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन वह असफल रहा। अत प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तक सीमेण्ट को आयात किया जाता रहा। 1921—14 के बीच तीन बडे सीमेण्ट कारखाने स्थापित किये गये— गुजरात मे पोरबन्दर नामक स्थान पर टाटा एण्ड सन्स द्वारा इण्डियन कम्पनी के नाम से, मय प्रदेश मे खटाऊ समूह द्वारा कटनी सीमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल कम्पनी के नाम से, व लाखेरी मे किलिक निक्सन द्वारा बूदी पोर्टलैण्ड सीमेण्ट कम्पनी के नाम से। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति पर इन तीनो कारखानो की उत्पादन क्षमता 76 हजार टन थी। युद्ध की समाप्ति के पश्चात् 7 कारखाने और खोले गये। इस प्रकार 1924 मे इन सभी की उत्पादन क्षमता 5 लाख टन हो गयी। इसी बीच विदेशो से भी सीमेण्ट आयात किया जाता रहा। इससे उद्योग मे आपस मे प्रतियोगिता होने लगी। अत उद्योग ने सरक्षण की मॉग की, लेकिन उसे सरकान ने स्वीकार नही किया, फलत आपसी प्रतिस्पर्द्धा को कम करने के लिए 1925 मे इण्डियन सीमेण्ट मैन्यूफैक्चरिग एसोसिएशन की स्थापना की गयी व 197 मे **कक्रीट एसोसिएशन ऑफ इण्डिया** का गठन किया गया जिसका उद्देश्य सीमेण्ट की मॉग मे वृद्धि करना था। 1930 मे इन दोनो सगठनो को मिलाकर **सीमेण्ट मार्केटिग कम्पनी** स्थापित की गयी जिसका उद्देश्य अपने सदस्यो का सीमेण्ट बेचना था।

सन् 1936 मे **एसोसिएटेड सीमेण्ट (A.C.C.) कम्पनी** की स्थापना की गयी

जिसमे डालमियॉ समूह की सीमेण्ट कम्पनियो को छोडकर अन्य सभी कम्पनियॉ इस कम्पनी की सदस्य बन गयी और उन्होने अपने सीमेण्ट को बेचने का अधिकार इस कम्पनी को दे दिया। इस प्रकार भारत मे दो समूह हो गये– ए सी सी व डालमियॉ। 1936 मे राजस्थान मे सवाई माधोपुर नामक स्थान पर जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से एक कारखाना खोला गया। इसके बाद 1939 मे मैसूर राज्य मे भद्रावती नामक स्थान पर एक कारखाना राजकीय कारखाने के रूप मे खोला गया। इसके बाद द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया जिससे उद्योग को अपना उत्पाद बढाने का अवसर मिला। स्वतन्त्रता–प्राप्ति के समय भारत मे 23 कारखाने थे जिसमे से 5 पाकिस्तान मे चले गये। इन कारखानो की उत्पादन क्षमता 19 5 लाख टन थी, लेकिन उस वर्ष मे इनका उत्पादन 14 7 लाख टन था।

योजनाओ मे उद्योग की प्रगति–विभिन्न योजनाओ मे सीमेण्ट के उत्पादन को बढाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया जिसके फलस्वरूप नये–नये कारखाने खोलने की अनुमति दी गयी व पुरानो को अपना विस्तार करने का अवसर दिया गया। प्रथम योजना के प्रारम्भ के समय 21 कारखाने थे जो द्वितीय योजना के अन्त मे 34, तृतीय योजना के अन्त मे 38, चौथी योजना के अन्त मे 51, पॉचवी योजना के अन्त मे 58, छठवी योजना के अन्त मे 89 व सातवी योजना के अन्त मे 316 हो गये है। विगत वर्षो से उद्योग का विकास निम्नवत तालिकानुसार हुआ है।

वर्ष	उत्पादन(लाख टनो मे)
1950–51	27
1970–71	143
1990–91	488
1998–99	880
1999–2000	940

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि सीमेण्ट का उत्पादन गत 49 वर्षो मे लगभग 33 गुना बढा है जो एक उल्लेखनीय प्रगति है। भारत मे 1951 मे प्रति व्यक्ति सीमेण्ट उपभोग 4 4 किलोग्राम था जो अब बढकर 95 किलोग्राम हो गया है, लेकिन यह अन्य देशो की तुलना मे अभी भी कम है। चीन मे प्रति व्यक्ति खपत 325 किलोग्राम, जापान मे 684 किलोग्राम जबकि विश्व का औसत 217 किलोग्राम है। नवी पचवर्षीय योजना मे सीमेण्ट का उत्पादन लक्ष्य 2001–2002 वर्ष के लिए 1,130 लाख टन रखा गया है।

उद्योग की वर्तमान स्थिति– भारत मे इस समय 115 बडे व लगभग 300 छोट सीमेण्ट के कारखाने हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1,100 लाख टन है। इस क्षमता का 85 प्रतिशत निजी क्षेत्र मे व शेष 15 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र मे है। इस उद्योग मे 8,000 करोड रूपये की पूजी लगी हुई है तथा 3 लाख श्रमिक तथा 10 हजार कार्यालय कर्मचारी (Office Staff) कार्य करते है।

भारी इंजीनियरिंग उद्योग (HEAVY ENGINEERING INDUSTRY):-

एक देश के औद्योगीकरण मे इजीनियरिंग उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज विश्व मे जितने भी समृद्ध राष्ट्र है उनकी तीव्र प्रगति का छिपा हुआ रहस्य उन देशो के इजीनियरिंग उद्योग का विकास ही है। विद्धानो का कहना है कि बिना इजीनियरिंग उद्योग के विकास के देश की मशीनो का एक पहिया भी नही चल सकता है।

भारी इजीनियरिंग उद्योग मे कागज, चीनी, जूट, कोयला, आदि उद्योगो की मशीने बनाने वाले कारखाने, डीजल इजन, रेलवे वैगन, शक्तिचालित पम्प, रोडरोलर बनाने वाले कारखाने, मोटरगाडियॉ, जीप, ट्रैक्टर व मोटर साइकिल आदि के कारखाने व भारी स्ट्रक्चरल फब्रिकेशन्स बनाने वाले कारखाने, आदि आते है।

(I) उद्योग का विकास– देश मे इजीनियरिंग उद्योग का विकाश उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्ध मे हुआ था, लेकिन यह उद्योग स्वतन्त्रता–प्राप्ति तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नही कर सका और इसका विकास कुछ विशेष क्षेत्रो तक ही सीमित रहा। इस काल के अधिकाश

उद्योग मरम्मत करने वाले उद्योग थे यद्यपि रेलो की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए कुछ कारखाने रेलवे द्वारा अवश्य खोल गये थे। प्रारम्भ मे इजीनियरिंग उद्योग का विकास मुख्य रूप से कलकत्ता के आस–पास ही हुआ जहॉ कई प्रख्यात कम्पनियो ने कई कारखानो की नीव डाली। द्वितीय विश्वयुद्ध इस उद्योग के लिए एक वरदान के रूप मे रहा जिसने उद्योग को विकास करने का अवसर दिया। स्वतन्त्रता–प्राप्ति से पूर्व यह उद्योग अधिक महत्वपूर्ण नही था। 1939 मे भारतीय इजीनियरिंग एसोसिएशन के सदस्यो की सख्या केवल 58 थी।

योजना मे उद्योग की प्रगति – भारत मे विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत भारी इजनियरिंग उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया। कई नवीन व आधुनिक कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र मे स्थापित किये गये। पुराने उद्योगो को पूर्ण विकास करने का अवसर दिया गया। परिणाम स्वरूप भारी उद्योगो की वस्तुओ का उत्पादन आशातीत गति मे बढा। योजनाकाल मे भारी इजीनियरिंग उद्योग का विकास निम्न प्रकार हुआ है।

विवरण	उत्पादन (करोड रूपये मे)				
	1950–51	1970–71	1990–91	1998–99	2000–01
1 मशीन टूल्स(करोड रूपये में)	0 3	430	773	1,333	1226
2 रेलवे वैगन (हजारो में)	Nil	11	25	N A	28
3 ट्रक व यात्री गाडियॉ (हजारो में)	17	88	366	642	784
4 मोटर–साइकिल व स्कूटर (हजारो में)	Nil	97	1,843	3,278	3755
5 पावर पम्प (हजारो में)	35	259	519	555	481
6 डीजल इजन (हजारो में)	6	65	158	432	306
7 पावर ट्रान्सफॉर्मर (लाख KVA में)	2	81	366	422	703

8 बिजली के मोटर	10	272	586	710	560
9 सूती वस्त्र उद्योग मशीने	—	30	945	N A	N A
10 चीनी उद्योग मशीनें	—	14	87	N A	N A
11 सीमेण्ट उद्योग मशीने	—	4 2	276	N A	N A

उपर्युक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारी इजीनियरिंग क्षेत्र मे भारत ने काफी प्रगति की। यहाँ पर सूती वस्त्र, चीनी व सीमेण्ट के कारखानो के लिए मशीने, मोटर–साइकिले व स्कूटर अब बनने लगे है जिनका 1950–51 तक कोई नाम भी नही था। सभी वस्तुओ का उत्पादन कई गुना बढा है, जैसे, मशीन है कि इस काल मे कई महत्वपूर्ण इकाइयॉ सार्वजनिक क्षेत्र मे स्थापित की गयी हैं जिनमे भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड व हैवी कॉरपोरेशन प्रमुख है।

उद्योग की वर्तमान स्थिति– 1950–51 मे इजीनियरिंग उद्योग का उत्पादन केवल 50 करोड रूपये का था जो 1974–75 मे बढकर 3,600 करोड रूपये व 1998–99 मे 86,000 करोड रूपये के लगभग हो गया है। इजीनियरिंग वस्तुओ का निर्यात 1970–71 वर्ष मे 198 करोड रूपये का हुआ था जो 1998–99 मे बढकर 18,371 करोड रूपये का हो गया है।

जूट उद्योग (JUTE INDUSTRY) :- भारत की औद्योगिक व्यवस्था मे जूट उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले साधनो मे से एक साधन है। विश्व की जूट उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत भाग भारत मे ही उत्पादित होता है। भारत मे जूट 'सोने के रेशे' के नाम से पुकारा जाता है।

(I) उद्योग का विकास– जूट उद्योग भारत का प्राचीन उद्योग है। पहले इसको कुटीर उद्योग के रूप मे चलाया जाता था और कच्चे जूट तथा कपडे (टाट) का निर्यात किया जाता था। आधुनिक जूट मिल की स्थापना सर्वप्रथम 1855 मे कलकत्ता के पास रिशरा नामक स्थान पर एक अग्रेज जॉर्ज आर्कलैण्ड ने एक बगाली व्यापारी श्याम सुन्दरसेन की साझेदारी का व्यापार

शुरू किया। इसके बाद कलकत्ता के निकट हुगली नदी के आस–पास इस प्रकार के अन्य मिल भी स्थापित किये जाने लगे और 1882 तक ऐसे मिलो की सख्या 22 हो गयी। प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक इन मिलो की सख्या बढकर 64 हो गयी थी।

प्रथम महायुद्ध के समय इसकी वस्तुओ की मॉग बढने से इस उद्योग का काफी विकास हुआ और 1925–26 तक इसके मिलो की सख्या बढकर 90 हो गयी, लेकिन विश्वमन्दी से इसके विकास मे बाधा उत्पन्न हो गयी, परन्तु द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने से इस उद्योग को विकास करने का पुन अवसर मिला और देश–विभाजन के समय (1947) तक इस उद्योग के मिलो की सख्या बढकर 106 हो गयी थी।

देश–विभाजन का इस उद्योग पर सबसे बुरा प्रभाव पडा। जूट उत्पादन क्षेत्र का दो–तिहाई भाग पूर्वी पाकिस्तान (अब बगलादेश) मे चला गया, जबकि लगभग सभी मिल भारत के हिस्से मे आये, तब से कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गयी। अत जूट के उत्पादन के क्षेत्र बढाने का प्रयत्न किया गया जिससे कच्चे जूट का उत्पादन जो 1948 मे केवल 17 लाख गॉठे था वह 1951 मे बढकर 33 लाख गॉठे हो गया।

योजनाओ मे उद्योग की प्रगति–योजना काल मे सरकार का ध्यान मुख्य रूप से तीन बातो की ओर रहा है (i) कच्चे जूट के उत्पादन मे वृद्धि, (ii) मिलो की वर्तमान उत्पादन क्षमता मे वृद्धि की अनुमति न देना व (iii) जूट की बनी वस्तुओ – बोरे, टाट, आदि के उत्पादन मे वृद्धि करना। गत वर्षो मे जूट उद्योग की गति निम्न प्रकार रही है

वर्ष	मिलो द्वारा उत्पादन (लाख टनो मे)
1950–51	8 4
1970–71	10 6
1990–91	14.3
1998–99	15.9

इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि उद्योग का उत्पादन घटता–बढता है।इस उत्पादन मे घटने–बढने का मुख्य कारण कच्चे जूट का उत्पादन है जो स्वय घटता–बढता रहता है। नवी पचवर्षीय योजना मे जूट के उत्पादन के लक्ष्य 2001–2002 वर्ष के लिए 17 9 लाख टन रखा गया है।

उद्योग की वर्तमान स्थिति– "इस समय जो जूट मिल कार्य कर रहे है उनमे से 6 मिलो का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। अत वे सरकार के पास है। इन मिलो मे 44,476 करघे है।" इस उद्योग मे 300 करोड रूपये की पूजी लगी है व डेढ लाख व्यक्तियो को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। यह उद्योग प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड रूपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। यह उद्योग अपने कुल उत्पादन का 62 प्रतिशत जूट के बोरे के रूप मे, 20 प्रतिशत टाट के रूप मे व शेष 18 प्रतिशत गलीचो व अन्य वस्तुओ के रूप मे करता है।

स्वतन्त्रता–प्राप्ति के बाद भारत ने अपने औद्योगिक क्षेत्र मे काफी प्रगति की है और वर्तमान मे वह विश्व के उन औद्योगिक देशो मे गिना जाता है जो औद्योगिक क्षेत्र मे उच्च शिखर पर माने जाते हैं। यहॉ पर इस अवधि मे हुए औद्योगिक विकास एव सरचना के परिवर्तनो को अग्र आधारो पर बॉटकर अध्ययन कर सकते है

(अ) आधारभूत उद्योग

(1) लोहा एव इस्पात उद्योग, (2) खान उद्योग,

(3) मैकेनिकल इजीनियरिंग उद्योग, (4) इलेक्ट्रीकल इजीनियरिंग उद्योग,

(5) रसायन उद्योग।

(ब) परिवहन उद्योग।

(स) उपभोक्ता उद्योग।

(द) सुरक्षा उद्योग।

(ई) कुटीर एवं लघु उद्योग।

(अ) आधारभूत उद्योग– आधारभूत उद्योग से अर्थ ऐसे उद्योगो से है जो एक देश के

विकास हेतु परम आवश्यक होते हैं , जैसे लोहा एव इस्पात उद्योग, मैकेनिकल इजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रीकल इजीनियरिंग उद्योग व रसायन उद्योग। अब हम इन उद्योगो के विकास एव सरचना का विस्तृत अध्ययन करेगे

(1) **लोहा एव इस्पात उद्योग**– लोहा एव इस्पात के स्वतन्त्रता–प्राप्ति के समय केवल 2 बडे कारखाने थे, लेकिन आज 8 हैं। इनमे से 1 निजी क्षेत्र मे व 7 सार्वजनिक क्षेत्र मे है। 1950–51 मे ढलवॉ लोहे का उत्पादन 17 लाख टन, इस्पात सिल्लियो का उत्पादन 15 लाख टन व तैयार इस्पात का 10 टन था जो 2000–01 मे बढकर क्रमश 340, 270 व 293 लाख टन हो गया है।

(2) **खान उद्योग**– यद्यपि खानो से कोयला व अन्य वस्तुऍ निकालना 18वी शताब्दी के प्रारम्भ मे ही शुरू हो चुका था, लेकिन स्वतन्त्रता–प्राप्ति के बाद इस उद्योग का काफी विकास हुआ है। खानो मे आधुनिकतम मशीने लगायी गयी है तथा दुर्घटनाओ को रोकने कि लिए व्यापक प्रबन्ध कर पर्याप्त साज–सज्जा का विकास किया गया है। इस सबका परिणाम यह हुआ है कि खानो से मिलने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढा है, जैसे कोयले का उत्पादन 1950–51 में 323 लाख टन था। वह 2000–01 मे बढकर 3,326 लाख टन हो गया, अर्थात् कोयले के उत्पादन मे लगभग दस गुने की वृद्वि हुई है। इसी प्रकार कच्चे लोहे का उत्पादन भी जो 1950–51 मे 30 लाख टन था 2000–01 मे बढकर 707 लाख टन हो गया है।

(3) **मैकेनिकल इजीनियरिंग उद्योग**– यद्यपि स्वतन्त्रता–प्राप्ति के समय से कुछ वर्ष पूर्व मैकेनिकल इजीनियरिंग उद्योग की शुरूआत हो गयी थी, लेकिन इसका विकास तो स्वतन्त्रता–प्राप्ति के बाद ही हुआ है। जैसे (ı) मशीन टूल्स (Machıne Tools) का उत्पादन 1950–51 मे केवल 30 लाख रूपये के मूल्य का था जो 2000–01 मे बढकर 1,226 करोड रूपये का हो गया है। इसी प्रकार (ii) पावर पम्प (Power driven Pump) व डीजल इंजन (Dıesel Engines) का 1950–51 में उत्पादन क्रमशः 35 हजार व 6 हजार था जो 2000–01 मे क्रमशः 4.8 लाख व 3 1 लाख तक पहुॅच गया है।

(4) इलेक्ट्रीकल इजीनियरिंग उद्योग– भारत मे प्रथम बिजलीघर 20वी शताब्दी के प्रारम्भ मे कर्नाटक राज्य मे शिवसमुद्रम नामक स्थान पर बनाया गया था जिसने सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया। इसके लिए सभी प्रकार की मशीनो का आयात किया गया था, लेकिन भारत आज इन मशीनो व मोटरो को स्वय बना रहा है। 1950–51 मे भारत मे 2 लाख KVA के पावर ट्रान्सफार्मर बनाये गये थे, जबकि 2000–01 मे 703 लाख KVA के। इसी प्रकार 1950–51 मे एक लाख बिजली के मोटर बनाये गये थे, लेकिन इनका उत्पादन 2000–01 मे बढकर 56 लाख मोटरे हो गया। बिजली के पखो एव बल्वो का उत्पादन भी काफी बढा है और इस उद्योग का इस सम्बन्ध मे प्रशसनीय विकास हुआ है। 1950–51 मे 2 लाख बिजली के पखे, 1 करोड 50 लाख बल्ब बनाये गये थे, जबकि 2000–01 मे इनका उत्पादन बढकर क्रमश 52 लाख व 44 9 करोड हो गया है।

(5) रसायन उद्योग– भारत के आधारभूत उद्योग मे रसायन उद्योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस उद्योग की शुरुआत 20वी शताब्दी के प्रारम्भ मे ही हो गयी थी, लेकिन इसका विकास स्वतन्त्रता – प्राप्ति के पश्चात ही हुआ है। वर्तमान मे इस उद्योग का उत्पादन 90,000 हजार करोड रूपये है। इस उद्योग को 5 प्रमुख भागो मे बॉट सकते है

(1) रासायनिक खाद– यह खाद दो प्रकार की होती है– एक तो फॉस्फेटयुक्त व दूसरी नाइट्रोजनयुक्त। यहॉ फॉस्फेटयुक्त खाद का उत्पादन 1906 मे व नाइट्रोजनयुक्त खाद का उत्पादन 1938 मे प्रारम्भ हुआ है। 1950–51 मे नाइट्रोजनयुक्त खाद का उत्पादन 9 हजार टन व फॉस्फेटयुक्त खाद का उत्पादन भी 9 हजार टन था। इस प्रकार दोनो खादो का कुल उत्पादन 18 हजार टन था जो 2000–01 मे नाइट्रोजनयुक्त खाद का 110 3 लाख टन व फॉस्फेटयुक्त खाद का 37 5 लाख टन हो गया है। इस समय रासायनिक खाद के कुल 143 कारखाने है।

(2) भारी रसायन– भारी रसायन मे तीन रसायन आते हैं–गन्धक का तेजाब (Sulphuric Acid), सोडा एश (Soda Ash) व कॉस्टिक सोडा (Caustic Soda)। गन्धक के तेजाब का

उत्पादन 19वी शताब्दी के अन्त मे, सोडा एश व कॉस्टिक सोडे का 1940 मे प्रारम्भ हुआ है। पिछले 50 वर्षो मे (1950–51से 2000–01) गन्धक क तेजाब का उत्पादन 27 गुना, सोडा एश का 33 गुना तथा कॉस्टिक सोडे का 118 गुना बढा है। इस समय गन्धक के तेजाब की 109, सोडा एश की 6 व कॉस्टिक सोडे की 38 इकाइयॉ है।

(3) **औषधियॉ और दवाइयॉ**–स्वतन्त्रता–प्राप्ति के समय अधिकाश दवाइयो व औषधियो का आयात होता था। 1947 मे यहॉ केवल 12 करोड रूपये के मूल्य की दवाइयो का उत्पादन हुआ था जो 2000–01 मे बढकर लगभग 15,000 करोड रूपये मूल्य का हो गया है। यहॉ सार्वजनिक क्षेत्र मे कई कारखाने है, जैसे इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड व हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स लिमिटेड।

(4) पेट्रो–**केमिकल्स**–इसका विकास स्वतन्त्रता–प्राप्ति के बाद हुआ है।इसकी वर्तमान मे चार बडी इकाइयॉ है–राष्ट्रीय रसायन उद्योग लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड, नफ्ता प्लाण्ट व हरदीलिया केमिकल्स।1969 मे भारतीय पेट्रो–रसायन लिमिटेड के नाम से एक सार्वजनिक कम्पनी स्थापित की गयी थी।

(5) पेण्ट एवं **वार्निश**– इस उद्योग का विकाश भी स्वतन्त्रता–प्राप्ति के बाद हुआ है। इस समय इसकी 26 इकाईयॉ सगठित क्षेत्र मे व अनेक छोटी इकाईयॉ हैं। 1951 मे इस उद्योग का उत्पादन 34 हजार टन था जो 2000–01 मे बढकर 250 हजार टन हो गया है।

(ब) परिवहन उद्योग– भारत मे स्वतन्त्रता–प्राप्ति के पश्चात परिवहन उद्योग का काफी विकास हुआ है। 1950–51 मे यहॉ 53,600 किलोमीटर रेलमार्ग था, लेकिन आज उसकी लम्बाई 63,028 किलोमीटर से अधिक है। 1948 मे भारत ने पहला डीजल रेल इजन अमरीका से आयात किया था, लेकिन चितरजन लोकोमोटिव वर्क्स, कोलकता अब यह इजन भारत मे ही बना रहा है। इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता 100 डीजल से चलने वाले व 150 बिजली से चलने वाले इजन बनाने की है। इसी प्रकार पहले भारत रेल के सवारी गाडी के डिब्बे विदेशो से आयात करता था, लेकिन अब यह इण्टीग्रल कोच फैक्टरी, पैराम्बुर (तमिलनाडु)

तथा रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला द्वारा बनाये जा रहे है। पहला सवारी गाडी का डिब्बा यहॉ 1955 मे बना। प्रति वर्ष यहॉ इन दोनो कारखानो मे 2000 गाडी के डिब्बे बनाये जाते है। इसी प्रकार डीजल लोकोमोटिव वकर्स, वाराणसी भी रेल के इजन बना रहा है। इसका पहला डीजल इजन जनवरी 1963 मे बनकर तैयार हुआ था। यहा प्रति वर्ष 200 डीजल से चलने वाले इजन बनाये जाते है।

भारत मे प्रथम मोटर गाडी 1898 मे आयात की गयी थी,लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति से कुछ पहले इनके उत्पादन के लिए प्रबन्ध कर लिये गये थे। इस समय देश मे 18 करखाने कारे, ठेलो व जीपो का उत्पादन 7 लाख 84 हजार तथा स्कूटरो, मोटर साइकिलो व मोपेडो का 37 लाख 55 हजार था।

भारत पहले पानी के जहाज विदेशो से मॅगाता था, लेकिन यह हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापटनम द्वारा भारत मे ही बनाये जा रहे है। इस शिपयार्ड की क्षमता 2 या 3 जहाज प्रति वर्ष बनाने की है जिसको बहुत शीघ्र ही 4 जहाज प्रति वर्ष तक लाया जा रहा है। हवाई जहाज बनाने का पहला कारखाना 1940 मे बालचन्द हीराचन्द ने हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से स्थापित किया था जिसे बाद मे भारत सरकार व कर्नाटक सरकार ने ले लिया। इसका पहला जहाज 1953 मे बनकर बाहर आया। 1964 मे हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को नवीन स्थापित हिन्दुस्तान एरोनोटिक लिमिटेड मे मिला दिया गया। वर्तमान मे यह कम्पनी वायु सेना व नागरिक उड्डयन विभाग दोनो के लिए वायुयान बना रही है।

(स) उपभोक्ता उद्योग– स्वतन्त्रता–प्राप्ति के पश्चात् उपभोक्ता उद्योग का काफी विकाश हुआ है। वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र नही बना रहा है बल्कि ऊनी व कृत्रिम रेशे से आधुनिकतम वस्त्रो का निर्माण कर रहा है। घडियॉ जो पहले स्विट्जरलैण्ड या अन्य देशो से आती थी अब H M T (Hindustan Machine tools) नामक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी व अनेक अन्य निजी क्षेत्र की कम्पनियो द्वारा बनायी जा रही है। प्रेशर कुकर हाकिन्स, प्रेस्टीज, प्रिन्स व ऊषा, आदि के नाम बिक रहे है। आज भारत बैटरी, साबुन व सौन्दर्य प्रसाधन (Toilet

and Cosmetics), हल्के पेय (Soft Drink), सिगरेट, बिस्कुट व गोली (Biscuits and Confectionary), रोटी (Bread), साइकिले, रेडियो व टेलीविजन, चश्में के फ्रेम व शीशे, फाउन्टेन पैन, पेन्सिल, दियासलाई, आदि सभी मे आत्मनिर्भर है।

(द) सुरक्षा उद्योग– वैसे तो भारत मे सुरक्षा उद्योग की स्थापना प्रथम महायुद्व के बाद ही हो गयी थी, लेनिक इसका विकास स्वतन्त्रता–प्राप्ति के पश्चात ही हुआ है। यहॉ सभी प्रकार की गोलियॉ, तोप के गोले व अन्य बम बनते है। साथ ही यहॉ, बन्दूक, मशीन गन, तोप, रडार, लडाकू हवाई जहाज, पनडुब्बी, समुद्री सेना के लिए जहाज, सेना के लिए ट्रक, जीप, मोटर साइकिले आदि सभी कुछ बनाने के कारखाने है। जिससे भारत इस क्षेत्र मे आत्मनिर्भर हो गया है।

(ई) लघु उद्योग– स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात लघु उद्योगो के विकास व सरचना मे काफी परिवर्तन आया है। पहले कलात्मक व हाथ ही वस्तुओ का निर्माण अधिक होता था, लेकिन वर्तमाम मे ऐसा नही है। अधिकाश लघु उद्योगो के मालिक शक्ति एव आधुनिक औजारो का अधिकतम उपयोग करने लगे है तथा उनका उत्पादन प्रमाणित होने लगा है। इससे अब वे वृहत उत्पादन की इकाइयो से टक्कर लेने लगे है। 1961 मे यह 36 हजार इकाइयॉ लघु उद्योगो के रूप मे सरकार के यहॉ रजिस्टर्ड थी जिनकी सख्या वर्तमान मे बढकर 33 7 लाख हो गयी है। इसमे बिना पजीकृत इकाइयॉ भी शामिल है। यह इकाइयॉ 5 हजार वस्तुओ का निर्माण करती है। 2000–01 मे इन सभी इकाइयो मे 6,45,496 करोड रूपये के मूल्य की वस्तुओ का निर्माण किया है। आजकल लघु उद्योग का देश के कुल औद्योगिक उत्पादन मे हिस्सा 40 प्रतिशत के लगभग ही है, परन्तु आशा है भविष्य मे इनका उत्पादन 50 प्रतिशत तक पहुॅच जायेगा

भारत मे आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 से प्रारम्भ किया गया है। अब तक नौ पंचवर्षीय, तीन वार्षिक योजनाए, तीन वर्ष का अन्तरकाल पूरे हो चुके हैं। इस प्रकार आर्थिक नियोजन के 51 वर्ष हो चुके है। जिसमे नये–नये एव आधुनिक उद्योग स्थापित हुए है। पुराने

उद्योगो का विकास किया गया है। औद्योगिक उत्पादन बढाया गया है। श्रमिको की सख्या मे काफी वृद्धि हुई है। उद्योगो मे भारी मात्रा मे पूजी का विनियोजन किया गया है। विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत औद्योगिक विकास निम्न प्रकार हुआ है

प्रथम योजना (1951-56)– प्रथम योजना मे औद्योगिक विकास कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान नही किया गया, क्योकि प्रथम योजना मूलत कृषि विकास पर आधारित थी, लेकिन फिर भी उद्योग एव खनिज विकास पर 55 करोड रूपये सार्वजनिक व्यय के रूप मे किये गये। निजी क्षेत्र द्वारा भी अपने उद्योगो के विकास पर 229 करोड रूपये व्यय किये गये। इस प्रथम योजना काल मे अनेक आधार भूत उद्योग जैसे–सिन्दरी उर्वरक, हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिन्दुस्तान केबिल्स , हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (HMT) , हिन्दुस्तान एन्सेक्टीसाइड्स, पिप्परी पेन्सीलिन प्लाण्ट, हिन्दुस्तान एण्टिबायोटिक्स, एण्टीग्रल कोच फैक्टरी, नेपाल न्यूज प्रिण्ट, आदि स्थापित किये गये निजी क्षेत्र मे भी साइकिल, टाइपराइटर्स, डीजल पम्प एव इजिन, मशीनरी औजार, आदि के उत्पादन मे काफी वृद्धि हुई है।

द्वितीय योजना (1956-61) – द्वितीय योजना मे उद्योगो के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया गया और दृढ औद्योगिक प्रगति की नीव रखी गयी। द्वितीय योजना मे वृहद उद्योग एव खनिज विकास पर 938 करोड रूपये व्यय किये गये। इस योजना मे विकास की दर 66 प्रतिशत रही। इस काल में तीन इस्पात कारखानो – राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर की नीव रखी गयी। मैसूर इस्पात, चितरजन रेल कारखाना, पैराम्बूर इटीग्रल कोच फैक्टरी, सिन्दरी कारखाना का विस्तार किया गया। जूट, सूती वस्त्र, चीनी, सीमेण्ट, कागज के कारखानो मे काम आने वाली मशीनो के निर्माण की व्यवस्था की गयी। इस द्वितीय योजना काल मे औद्योगिक उत्पादन का सूचकाक भी काफी बढा।

तृतीय योजना (1961-66)– इस योजना मे तीव्र औद्योगिकीकरण पर जोर दिया गया इसके परिणामस्वरूप भिलाई, राउरकेला एव दुर्गापुर के इस्पात कारखानेा के उत्पादन क्षमता मे वृद्धि कर एव नवीन चौथा कारखाना–बोकारो की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया

गया। कोयला खानो की मशीनो के उत्पादन का कारखना, रॉची मे भारी मशीन का कारखना, हिस्न्दुस्तान मशीन टूल्स की नई उत्पादन इकाइयो की स्थापना, भारी विद्युत सयन्त्रो की स्थापना, आदि कार्य भी इसी काल मे किये गये। सार्वजनिक क्षेत्र की इण्डियन ड्रक्स एव फार्मेस्यूटिकल्स लि की तीन नवीन इकाइयो की स्थापना भी इसी काल मे की गयी। इस योजना काल मे सार्वजनिक क्षेत्र मे 1,726 करोड रूपये उद्योग एव खनिज के विकास पर व्यय किये गये। इस योजना मे औद्योगिक उत्पादन लक्ष्य 11 प्रतिशत वार्षिक रखा गया था, लेकिन वास्तविक उपलब्धि 9 प्रतिशत वार्षिक ही रही।

तीन वार्षिक योजनाएॅ (1966-69)– तीन योजनाओ के बाद तीन वार्षिक योजनाएॅ अपनायी गयी। जिनमे कुल मिलाकर 1,510 करोड रूपये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एव खनिज पर व्यय किये गये। तथा औद्योगिक उत्पादन दर 2 प्रतिशत रही, इस काल मे आधारभूत एव उत्पादक उद्योगो की विद्यमान क्षमताओ का पूर्ण उपयोग करने एव नवीन क्षमताओ का सृजन करने का प्रयास किया गया।

चतुर्थ योजना (1969-74)– चतुर्थ योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र मे उद्योग एव खनिज के विकास पर 2,864 करोड रूपये व्यय किये गये इसके अतिरिक्त निजी उद्योगो ने भी 2,250 करोड व्यय किये गये। इस काल मे अधूरी औद्योगिक परियोजनाओ को पूरा करने, विद्यमान इकाइयो की क्षमताओ मे वृद्धि करने एव कुछ नवीन उद्योगो की स्थापना पर बल दिया गया। अत औद्योगिक लाइसेस नीति मे 1970 व 1973 मे कुछ सुधार किये गये। बैंको व कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस योजना काल मे औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य 8–10 प्रतिशत तक रखा गया था, लेकिन औसत वृद्धि 4 7 प्रतिशत रही।

पॉचवी योजना (1974-79)– इस योजना मे उद्योग एव खनिज विकास पर 8,989 करोड रूपये व्यय किये गये। इस योजना का उद्देश्य 8 1 प्रतिशत वार्षिक दर से औद्योगिक विकास करना था, लेकिन वास्तविक दर 5 9 प्रतिशत ही रही।

छटवी योजना (1980-85)– उद्योगो पर 16,663 करोड रूपये सार्वजनिक क्षेत्र मे व्यय किये गये जिससे इस योजना का विकास दर 5 2 प्रतिशत रही ।

सातवी योजना (1985-90)– मे औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र मे 19,708 करोड रूपये व्यय करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन वास्तविक व्यय 25,971 करोड रूपये का हुआ है। विभिन्न योजनाओ मे औद्योगिक विकास दर इस प्रकार रही है– प्रथम योजना 7 3 प्रतिशत, द्वितीय योजना 6 6 प्रतिशत, तृतीय योजना 9 प्रतिशत, चतुर्थ योजना 4 7 प्रतिशत, पचम योजना 5 9 प्रतिशत, छठवी योजना 5 2 प्रतिशत तथा सातवी योजना 7 8 प्रतिशत।

आठवी योजना मे उद्योगो पर 48,102 रूपये व्यय हुए है जो कुल योजना 9 7 प्रतिशत बैठताहै।

नवी योजना मे उद्योगो पर 65,148 करोड रूपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है। और औद्योगिक विकास पर 8 2 प्रतिशत निर्धारित की गयी है।

वर्तमान स्थिति– उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है जो कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत उत्पादन करता है। दूसरा स्थान पश्चिमी बगाल का है जो 9 8 प्रतिशत उत्पादन करता है। इसके बाद तीसरा स्थान तमिलनाडु का चौथा स्थान गुजरात तथा पाचवॉ स्थान कर्नाटक का है। भारतीय योजनाओ के 50 वर्षो(1950-51) से 2000–01 मे उद्योगो ने काफी प्रगति की है।

इस प्रगति को उद्योगो के उत्पादन ऑकडो से आक सकते है। यह ऑकडे निम्न प्रकार है

		औद्योगिक उत्पादन	
		1950—51	2000—01
1 तैयार इस्पात	(लाख टनो मे)	10	293
2 सीमेण्ट	(लाख टनो मे)	27	995
3 चीनी	(लाख टनो मे)	11	184
4 मशीनी औजार	(करोड रूपये मे)	0 3	1226
5 सूती वस्त्र	(करोड मीटरो में)	421	1972
6 नाइट्रोजन उर्वरक	(हजार टनो में)	9	11,025
7 वनस्पति	(हजार टनो मे)	155	1,257
8 कागज व गत्ता	(हजार टनो में)	116	3,090
9 ऐलुमिनियम	(हजार टनो में)	4	640
10 साइकिले	(हजारो मे)	99	14,974

उपर्यक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है। कि 50 वषो के नियोजन काल मे औद्योगिक उत्पादन काफी बढा है। तैयार इस्पात 29 गुना, सीमेण्ट मे 37 गुना, चीनी मे 17 गुना, मशीनी औजार मे 4,087 गुना, नाइट्रोजन 1,125 गुना, बनस्पति मे 8 गुना, कागज मे 27 गुना, ऐलुमिनियम मे 155 गुना व साइकिलो मे 151 गुना।

पिछले दस वर्षो मे लघु उद्योगो का विकास हुआ है जिसका विवरण निम्न प्रकार है

वर्ष	इकाइयो की सख्या (लाखो मे)	रोजगार (लाखो मे)	उत्पादन (वर्तमान मूल्य) करोड रूपयो मे)
1993—94	23 9	139 4	2,41,648
1994—95	25 7	146 6	2,98,886
1996—97	28 0	160 0	4,11,858
1998—99	30 8	171 2	5,20,650
2000—2001	33 7	185 6	6,45,496

इस सात वर्ष की अवधि मे इकाइयो की सख्या 23 9 लाख से बढकर 33 7 लाख हो गई है। इसी प्रकार श्रमिको की सख्या भी 139 4 लाख से बढकर 185 6 लाख हो गई है। उत्पादन भी बढा है जो इसी अवधि मे 2,41,648 करोड रूपऐ से बढकर 6,45,496 करोड रूपए हो गया है।

1991 से अब तक वृहत उद्योगो का भी काफी विकास हुआ है। इस विकास को कुछ उद्योगो के आकडे देकर ही प्रदर्शित किया जा रहा है, यद्यपि उद्योगो का क्षेत्र काफी विशाल है।

	उद्योग	1990—91	2000—01
1	कोयला (लाख टनो में)	2,225	3,326
2	तैयार इस्पात	135	293
3	मशीनरी औजार (करोड रूपयो मे)	773	1,226
4	मोटर गाडिया (हजारो मे)	366	784
5	मोटर साईकिल स्कूटर आदि (हजारो में)	1,843	3,755
6	डीजल इजन (हजारो मे)	158	306

7	साईकिले	7,044	14,974
8	विद्युत ट्रान्सफॉर्मर (लाख KW मे)	366	703
9	नाइट्रोजन उर्वरक (हजार टनो में)	6,993	11,025
10	फास्फेट उर्वरक (हजार टनो मे)	2,052	3,745
11	कपडा (करोड वर्ग मीटर मे)	1,543	1,972
12	बिजली उत्पादन (बिलियन) KW	111	499

अन्त मे यह उल्लेख करना प्रासगिक होगा कि लघु उद्योग क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लघु औद्योगिक इकाइयो की सख्या मार्च 1998 मे 34 14 लाख हो गयी। इनके उत्पादनो का मूल्य 4,65,171 करोड रूपये है। इनमे लगभग 167 लाख व्यक्तियो को रोजगार मिला हुआ है। इनके उत्पादनो के निर्यात का मूल्य अब 43,946 करोड प्रति वर्ष हो गया है। अत उपर्युक्त नीति सम्बन्धी उपायो में भविष्य मे लघु उद्योग क्षेत्र का पर्याप्त विकास होना निश्चित है।

पंचम् अध्याय

लघु उद्योगों के सम्बन्ध में सरकारी नीति

आजादी के तत्काल बाद ही उद्योगो के विकास के लिए विभिन्न कदम उठाये गए। पहली पचवर्षीय योजना की अवधि मे इसे तीन अलग–अलग बोर्डो मे विभाजित कर दिया था। नये स्थापित होने वाले बोर्ड थे–अखिल भारतीय हथकरधा बोर्ड (अक्टूबर 1952), अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड (नवम्बर 1952) और अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (1953)। 1954 मे उन उद्योगो की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए जो उपरोक्त बोर्ड के दायरे के बाहर थे और जिन पर उद्योग (विकास एव नियमन) अधिनियम, 1951 लागू नही होता था, लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। इसके अलावा, 1959 मे स्थापित केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अप्रैल 1952 मे पुनर्गठन किया गया और जुलाई मे नारियल जटा बोर्ड की स्थापना की गई। इस तरह पहली पचवर्षीय योजना की समाप्ती पर देश मे छ बोर्ड काम कर रहे थे और उनके दायरे मे सभी लघु और कुटीर उद्योग आते है। इन सबको मिलाकर उस समय एक ऐसा सगठनात्मक ढाचा हुआ था जिसके माध्यम से सरकार ने चार क्षेत्रीय लघु उद्योग सेवा सस्थान स्थापित किए। इनके देश मे फैली हुई शाखाओ का कार्य लघु उद्योगो को तकनीकी सहायता प्रदान करना था। लघु और कुटीर उद्योगो के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने वित्तीय साधनो की भी पर्याप्त व्यवस्था की थी।

दूसरी योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगो के विकास के लिए जो भी उपाय किये गए है। उनमे से विशेष रूप से उल्लेखनीय उपाय निम्नलिखित है

(i) राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग और राज्य स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग की स्थापना की गई।

(ii) जिला और ब्लाक पर उद्योग अधिकारी नियुक्त किए गए।

(iii) 1955 मे शुरू किया जाने वाला औद्योगिक बस्तियो का कार्यक्रम आगे बढाया गया और लगभग 60 औद्योगिक बस्तिया की स्थापित की गई जहा पर कारखानो की स्थापना के लिए बिजली, पानी, यातायात की सुविधा थी।

(iv) कुछ वस्तुओ का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गया।

(v) औद्योगिक सहकारी सहमितियो के सगठन का कार्यक्रम आगे बढाया गया।

(vi) साख, प्रशिक्षण, तकनीकी सलाह, अच्छे औजार आदि के रूप मे लघु उद्योगो को सहायता देने की दिशा मे भी कार्य हुआ। जहा पहली योजना मे लघु उद्योगो के विकास पर केवल 43 करोड रूपये व्यय किये गए थे, वहा दूसरी योजना मे इस कार्य पर 175 करोड रूपए व्यय करने की व्यवस्था की गई।

पहली और दूसरी पचवर्षीय योजनाओ मे सरकार ने लघु उद्योगो के बारे मे अपनी बुनियादी नीति निर्धारित की थी। तीसरी पचवर्षीय योजना मे केवल उसके क्षेत्र को और ज्यादा फैलाया गया। इस योजना मे लघु उद्योगो के विकास पर 241 करोड रूपये व्यय किए गए जबकि प्रस्तावित व्यय की राशि 264 करोड रूपये थी। बाद की योजनाओ मे इस राशि मे काफी वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए छठी योजना मे परिव्यय 1,780 5 रूपये रखा गया जबकि वास्तविक व्यय 1,945 करोड रूपये था। पाचवी तथा छठी पचवर्षीय योजनाओ मे लघु उद्योगो का काफी विकास हुआ। सातवी योजना मे लघु उद्योगों के लिए 2,752,70 करोड रूपये का परिव्यय रखा गया जबकि वास्तविक व्यय 3,249 करोड रूपय था। आठवी योजना मे ग्रामीण व लघु उद्योगो के लिए 6,334 करोड रूपए परिव्यय रखा गया जबकि इस योजना मे वास्तविक व्यय 7,094 करोड रूपए था। लघु इकाइयो की सख्या जो सातवी योजना के प्रथम वर्ष 1985–86 मे 13 56 लाख थी। 1990–91 मे बढकर 19.38 लाख हो गई। इसी अवधि मे लघु क्षेत्र का उत्पादन 57,100 करोड रूपये से बढकर 1,55,340 करोड रूपये तक पहुच गया। जबकि रोजगार 96 लाख लोगो से बढकर 124 30 लाख लोगो तक पहुच गया। जैसाकि ऊपर कहा गया है, 1999–2000 मे लघु क्षेत्र का उत्पादन, चालू कीमतो पर 5,78,470 करोड रूपए तक पहुँच गया। अनुमान है कि इस वर्ष इस क्षेत्र मे 178.50 लाख लोग कार्यरत थे।

लघु उद्योगो का यह व्यापक प्रसार बहुत–सी नीतियो का परिणाम था। इन नीतियो मे विशेष रूप से निम्नलिखित उल्लेखनीय है

(i) लघु क्षेत्र द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओ की सख्या लगातार बढाई जाती रही है और अब इस क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओ की सख्या 812 तक पहुच चुकी है।

(ii) सरकार ने तय किया कि 409 वस्तुओ की खरीद केवल लघु क्षेत्र से की जाएगी।

(iii) सस्थागत साख के लिए लघु उद्योगो को प्राथमिक क्षेत्र मे शामिल किया गया।

(iv) 'अति लघु' इकाइयो को विशेष प्रोत्साहन दिए गए।

(v) लघु उद्योगो के लिए आवश्यक कच्चे माल आदि के आयात के लिए विशेष सुविधाए दी गई।

(vi) लघु उद्योग सेवा सस्थानो, शाखा सस्थानो और प्रसार केन्द्रो के माध्यम से प्रसार सेवाओ को बढाया गया। मई 1986 मे लघु उद्योग विकास फड की स्थापना की गई ताकि लघु उद्योगो के विकास, विवधीकरण तथा पुन स्थापन के लिए पुनर्वित्त सहायता (refinance assistance) दी जा सके। बहुत छोटी लघु इकाइयो की सहायता के लिए 1887–88 मे राष्ट्रीय इक्विटी–फड (Nationla Equity Fund) की स्थापना की गई।

1997 के औद्योगिक नीति वक्तव्य मे जनता सरकार द्वारा जिला उद्योग केन्द्रो का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण कदम था। जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से एक ही छत तले उद्यमियो को सभी प्रकार की सहायता (जैसे साख, कच्चे माल की खरीदारी, प्रशिक्षण, विपणन इत्यादि) उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम को 1मई, 1979 से लागू किया गया। इस समय देश मे 422 जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत है और ये केन्द्र 431 जिलो का काम देख रहे हैं (मुबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई मे इनकी स्थापना नही की गई है)।

बहुत समय तक लघु उद्योगो को आवश्यकता से बहुत कम साख सुविधाए मिलती रही जिसके परिणामस्वरूप इनके विकास मे बाधाए आती रही। परन्तु 1967 मे बैंको पर सामाजिक नियन्त्रण की नीति के बाद से, और विशेष रूप से 1969 मे बैको के राष्ट्रीयकरण के बाद से, इस क्षेत्र को काफी बडी मात्रा मे ऋण मिलने लगे। मार्च 1999 के अत तक लघु उद्योगे को कुल 42,591 करोड रूपए के ऋण बकाया (outstandıng) थे जो कुल बकाया बैंक ऋणो का 1 16 प्रतिशत है। 1999–2000 मे बैंको द्वारा प्राथमिकता क्षेत्रो (prıorıty sectors) को जो ऋण दिए गए उनमे लघु उद्यमो का हिस्सा 39 3 प्रतिशत, कृषि का हिस्सा 33 7 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रो का हिस्सा 27 प्रतिशत था। लघु इकाइयो को और अधिक ऋण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से अभी हाल मे 'एक सस्था से ऋण लेने की योजना' (इसे (Sıngle Wındow Scheme कहा जाता है) को और उदार बनाया गया है। अब छोटे–छोटे उद्योगपति एक ही सस्था राज्य वित्त निगम या फिर राज्य उद्योग विकास निगम से ऋण सम्बन्धी सारी सुविध ााए प्राप्त कर सकते हैं। लघु इकाईयेा को वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से 1990 मे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industrıes Development Bank) की स्थापना की गई। 1999–2000 मे इस बैंक ने 10,435 करोड रूपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। वास्तव मे दी गई सहायता 6,995 करोड रूपए थी। इसके अलावा, 85 ऐसे जिले चुने गए हैं, जिनमे लघु उद्योगो की ऋण सबधी आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए बैंको की विशिष्ट शाखाए खोली जाएगी। अति लघु इकाइयो को उपयुक्त मात्रा मे ऋण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से रिजर्व बैक ने अप्रैल 1997 मे बैको को निर्देश दिया कि लघु उद्योगो को दिए जाने वाले ऋणो मे से 40 प्रतिशत ऐसी इकाइयो को दिया जाए जिनमे
अधिकतम 5 लाख रूपए तक निवेश किया गया है , 20 प्रतिशत ऐसी इकाइयो को जिनमे 5 लाख रूपये से 25 लाख रूपए तक का निवेश है, तथा 40 प्रतिशत ऐसी इकाइयो को जिनमे 25 लाख रूपए से ज्यादा निवेश है। ग्रामीण व पिछडे क्षेत्रो की आधारिक सरचना को मजबूत करने के दृष्टिकोण से आठवी योजना मे 50 एकीकृत आधारिक सरचना विकास केन्द्र

(Integrated Infrastruture Department Centres) स्थापित करने की बात की गई है।

यह सक्षिप्त वर्णन इस बात को स्पष्ट करता है कि आजादी के बाद लघु उद्योग का अभूतपूर्व विकास हुआ है, विशेष रूप से पिछले पन्द्रह वर्षों मे इन उद्योगो ने तेज प्रगति की है। सरकार का दावा है कि ऐसा उसके प्रयासो के कारण सम्भव हुआ है और बहुत से अर्थशास्त्री इस दावे को स्वीकार करते हैं। परन्तु कुछ अर्थशास्त्रियो ने इस दावे का खण्डन किया है। बम्बई, हैदराबाद तथा जयपुर की लघु इकाइयो का अध्ययन करने के बाद साडेसरा इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि जिन लघु उद्योगो को सहायता प्रदान की गई उनकी सम्पत्ति बिना सहायता प्राप्त उद्योगो से बेहतर नही थी। उनके अनुसार क्योकि सहायता प्राप्त उद्योगो को सस्ती कीमतो परपूजी उपलब्ध कराई गई इसलिए इस पजी का 'अपव्यय' किया गया और कई बार श्रम के स्थान पर इसका प्रतिस्थापन किया गया जो रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्यो के अनुकूल नही था। सरकारी नीतियो को आलोचनात्मक मूल्याकन करते हुए अरूण घोष इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि इन नीतियो के परिणामस्परूप लघु उद्योगो को तो लाभ हुआ है परन्तु लघु उद्योगो को खास फायदा नही हुआ है। अरूण घोष के अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार है

(I) बडे शहरो और नगरो मे स्थापित लघु उद्योगो को सरकारी नीति से अधिक लाभ हुआ है और इन इकाइयो का कुल उत्पादन मे हिस्सा बढा है।

(II) वित्तीय सहायता का लाभ अधिकतर लघु उद्योगो के एक छोटे से अश को ही हुआ है।

(III) लघु उद्योगो मे व्यापक पैमाने पर क्षमता का अल्प प्रयोग और औद्योगिक रूग्णता व्याप्त है।

(IV) आधुनिक लघु उद्योग क्षेत्र मे प्रगति की दर काफी अच्छी रही है परन्तु परम्परागत हस्तशिल्प तथा ग्राम उद्योगो के लिए यह बात नही कही जा सकती है (कच्चे माल, साख तथा विपणन इत्यादि के रूप मे सहायता लघु उद्योगो की तुलना मे ग्रामोद्योग

को बहुत कम प्राप्त हुई है)।

(v) इस सबके परिणामस्वरूप, यद्यपि लघु औद्योगिक क्षेत्र मे रोजगार अवसरो का प्रसार हुआ है तथापि ग्रामीण क्षेत्रो मे व्याप्त बेरोजगारी के पैमाने को देखते हुए यह नितान्त अपर्याप्त है। शहरी क्षेत्रो मे भी लघु उद्योगो मे रोजगार अधिकतर बडे शहरो व बडे नगरेा मे ही बढ पाया है।

सरकार ने अगस्त 1991 मे लघु, अति लघु उद्योगो के विकास के लिए इक नीति मे अति लघु इकाइयो की निवेश सीमा को 2 लाख रूपये से बढाकर 5 लाख रूपये कर दिया गया, इन उद्योगो पर लगे स्थानिक प्रतिबधी को हटा दिया गया, तथा इनकी परिभाषा का विस्तार करके उसमे उद्योग से जुडे सभी सेवा व व्यावसायिक उद्यमो (sevice and business enterprises) को शामिल कर लिया गया। लघु क्षेत्र मे आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अन्य औद्योगिक इकाइयो को (इनमे देश की अन्य इकाइया भी हो सकती है तथा विदेशी इकाइया भी हो सकती है) यह अनुमति दी गई है कि लघु व अति लघु क्षेत्र की सम्पूर्ण साख माग को पूरा किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए एक निरीक्षक कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि इस सम्बन्ध मे आने वाली सारी बाधाओ को दूर किया जा सके। सभी कानूनो व नियमो के पुन अवलोकन की बात भी की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके कारण लघु उद्योगो का अहित न हो, उद्यम–क्षमता के विकास व विस्तार के लिए और सुविधाए उपलब्ध कराने की बात की गई है, तथा राष्ट्रीय इक्विटी फड एव 'एक सस्था से ऋण लेने की योजना' (Single Window Scheme) का विस्तार किया गया है।

लघु औद्योगिक नीति (1991)

अगस्त, 1991 को भारत सरकार ने पृथक् रूप से एक लघु औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति मे लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्तीय समर्थन दिए जाने, गुणवत्ता मे सुधार, आधुनिकीकरण एव तकनीकी सुधार, नियमो एव प्रक्रियाओ का सरलीकरण, आदि

पर विशेष बल दिया गया। साथ ही अति लघु इकाइयो हथकरघा तथा ग्रामीण उद्योगो को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का उल्लेख इस नीति मे किया गया है। इस नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार है – • अन्य औद्योगिक उपक्रमो द्वारा लघु क्षेत्र की इकाइयो की इक्विटी पूजी मे भागीदरी की जा सकेगी किन्तु यह कुल शेयर पूजी के 24 प्रतिशत से अधिक नही होगी। • उद्योगो से सम्बन्धित समस्त सेवा क्षेत्र एव व्यावसायिक इकाइयो को अब लघु क्षेत्र मे सम्मिलित किया जाएगा। • लघु क्षेत्र द्वारा बेचे गए माल की कीमत वसूली के लिए फैक्टरिंग सेवाओ का विकास किया जाएगा। • अति लघु इकाइयो (Tiny units) मे पूजी विनयोग की सीमा 2 लाख से बढाकर 5 लाख कर दी गई है। • महिला उद्यमियो की परिभाषा मे सशोधन करके यह शर्त हटा दी गई कि ऐसी इकाइयो मे महिला श्रमिको को प्रध ाानता होनी चाहिए। • लघु उद्योगो मे विनियोग की सीमा 60 लाख रूपये तथा सहायक (Ancillary) एव निर्यतोन्मुख लघु उद्योगो मे विनियोग की सीमा 75–75 लाख रूपये निर्धारित की गई है। • लघु क्षेत्र के निर्यातो को समर्थन देने के लिए लघु उद्योग विकास सगठन (S I D O) को प्रमुख सस्था के रूप मे मान्यता दी गई है। • लघु उद्योग क्षेत्रो को जहा भूमि आबटन, विद्युत कनेक्शन मे वरीयता एव तकनीकी उन्नयन सुविधाओ की सुलभता केवल एक बार मिलेगी वही अति लघु उद्योगो को यह भुगतान समस्या को हल करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की सुविधाओ का जाल पूरे देश मे बिठाया जाएगा और उन्हे वाणिज्यिक बैको के माध्यम से चलाया जाएगा।

लघु उद्योगो मे प्लाण्ट एव मशीनरी मे निवेश की सीमा 1 करोड रूपये है। अति लघु इकाइयो मे निवेश की सीमा को 25 लाख रूपये पर अपरिवर्तित रखा गया है। लेकिन उच्च तकनीक एव निर्यात उद्योगो के लिए लघु उद्योग की सीमा 5 करोड रूपए कर दी गई है।

जे सी साडेसरा के अनुसार, यह नई नीति लघु क्षेत्र की मूलभूत समस्याओ को ध्यान मे रखकर बनाई गई है तथा इससे लघु क्षेत्र के विकास मे आने वाली बाधाओ को दूर करने मे सहायता मिलेगी।

विवेचन के दृष्टिकोण से साडेसरा इस नीति के प्रस्तावो को दो हिस्सो मे बाटते है – (I) लघु व अति लघु उद्यमो के लिए नीति।

(II) ग्रामीण उद्योगो के लिए नीति।

जहॉ तक लघु व अति लघु उद्यमो के लिए नीति का सबध है, साडेसरा इसके चार ऐसे तत्वो की चर्चा करते हैं जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है और जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते है–

1 पहली बात तो यह है कि अति लघु इकाई की परिभाषा मे परिवर्तन किया गया है। अब अति लघु इकाई की निवेश सीमा 5 लाख रूपये होगी (पहले यह 2 लाख रूपये थी)। अब स्थानिक प्रतिबन्ध भी नही होगे (पहले यह प्रतिबन्ध था कि इस प्रकार की इकाइया 50,000 से कम जनसख्या वाले स्थानो मे ही स्थापित की जा सकती है) जहा पहले उद्योग का अर्थ मुख्यतया विनिर्माण क्षेत्र माना जाता था अब इसके अन्तर्गत उद्योग से जुडे सेवा व व्यवसायिक उद्यमो को भी शामिल कर लिया गया है। यह अधिक वास्तविक है। इस प्रकार अब हमारे देश मे 'लघु उद्योग नीति' न होकर 'लघु व्यवसाय नीति' होगी जो अधिक तर्कसगत है (अन्य देशो मे भी लघु व्यवसाय नीति ही है)।

2 दूसरी मुख्य बात यह है कि अति लघु क्षेत्र की इकाइयो के विकास के लिए कुछ विशिष्ट कदम उठाए गए हैं। जहा अन्य लघु इकाइयो को लेकर एक बार प्राथमिकता के आधार पर सहायता मिलेगी (जैसे भूमि प्राप्ति के लिए, बिजली के लिए तथा तकनीकी रूप से आधुनिकीकरण के लिए) वहा अति लघु इकाइयो को इस प्रकार की सहायता लगातार प्रदान की जाती रहेगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत तर्क यह है कि अति लघु क्षेत्र की इकाइयो को सहायता देकर तेजी से विकास करने योग्य बनाया जाए ताकि ये जल्द अपने पाव पर खडी हो सके और इन्हे भविष्य मे कम सहायता की जरूरत पडे।

3 तीसरा मुख्य परिवर्तन इक्विटी मे हिस्सेदारी से सबधित है। नई नीति मे यह व्यवस्था है कि अन्य इकाइया लघु इकाइयों मे 24 प्रतिशत तक की इक्विटी का निवेश कर

सकती है। इससे बडी व छोटी सभी इकाइयो को (खास तौर पर सहायक औद्योगिक इकाइयेा को) काफी लाभ मिल सकता है तथा औद्योगिक क्षेत्र के इन दोनो 'हिस्सो' को एक–दूसरे के और समीप आने का अवसर मिल सकता है। अब लघु इकाइयो को पूरी इक्विटी की व्यवस्था स्वय नही करनी पडेगी। इसके अलावा, बडी औद्योगिक इकाइया भी लघु इकाइयो के अस्तित्व व विकास मे रूचि लेगी।

4 चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवसाय–सगठन का नया कानूनी ढाचा आरभ किया गया है जबकि अन्य साझेदारो को दायित्व उनके द्वारा निवेशित पूजी तक ही सीमित है। यह परिवर्तन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसके परिणामस्वरूप अब लघु उद्योगपतियो के रिश्तेदार व मित्र उन्हे पूजी देने मे हिचकिचाएगे नही क्योकि उनका अपना दायित्व उनके द्वारा निवेशित पूजी तक ही सीमित रहेगा।

नौवी योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र मे इस बात को स्वीकार किया गया है कि लघु क्षेत्र की, रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से, महत्त्वपूर्ण भूमिका है। लघु उद्योगो का विकास क्षेत्रीय असमानताओ को दूर करने मे भी सहायक हो सकता है क्योकि लघु इकाइयो को कई अलग अलग क्षेत्रो मे आसानी से स्थापित किया जा सकता है। बाजार की बदलती हुई आवश्यकताओ के अनुरूप लघु इकाइयो के उत्पादन मे परिवर्तन किए जा सकते है। इतना ही नही। लघु उद्योगो का विनिर्माण क्षेत्र के कुल वर्धित मूल्य मे और देश के कुल निर्यात मे महत्त्वपूर्ण योगदान है। नौवी योजना के दृष्टिकोण प्रपत्र के अनुसान, इन सब तथ्यो के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि "लघु उद्योगो पर निवेश के दृष्टिकोण से, प्रौद्योगिकी मे सुधार के दृष्टिकोण से, आधारिक सरचना उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से, विपणन व साख सुविधाए प्रदान करने के दृष्टिकोण से, परीक्षण व किस्म निरीक्षण तथा प्रशिक्षण सुविधाओ की व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से, अधिक जोर दिया जाए।" नौवी योजना मे लघु उद्योगो के लिए स्वीकार की गई युक्ति के मुख्य तत्व इस प्रकार है

(i) लघु उद्योगो की प्रगति और प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त सहायता व

समर्थन दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विदेशी निवेश इन उद्योगो की प्रतिस्थापित न कर सके।

(ii) बढती हुई प्रतियोगिता स्थितियो का सामना करने तथा प्रौद्योगिकी मे सुधार लाने के लिए, न्यूनतम लाभकारी आकार प्राप्त करने के लिए तथा मुद्रा स्फीति को देखते हुए, लघु औद्येगिक इकाइयो की निवेश सीमा को बढाया जाएगा।

(iii) पैमाने की बचतो, प्रौद्योगिकी मे सुधार तथा निर्यात सभावनाओ को ध्यान मे रखते हुए लघु—क्षेत्र के लिए आरक्षित मदो की सूची पर पुनर्विचार किया जाएगा।

(iv) लघु क्षेत्र की इकाइयो को और ज्यादा ऋण सुविधाए उपलब्ध कराई जाएगी।

(v) लघु उद्योगो, हथकरघा, पावरलूम, नारियल जटा (जिसका प्रयोग रस्सी, चटाई इत्यादि बनाने मे किया जाता है) हस्तशिल्प, ऊन इत्यादि मे प्रयोग की जानेवाली प्रौद्योगिक मे और सुधार लाने के प्रयास किए जाएगे।

(vi) खादी और ग्रामीण उद्योग कमीशन को सगठनात्मक व वित्तीय रूप से और सुदृढ बनाया जाएगा ताकि खादी व ग्रामीण उद्योगो की 20 लाख रोजगार योजना के अधीन, और रोजगार अवसर पैदा किए जा सके।

(vii) गैर सरकारी (non-formal)तथा ग्रामीण क्षेत्रो को और साख सुविधाए प्रदान करने के लिए नई सस्थाओ की व्यवस्था की जाएगी।

(viii) कृषि, ऊन उद्योग तथा खाद्य—ससाधन (food processing) उद्योग के विकास के लिए खास कदम उठाए जाएगे।

30 अगस्त 2000 को प्रधानमत्री ने लघु उद्योग के क्षेत्र तथा अति लघु क्षेत्र के लिए व्यापक पैकेज की घोषणा की जिसके मुख्य तत्व निम्नलिखित है

(i) लघु उद्योग क्षेत्र मे प्रतिस्पर्धा मे सुधार लाने के लिए उत्पादन शुल्क की 50 लाख रूपये की छूट सीम को बढाकर 1 करोड रूपये करना।

(ii) विनिर्दिष्ट उद्योगो मे प्रौद्योगिकी सुधार के लिए दिये गये ऋणो के सबध में 12

प्रतिशत की ऋण सम्बद्ध पूँजी सब्सिडी (credit linkded capital subsidy) उपलब्ध करानाा।

(iii) लघु उद्योगो की तीसरी गणना करना जिसमे रूग्णता और उसके कारणो को भी शामिल किया जायेगा।

(iv) उद्योग से सम्बन्धित सेवा तथा व्यवसाय उद्यम मे निवेश की मौजूदा 5 लाख रूपये की सीमा को बढाकर 10 लाख रूपये करना।

(v) प्रत्येक लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमो के सम्बन्ध मे दशवी योजना के अन्त तक (ISO) प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 75 हजार रूपये प्रदान करने की चालू योजना को जारी रखना।

(vi) लघु उद्योग सघो को परीक्षण प्रयोगशालाओ के विकास तथा सचालन के लिए प्रोत्साहित करना (ऐसे सघो को प्रतिपूर्ति (reimbursement) आधार पर प्रत्येक मामले की विस्तृत जाच के बाद एक बार 50 प्रतिशत की पूजी अनुदान दिया जाएगा)

(vii) सम्मिश्र ऋणो (composite loans) की सीमा 10 लाख रूपये से बढाकर 25 लाख रूपये करना।

(viii) मत्रि मडल के सचिव की अध्यक्षता मे एक ग्रुप का गठन करना जो इस क्षेत्र मे लागू कानूनो व नियमो की गहराई से जाच करे तथा निज कानूनो व नियमो की अब सार्थकता नही रह गई है उन्हे समाप्त करने के लिए आवश्यक सुझाव दे।

(ix) चालू समेकित आधारभूत विकास (Integrated Infrastructure Developmetn) योजना को और क्षेत्र मे लागू करना तथा सारे देश मे इसका विस्तार इस प्रकार करना कि 50 प्रतिशत आरक्षण ग्रामीण क्षेत्र के लिए हो तथा 50 प्रतिशत भूखड (plots) अति लघु क्षेत्र को उपलब्ध हो।

(x) प्रधनमत्री रोजगार योजना (जो माइक्रो उद्यमो (micro enterprises) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देती है तथा शिक्षित बेरोजगारो के लिए रोजगार अवसर पैदा

करती है) के अधीन परिवार की आय पात्रता सीमा (eligibility limit) को 24,000 हजार रूपये प्रतिवर्ष से बढाकर 40,000 रूपये प्रतिवर्ष करना।

इस व्यापक नीति पैकेज को लागू करने की दिशा मे हाल के महीनो मे कुछ कदम उठाए गए है। आर्थिक समीक्षा, 2000—01 मे इन कदमो को निम्नलिखित पाच वर्गो मे बाटा गया है।

1 संपार्श्विक समास्याओ को हल करने तथा प्रौद्योगिकी सुधार को प्रोत्साहित करने की योजनाए। (Schemes to address the problem of collaterals and encourage technology upgradation) लघु क्षेत्र के उद्योगो को सपाश्रिर्वक (collateral) प्रदान करने मे जो कठिलाई होती है उसका समाधान करने के लिए एक साख गारण्टी फड (स्कीम) की शुरूआत की गई है जो इन उद्योगो को वाणिज्यिक बैंको, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैको तथा अन्य वित्तीय सस्थाओ द्वारा 25 लाख रूपये तक दिये गये ऋणो की गारटी देगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए साख गारण्टी ट्रस्ट फड (Credit Guarantee Trust Fund) की स्थापना की गई है। प्रौद्योगिकी मे सुधारो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकान ने 20 सितबर 2000 को ऋण सम्बद्ध पूजी सहायता स्कीम (credit Linkded Capital Subsidy Scheme) को अनुमोदन प्रदान किया जिसके अधीन लघु उद्योगो के कुछ चुनिदा उप—क्षेत्रो मे विशिष्ट राज्य वित्तीय निगमो द्वारा दिए गए ऋणो पर 12 प्रतिशत की दर से बैक एडिड (bank aided) पूजीगत सहायता दी जाएगी। वित्त मत्री के अनुसार, इस योजना के अधीन अगले पाच पर्षो मे लघु उद्योगो को 5,000 करोड रूपए की सहायता प्रदान की जाएगी।

2 उत्पाद शुल्क छूट की सीमा बढाना (Enhancing the excise exemption) 1 सितबर 2000 से लघु उद्योगो के लिए उत्पाद शुल्क छूट की सीमा को 50 लाख रूपए से बढा कर एक करोड रूपए कर दिया गया है।

3 ऋण सुविधाओ मे सुधार (Improving credit) –लघु उद्योगो को और ऋण सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है

(i) मिश्रित ऋण स्कीम के अधीन ऋण सीमा को 25 लाख रूपए तक बढा दिया गया है।

(ii) 5 लाख रूपए तक के ऋणो के लिए समानान्तर जमानत की आवश्यकताओ को समाप्त कर दिया गया है।

(iii) भारतीय रिजर्ब बैक ने अपने डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया है जो लघु उद्योगो को मिलाने वाली ऋण सुविधाओ का निरीक्षण व मानीटरिंग करती रहेगी।

4 सिले सिलाए वस्त्रो पर से आरक्षण हटाना (Dereservation of readymade garments) सरकार के अनुसार सिले सिलाए कपडो पर मे आरक्षण हटा देने से इस क्षेत्र मे प्रौद्योगिकी मे सुधार आएगा, उत्पादकता मे वृद्धि होगी, गुणवत्ता मे सुधार होगा, उत्पाद–विवधीकरण बढेगा, निर्यातो मे वृद्धि होगी, विपणन की नई नई रणनीतिया तैयार होगी, तथा रोजगार अवसरो मे बढोतरी होगी।

5 निवेश सीमा मे वृद्धि (Enhancement of investment ceiling) सरकार ने लघु सेवाओ और व्यापार (उद्योग सबद्ध) उद्यमो के लिए निवेश की सीमा को 5 लाख रूपए कर दिया है।

लघु उद्योग क्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख और महत्त्वपूर्ण घटक है। पहले हम देख चुके है कि इस क्षेत्र ने विगत वर्षो मे न केवल उत्पादन मे अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है बल्कि कम पूँजी लागत पर व्यापक रोजगार प्रदान करने, उद्यमिता का व्यापक आधार बनाने एव ग्रामीण और पिछडे इलाको मे उद्योग के विस्तार मे निर्णायक भूमिका निभाई है। इसलिए वृद्धि के अलावा लघु उद्योग क्षेत्र मे हिस्सेदारी को घटक काफी सशक्त रहा है। इसलिए सरकारी नीतियो मे लघु उद्योगो को हमेशा सशक्त समर्थन दिया गया।

विगत वर्षों की औद्योगिक नीतियो मे लघु उद्योग क्षेत्र को भरतीय अर्थव्यवस्था मे

विशेष स्थान दिया जाता रहा है। औद्योगिक नीति सकल्प (इडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन) 1948 मे लघु उद्योगो पर जोर दिया गया। 1956 के नीतिगत सकल्प मे बेरोजगार के अवसर प्रदान करने, स्थानीय कुशलता और पूँजीगत ससाधनो को जुटाने मे लघु उद्योगो की भूमिक को मान्यता दी गई। 1977 के औद्योगिक नीतिगत विवरण मे लघु उद्योगो पर बल तथा आनुषगिक कार्यक्रमो (एनसिलराइजेशन प्रोग्राम) पर जोर दिया गया। इसी वर्ष लघु उद्योग क्षेत्र मे उत्पादन के लिए आरक्षित उत्पादो की सूची को पर्याप्त रूप से बढाया गया। इसी नीति मे जिला उद्योग केन्द्रो और लघुतम इकाइयो की अवधारणा सामने आाई। 1980 के नीतिगत विवरण मे लघु उद्योगो को प्रोत्साहन देने के लिए नाभिक सयत्रो (न्यूक्लियस प्लाट्स) और अनुषगीकरण पर बल दिया गया। लघु उद्योगो के विकास के जरिये ग्रामीण और पिछडे इलाको का कार्यक्रम आर्थिक विकास की रणनीति का एक मुख्य घटक है।

विगत वर्षो की औद्योगिक नीतियो मे लघु उद्योग के विकास एव उसको प्रोत्साहन देने के लिए विकासात्मक कार्यक्रमो को तैयार करने पर बहुत बल दिया गया। लघु उद्योगो के विकास मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र मे विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय स्थापित किया गया। साथ ही सभी राज्यो मे इसकी शाखाएँ खोली गई। इसके चलते बडी सख्या मे विशेष कार्यो के लिए स्वायत्त सस्थानो तथा निगमित निकायो (कारपोरेट बॉडीज) की स्थापना हुई। अभी हाल तक जिला उद्योग केन्द्रो के कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 50 50 के आधार पर वित्त पोषक किया गया। राज्य सरकारो ने भी लघु उद्योगो को प्रोत्साहन देने के लिए नीतिगत उपायो की शुरूआत की। इनमे सस्थानो, औद्योगिक परिसरो तथा विभिन्न सहायता सरचना तथा विस्तार कार्यक्रमो की शुरूआत के कदम शामिल थे।

नई आर्थिक नीतियो की घोषणा के बाद लघु उद्योगो को प्रोत्साहन देने तथा उनको मजबूत बनाने के लिए एकमुश्त नीतिगत उपाय लागू किये गए। इस नीतिगत विवरण का एक उद्देश्य यह था कि सरकार के आर्थिक विकास के लक्ष्यो मे इस क्षेत्र को महत्त्व देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की जाय।

नए नीतिगत विवरण मे लघु उद्योगो से सबधित पुरानी नीतियो के कई सिद्धान्तो मे निरतरता दिखाई देती है जो सक्षेप मे निम्नलिखित है

- प्राथमिकता क्षेत्र मानकर लघु उद्योग को कर्ज मिले।
- उत्पाद शुल्क मे कमी के जरिये वित्तीय रियायत।

नई लघु उद्योग नीति की मुख्य विशेषताएँ

1 इसका प्राथमिक उद्देष्य है इस क्षेत्र को जीवत बनाना तथा इसकी वृद्धि को गति देना। इसी क्रम मे इस क्षेत्र को विनियत्रित किया जाएग तथा नौकरशाही से मुक्त किया जाएग ताकि इसकी वृद्धि क्षमता के अवरोध हट जाएँ।

2 सभी नियमो, विनियमो तथा प्रक्रियाओ मे ऐसा सशोधन किया जाएग ताकि उनमे लघु एव ग्रामीण उद्योगो के हित के विरूद्ध कोई बाधा न रहे।

3 लघुतम उद्योगो को प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग पैकेज तथा उद्योग से सबधित सेवा एव व्यापार उद्यमो को लघु उद्योग के रूप मे मान्यता

4 रियायती कर्ज/आसान कर्च के स्थान पर (कुछ विशिष्ट लक्ष्य समहो को छोडकर) लघु उद्योग क्षेत्र का पर्याप्तता के आधार पर समुचित ऋण प्रवाह पर बल।

5 दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठान को 24% तक का शेयर लघु उद्योग मे रखने की छूट ताकि लघु उद्योग की पहुँच पूँजी बाजार तक हो।

6 लघु उद्योगो के बिलो के शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित करना तथा सीमित साझीदरी कानून बनाने के लिए विधेयक लाना।

7 ग्रामीण तथा पिछडे इलाको मे औद्योगीकरण को बढावा देने के लिए एकीकृत अवसरचना विकास की एक नई योजना लागू करना।

8 टैक्नोलॉजी डेवेलपमेट सेल की स्थापना के जरिये बेहतर टैक्नोलॉजी पर बल तथा एस आईडीओ मे उपलब्ध सुविधाओ को बेहतर और सशक्त बनाना।

9 सस्थानो, अन्य एजेसियो तथा सहयोग सघ पद्धति के जरिये लघु उद्योगो के विपणन

(मार्केटिग) को प्रोत्साहन देना।

10 अनुषगीकरण को प्रोत्साहन।

11 निर्यात विकास केन्द्र (एक्सपोर्ट डेवेलपमेट सेटर) की स्थापना के माध्यम से निर्यात को बढावा देना और मौजूदा समर्थन व्यवस्था को सुदृढ करना।

12 गुववत्ता नियत्रण को लागू करना, लघु उद्योग क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा बेहतर टैक्नोलॉजी को कार्यक्रम का समर्थन देना।

13 महिला उद्यमियो की परिभाषा मे परिवर्तन और महिला उद्यमियो का समर्थन।

14 उद्यमिता विकास कार्यक्रमो का पर्याप्त विस्तार।

15 लघु स्तर के उद्यमी स्वतत्र तथा अवरोधमुक्त वातावरण मे कार्य कर सके, इसके लिए नियमो तथा प्रक्रियाओ मे सशोधन।

- सभी प्रकार के लघु उद्योगो के लिए समान नीतिगत ढॉचा
- लघु उद्योग क्षेत्र मे उत्पादन के लिए उत्पादो की आरक्षित सूची
- सरकारी खरीद मे लघु उद्योग के उत्पादो को खरीद तथा मूल्य मे प्राथमिकता

जैसा पहले भी विचार किया जा चुका है कि पूर्व नीतियो के प्रतिमानो मे परिवर्तन आया है। कुछ परिवर्तन दिखाई पड रहे हैं और कुछ परिवर्तन भविष्य मे होगे, इसके सकेत है।

बदलते समय के अनुरूप उपाय

1 लघु उद्योग की विभिन्न श्रेणियो को परिभाषित करने के लिए स्थलगत मानदड को समाप्त कर दिया गया है। अब पूरे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नीतिगत पैकेज एक हो गया है– चाहे वह इकाई कही भी स्थित हो।

2 निवेश सीमा मे वृद्धि 35 से 60 लाख रूपए की हो गई है इसलिए इस क्षेत्र का कवरेज अधिक हो गया है।

3 अलग–अलग इकाई को आर्थिक सहायता देने के बजाय बुनियादी सरचना सहूलियत

देने की रणनीति बनायी गई है। इसके चलते पूँजी निवेश सहायता योजना समाप्त कर दी गई है और उसकी जगह विकास केन्द्र योजना तथा समेकित बुनयादी सरचना विकास योजना लागू की गई है।

4 सेवा क्षेत्र को लघु उद्योग मे शामिल किया गया है। फिलहाल 5 लाख तक की निवेश सीमा उद्योगो से सबधित सेवा तथा व्यापार उद्यमो के लिए रखी गई है।

5 ये नीतिगत उपाय बडे उद्योग तथा लघु उद्योग को निकट लाने के लिए है। अब बडे उद्योग 24% तक की हिस्सेदारी लघु उद्योग मे कर सकते है।

6 स्पष्ट किया गया है कि लघुतम क्षेत्र को एकमुश्त तथा निरतर मौद्रिक तथा वित्तीय दोनो सहायता दी जाएगी। लेकिन आधुनिक लघु उद्योगो को यह सहायता सिर्फ एक बार दी जाएगी। इस तरह लघु उद्योग क्षेत्र मे भी परतीकरण किया जा सकेगा।

7 यह मान्यता निहित है कि अब लघु उद्योग क्षेत्र मे सरक्षण/विनियमन की जगह गुणवत्ता, टैक्नोलॉजी तथा आधुनिकीकरण पर जोर दिया जाएगा।

आर्थिक सुधार प्रक्रिया के क्रम मे उद्योग, व्यापार तथा वित्तीय नीतियो मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। फिर भी नए नीतिगत उपाय नई आर्थिक नीतियो के अनुरूप ही है। ये परिवर्तन हैं और ये बदलेगे नही तथा इसकी परिणति नई औद्योगिक पुनर्रचना मे होगी। उदारीकरण क प्रक्रिया के चलते लघु उद्योगो के समक्ष नए अवसर हैं और ये उपाय ऐसे हैं कि लघु उद्योग इन अवसरो का लाभ उठाने मे सक्षम बने। इसके अतिरिक्त विगत वर्षो मे लघु उद्योग क्षेत्र ने जो उपलब्धियॉ हासिल की है, उनको बढावा, सरक्षण तथा मार्गदर्शन देने की जरूरत पडेगी।

लघु उद्योग का आकार तथा उनकी विविधता के चलते लघु उद्योगो के विकास और प्रोत्साहन की जिम्मेवारी राज्य सरकारो तथा उनकी सस्थाओ की ही हो सकती है। इसीलिए राज्य सरकारो ने लघु उद्योगो को प्रोत्साहित देने के लिए अपनी नीतियो की घोषणा की है। इन नीतियो के अन्तर्गत लघु उद्योगो को अनेक प्रकार की प्रत्यक्ष एव परोक्ष सहायता मिलती

है। इस तरह भारत सरकार का नीतिगत ढॉचा केन्द्र सरकार की अन्य सस्थाओ तथा राज्य सरकारो के लिए मार्गदर्शन है और इसके चलते सभी के प्रयास एक–दूसरे के पूरक है।

लघु उद्योगो के पजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के जरिये केन्द तथा राज्य सरकार के बीत तालमेल को सस्थानिक रूप दिया जाता है। यह पजीकरण योजना स्वैच्छिक है और लघु उद्योगो को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे जिला उद्योग केन्द्र मे अपना पजीकरण करवाये। पजीकृत इकाइयॉ प्रोत्साहन तथा सहायता की नीति के अन्तर्गत कई लाभ ले सकती है। साथ ही केन्द्र तथा राज्य सरकारो द्वारा दी जानेवाली प्रत्यक्ष सहायता भी उन्हे मिल सकती है।

लघु उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकारे भी नीतियॉ तैयार करती हैं तथा उन्हे क्रियान्वित करती है। ये नीतियॉ राज्य मे स्थापति जिला केन्द्रो के मध्यम से लागू की जाती है। बुनियादी सरचना का विकास निगम, लघु उद्योग निगम, निर्यात निगम तथा अन्य सबधित सस्थागत एजेसियो के द्वारा प्रदान की जाती है।

महानगरो को छोडकर देश के प्राय सभी जिलो के लिए लगभग 422 जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए हैं। यह केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप मे केन्द्र की 50% सहायता से मई 1978 मे शुरू किया गया था।

जिला उद्योग केन्द्र की परिकल्पना जिला स्तर पर एकल रूप से लघु उद्योगो को एक ही कार्यालय से सेवाएॅ तथा समर्थन दिये जाते हैं। ये केन्द्र राज्य तथा केन्द्र सरकारो के विभिन्न कार्यक्रमो तथा योजनाओ को लागू करते हैं। जिला उद्योग केन्द्रो मे लघु उद्योगो का पजीकरण होता है। इन केन्द्रो का प्रबध राज्य सरकारे देखती है। अब यह योजना राज्य सरकारो को सौंप दी गई है। तथा वित्तीय वर्ष 1993–94 से राज्य सरकारे ही जिला उद्योग केन्द्रो का खर्च वहन कर रही है।

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम

उत्पत्ति

1977 के औद्योगिक नीतिगत विवरण की सिफारिश पर जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किए गए। ग्रामीण, पिछडे इलाको तथा कस्बो मे स्थापित कुटीर तथा लघु उद्योगो को जिला स्तर पर सहायता प्रदान करने वाले एक प्रशासकीय ढॉचे के रूप मे ऐसे केन्द्रो की स्थापना जरूरी समझी गई। इनका उद्देश्य यह था कि समर्थन सिर्फ महानगरो तथा राजधानियो मे सिमटे रहने के बजाय जिला मुख्यालय तक पहुॅचे।

उद्देश्य

लघु उद्यमी को जिन सेवाओ तथा समर्थनो–यानी निवेश के पहले, निवेश के दौरान तथा निवेश के बाद–की जरूरत लघु उद्योग के लिए होती है, वे सभी उसे जिला उद्योग केन्द्र से ही मिल जाएँ। इनमे स्थानीय ससाधन का आर्थिक अन्वेषण, कच्चे माल का प्रावधान, ऋण सुविधाओ का प्रबध, विपणन व गुणवत्ता निवेश, परामर्श तथा विस्तार सेवाएँ सम्मिलित हैं।

क्रियाकलाप

- **विनियामक**

  क इकाइयो का पजीकरण

  ख नीति क्रियान्वयन से सबधित क्रियाकलाप

  ग प्रशासकीय कार्य (विवाद निपटान समेत)

- **केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा निगरानी**

- **सरकारी एजेंसियों से मिलनेवाली सहायता के लिए निम्नलिखित मामलों में सिफारिशः**

  क मशीनरी

ख वित्त

ग सामग्री की खरीद

घ पजीकरण तथा लाइसेस जारी करना

- **निम्न मदो के लिए प्रोत्साहन .**

क प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना

ख जिला कार्य योजना

ग उद्यमिता विकास

घ सर्वेक्षण

ड परामर्श

च अनुरक्षण सेवाएँ (एस्कॉर्ट सर्विसज)

भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा उद्योग मे परस्पर–संपर्क–सम्बन्ध ·

पजीकरण योजना केन्द्र तथा राज्य सरकारो के बीच समन्वय हेतु प्राथमिक सस्थागत आधार प्रदान करती है। कई और तरीको से भी राज्य सरकारो तथा उद्योग समूहो के बीच सबध बना रहता है। ये निम्नलिखित है

1 सलाहकार समितयो/शासी बोर्डो मे प्रतिनिधित्व ·– सस्थानो और उद्योगो के बीच निकट सम्पर्क बनाने के लिए विभिन्न सस्थानो की सलाहकार समितियो/शासी बोर्डो मे लघु उद्योग विभाग व उद्योग समहो से सदस्य बनाये जाते हैं। विभिन्न नीतिगत सलाह निकायो/एजेसियो मे लघु उद्योगो के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को लेकर कुछ आशकाए रही है। वित्तीय सस्थानो तथा व्यापार, उद्योग तथा वित्त से सबधित विभिन्न सलाहकार सस्थाओ मे लघु उद्योग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बढाने के प्रयास जारी हैं।

2 संघो/चैम्बरो/परिषदो के साथ पारस्परिक सपर्क –विभिन्न उद्योग समहो के साथ पारस्परिक सपर्क की स्वस्थ तथा सतुलित पद्धति मौजूद है। इसे संगोष्ठियो, कार्यशालाओ, बैठको और ऐसे अन्य मचो के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

3 राज्यस्तरीय अतर–सस्थागत समिति (एस.एल आई आई सी) :–राज्य स्तर पर वित्तीय सस्थाओ/बैंको द्वारा प्रदत्त आवधिक ऋण (टर्म लोन) एव कार्यशील पूँजी की निगरानी, बीमार लघु इकाइयो के पुनर्वास पैकेज की निगरानी और ऋण देनेवाली अन्य कार्यवाहियो के लिए समिति का गठन किया गया है। इसमे भारतीय रिजर्ब बैक, व्यापारिक बैक, वित्तीय सस्थानो, लघु उद्योग विभागो तथा राज्य सरकार एव उसकी एजेसियो के प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं।

4 आकडो का सग्रह –विकास आयुक्त (लघु उद्योग (कार्यालय) पजीकृत लघु इकाइयो के दो प्रतिशत को नमूना मानकर लघु उद्योग के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकाक की गणना करता है। पजीकरण ऑकडो के आधार पर लघु उद्योग से सबधित विभिन्न ऑकडो को भी जमा किया जाता है। लघु उद्योगो की वृद्धि की निगरानी के लिए ये सारे क्रियाकलाप राज्य उद्योग निदेशालय तथा जिला उद्योग केन्द्रो के सक्रिय सहयोग से पूरा किया जाता है। लघु उद्योगो से सबधित द्वितीय अखित भारतीय गणना (सेसस) केन्द्र तथा राज्य सरकारो के बीच समन्वय का अनुकरणीय उदाहरण है।

5 राज्य सरकारो की सहायता सेवाएँ – राज्य/जिला स्तर पर प्रोत्साहन से जुडी एजेसियो को सलाह एव सूचना वितरण मे लघु उद्योग विभाग के लघु उद्योग सेवा सस्थान नोडल एजेसी (समन्वय करने वाली एजेसी) के रूप मे कार्य करते है। लघु उद्योग सेवा सस्थान राज्य एजेसियो को कई प्रकार की सहायता सेवाएँ प्रदान करते हैं। यथा

- परियोजना रूपरेखा (प्रोजेक्ट प्रोफाइल)
- राज्य सभाव्यता सर्वेक्षण
- जिला सभाव्यता सर्वेक्षण
- बाजार सबधी सूचना
- व्यापार सूचना
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम एव परामर्श

- आधुनिकीकरण अध्ययन
- सयत्र अध्ययन

राज्यों की नीतियॉ तथा स्कीम :—राज्य सरकारे उद्योग निदेशालयो और जिला उद्योग केन्द्रो के माध्यम से लघु इकाइयो को तकनीकी और अन्य सहायात सेवाऍ प्रदान करती है। सहायता और सुविधाओ के मुख्य स्रोत है

- औद्योगिक परिसरो का निर्माण तथा प्रोत्साहन
- बिक्रीकर मे आस्थगन/रियायत
- बिजली के लिए रियायती सहायता
- विभिन्न जिलो मे स्थापित नई इकाइयो को पूॅजीगत सहायता
- शुरूआती पूॅजी (सीड कैपिटल)/उपात राशि (मार्जिन मनी) सहायता स्कीम
- औद्योगिक क्षेत्र मे भूमि शेडो के आबटन के लिए हायर परचेज स्कीम
- बिजली, पानी कनेक्शन आदि विभिन्न सुविधाओ मे प्राथमिकता
- परामर्श तथा तकनीकी सहायता सेवाऍ

राज्य वित्त निगम लघु इकाइयो को आवधिक ऋण (टर्म लोन) प्रदान करते हैं। राज्य औद्योगिक विकास निगम उपकरणो को पट्टे पर लेने, सयत्र एव मशीनरी की खरीद, भूमि विकास, औद्योगिक सम्पदाओ का सवर्धन (प्रोमेशन) और अन्य विकास प्रयासो मे सहायता करते है।

राज्य वित्त निगमो के उद्देश्यो और क्रियाकलापो की झलक निम्नलिखित दी गई है। राज्य सरकारो की लघु उद्योगो से सबधित नीतियो और प्रोत्साहनो की आम सरचना

राज्य वित्त निगमों (एस. एफ सी) की विशेषताऍ

- राज्य वित्त निगम जिला स्तर पर लघु और मॅझोले उद्योगो को वित्त प्रदान करने और उनको सवर्द्धित करने के उद्देश्यो से काम करते हैं।
- देश मे अभी 18 राज्य वित्त निगम हैं।

- राज्य वित्त निगम औद्योगिक इकाइयो को आवधिक ऋण/पूँजी मे हिस्सेदारी/डिबेचर, गारटी तथा बिल ऑफ एक्सचैंज की डिसकाउटिग भी करते है।
- राज्य वित्त निगम भर मे 40000 से भी अधिक इकाइयो को वित्तीय सहायात प्रदान करते है। अभी 88 प्रतिशत से अधिक इकाइयॉ राज्य वित्त निगम से सहायता प्राप्त है।
- राज्य वित्त निगम लघु उद्योगो के लि आईडीबीआई /एस आईडीबीआई की पुनर्वित्त पोषण (रिफाइनेस) की योजनाएँ चलाते हैं।
- अगस्त, 1993 से राज्य वित्त निगमो को एस एस आर बॉन्ड के माध्यम से और ससाधन जुटाने की अनुमति दे दी गई है।

लघु उद्योग के लिए राज्य सरकारों की नीतियों तथा प्रोत्साहनो की आम सरचना

- औद्योगिक विकास तथा निवेश निगमो द्वारा औद्योगिक, क्षेत्रो का विकास तथा प्रबधन।
- नई इकाइयो के लिए नियत निवेश (अधिकतम सीमा तक ही) के 15 से 25 प्रतिशत तक पूँजी निवेश सहायता
- इकाइयो को नियत अवधि (पॉच से दस वर्ष) तक बिक्रीकर को आस्थगन छूट। इस लाभ की मात्रा नियत पूँजी निवेश और कर दायित्वो के द्वारा सीमित है।
- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतो से प्राप्त ऊर्जा का उपभोग करने पर प्रोत्साहन तथा सब्सिडी
- महिला एव कमजोर वर्गों के लिए विशेष सहायता योजना
- आसान शर्तो पर शुरूआती पूँजी (सीड कैपिटल)/उपात राशि (मर्जिनल मनी) सहायता येाजना
- आधुनिकीकरण, टैक्नोलॉजी मे बेहतरी के लिए फीजिबिलिटी स्टडी। परामर्श पर आई लागत मे सहायता देना

- हायर परचेज अथवा पट्टे पर भूमि/शेड का आबटन
- अनुमति प्रदान करने तथा विवादो के निपटान के लिए जिला/राज्य स्तर पर अधिकारसपन्न समितियो का गठन
- पिछडे/उद्योगविहीन जिलो मे अग्रणी इकाइयॉ स्थापति करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन
- सयुक्त/सहायता क्षेत्र परियोजनाओ मे राज्य निगमो द्वारा भागीदरी

लघु उद्योग नीति का मूल्याकन – लघु उद्योग नीति वक्तव्य (1991) मे सरकार ने इस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के गत्यात्मक एव जीवन्त क्षेत्र के रूप मे सम्बोधित किया और नई नीति मे इस क्षेत्र के रास्ते मे आने वाली सभी रूकावटो को विनियमन एव अधिकारीतन्त्रीकरण की अडचनो से मुक्त करने का निर्णय लिया। अत नया नारा है "प्रतिस्पर्द्धा" न कि "आरक्षण"। प्रश्न उठता है कि क्या नई नीति एक बेहतर आर्थिक पर्यावरण का विश्वास दिलाती है जिसमे लघु तथा अति लघु क्षेत्र अपनी विकास–क्षमता को पूर्णतया विकसित कर सकेगा।

पहला, उधार की उपलब्धि के प्रश्न को ही लीजिए। सरकार लघु क्षेत्र के लिए "रियायती उधार" के मिथक का प्रचार करती रही है, चाहे रियायती उधार पर ब्याज की दर गैर–रियायती उधार पर ब्याज दर से केवल 0 5 से 1 प्रतिशत ही कम है। परन्तु अब इस मिथक को भी हटाकर यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि साहायि्यत/सस्ते उधार की अपेक्षा उधार की पर्याप्त उपलब्धि पर बल दिया जाएगा। पहले भी, लघु उद्योगो को सस्ता उधार कहॉ मिलता था, यदि लघु क्षेत्र ऋणो की स्वीकृति के साथ जुडे हुए भ्रष्टाचार और इनकी प्राप्ति मे विलम्ब को भी ध्यान मे रखा जाए। परन्तु उधार की उपलब्धि की सद्भावना को छोड, उधार की मात्रा के बारे मे कोई ठोस बात नही कही गई। ऐसी कपोल कल्पना से लघु–क्षेत्र का विकास सशक्त नही हो जाता। सरकार को यह निश्चित करना चाहिए था कि सस्थानात्मक उधार का कितना भाग प्राथमिकता के आधार पर लघु–क्षेत्र को उपलब्ध कराया

जाएगा। इसे कार्यनीति भी तय करनी चाहिए थी जो सरकारी लालफीताशाही और भ्रष्टाचार को उधार की स्वीकृति मे कम कर सके।

दूसरे,नीति वत्तव्य मे एक महत्वपूर्ण सिफारिश की गई हैकि किसी अन्य उधम छोटे हो या बडे, भारतीय हो या विदेशी। इस धारणा का मूल आधार यह है कि बाहरी तत्वो को चूकि 24 प्रतिशत की सीमा तक हिस्सा–पूजी मे अधिकार दिया गया है, इस कारण वे अल्पसख्या मे रहेगे और उनका लघु इकाईयो पर प्रभुत्व कायम नही हो सकेगा। दूसरे,बडी या विदेशी फर्मो के इस क्षेत्र मे प्रवेश द्वारा बडे पैमाने के उधोगो से लघु क्षेत्र को तकनालाजी का हस्तातरण हो सकेगा। इन तर्को की गहरी छान बीन से पता चलता है कि ये तर्क मिथ्या पूर्ण है। राम के वैपा,भूतपूर्व लघु–स्तर उधोग विकास उपायुक्त इस सबन्ध मे लिखते है अभी भी, यह कहा जाता है कि बहुत सी लघु–इकाईयॉ बडी इकाईयो द्वारा अपने नामजद बेनामी स्वामीयो द्वारा नियत्रीत की जाती है यह भय है कि इस नये प्रावधान द्वारा यह स्थिति कानूनी रुप धारण कर लगी और 24 प्रतिशत हिस्सा–पूजी के साथ एक या दो ऐसे परिवारो को जोडा जो हिस्सो के स्वामी है,लघु इकाई वस्तुत बडी कम्पनी की(यदि कानूनी रुप मे ऐसा न भी हो)एक अनुषगी कपनी बन जाएगी। सरकार इसे लघु–क्षेत्र का बडे क्षेत्र के साथ समन्वय कहती है किन्तु यह तो लघु क्षेत्र का निर्भरता–माडल (Dependency model) है जिससे वह बडे पैमाने के उधोगो का उपाग बन जाएगा और इस प्रकार बडे उधोगो द्वारा छोटे उधोगो का शोषण होता रहेगा। इस नयी स्थिति मे भारतीय अर्थव्यवस्था मे इस क्षेत्र मे श्रम–विस्थापन प्रभाव (Labour displacement effects) बहुत गम्भीर रूप धारण कर जाऍगे जोकि अभी तक अपनी जनसख्या और परिणामत श्रमशक्ति की वृद्धि दर को नियन्त्रित नही कर पायी है।

जहॉतक बडी इकाइयो को तकनालजी हस्तातरण का प्रश्न है, यह बात बडी सन्देहपूर्ण है कि क्या बडी इकाइयॉ ऐसी करना चाहेगी। बडी इकाइयॉ तो छोटे मोटे कार्यो या उप–उत्पादो के लिए छोटी इकाइयो को केवल उप–ठेके पर काम करना चाहती हैं, वे

उन्हे कभी भी अपने बल पर स्वतन्त्र बनने नही देना चाहेगी।

तीसरे, छोटी इकाइयो की रूग्णता के बारे मे हुए बहुत से अध्ययनो से पता चलता है कि बडी फर्में छोटी इकाइयो को समय पर भुगतान नही करती, उसके बावजूद इसके वे छोटी इकाइयो से माल प्राप्त कर चुकी होती हैं। अपनी कार्यकारी पूँजी की आवश्यकताओ को पूरा न कर सकने के कारण, ये इकाइयॉ बीमार पड जाती है और बन्द कर दी जाती है क्योकि बडी फर्मे कई बार भुगतान मे छ माह का और कुछ स्थितियो मे एक साल का विलम्ब कर देती है। यह आशा की जाती है कि नई नीति ऐसा कानून बनाएगी जिसके अधीन लघु क्षेत्र को 45 दिन के अन्दर भुगतान करना पडे।

चौथे, सरकारी नीति लघु क्षेत्र मे बीमार इकाइयो की बडी सख्या के प्रति अनभिज्ञ जान पडती है। आर्थिक समीक्षा (1993–94) के अनुसार लघु स्तर क्षेत्र मे 2 46 लाख इकाइयॉ बीमार है और बकाया ऋण की राशि, 3,100 करोड रूपए है। मूल प्रश्न यह है कि क्या लघु क्षेत्र की इकाइयो मे बडे पैमाने पर रूग्णता को रोका जा सकता है? इसके लिए जरूरी है कि छोटी इकाइयो के प्रबन्ध में अधिक व्यवसायीकरण लाया जाए। यह कहना उचित होगा कि घटिया प्रबन्ध रूग्णता के मुख्य कारणो मे से एक माना जाता है। अत यह आवश्यक है कि छोटे उद्यमकर्ताओ को उद्यमो के प्रबन्ध के बारे मे प्रशिक्षण दिया जाए। ऐसा प्रशिक्षण अनिवार्य है क्योकि छोटे उद्यमकर्ता को बहुत से कार्य करने पडते है– उत्पादन की व्यवस्था, वित्त का प्रबन्ध अपने उत्पाद के विक्रय के लिए आदेश प्राप्त करना, सार्वजनिक सम्बन्ध कायम करना, आदि। अत छोटे उद्यमकर्त्ता को बहुमुखी प्रशिक्षण देना होगा ताकि वह अपना कार्य भलीभॉति कर सके।

परन्तु छोटे उद्यमों को बीमार पडने से बचाने के लिए यह कही बेहतर होगा कि उद्यमकर्त्ता सहकारी किस्म का छात्र कायम करे ताकि युवा उद्यमकर्त्ताओ का उत्पादन के प्रौजक्टो के चयन मे मार्गदर्शन किया जा सके, आदानो के सभरण और उत्पादन की तकनीक के बारे मे सूचना उपलब्ध कराई जा सके और उनकी उत्पाद के विक्रय मे सहायता

की जा सके। ये सहकारी समितियाँ उधार की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने मे मदद कर सकती है। दूसरे शब्दो मे, छोटे उद्यमकर्त्ताओ की भलाई सहकारीकरण (Co-operatıvısatıon) मे है, न कि निगमीकरण (Corporatızatıon मे।

अन्तिम, नई लघु क्षेत्र नीति और औद्योगिक नीति माध्यम क्षेत्र का जिक्र तक नही करती। जब तक लघु क्षेत्र 60 लाख रूपए की सीमा को पार नही करता, यह लघु क्षेत्र के वर्ग मे रहता है परन्तु इस सीमा को पार करते ही यह बडे पैमाने के क्षेत्र मे प्रवेश कर जाता है। यह उद्योगो के वर्गीकरण का वैज्ञानिक ढग नही हैं। चूँकि बहुत सी छोटी इकाइयॉं अपनी विकास–प्रक्रिया मे मध्यम क्षेत्र मे प्रेवश कर जाती है, इसलिए यह उचित होगा कि लघु, मध्यम और बडी इकाइयो की परिभाषा की जाए। औद्योगिक नीति की दृष्टि से, लघु एव मध्यम इकाइयो को एक समूह मानना चाहिए। बहुत से देशो मे लघु एव मध्यम क्षेत्र की इकाइयो को एक ही वर्ग मे रखा जाता है। इससे बडे पैमाने के क्षेत्र के मुकाबले मे इस क्षेत्र सम्बन्धी नीति तय करने मे सहायता मिलती है।

निष्कर्ष यह कि लघु क्षेत्र पर नीति वक्तव्य एक हद तक तो इसे बढावा देता है। इसमे भूमि के आवण्टन, बिजली उपलब्ध कराने आदि मे लघु क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। इसमे अति लघु क्षेत्र को सस्थानात्मक वित्त मे आसानी से प्राप्ति, सहकारी खरीद मे प्राथमिकता और श्रम सम्बन्धी कानूनो मे ढील की बात कर दी गई है। चूँकि अति लघु क्षेत्र, ग्राम क्षेत्रो मे पारम्पिरिक कौशल की नर्सरी माना जाता है, इसलिए प्रस्तावित प्रोत्साहनो के पैकेज से अति लघु क्षेत्र को मजबूत बनाने मे सहायता मिलेगी। यह अभिनन्दनीय है। चूँकि अति लघु क्षेत्र का सम्बन्ध दस्तकारो और शिल्पियो के साथ ग्राम तथा नगर क्षेत्रो मे है, इस नीति से निर्धनता को दूर करने मे सहायता प्राप्त होगी।

इन उज्जवल लक्षणो के बावजूद, लघु क्षेत्र नीति का बल लघु–क्षेत्र को बडे पैमाने के क्षेत्र का एक उपाग बनाना ही है क्योकि इसमे बडी फर्मो को 24 प्रतिशत तक हिस्सा पूँजी का योगदान देने की स्वीकृत दी गई है। यह बात वस्तुत सन्देहजनक है कि क्या नई नीति

के परिणामस्वरूप छोटे क्षेत्र को तकनालाजी का हस्तातरण हो सकेगा या इससे बडे क्षेत्र का नियन्त्रण छोटे क्षेत्र पर बढ जायेगा? इस नीति मे लघु क्षेत्र की इकाइयो की उपेक्षा एक गम्भीर कमी है और यह आवश्यक है कि सरकार को लघु क्षेत्र की रूग्णता को रोकने के लिए और अधिक ध्यान देना चाहिए। केवल रूपया झोक देने से लघु–स्तर क्षेत्र का विकास नही हो सकता, इसके लिए तो एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना होगा जिसमे लघु–स्तर क्षेत्र की इकाइयॉ पनप सके। अत समय की पुकार यह है कि लघु उद्यमकत्ताओ मे सहकारीकरण को प्रोत्साहित किया जाए, न कि बडे क्षेत्र के साथ समन्वय के नाम पर निगमीकरण (Corporatızatıon) को। वास्तविक खतरा तो यह है कि बडे क्षेत्र को फर्जी इकाइयॉ कायम करके लघु क्षेत्र के नाम पर मिलने वाले प्रोत्साहनो को हथियाने से कैसे रोका जाए और साथ ही देश मे अत्यधिक आधुनिकीकरण और स्वचलन (Automatıon) के विरूद्ध मजदूर सघो के विरोध को कैसे कम किया जाए ताकि श्रम–विस्थापन (Labour dısplacement) न हो सके। चाहे नीति वक्तव्य मे बीमारी का सही विष्लेषण किया गया है परन्तु जो उपचार इसमे सुझाया गया है उससे विकास के साथ न्याय का लक्ष्य प्रभावी रूप से प्राप्त नही हो सकता।

सरकार ने 1 सितम्बर 2000 से उत्पादन शुल्क के लिए कर मुक्त सीमा को 50 लाख रूपये से बढाकर 1 करोड रूपये कर दिया गया। क्रेडिट गारन्टी स्कीम (2000) की बिना प्रतिमूति के ऋण की सीमा को 10 लाख रूपये से बढाकर 25 लाख रूपये कर दी गयी है। 2001–02 बजट के अनुसार लघु उद्योगो को प्रोत्साहित करने हेतु 100 करोड रूपये की व्यवस्था है। मई 2003 मे लघु उद्योगो के लिए आरक्षित उत्पादो की सूची मे से 75 उत्पाद को हटा दिया गया है जिनमे प्रयोगशाला रसायन तथा रीजेन्ट, चर्म एव चर्म उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद, रसायन एव रसायनिक उत्पाद और कागज उत्पाद शामिल है। 75 उत्पादो को आरक्षित सूची मे से हटाये जाने के बाद लघु उद्योगो के लिए आरक्षित उत्पादो की सूची मे अब 674 उत्पाद ही रह गये हैं।

षष्ठम् अध्याय

लघु उद्योगों का महत्व एवं समस्याएँ

(IMPORTANCE AND PROBLEMS OF SMALL SCALE INDUSTRIES)

भारतीय अर्थव्यवस्था मे लघु उद्योगो का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था मे जहॉ पूँजी का अभाव एव बेरोजगारी का साम्राज्य है, वहॉ लघु उद्योगो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी पहुलओ से औद्योगिक विकास की आधारशिला है। अत्यन्त अनूकूल पूँजी–उत्पाद अनूपात एव उच्च रोजगार सम्भावनाएँ लघु उद्योगों की ऐसी विशेषताएँ है, जो इनकी उपयोगिता एव महत्ता मे अत्यधिक वृद्धि कर देती है। इनमे अपेक्षाकृत कम पूँजी का विनियोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। और साथ ही अधिकाधिक सख्या मे बेरोजगार व्यक्तियो को जीविका प्रदान की जाती है। यही नही लघु उद्योग आर्थिक शक्ति के क्रेन्द्रीयकरण को कम करके सम्पत्ति एव आय की असमनाताओ को कम करने मे सहायक होते है। उपभोक्ताओ को माल की विधिवत का लाभ प्रदान करके उन्हे अपनी रूचि के अनुसार अपने विकल्प का उपयोग करने मे सहयोग देते है। साधारण तकनीकी ज्ञान, कम पूँजी एव मानवीय दक्षताओ एव कलात्मक रूचियो का उपयोग करके लघु उद्योगो द्वारा विभिन्न प्रकार की लाखो वस्तुओ का उत्पादन किया जाता है। यही नही लघु उद्योगो बडे उद्योगो के सहायक उद्योगो (Ancileary Industries) के रूप मे कुशलता पूर्वक कार्य करते है।

इस प्रकार लघु उद्योगो का कार्य क्षेत्र अब कलात्मक वस्तुएँ बनाने तथा हाथ की कारीगरी दिखाने तक ही सीमित नही रखा बल्कि अनेक दिशाओ मे इनका विस्तार हुआ। बदलते समय के अनुसार यात्रिक शक्ति का उपयोग एव उत्पादन की आधुनिक रीतियो को अपना कर इन उद्यागो ने अपनी कार्यकुशलता एवं क्षमता दोनो मे वृद्धि की है।

भारत मे लघु उद्योगो के विकास मे वास्तविक गति चतुर्थ योजना के बाद आयी। सन् 1973-74 मे लघु औद्योगिक इकाइयो की सख्या केवल 4 16 लाख थी। जो छठी योजना के अन्त मे 1984-85 मे बढकर 12 75 लाख हो गयी। तथा यह सख्या 1998 मे 30 14 लाख हो गयी।

अविकसित अथवा विकासशील देशो मे छोटे पैमाने के उद्योगो की उपयोगिता और भी अधिक होती है। विशेषकर भारत जैसे देश मे जहॉ पूँजी का अभाव है। तथा धन शक्ति की अधिकता है। लघु उद्योगो के विकास के बिना आर्थिक समस्याओ का निराकरण किया जा सकता है। भारत मे प्राचीन समय से ही लघु उद्योगो की प्रधानता है।

लघु उद्योगो का भारतीय अर्थव्यवस्था मे महत्व निम्न दृष्टिकोणो से स्पष्ट किया जा सकता है –

1 लघु–क्षेत्र का विस्तार और उसका औद्योगिक उत्पादन मे हिस्सा **(Industrial Output Expansion of Small-Scale Sector and its share in)**- लघु उद्योगो की परिभाषा मे समय के साथ परिवर्तन होते रहे है। इसलिए इन उद्योगो की दीर्घअवधि मे प्रगति का अध्ययन करना सम्भव नही है। अप्रैल 1991 मे लघु उद्योगो के लिए अधिकतम् निवेश सीमा 60 लाख रूपये तथा सहायक इकाइयो के लिए 75 लाख रूपये रखी गयी थी। इन सीमाओ को फरवरी 1997 मे बढकर 3 करोड रूपये कर दिया गया। 1999 मे लघु उद्योगो के लिए निवेश सीमा को 3 करोड रूपये से घटाकर 1 करोड रूपये कर दिया गया। 1991-92 से 1999-2000 के बीच लघु क्षेत्र के विकास का अनुमान निम्न सारणी मे दिये गए आकडो की सहायता से लगाया जा सकता है –

सारणी – 1991–92 से 1999–2000 के बीच लघु उद्योगो का निष्पादन

वर्ष	कुल इकाइया लाख मे (31 दिसम्बर तक)	चालू कीमतो पर उत्पादन (करोड रूपये)	स्थिर कीमतों पर उत्पादन (करोड रूपये)	रोजगार (लाख में)	निर्यात (करोड रू0)
1991-92	20 82	1,78 699	1,60 156	129 80	13 883
	(6 9)	(15 0)	(3 1)	(3 6)	(43 7)
1992-93	22 46	2,09 300	1,69 125	134 06	17 785
	(7 9)	(17 1)	(5 6)	(3 3)	(28 1)
1993-94	23 81	2,41 648	1,81 133	139 38	25 307
	(6 0)	(15 5)	(7 1)	(4 0)	(42 3)
1994-95	25 71	2,93 990	1,99 427	146 56	29 068
	(8 0)	(21 7)	(10 1)	(5 2)	(14 9)
1995-96	27 24	3,56 213	2,22 162	152 61	36 470
	(6 0)	(21 2)	(11 4)	(4 1)	(25 5)
1996-97	28 57	4,12 636	2,47 311	160 00	39 249
	(4 9)	(15 8)	(11 3)	(4 8)	(7 6)
1997-98	30 14	4,65 171	2,68 159	167 20	44 437
	(5 5)	(12 7)	(8 4)	(4 5)	(13 2)
1998-99	31 21	5,27 515	2,88 807	171 58	48 979
	(3 6)	(13 4)	(7 7)	(2 6)	(11 5)
1999-00	32 25	5,78 470	3,12 576	178 50	53,975 (अ)
	(3 3)	(9 7)	(8.2)	(4 0)	(10 2)

टिप्पणी – (1) स्थिर कीमतो पर उत्पादन से यहा तात्पर्य 1990–91 की कीमतो पर उत्पादन से है।

(2) कोष्ठक मे दिए गए आकडे पिछले वर्ष की तुलना मे प्रतिशत वृद्धि दर्शाते है।

(3) अ–अनुमानित।

लघु उद्योगो की सख्या 1991-92 मे 20 82 लाख थी, जो 1999-2000 से बढकर 32 25 लाख हो गई। जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, प्रत्येक वर्ष मे वृद्धि 5 से 8 प्रतिशत की दर से होती है। (1998-99 तथा 1999-2000 को छोडकर जब वृद्धि मात्र क्रमश 3 6 प्रतिशत और 3 3 प्रतिशत रही) जहॉ तक लघु क्षेत्र के उत्पादन का प्रश्न है यह 1990–91 की कीमतो पर 1991–92 से 1,60 156 करोड रूपये था जो 1999–2000 मे बढकर 3,12 576 करोड रूपये हो गया (नौ वर्षों मे लगभग दुगना)।

2 रोजगार अवसरो का सृजन **(Employment Generatıon)** – कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बडा क्षेत्र लघु उद्योगो का है। भारत की गम्भीर बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए (बेरोजगारी की सख्या 1992 मे लगभग 1 करोड 70 लाख थी,) लघु व कुटीर उद्योगो का महत्व स्वत सिद्ध है यह इसी बात से सिद्ध होता है कि जहॉ 1972 से 1987–88 के बीच सारे फैक्ट्री क्षेत्र (जिसमे बडे आकार, मझोले आकार तथा लघु आकार की इकाइया शामिल है) से रोजगार वृद्धि की दर 2 21 प्रतिशत प्रति वर्ष थी वहा लघु क्षेत्र की इकाइयो मे रोजगार वृद्धि की दर 5 45 प्रतिशत की वर्ष थी। 1972 से 1987–88 के दौरान लघु क्षेत्र 20 लाख लोगो के लिए अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने मे सफल रहा। जहा तक भविष्य मे रोजगार सभावनाओ का प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार अवसरो का और विस्तार बहुत कुछ ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र मे रोजगार प्रसार पर निर्भर करेगा (ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र फिलहाल 22 प्रतिशत ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराता है) इस गैर–कृषि क्षेत्र का एक प्रमुख अश विनिर्माण क्षेत्र है। जिसमे कृषि पर आधारित उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा निर्माण–पदार्थों **(Constructıon materıal)** मे लगे उद्योग शामिल है। शहरी क्षेत्र मे बडे पैमाने के उद्योगो मे

अधिक रोजगार प्रसार की सम्भावनाये नजर नही आती परन्तु लघु क्षेत्र मे रोजगार अवसर पैदा करने की बहुत सम्भावनाये है।

3 लघु इकाइयों की कार्य कुशलता **(Efficiency of small scale industries)** – लघु उद्योगो तथा बडे उद्योगो मे से अधिक कार्यकुशल (efficient) कौन है इस बारे मे विवाद है। कुछ अर्थशास्त्रियो के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है। कि लघु उद्योग अधिक कार्यकुशल है जबकि कुछ अर्थशास्त्रियो के अध्ययन इससे ठीक उल्टा निष्कर्ष देते है। इस सम्बन्ध मे सबसे पहला अध्ययन धर तथा लाइडाल का था। उन्होने निष्कर्ष निकाला कि आधुनिक लघु उद्योग काफी पूजी प्रधान है अर्थात् वे बडे पैमाने के उद्योगो की तुलना मे प्रति इकाई पूजी अधिक रोजगार का सृजन नही करते। उन्होने यह भी निष्कर्ष निकाला कि लघु उद्योग बडे उद्योगो की तुलना मे श्रमिको को कम वेतन देते है और अक्सर बडे शहरो मे क्रेन्द्रित होते है। उनके अनुसार लघु उद्योगो की तुलना मे कम दक्ष है इसलिए उन्हे बडे उद्योगो की अपेक्षा को पूर्वाधिकार (Preference) देने की आवश्यकता नही है। इसी प्रकार के निष्कर्ष हाजरा तथा साडेसरा के अध्ययनो से प्राप्त हुए। हाजरा ने 1955 तथा 1958 के लिए 17 उद्योगो का अध्ययन किया और पाया कि लघु उद्योगो मे श्रम और पूजी उत्पादकता दोनो ही बडे पैमाने के उद्योगो की तुलना मे कम है। साडेसरा ने 1953–58 के लिए 28 उद्योगो का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुचे कि एक निश्चित निवेश के लिए लघु उद्योग बडे उद्योगो की तुलना मे न तो अधिक रोजगार पैदा करते है और न ही अधिक उत्पादन इसी श्रृखला मे एक महत्वपूर्ण अध्ययन विश्वनाथ गोल्डार का है जिसमे 1976–77 के लिए 37 उद्योगो को लिया गया है। गोल्डार ने सापेक्षिक श्रम उत्पादकता, सापेक्षिक पूंजी उत्पादकता तथा सापेक्षिक कुल कारक उत्पादकता (जिसे सापेक्षिक दक्षता भी कहा जा सकता है) की गणना की है और पाया है कि बडे उद्योगो की तुलना मे लघु उद्योगो मे कम श्रम उत्पादकता, उच्च पूजी उत्पादकता, कम पूजी गहनता तथा कम कुल कारक उत्पादकता है। उन्होने निष्कर्ष निकाला है कि आधुनिक लघु क्षेत्र बहुत से उद्योगों मे बडे क्षेत्र की तुलना में अदक्ष है।

इन सब अध्ययनो से ऐसा लगता है कि बडे उद्योग लघु उद्योगो की तुलना मे अधिक कार्यकुशल है। परन्तु कई अध्ययनो से इससे ठीक उल्टा निष्कर्ष प्राप्त होता है। 1960, 1963, 1964, तथा 1965 के उद्योगो के वार्षिक सर्वेक्षण से आकडे लेकर रामसिह के अशर ने यह सिद्ध किया है कि लघु क्षेत्र अधिक कार्यकुशल है। स्थिर पूजी के एक रूपये के निवेश पर लघु उद्योग सबसे अधिक श्रमिको को रोजगार प्रदान करता है स्थिर परिसपत्ति मे एक रूपये के निवेश के बदले लघु क्षेत्र मे बडे क्षेत्र की तुलना मे 'सात गुणा' उत्पादन होता है। तथा लघु उद्योगो मे एक रूपये का निवेश बडे उद्योगो की तुलना मे तीन गुणा से अधिक वर्धित मूल्य (value added) का सृजन करता है इस विषय पर सबसे नया अध्ययन भारतीय लघु उद्योग विकास बैक द्वारा नेशनल कौसिल ऑफ अप्लाइड इकोनौमिक रिसर्च की सहायता से किया गया है। इस अध्ययन मे 1980 से 1994 तक के आकडो का प्रयोग किया गया । इसके मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित है –

1 1990–91 से 1994–95 के बीच, कुल औद्योगिक क्षेत्र मे निवेशित पूजी, रोजगार, कुल वर्धित मूल्य तथा उत्पादन मे लघु उद्योगो का हिस्सा दिखाया गया है। कुल विनिर्माण क्षेत्र की पूजी मे केवल 7 से 15 प्रतिशत हिस्सा होने पर भी लघु उद्योगो ने कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग एक पाचवा हिस्सा (लगभग 20 प्रतिशत) तथा कुल वर्धित मूल्य का 13 से 27 प्रतिशत हिस्सा प्रदान किया। जहा तक रोजगार का सम्बन्ध है, लघु उद्योग पूरे औद्योगिक क्षेत्र मे रोजगार का लगभग 35 से 40 प्रतिशत प्रदान करते है। इस प्रकार लघु उद्योगो का रोजगार प्रदान करने मे महत्वपूर्ण योगदान है।

2 फैक्ट्री सेक्टर की इकाइयो, कुल वर्धित मूल्य रोजगार, पूजी स्टाक (स्थिर तथा उत्पादक) तथा पूजी व श्रम उत्पादकता के लिए व बडे उद्योगो की चक्रवृद्धि वार्षिक सवृद्धि दरो (compound annual rates of growth) के बारे मे 1980 94 के लिए जानकारी दी गई है।

(A) 1980–94 की अवधि मे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, लघु व बडे उद्योगो की निष्पत्ति, बडे उद्योगो से कम रही है (लघु उद्योगो के कुल उत्पादन की सवृद्धि दर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष रही

जबकि बडे उद्योगो के कुल उत्पादन की सवृद्धि दर 9 प्रतिशत प्रतिशत प्रति वर्ष रही)। जहा तक रोजगार अवसरो के सृजन का सबध है, बडे उद्योगो मे रोजगार सवृद्धि दर 0 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की तुलना मे, लघु उद्योगो मे रोजगार सवृद्धि दर 1 3 प्रतिशत प्रति वर्ष रही। अर्थात, लघु उद्योगो ने अधिक रोजगार अवसर पैदा किए।

(B) बडे उद्योगो मे निवेशित पूजी की सवृद्धि दर 6 6 प्रतिशत प्रति वर्ष और लघु उद्योगो मे 4 प्रतिशत प्रति वर्ष रही। 1980–94 की अवधि मे बडे उद्योगो मे श्रम उत्पादकता 8 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और लघु उद्योगो मे 7 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढी (श्रम उत्पादकता ज्ञात करने के लिए, कुल वर्धित मूल्य को श्रमिको की कुल सख्या से विभाजित किया गया है।) इसी अवधि मे, बडे उद्योगो मे पूजी उत्पादकता 2 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और लघु उद्योगो मे 2 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढी। इस प्रकार, जहा बडे उद्योगो मे श्रम उत्पादकता लघु उद्योगो की तुलना मे अपेक्षाकृत अधिक तेजी से बढी, वहा लघु उद्योगो मे पूजी उत्पादकता अपेक्षाकृत जरा अधिक तेजी से बढी।

(C) 1980–95 की अवधि के लिए, सापेक्षिक श्रम उत्पादकता, सापेक्षिक पूजी उत्पाकता, सापेक्षिक कुल साधन उत्पादकता (relative total factor productivity) तथा सापेक्षिक लाभप्रदता के बारे मे आकडे प्रस्तुत किए गए है।

(D) 1980–81 से 1994–95 की पूरी अवधि के दौरान सापेक्षिक पूजी गहनता (जिसे लघु उद्योगो मे पूजी गहनता के बडे उद्योगो मे पूजी गहनता से अनुपात के रूप मे परिभाषित किया गया है) एक से कम रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि लघु उद्योग, बडे उद्योगो की तुलना मे, प्रति श्रमिक उत्पादन कम है। 1980–81 से 1994–95 की पूरी अवधि के दौरान सापेक्षिक श्रम उत्पादकता (जिसे लघु उद्योगो मे श्रम उत्पादकता को बडे उद्योगो मे श्रम उत्पादकता से भाग करके प्राप्त किया गया है) एक से कम रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि लघु उद्योगो मे, बडे उद्योगो की अपेक्षा, प्रति श्रमिक उत्पादन कम है।

(E) 1980–81 से 1994–95 की पूरी अवधि के दौरान सापेक्षिक पूजी उत्पादकता (जिसे उघु

उद्योगो मे पूजी उत्पादकता को बडे उद्योगो मे पूजी उत्पादकता से भाग करके प्राप्त किया गया है) एक से कम रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि लघु उद्योगो मे, बडे उद्योगो की अपेक्षा, पूजी उत्पादकता अधिक है।

(F) सापेक्षिक कुल साधन उत्पादकता के बारे मे भी जानकारी दी गई है। जैसाकि सर्वविदित है, जहा श्रम उत्पादकता एव पूजी उत्पादकता कार्यकुशलता के आशिक माप है, कुल साधन उत्पादकता दक्षता का एक सपूर्ण माप है। 1980–81 से 1994–95 की पूरी अवधि मे (1987–88 के वर्ष को छोड कर) लघु उद्योगो की अनुमानित सापेक्षिक कुल साधन उत्पादकता एक से अधिक रही है। इसका अर्थ यह हुआ है कि, राष्ट्रीय स्तर पर , लघु उद्योग क्षेत्र, बडे उद्योग क्षेत्र की तुलना मे, अधिक कार्यकुशल है।

(G) लघु उद्योग क्षेत्र की सापेक्षिक लाभप्रदता के आकडे दिए गए हैं। लघु उद्योग क्षेत्र की सापेक्षिक लाभप्रदता को लघु उद्योग क्षेत्र की लाभप्रदता के बडे उद्योग क्षेत्र की लाभप्रदता से अनुपात के रूप मे परिभाषित किया गया है। 1980–81 से 1994–95 की पूरी अवधि मे (वर्ष 1989–90 को छोड कर) लघु उद्योग क्षेत्र की लाभप्रदता एक से अधिक रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि बडे उद्योग क्षेत्र मे लाभप्रदता अधिक है।

4 राष्ट्रीय आय का उचित वितरण **(Equitable distribution of national income)**

लघु उद्योगो के समर्थन मे एक महत्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि उनकी सहायता से राष्ट्रीय आय का अधिक बेहतर व न्यायोचित वितरण हो सकता है। ऐसा दो कारणो से है एक तो लघु उद्योगो को स्वामित्व बडे उद्योगो की तुलना विस्तृत व फैला हुआ है तथा दूसरे, लघु उद्योगो की रोजगार सृजन की सामर्थ्य बडे, उद्योगो की तुलना मे अधिक है। धार व लाइडाल के अनुसार यह तर्क गलत है। उनके अनुसार लघु उद्योगो के श्रमिक प्राय असगठित होते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा नही कर सकते । इसलिए उद्योगपति इन श्रमिको को कम मजदूरी देते हैं। भारत मे लघु उद्योगो मे मजदूरी की दर से लगभग आधी है। इग्लैड, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, जापान तथा भारत सभी देशो मे लघु उद्योग

आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने मे असमर्थ रहे है।

परन्तु यह तर्क इस बात को अनदेखा करता है कि लघु उद्योगो मे बडे उद्योगो की तुलना मे बहुत रोजगार सामर्थ्य है। इसलिए लघु उद्योग बहुत सारे लोगो को आर्थिक विकास के फल प्राप्त करने मे सहायता प्रदान करता हैं। इनकी अनुपस्थित मे ये लोग या तो बेरोजगार रहते है या फिर बहुत कम आय वाले रोजगार मे लगे रहते है।

5 उद्योगो का क्षेत्रीय विकेन्द्रीकरण **(Regional dispersal of industries)** -

औद्योगिक लाइसेसिग नीति पर विचार करते हुए हम स्पष्ट कर आए है कि भारत मे बडे उद्योगो का केन्द्रीकरण महाराष्ट्र, पश्चिम बगाल, तमिलनाडु तथा गुजरात मे बढ रहा है। इससे देश मे औद्योगिक दृष्टि से क्षेत्रीय असमानताओ मे और अधिक वृद्धि की सम्भावना है। उद्योगो के केन्द्रीकरण से नगरो मे भीड तथा आवास की समस्याए उत्पन्न हो जाती है। लघु उद्योगो की स्थापना प्राय स्थानीय प्राय स्थानीय माग को पूरा करने के लिए की जाती है। अत इन्हे सभी राज्यो मे सुविधापूर्वक स्थापित किया जा सकता है। आधुनिक लघु उद्योग क्षेत्र की विशेष की अर्थव्यवस्था मे गुणात्मक परिवर्तन करने मे भी समर्थ होते है। इसका प्रमाण पजाब की अर्थव्यवस्था है जहा औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध महाराष्ट्र से भी ज्यादा लघु औद्योगिक इकाइया है।

6 स्थानीय पूजी और उद्यम का उपयोग **(Utilisation of local capital and enterpreneurial skill)**- देश के विभिन्न भागो मे ऐसे बहुत सारे साधन उपलब्ध होते है जिनकी माग बडे उद्योगो द्वारा की जाती । इसके अलावा कुछ साधन बडे उद्योगो की पहुच मे नही होते। लघु उद्योग इन साधनो सहज ही प्राप्त कर सकते है। उदहारणार्थ, कस्बो के उद्यमियो की क्षमता का उपयोग लघु उद्योगो मे ही हो सकता है। इसी प्रकार, बडे शहरो से दूर ग्रामीण क्षेत्रो मे की जाने वाली बचतो को बडे उद्योगो के लिए सचित कर पाना सम्भव नही होता, परन्तु उनकी सहायता से लघु उद्योगो की स्थापना की जा सकती है। आजादी के बाद भारी सख्या मे लघु उद्योगो की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि बिजली, तकनीकी

ज्ञान तथा साख आदि की सुविधाए मिल जाने पर अनेक निष्क्रिय साधनो का उत्पादन कार्यों के लिए उपयोग होने लगता है।

7 <u>औद्योगिक विवादो का कम होना (Less industrial disputes)</u> - लघु उद्योगो के समर्थको द्वारा प्राय यह भी तर्क दिया जाता है कि बडे उद्योगो मे लघु इकाइयो की तुलना मे औद्योगिक विवाद अधिक होते है। श्रमिको और मिल मालिको के बीच सम्बन्ध अच्छे न रहने के कारण उद्योगो म प्राय हडताल व तालाबन्दी की समस्याए बनी रहती है। इसके विपरीत लघु उद्योगो मे यह सब अधिक नही होता है। इसलिए उत्पादन की हानि भी अधिक नही होती। यह मत भ्रमपूर्ण है। पूजीवादी अर्थव्यवस्था मे इकाई बडी हो अथवा छोटी, कारखाने का मालिक श्रमिको का शोषण करता है जिसके कारण श्रम विवाद आवश्यक है। बडे और लघु उद्योगो मे अन्तर केवल इतना है कि बडे उद्योगो मे श्रम सघो की उपस्थिति के कारण श्रमिक अन्याय और शोषण का विरोध करता है, जबकि लघु क्षेत्र मे प्राय वह ऐसा कर पाने मे असमर्थ होता है। जिससे श्रम तथा पूजी के सम्बन्ध प्रकट रूप मे खराब मालूम नही होते हैं।

8 <u>निर्यात मे योगदान (Contribution to exports)</u>- आजादी के बाद बडे पैमाने पर लघु उद्योगो की स्थापना के कारण निर्यात आय मे इनका योगदान काफी बढा है। बहुत सारे उद्योगो जैसे तैयार वस्त्र (readymade garments), खेल का समान, चमडा व चमडे से निर्मित सामान, ऊनी कपडो, रसायनो व सहायक पदार्थे तथा इन्जीनियरिंग वस्तुओ इत्यादि मे लघु उद्योगो के निर्यात मे काफी वृद्धि हुई है। लघु उद्योगो के कुल निर्यात 1971–72 मे 156 करोड रूपये थे जो 1998–99 मे बढकर 44,437 करोड रूपये हो गए। इस प्रकार निर्यात आय मे लघु उद्योगो का हिस्सा 1971–72 मे 9 6 प्रतिशत से बढकर 1998–99 मे 31 4 प्रतिशत हो गया।

9. <u>सहायक व्यवसाय के रूप मे उपयोग वस्तुओं का निर्माण</u> – हमारे देश में कृषि पर जनसख्या का भार निरन्तर बढता जा रहा है। प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख व्यक्ति खेती

पर आश्रित होने के लिए बढ जाते है जिससे अनार्थिक जोतो का निर्माण होता है। जो विकास के लिए एक समस्या है। इस समस्या के समाधान की दृष्टि से लघु उद्योग बहुत ही उपयोगी है। ये उद्योग धन्धे सहायक उद्योग–धन्धे के रूप मे पूर्णकालिक एव अशकालिक चलाये जाते है। ये कृषि के ऊपर आश्रितो को अपनी ओर आकर्षित करते है और सहायक व्यवसाय के रूप मे देश के आर्थिक विकास मे बहुत बडी भूमिका अदा करते है। चरखे के विषय मे गाधी जी ने बहुत जोरदार शब्दो मे कहा था–"चरखा बहुसख्यक लोगो की आशा का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन बहुसख्यक लोग अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता चरखे के विनाश के साथ ही साथ खो चुके है। चरखा गावो की कृषि का पूरक है, उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, यह विधवाओ का मित्र है और कृषको को आलस्य से दूर रखने का साधन है।"

देश के आर्थिक विकास एव आत्मनिर्भरता के लिए पूजीगत वस्तुओ के उद्योगो का विकास आवश्यक है। लेकिन उपभोक्ताओ की आवश्यकताएँ इनसे प्रत्यक्ष रूप से नही पूरी की जा सकती। यद्यपि दीर्घकाल मे पूंजीगत वस्तु उपभोक्ता की पूर्ति करने मे सहायक हो सकती है लेकिन उस समय तक उपभोग वस्तुओ की मॉग मे इतनी वृद्धि हो जायेगी कि उसे पूरा करना कठिन होगा। इसके परिणामस्वरूप लोगो के जीवन–स्तर मे ही सुधार नही होगा, बल्कि वस्तुओ की कीमतो मे वृद्धि होगी। आज देश मे तेजी से मूल्य वृद्धि का यह भी एक प्रमुख कारण है। इस ओर सिर्फ लघु उद्योग ही सहायक हो सकते है। लघु उद्योग अल्प समय मे पूजी की मदद से वृहत् समुदाय की उपभोग वस्तुओ की पूर्ति करने मे सफल हो सकते है।

बम्बई के उद्योगपतियो ने 1944–45 मे एक योजना तैयार किया जिसमे यह बडे–बडे उद्योगपतियो के नाम से सम्बन्धित थी, जैसे पुरूषोत्तम दास, ठाकुर दास, श्री जी0 डी0 विरला, श्री जे0 आर0 डी0 टाटा तथा श्री जान मथाई। इस योजना मे उपभोक्ता वस्तुओ का उत्पादन लघु उद्योगो के माध्यम से किये जाने पर जोर दिया तथा इसके निम्नलिखित तीन आधार बताये।

1 पूजीगत वस्तुओ के उद्योगो के विकास के बाद उपभोक्ता वस्तुओ के उत्पादन–विस्तार के लिए उद्योगो को दुर्लभ मात्रा मे ससाधन प्राप्त होगे।

2 पूजीगत उद्योगो के विकास से अधिक मात्रा मे लोगो को रोजगार नही दिया जा सकता, केवल लघु उद्योग ही बढती जनसख्या को रोजगार देने मे समर्थ हो सकते है।

3 बडी मात्रा मे लघु उद्योगो से वस्तुएँ निर्मित करने मे थोडी मात्रा मे विदेशी विनिमय की आवश्यकता पडती है।

इसी से बहुत कुछ मिलती जुलती विचारधारा भारतीय योजना आयोग के अर्थशास्त्रियो तथा तत्कालीन साख्यिकी सलाहकार प्रो0 पी0 सी0 **महलनवीस** के द्वारा भी द्वितीय पचवर्षीय योजना तैयार करते समय अपनाई गई थी।

10 सामाजिक लागत नैतिक पक्ष – लघु उद्योगो के विकास के पक्ष मे एक महत्वपूर्ण बात भारत मे लघु उद्योग यह है कि सामाजिक एव नैतिक दृष्टि से भी महत्व के है। बहुस्तरीय उद्योगो मे श्रमिक मशीनो के पुर्जों की भॉति काम करता है वहॉ पर कला एव कारीगरो का महत्व बिल्कुल नही रह जाता है। बडे–बडे औद्योगिक केन्द्रो पर वातावरण प्रदूषित हो जाता है। जिससे श्रमिको का सामाजिक एव नैतिक स्तर गिर जाता है। इसके विपरीत लघु उद्योग इन सबसे बचाते है।

प्रशुल्क आयोग के भूतपूर्व सदस्य प्रो0 के0 टी0 मर्चेन्ट का विचार है कि ग्रामोद्योगो का महत्व सामाजिक मूल्य के आधार पर ऑका जाय, न कि व्यावसायिक आधार पर, अर्थात् सामाजिक लागत के सभी महत्वपूर्ण पहलुओ पर विचार करना चाहिये। लेकिन जब हम बृहत् उद्योगो की तुलना करते है तो हम केवल व्यावसायिक मूल्य को ही ध्यान मे रखते है, न कि सामाजिक मूल्य को। औद्योगिक शहरो मे जल एव वायु–प्रदूषण, गन्दी नालियॉ, समाज–विरोधी तत्व आदि सामाजिक कष्ट है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र पूर्णतया इनसे मुक्त है, अर्थात सम्पूर्ण लागत सामाजिक एव आर्थिक दोनो दृष्टियो से देखी जाने चाहिये, न कि केवल व्यावसायिक दृष्टि से। इसके अतिरिक्त यदि लघु उद्योगो के उत्पादन को विस्तार का अवसर प्रदान किया

जाता है तो वे स्वय ही सामाजिक कष्टो से मुक्त हो जाते है। वे गॉवो एव कस्बो के साहूकारो एव महाजनो के शोषण से भी मुक्त हो जाते है।

उपर्युक्त बातो के अतिरिक्त देश की अर्थ–व्यवस्था मे इन उद्योगो का महत्व मुख्यत निम्न कारणो से भी है–

1 युद्ध से सुरक्षा,

2 पूँजी एव कुशलता की गति मे वृद्धि,

3 श्रम एव पूँजी का अच्छा सम्बन्ध,

4 शहरो की ओर बढने वाली भीड मे रोक एव

5 क्षेत्रीय विकास मे सहयोग आदि।

11 शीघ्र उत्पादन – लघु उद्यागो द्वारा शीघ्र ही उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया जाता है। जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था मे विभिन्न वस्तुओ के उत्पादन की कमी को समाप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत बडे पैमाने के उद्योगो मे फलनाविधि अधिक लम्बी होती है। इनमे उत्पादन देर से प्रारम्भ किया जाता है।

12 राष्ट्रीय सुरक्षा – बडे उद्योग कुछ विशेष स्थानो पर ही केन्द्रित होते है, क्योकि उनके स्थानीयकरण के लिए कई बातो पर विचार करना आवश्यक होता है। इसके विपरीत लघु उद्योगो का स्थानीयकरण सरल समस्या है। युद्ध काल मे बडे उद्योगो को शत्रु से बचाना एक कठिन समस्या बन जाती है। जबकि लघु उद्योगो को ऐसा खतरा नही होता।

13 अतिरिक्त आय का साधन – विशेषकर बडे उद्योगो एव लघु उद्योगो मे उचित समन्वय स्थापित कर दिया जाय तो लघु उद्योगो बडे उद्योग के लिए अत्यन्त्र सहायक सिद्ध हो सकते है। जापान मे सूती वस्त्र उद्योग का सगठन इसी आधार पर किया गया है। ऐसी औद्योगिक इकाइयो को माल के विपणन की चिन्ता से मुक्ति मिल जाती हैं, क्यो कि प्रमुख इकाई सहायक (Ancillary) इकाई द्वारा उत्पादित समस्त माल अथवा उसका अधिकाश भाग स्वय अपने उत्पादन के लिए खरीद लेते है। भारत के निजी एव सार्वजनिक क्षेत्र की बडी

औद्योगिक इकाइयो से यह अपेक्षा की गयी है कि वे ऐसे सहायक उद्योगो की श्रृखला का निर्माण करे। इधर कुछ वर्षो से उद्योगो के ऐसे सहायकीकरण (Ancıllarısatıon) को भारत के पर्याप्त प्रोत्साहन मिल रहा है।

14 <u>राष्ट्रीय उत्पादन मे सहायक</u> – असख्य लघु उद्योग अपनी वस्तुओ का उत्पादन करके राष्ट्रीय उत्पादन मे अपना योगदान देते है। इसमे कोई सन्देह नही है कि लघु उद्योगो की उत्पादकता सीमित होती है। यदि लघु उद्योगो के तकनीकी स्तर मे कुछ सुधार किया जाय एव विद्युत से सचालित छोटी मशीनो के उपयोग की सुविधाएँ उन्हे प्रदान की जाये तो छोटे उद्योगो की उत्पादकता मे सुधार किया जा सकता है और उस दशा मे राष्ट्रीय उत्पादन मे इनसे और अधिक योगदान की आशा की जा सकती है हमारे कुल राष्ट्रीय उत्पादन मे लघु औद्योगिक क्षेत्र का भाग अब लगभग 40 प्रतिशत हो गया है।

15 <u>प्राविधिक ज्ञान एव प्रशिक्षण की सरलता</u> – लघु उद्योगो को सचालित करने के लिए आवश्यक प्राविधिक एव प्रशिक्षण स्थानीय रूप से ही उपलब्ध की जा सकती है और इसके लिए हमे विदेशी सहायता की बहुत अधिक जरूरत नही होती है।

16 <u>व्यक्तित्व एव कला का विकास</u> – बडे उद्योगो श्रमिक को एक यन्त्र के समान बना देते है। समस्त कार्य मशीन से किया जाता है। तथा श्रमिक उत्पादन मे अपनी कुशलता का प्रर्दशन नही कर सकते है। लघु उद्योग के श्रमिक अपनी हस्तकला का प्रर्दशक कर सकता है और कलात्मक निर्माण से उसे एक विशेष आनन्द एव सतोष का अनुभव होता है।

17 <u>कृषि पर जनसख्या के भार मे कमी</u> – कृषि का सबसे बडा दोष यह है कि जनसख्या के अनुपात मे भूमि का अभाव है। वैकल्पिक व्यवसाय के अभाव मे कृषक आधे पेट रह कर भी भूमि के टुकडे से लगे रहते है। इससे एक स्वस्थ एव नैतिक समाज के निर्माण मे बाधा पहुचती है। यदि गॉवो मे लघु उद्योगो मे अधिक व्यक्तियो की मॉग को बढा दिया जाय तो कुछ समय बाद ही बहुत से व्यक्ति कृषि को छोडकर इन उद्योगो मे लग जायेगे और इस प्रकार भूमि पर से जनसख्या का दवाब कम हो जायेगा।

18 आयात पर कम निर्भरता – बडे उद्योगो स्थापित करने मे कमी तकनीक के लिए, तो कमी मशीनो के लिए, तो कमी कच्चे माल के लिए विदेशो पर निर्भर रहना पडता है और उनको आयात करना पडता है। लघु उद्योगो मे ऐसी बात नही है। न तो मशीने आयात करनी पडती है न तकनीक और न कच्चा माल। इस प्रकार आयात पर निर्भरता कम हो जाती है।

19 विदेशो का अनुभव – ससार के लगभग सभी देशो का अनुभव यह है कि लघु उद्योग देश के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए, जापान मे 53 प्रतिशत मजदूर ऐसे उद्योगो मे लगे है। इसी प्रकार अमरीका मे भी 45 प्रतिशत मजदूरो को रोजगार यह उद्योग दे रहे है।

भारत मे लघु उद्योगो का योगदान कुल राष्ट्रीय उत्पादन मे 10 प्रतिशत, कुल औद्योगिक उत्पादन मे 40 प्रतिशत, रोजगार मे 32 प्रतिशत एव देश के निर्यात मे 35 प्रतिशत है। लघु उद्योगो के महत्व के कारण ही इन्हे औद्योगिक नीतियो मे मुख्य स्थान दिया गया है। अभी तक लघु उद्योगो के लिए 150 लाख वस्तुओ का उत्पादन सुरक्षित था वर्तमान मे इनकी सख्या 812 कर दी गयी है तथा यह व्यवस्था की गयी है कि इनके हितो की सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून बनाया जायेगा।

लघु उद्योगों की समस्याएँ
(Problems of Small Scale Industries)

लघु उद्योगो को कई प्रकार की समस्याओ का करना पडता है जिनके परिणामस्वरूप कई इकाइया बन्द भी हो जाती है। 1987–88 मे की गई लघु औद्योगिक इकाइयो की जनगणना से (जिनके परिणाम 1992 मे प्रकाशित किये गये) यह पता लगता है कि 31 मार्च 1988 को कुल पजीकृत 9 87 लाख लघु इकाइयो मे से 3 05 लाख इकाइयॉ (जो कुल पजीकृत इकाइयो का 32 प्रतिशत) बन्द हो चुकी थी । इस प्रकार एक तिहाई लघु इकाइयो को बन्द होना पडा था। इनमे से 1 49 लाख इकाइयॉ (अर्थात् आधी इकाइयॉ) काम शुरू होने के पॉच वर्षो के अन्दर–अन्दर ही बन्द करनी पडी थी। मार्च 1999 के अन्त तक लगभग 3,06,221 लघु इकाइयो अस्वस्थ थी और इनमे बैंको की बकाया ऋण राशि 4,313 करोड रूपये थी।

इनकी कठिनाइयो के बारे मे निरन्तर अध्ययन एव विचार विमर्श किये जाने की आवश्यकता है ताकि उनके निराकरण के लिए उपयुक्त सुझाव दिये जा सके। वर्तमान समय के लघु उद्योगो को अनेक समस्याओ एव अभाव के बीच मे गुजरना पड रहा है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित है –

1 <u>वित्त तथ साख (Finance and credit)</u> – पूजी तथा साख का अभाव लघु उद्योगो की प्रधान समस्या है। लघु औद्योगिक इकाइयो का पूजीगत आधार प्राय काफी कमजोर होता है क्योकि इनका सगठन साझेदारी अथवा अकेले स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। घरेलू उद्योग को चलाने वाले कारीगर या तो अपनी थोडी–सी पूजी से काम चलाते है या फिर महाजन अथवा व्यापारी से (जो कच्चा माल देता है) ऋण लेते है। लघु उद्योगो की स्थिति थोडी अच्छी होती है। परन्तु इन उद्योगो के लिए भी लाभ के फिर से निवेश द्वारा पूजी को बढा पाना सम्भव नही होता।

लघु उद्योगो के लिए सस्थागत वित्त के प्रधान स्रोत है उद्योगो के राज्य निदेशालय, राज्य वित्त निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैक तथा दूसरे व्यापारी बैक। यद्यपि लघु उद्योगो को मिलने वाली सस्थागत साख मे लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन वह इस क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रति उत्तरदायित्वो को पूरा करने के लिए तथ्ज्ञा लघु क्षेत्र के विस्तार के सन्दर्भ मे अपर्याप्त है।

लघु उद्योगो को ऋण सुविधाओ की उपलब्धि मे सुधार लाने के दृष्टिकोण से, रिजर्व बैक ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसने 30 जून 1998 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने कुल 126 सुझाव दिए जिसमे से रिजर्व बैक 40 सुझावो को स्वीकार कर चुका है। अति लघु क्षेत्र को और वित्तीय सहायता प्रदान के लिए उद्देश्य से 1999–2000 के केन्द्रीय बजट मे यह व्यवस्था की गई कि बैंको द्वारा गैर–बैंकिग कपनियो को जो ऋण इस क्षेत्र की सहायता के लिए दिए जाएंगे उन्हे प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण माना जाएगा। जैसाकि ऊपर कहा गया है, लघु व अति लघु क्षेत्र को ऋण सुविधाए प्रदान करने

के लिए 2000–01 मे कई कदम उठाए गए जैसे मिश्रित ऋण स्कीम के अधीन ऋण सीमा को 25 लाख ऊपर तक बढाना, ऋण गारण्टी योजना इत्यादि।

लघु की इकाई जो अच्छी तरह जानी जाती है कि ये मुख्यत सरकार की सहायता पर निर्भर नही रहती है। इनमे से अधिकाश अपने उत्पादो के मॉग की या तो स्थानीय बाजार पडोसी बाजार या दूर के बाजार या सयुक्त बाजार के अपने सामानो के मॉग पर निर्भर रहती है। इन लघु इकाइयो का प्रारम्भिक विनियोग मुख्यत स्वय के फण्ड या उधार फण्ड मुख्यत रिश्तेदारो, साथियो और साहूकारो से प्राप्त करती है। बहुत सी कम बैक या सरकारी स्त्रोत से प्राप्त करती है।

लघु इकाई अपने स्वय के फण्ड और उधार फण्ड गैर बैकिग और गैर सरकारी सेक्टर पर अधिक निर्भर करती है। क्योकि इसका कारण उधार देने वाली सस्था जैसे बैंक एव सरकारी वित्तिय कार्पोरेशन इन लघु इकाइयो को पेशगी देने के सामान्यत अनिच्छुक होती है। ये लघु इकाइयॉ ऐसी स्थिति मे नही होती है कि ये बैकिग सेक्टर का गारण्टी दे सके। वैसे ही जब छोटा कर्ज सरकारी एजेन्सियॉ दे सकती हैं नियम इतने कष्टकारी है कि अधिकॉश उद्यमी जो अशिक्षित है या कोई शिक्षित है इन सुविधाओ का प्रयोग करने मे सन्देह करते हैं और इससे वे वित्त कम मात्रा मे प्राप्त कर सकते है और इसलिए वे उधार ऋण से स्वय को लेना पसन्द करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग जो लघु उद्योगो के प्रबल उद्यमी बनने के उचित क्रम मे सामान्यत पहले ही धन सचित कर चुके हैं जब वे दूसरे फर्म मे काम करते थे। इसी कारण प्रमुख प्रबल श्रमिको से आशा है कि उन्हे व्यवसाय सेवा के कुछ वर्षो बाद प्रारम्भ करना चाहिए।

लघु उद्योगपतियो के पास अपने स्वय के पर्याप्त फण्ड पूॅजी विनियोग के लिए नही है और न ही वे प्राप्त कर सकते हैं। फण्ड की कमी उन्हे आधुनिक मशीनरी और टूल्स, अच्छी संस्थाओ से मरम्मत और औजार पूर्ण कारखाना उपयोग में लाना कठिन बना देता है। इससे अधिक वे अच्छी किस्म के कच्चे माल नही खरीद सकते है और अच्छे किस्म के कच्चे पदार्थो

या निमित्त माल का स्टाक रखने अपने सामानो को आकर्षित बनाने स्वय के बिक्री सस्थान या सुरक्षित डिपाजिट तैयार करना कठिन बना देता है जबकि यह आवश्यक है स्टेट फाइनेन्स कार्पोरेशन विस्तार अवधि ऋणो के निर्णय के लिए कई माह लेती है। यदि कोई एक प्रोजेक्ट शीघ्र आरम्भ करता है। बैंक भी ऋण प्राप्त करने के आवेदनो पर शीघ्र विचार नही करती। ये भी कोई प्रोजेक्ट को विलयर करने एव एडवान्स सुविधाओ को अधिकृत करने के लिए एक माह से तीन माह का समय लेती है। उनकी सहायता प्रारम्भिक पूॅजी या भविष्य खर्चो के लिए कठिनाई से प्राप्त होती है। ये केवल लघु स्तर इकाइयॉ की पूॅजी आवश्यकता के लिए प्राप्त होती है।

2 कच्चे माल की उपलब्धि **(Raw material availability) -** अधिकाश लघु उद्योग कच्चे माल के लिए स्थानीय स्रोतो पर निर्भर है। हथकरघा उद्योग सूत की पूर्ति के लिए स्थानीय व्यापारियो पर निर्भर रहता है। ये व्यापारी बुनकरो को प्राय इस शर्त पर कच्चा माल बेचते हैं कि बुनकर कपडा उन्ही को बेचेगे। प्राय ये व्यापारी बुनकरो का दोहरा शोषण करते है। एक ओर तो ये बुनकरो से कच्चे माल की अधिक कीमत लेते है और दूसरी ओर उन्हे माल की कम कीमत देते हैं।

लघु उद्योगो मे पहले छोटी–मोटी वस्तुओ का ही उत्पादन होता था जिनके लिए कच्चा माल प्राप्त कर पाना कोई समस्या नही थी। परन्तु जब से आधुनिक लघु उद्योगो का पर्याप्त विकास हुआ है और ये उद्योग नई वस्तुओ का उत्पादन करने लगे हैं, तब से इनके लिए कच्चे माल की व्यवस्था कर पाना कठिन हो गया है। अनेक लघु उद्योग आयात किए जाने वाले कच्चे पदार्थो का प्रयोग करते है। देश के सामने विदेशी विनिमय के सकट की स्थिति मे इस प्रकार के कच्चे माल का आयात न हो पाने पर समय–समय पर लघु उद्योग को भारी हानि हुई है।

3. <u>मशीने तथा दूसरे उपकरण (Machines and other equipment)</u>-

अधिकाश लघु औद्योगिक इकाइयो मे यन्त्र तथा दूसरे उपकरण पुराने हो चुके हैं। इस

कारण से इन उद्योगो द्वारा उत्पादित माल की क्वालिटी जहा घटिया होती है वहा लागत अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त लघु इकाइया लोगो की बदलती हुई रूचियो, फैशनो इत्यादि की ओर भी विशेष ध्यान नही देती। अत लघु औद्योगिक इकाइयो मे जितनी जल्दी हो सके आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। यह काम तभी हो सकता है जब तकनीकी सहायता का जाल बिछा दिया जाए। बेहतर तकनीको के प्रयोग द्वारा न केवल लघु इकाइयो की उत्पादक कार्यकुशलता मे सुधार होगा अपितु लोगो की बदलती हुई रूचियो के अनुसार उत्पादन मे परिवर्तन किए जा सकेगे।

4 <u>क्षमता का अल्प प्रयोग **(Under-utilisation of capacity)-**</u> लघु क्षेत्र की इकाइयो मे क्षमता के अल्प प्रयोग के बारे मे 1987–88 की दूसरी जनगणना मे आकडे दिए गए है। इनसे यह स्पष्ट होता है कि लघु इकाइयेा के काफी क्षमता का प्रयोग नही हो पाया है। उदाहरण के लिए 1987–88 मे क्षमता प्रयोग बिजली मशीनरी व पुर्जो के उद्योग मे 41 प्रतिशत, चमडा–उत्पादो मे 58 प्रतिशत, परिवहन उपकरण व पुर्जो मे 60 प्रतिशत, अन्य विनिर्माण उद्योगो मे 30 प्रतिशत तथा धातु उत्पादो मे 32 प्रतिशत था। सभी लघु इकाइयो को कुल मिलाकर देखा जाए तो क्षमता उपयोग करीब 48 प्रतिशत बैठता है। इससे पता चलता है कि लघु औद्योगिक इकाइयो मे स्थापित क्षमता का लगभग आधा ही प्रयोग हो पाता है। इस प्रकार आधी क्षमता बेकार पडी रहती है।

5 <u>विपणन की समस्याए **(Problems of marketing)**</u> - भारतीय लघु उद्योगो की एक बहुत बडी कमजोरी यह है कि उनके पास बिक्री के लिए सगठन नही है। प्राय लघु इकाइयो द्वारा मानक वस्तुओ का भी उत्पादन नही किया जाता। इसलिए उनका माल बडी इकाइयो की तुलना मे सहज ही बिक नही पाता।

बडे उद्योगो की प्रतियोगिता से लघु उद्योगो को बचाने के लिए सरकार ने अनेक वस्तुओ का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया है। आरक्षित मदो की सख्या 77 से बढते–बढते 836 तक पहुँचा दी गई (अब इनकी सख्या 812 है) व्यापार विकास प्राधिकरण

तथा राज्य व्यापार निगम लघु उद्योगो को विपणन प्रदान कर रहे है। 1955 मे स्थापित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम भी सरकारी आर्डर प्राप्त करने मे तथा निर्यात बाजार ढूढने मे लघु इकाइयो की सहायता कर रहा है।

6 अस्वस्थता की समस्या **(Problem of sickness)** - अस्वस्थ लघु इकाइयो के सदर्भ मे दो मुख्य मुद्दे है

(ı) बहुत सी अस्वस्थ इकाइया ऐसी है जिन्हे चला पाना व्यवहार्य नही रह गया है ,

(ıı) ऐसी अस्वस्थ लघु इकाइयो का पुनर्वास (rehabılıtatıon) जिन्हे दोबारा चला सकने की सभावना है। जहा तक पहले मुद्दे का सवाल है, देश मे 31 मार्च 1999 तक 3 06 लाख अस्वस्थ लघु इकाइया थी। इनमे बैको का 4 313 करोड रूपया फसा हुआ है। जहा तक दूसरे मुद्दे का प्रश्न है, बैको ने पता लगाया है कि केवल 18 692 लघु इकाइया ऐसी है जिन्हे पुनर्जीवित किया जा सकता है। इनमे बैको की 377 करोड रूपए की बकाया ऋण राशि है। परन्तु अस्वस्थ इकइयो का पुनर्वास एक महगा विकल्प है। इसमे बकाया राशि का पुनर्सूचीकरण (re-schedulıng), देय ब्याज पर रियायते, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगीकरण उन्नयन के लिए अतिरिक्त ऋण प्रदान करना, नए सिरे से कार्यशील पूजी इत्यादि उपलब्ध कराना शामिल है।

7 उपयुक्त आकडो की अनुपलब्धि **(Poor data base)-** एक और समस्या यह है कि लघु क्षेत्र के लिए उपयुक्त आकडे उपलब्ध नही है। लघु – उद्योग के लिए जानकारी के दो स्रोत है लघु उद्योग विकास सगठन (Small Industrıes Development Organısatıon) तथा केन्द्रीय साख्यिकीय सगठन (Central Statıstıcal Organısatıon)। ललघु उद्योगो के लिए सपूर्ण जानकारी इनमे से किसी स्रोत के पास नही है। SIDO द्वारा जो औद्योगिक जनगणना (ındustrıal census) की जाती है। उसके आकडे केवल वर्ष 1972 तथा 1987–88 के लिए उपलब्ध है। चालू अनुमान प्राप्त करने के लिए इन्हे आधार मान कर फिर आवश्यक समायोजन किए जा सकते है। SIDO द्वारा लघु क्षेत्र की इकाइयो के लिए प्रति वर्ष जो

अनुमान प्रस्तुत किए जाते है (यथा इस क्षेत्र मे कितनी इकाइया कार्यरत है, उनका उत्पादन क्या है, उनमे कितने लोगो को रोजगार प्राप्त है, इत्यादि) इनकी बहुत सी सीमाए है क्योकि ये आकडे आशिक जानकारी पर आधारित होते हैं। अपजीकृत लघु इकाइयो के बारे मे सूचना का आधार बहुत कमजोर है और इनके बारे मे जानकारी महज अनुमानो पर आधारित होते है। CSO सपूर्ण लघु व ग्रामीण उद्योगो के लिए सर्वेक्षण करता है। परन्तु इन सर्वेक्षणो मे लघु उद्योगो का वर्गीकरण निवेश सीमओ के आधार पर नही किया जाता (जो इन उद्योगो की परिभाषा के लिए आवश्यक है)। इन सर्वेक्षणो मे उन इकाइयो को शामिल किया जाता है जिनमे 10 से कम श्रमिक काम करते हो (अर्थात वे उत्पादन इकाइया जिन्हे उद्योगो के वार्षिक सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries) मे शामिल न किया गया हो) इन सर्वेक्षणो से जो आकडे प्राप्त होते है उनमे से लघु उद्योगो के लिए अलग से आकडे इकट्ठा करना सभव नही होता (उपलब्ध आकडो मे लघु उद्योगो और ग्रामीण उद्योगो के मिलेजुले आकडे होते हैं) इसके अलावा ये सर्वेक्षण 5 वर्ष के अतराल पर किए जाते है इसलिए अन्य वर्षोके लिए प्राप्त आकडे बहिर्वेशन (extrapolation) की सहायता से ज्ञात किए जाते है। इन सर्वेक्षणो से जानकारी महज 1978–79, 1984–85, 1989–90 तथा 1994–95 के लिए उपलब्ध है। जैसा कि लघु उद्योग विकास की रिपोर्ट मे कहा गया है कि "लघु उद्योगो की तेज प्रगति और अर्थव्यवस्था मे उनके योगदान को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि इन उत्पादन के लिए नियमित रूप से आकडे एकत्रित करने व उनका सशोधन करने की स्थायी व्यवस्था की जाए। प्रति वर्ष उत्पादन की विभिन्न दिशाओ मे कई लघु उद्यम स्थापित होते है और प्रति वर्ष कई मौजूदा उद्योग या तो अपना विस्तार करते है या फिर विविधीकरण करते है। उचित नीति–निर्धारण तभी सभव है जब इनके लिए नवीनतम जारकारी प्राप्त हो सके।"

8 **अन्य समस्याए (Other problems) -** लघु उद्योगो की उपरोक्त समस्याओ के अतिरिक्त इनकी कुछ अन्य समस्याए है प्रबन्धकीय क्षमता का अभाव, सस्ती बिजली का उपलब्ध न होना, बदलती हुई रूचियो के साथ उत्पादो मे परिवर्तन न हो पाना, स्थानीय करो का भार

तथा बडे के साथ प्रतियोगिता।

पजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयो को 1987–88 मे जो दूसरी जनगणना की गई थी उससे पता चलता है कि 31 मार्च, 1988 तक जो 3 05 लाख इकाइया बन्द हो गई थी उनमे से 1 48 लाख इकाइया (अर्थात आधी इकाइया) वित्तीय व विपणन सबधी कठिनाइयो के कारण बन्द हुई थी। सातवी पचवर्षीय योजना के अनुसार, लघु उद्योगो के विकास मे कई कारक बाधक रहे है जैसे पुरानी टैक्नोलौजी, कच्चे माल की अपर्याप्त व अनियमित पूर्ति, सगठित बाजार प्रणाली का अभाव, बाजार स्थिति के बारे मे अपूर्ण जानकारी, कामकाज का असगठित व अव्यवस्थित स्वरूप, साख की अपर्याप्त उपलब्धि, बिजली व अन्य आधारिक सुविधाओ की कमी, प्रबन्धकीय व तकनीकी कौशल की कमी, इत्यादि। इन उद्योगो के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो विभिन्न एजेसियो बनाई गई है उनमे परस्पर सहयोग व तालमेल का अभाव है। सतत प्रयासो के बावजूद गुण तथा श्रेणी मे सुधार लाने व एकरूपता बनाए रखने के बारे मे जागृति नही लाई जा सकी है। कुछ राजकोषीय नीतियो के परिणमस्वरूप इन उद्योगो की क्षमता का विखडन होकर अनार्थिक रूप से उत्पादन होने लगा है। इन सब कारको की वजह से लागते बढी है जिससे घरेलू बाजार और निर्यात बाजारो मे इन उद्योगो को बडे उद्योगो के साथ प्रतिस्पर्धा करने मे कठिनाई हो रही है।

9 **आर्थिक सुधारो तथा सार्वभौमिकरण के बुरे प्रभाव (Adverse effects of economic reforms and globalisation)** - नब्बे के दशक मे औद्योगिक अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा मे कई प्रयास किए गए है जैसे औद्योगिक लाइसेसिग की समाप्ति, आरक्षण मे कमी, देशीय व विदेशी उद्योगो के साथ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन, प्रशुल्को मे कमी, मात्रात्मक प्रतिबधो को समाप्त करना, इत्यादि। इन सुधारो का लघु उद्योग क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। यह इस बात से स्पष्ट है कि नब्बे के दशक मे लघु उद्योगो की सचयी वार्षिक वृद्धि दर आर्थिक सुधारो से पूर्व के वर्षो की तुलना मे कमी रही है। उदाहरण के लिए, लघु उद्योगो की सख्या मे वृद्धि दर जो 1985791 मे 7 56 प्रतिशत प्रति वर्ष थी, 1991–97 के दौरान कम

हो कर 6 53 प्रतिशत प्रति वर्ष रह गई। इसी अवधि मे उत्पादन की सवृद्धि दर 20 47 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम हो कर 18 57 प्रतिशत प्रति वर्ष , रोजगार की वृद्धि दर 5 47 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम हो कर 4 27 प्रतिशत प्रति वर्ष, तथा निर्यात की वृद्धि दर 28 40 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम होकर 23 52 प्रतिशत प्रति वर्ष रह गई।

अब विश्व व्यापार सगठन (WTO) की शर्तो को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने परिमाणात्मक प्रतिबधो (Quantıtatıve restrıctıons) को समाप्त कर दिया है। इससे लघु उद्योगो के लिए समस्याए और बढ जाएगी क्योकि अब उनके उत्पादो को सस्ती व गुणात्मक रूप से बेहतर विदेशी वस्तुओ से प्रतिस्पर्धा करनी पडेगी। चीन से हो रहे सस्ते आयातो का दबाब बहुत से लघु उद्योग अभी से अनुभव करने लगे है। फलस्वरूप लघु उद्योगो को उचित वित्त प्रोत्साहन, सरकारी नीति न बनाये जाने के कारण इन्हे कई सकटो से होकर गुजरना पडता है। जिससे लघु उद्योगो का विकास जिस अनुपात मे होना चाहिए, उस अनुपात मे नही हो पा रहा है।

सप्तम् अध्याय

प्रमुख निष्कर्ष एवं सुझाव

औद्योगीकरण एक प्रक्रिया है जिसमे वर्द्धमान प्रतिफल के मान सीमाओ को सतत् सृजन किया जाता है तथा उन्हे आगे बढाया जाता है। लघु उद्योगो के विकास के फलस्वरूप ही आर्थिक विकास तीव्रतर होता है। उत्तर प्रदेश भारत का मुख्य प्रदेश है जहॉ पर भूत, वर्तमान एव भविष्य अत्यन्त सुन्दर ढग से मिले हुए है। इस प्रदेश की एक विशेष औद्योगिक नीति है। राज्य का सामाजिक एव सास्कृतिक वातावरण इसके प्राचीन समय के वैभव को प्रकट करता है। प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वृद्धि दर 2 3% रहा। इस प्रकार द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्त तक कृषि सम्बन्धी बडे उद्योगो को बढावा दिया गया एव ऊर्जा, यातायात, सचार इत्यादि मे सहायक रचनात्मक सहयोग देकर 1 7% वृद्धि दर प्राप्त किया गया। तृतीय पचवर्षीय योजना उद्योगो के औद्योगीकरण के क्षेत्र मे 5 7% की वृद्धि दर अकित किया। चतुर्थ पचवर्षीय योजना 1969 74 की वृद्धि दर 3 4% रही। पॉचवी पचवर्षीय योजना मे औद्योगिक सेक्टर की वृद्धि दर 9 4% मे अत्यधिक वृद्धि हुई। छठी योजना मे 11 8% की बढोत्तरी हुई। सातवी योजना के मध्य तक 12 5% से अधिक वृद्धि प्रकाशित हुई। जो कि औद्योगिक वृत्त खण्ड के साथ विनियोजित थी। छठी पचवर्षीय योजना के अन्त मे सामान्यत छोटे प्रकार की इकाइयो की सख्या वर्ष 1988-89 के अन्त तक 11,0000 से बढाकर 19,6,220 से ऊपर हो गयी।

सातवी पचवर्षीय योजना मे आवश्यकता से अधिक की 12 5% वृद्धि हुई जो आठवी योजना तक जारी रही है। केवल सातवी योजना के मध्य तक 4616 करोड रूपये तक का अतिरिक्त विनियोजन के लिए ख्याति प्राप्त हुई।

आठवी पचवर्षीय योजना मे औद्योगिक सेक्टर मे सर्वत्र 7 3% की वृद्धि दर का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्योग उत्पादकता एव इकोनॉमिक बई बिल्टी के ऊँचे स्तर मे प्रवेश करेगा। लघु उद्योगो मे 5 6% की वृद्धि का लक्ष्य है।

UPFC पिछले तीन वर्षो मे एक अवधि उधार सस्थाओ की सख्या को मार्गदर्शक के रूप मे बनाये रखा एव साथ ही साथ 4071 इकाइयो की 1700 करोड रूपये से अधिक ऋण अनुमोदित किया गया। UP SIDC राज्य मे औद्योगिक वातावरण तैयार करता है इसने 2240 एकड से ऊपर भूमि पर 107 औद्योगिक क्षेत्र 43 जिलो मे स्थापित किया। निगम राज्य के सभी जिलो को औद्योगिक कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव करे। इस योजना मे केन्द्र, राज्य सरकार एव IDBI सयुक्त रूप से वित्त देने के लिए जुडे हुए हैं। UP STC, U P सीमेन्ट कार्पोरेशन, यू पी स्टेट इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन, इत्यादि की तरह राज्य के विभिन्न उद्योगो को बढाने का वातावरण किया गया। सेन्ट्रल इन्वेस्टमेन्ट सब्सिडी 25%, 15% एव 10% की दर से क्रमश A, B एव C श्रेणी के जिलो मे सहज थी। राज्य निगमो द्वारा निम्न और योगदान दिया जा रहा है–

(1) बिक्री कर मे छूट।

(2) एक न्यूनतम 15 लाख रूपये की 15% विषयो की एक विशेष प्रतिष्ठित इकाई "Zero Industry Tensil" मे कैपिटल सब्सिडी को सहज बनाया गया।

(3) चुँगी से मुक्ति।

(4) 100% निर्यातक ओरियन्टेड इकाइयो के लिए कैपिटल सब्सिडी ।

(5) केन्द्रीय यातयात आर्थिक सहायता पहाडी क्षेत्राो मे माल के यातायात के लिए 75% आर्थिक सहायता ।

(6) नये उद्योगो के प्रभावी ऊर्जा मे पॉच वर्ष के लिए कर मुक्त ऊर्जा।

सिगलविण्डो फैसिलिटी – विभिन्न विभागो के सम्बन्ध मे मध्यम एव बडे उद्योगो की समस्याओ के समाधान करने मे सहयोग देने के लिए राज्य सरकार ने बिना लाभ आधार पर एव सघ उद्योग बन्धु के नाम से बनाया। 1987 के अन्त तक हाई पावर कमेटी न्यायालय मे लघु उद्योग की समस्याओ के समाधान के लिए भी एक माह मे एक बार सभा करती है। राष्ट्रीय झुकाव एव पूर्णता को ध्यान मे रखकर राज्य सरकार विशिष्ट युद्ध कौशल एव उद्योगो

के विशिष्ट सेक्टरो की योजना बना रही है।

आठवी पचवर्षीय योजना अपनी पूर्णता के अन्तिम वर्ष बहुत शीघ्र नवी योजना के कार्य मे परिणित हो जायेगी। औद्योगिक विकास से सम्बन्धित विशेष कार्यदल 8 सेक्टरो से अधिक मे स्थापित किये गये है। पिछडे औद्योगिक क्षेत्रो के महान विकास के लिए आर्कषित पैकेज साहस के साथ दुहराये गये। आधुनिकीकरण के लिए साहस पूर्ण कदम उठाये जा रहे है। ऊर्जा के बचत, प्रदूषण नियत्रण एव पूँजी उगाही अनुपात औद्योगिक सेक्टर मे महान उत्पादकता बढाया गया। मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि राज्य को 21 वी सदी मे ले जाने के लिए कुछ प्रस्ताव व्यापक रूप से तैयार किये जा रहे है। जो आत्मनिर्भर औद्योगिक क्षेत्र एव राज्य के बडे हिस्से मे औद्योगिक क्षेत्र फैलाये जाने का विचार किया जा रहा है।

उपयुक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि शीघ्र ही राज्य अर्थव्यवस्था प्रत्येक क्षेत्र मे उच्च औद्योगीकीकरण के प्रत्येक क्षेत्र मे उच्च औद्योगीकीकरण मे आर्थिक सुधार के क्षेत्र मे गर्व का स्थान प्राप्त करेगा।

अर्थव्यवस्था के प्रारभिक इतिहास मे एव औद्योगिक इतिहास के पूर्व लघु उद्योगो को बहुत सकीर्ण एव सीमित अर्थो मे प्रयोग किया जाता था। ये उद्योग तीव्र गति से बढ रहे है। उन्नत देशो मे इन उद्योगो का व्यापार विस्तृत है। एव बडे स्तर के उद्योगो के सहायक रूप मे विकसित है। द्वितीय पचवर्षीय योजना के अनुसार लघु स्तर औद्योगिक बोर्ड के द्वारा एक कार्यरूप परिभाषा ग्रहण की गई जिसके अनुसार "सभी इकाइयो या कार्यालय जिसका पूँजी विनियोजन पॉच लाख से कम है एव 50 से कम व्यक्तियो को रोजगार देती है, जब शक्ति प्रयोग हो रही हो।"

इधर सोसाइटी एण्ड इकोनॉमिक स्टडीजइन कैपिटल फार मीडियम एण्ड स्माल स्केल इन्ड्रस्ट्रीज द्वारा प्रमाणित की गई। इसी प्रकार की परिभाषा स्माल स्केल बुलेटिन के द्वारा जारी की गई जिसमे भी 5 लाख रूपये की अधिकतम सीमा एवम् श्रमिको की सख्या भी सीमित रही।

कमेटी आन द स्टेट इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारर्पोरेशन इन वेस्ट बगाल के विचार मे लघु उद्योग वे इकाइयाँ है जिनकी प्रोसेसिग कैपिटल पूँजी 10,000 रूपये से अधिक हो और 1 लाख तक हो।

दिसम्बर 1966 मे लघु स्तर इकाई की परिभाषा स्माल स्केल इन्ड्रस्ट्रीज बोर्ड द्वारा परिवर्तित की गई है जो निम्न है –

"लघु स्तर उद्योगो के अन्तर्गत वे सभी औद्योगिक इकाइयाँ सम्मिलित हैं जिनकी पूँजी विनियोग 75 मिलियन रूपये से अधिक न हो एव रोजगार मे श्रमिको की सख्या का कोई आपेक्ष न हो"।

भारत सरकार ने लघु उद्योगो के सम्बन्ध मे व्यवस्थित ढॉचा बनाने के लिए सन् 1972 मे एक कमेटी नियुक्त की कमेटी ने यह सुझाव दिया कि लघु उद्योग सेक्टर को निम्नलिखित

(1) Tiny Unit Industry

(2) Small Scale Industry

(3) Ancillary

1974 मे लघु स्तर बोर्ड की 32 वी मीटिग मे लघु स्तर उद्योग की परिभाषा पर पुन विचार किया गया। बोर्ड द्वारा दी गई पुन विचारित परिभाषा की सस्तुतियेा को भारत सरकार ने स्वीकार किया एव इसे 1 मई 1974 से लागू किया जो इस प्रकार है –

"एक लघु उद्योग वह है जिसका प्लाण्ट एव मशीनरी पर विनियोग 10 लाख रूपये से अधिक नही है। 21 दिसम्बर 1977 मे घोषित औद्योगिक नीति मे एक नयी श्रेणी के उद्योगो अर्थात अति लघु उद्योगो से परिचय कराया। यह व्यवस्था किया गया है कि "जिसकी मशीनरी एव साज सामानो मे एक लाख रूपये से अधिक का विनियोग है और 1971 की गणना के अनुसार 50,000 से कम जनसख्या वाले कस्बे मे स्थित हो"।

1980 मे पूँजी विनियोग और निर्गम मे मूल्य वृद्धि के कारण सरकार ने अति लघु, लघु एव इन्सीलरी उद्योगो मे पूँजी विनियोग सीमा बढाने का निर्णय किया। इसकी सशोधित

परिभाषा इस प्रकार है –

1 अति लघु – "व्यवसाय जिसकी स्थायी सम्पत्तियो मे प्लाण्ट एव मशीनरी पर पूॅजी विनियोग 2 लाख रूपये से अधिक नही है।

2 लघु स्तरीय उद्योग – व्यवसाय जिनकी स्थायी सम्पत्तियो मे प्लाण्ट एव मशीनरी या तो स्वामी के अधिकार मे या पट्टे द्वारा या किस्त द्वारा हो, पर विनयोग 20 लाख रूपये से अधिक न हो।

3 एनसीलरी उद्योग – व्यवसाय जिसकी स्थाई सम्पत्तियॉ 25 लाख से अधिक न हो और काम मे (A) शिल्पकर्म के हिस्सो, साधको, औजारो (B) सेवाओ का प्रतिपादन या पूर्ति का उद्देश्य या उनके उत्पादन का 50% या कुल सेवाओ जैसा दूसरी श्रेणियो के उत्पादन के सम्बन्ध मे हो सकता है।

लघु उद्योगो की परिभाषा मे पुन मार्च 1985 मे सशोधन किया गया। इसके अनुसार प्लाण्ट एव मशीनरी पर सीलिग जो 1980 मे निर्धारित की गयी उसे 20 लाख से बढाकर 35 लाख किया गया। इस प्रकार वे समस्त इकाइयॉ सम्मिलित की जाती है। जिनमे स्थिर परिसम्पतियो के रूप मे सयन्त्र एव मशीनरी पर 60 लाख रूपये से अधिक पूॅजी नही लगी है लेकिन छोटे पुर्जे, उपकरण, सयन्त्र या मशीनरी पर या मरम्मत का कार्य करने वाली इकाइयो की दशामे 75 लाख रूपये तक पूॅजी विनियोजित करने वाली इकाइयो को भी लघु उद्योगो की परिभाषा के अन्तर्गत रखा गया है।

वर्तमान मे लघु उद्योगो मे पूॅजी की अधिकतम सीमा बढाकर तीन करोड रू कर दी गई है।

लघु उद्योगों का औचित्य

1 आर्थिक विकास ·– प्रत्येक देश के आर्थिक प्रगति मे लघु उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखते है। लघु उद्योग विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के जनक है। आर्थिक विकास मे विकेन्द्रित उद्योगो से प्रति व्यक्ति आय बढ जाती है। और यही प्रति व्यक्ति आय ही देश की कुल

राष्ट्रीय आय होती है जो कि आर्थिक विकास का मापदड हैं।

2 **रोजगार** – लघु उद्योगो के विकास के पक्ष मे जो तर्क दिये जाते हैं उनमे रोजगार की वृद्धि का तर्क स महत्वपूर्ण है। लघु उद्योग मे रेाजगार क्षमता वृहन्त उद्योगो की तुलना मे बहुत अधिक होती है। अत भारत जैसी विकास शील अर्थव्यवस्था मे जहॉ पर पूॅजी की दुर्लभता है एव श्रम बाहुल्यता है वहॉ पर लघु उद्योग ही बेरोजगारी समस्या का उचित समाधान कर सकते है।

3 **आय वितरण** – लघु उद्योग धन के समान वितरण के सहायक होते है। वृहद उद्योगो के विकास के राष्ट्रीय आय का एक बहुत बडा हिस्सा कुछ इने गिने उद्योगपतियो के हाथ मे केन्द्रित हो जाता है। इस कारण आर्थिक असमानता है। इस ओर लघु उद्योग ही उपयोगी हो सकते है जो कि समानता का वातावरण तैयार करते है।

4 **स्थानीय ससाधनो का विदोहन** – लघु उद्योग अपसचित धन एव कौशल आदि छिपे हुए साधनो के उपयोग करने मे सहायक होते है।

5 **सहायक व्यवस्था के रूप मे** – सहायक व्यवस्था के रूप मे देश के आर्थिक विकास मे कुल भूमिका निभाते है। लघु उद्योग अल्पसमय मे अल्प पूॅजी की मदद से वृहद समुदाय के उपभोग वस्तुओ की पूर्ति करने मे सफल हो सकते है।

6 **शीघ्र उत्पादन उद्योग** – इसमे धन विनियोग करने पर शीघ्र ही उत्पादन प्रारम्भ हो जाता है। लघु उद्योगो प्रारम्भ करने एव बाजार मे वस्तुओ के प्रवाह के बीच की अवधि थोडी होती है। इस प्रकार भारी उद्योगो की तुलना मे लघु उद्योग फलदायक होते है।

7 **सामाजिक लागत नैतिक पक्ष** – लघु उद्योग सामाजिक विस्थापन असतोष एव अशान्ति को रोकते है। जो भारी उद्योगो के मध्यम से होने वाले औद्योगिकरण के बाद आती है।

8 **वर्ग सघर्ष से बचाव** – लघु उद्योगो मे मालिक एव मजदूर मे व्यक्तिगत सम्पर्क

रहता है। तथा उनके परस्पर सम्बन्ध भी अच्छे रहते है। अत वर्ग सघर्ष की कम सम्भावना रहती है।

9 **तकनीकी ज्ञान की कम आवश्यकता** – बडे उद्योगो मे पूँजी एव आधुनिक ज्ञान की आवश्यकता होती हैं। किन्तु लघु उद्योगो मे कम कुछलता की आवश्यकता रहती है।

10 **कलात्मक वस्तुओ का उत्पादन** – कलात्मक सुन्दर एव कीमती वस्तुओ का उत्पादन लघु उद्योग से ही सम्भव है।

11 **शहरीकरण एव औद्योगिकरण के पूरे प्रभाव से सुरक्षा** –

12 **आयात पर कम निर्भरता**

13 **निर्यात मे महत्वपूर्ण भूमिका** – इस प्रकार आर्थिक, सामाजिक एव नैतिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मे लघु उद्योगो का महत्वपूर्ण स्थान देना वाछित ही नही बल्कि आवश्यक है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 1948 मे प्रथम औद्योगिक नीति मे लघु उद्योगो के महत्व को स्वीकार किया गया। प्रथम पचवर्षीय योजना मे 1647 इकाइयो द्वारा 29898 व्यक्तियो को रोजगार प्रदान कर 34 46 करोड रूपये का उत्पादन किया गया है।

द्वितीय पचवर्षीय योजना मे 2,824 इकाइयॉ द्वारा 48,382 व्यक्तियो को रोजगार प्रदान कर 50 16 करोड रूपये का उत्पादन किया गया। इस योजना की अवधि मे 14 औद्योगिक आस्थानो का निर्माण कराया गया। इस योजनावधि मे आवश्यक प्रयासो को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय, तकनीकी, व्यापारिक एव प्रशासनिक प्रकृति के बैटिल नेक बनाये गये है।

तृतीय पचवर्षीय योजना मे कई विचारो को ध्यान मे रखकर 25 करोड रूपये का प्रावधान ग्रामीण एव लघु स्तर के लिए 25 करोड रूपये का प्रावधान रखा गया। इस योजना अवधि मे 33 83 करोड रूपये का विनियोग कर 4,842 इकाइयो द्वारा 1,14,431 लोगो को रोजगार प्रदान करके 101 49 करोड रूपये का उत्पादन किया गया। ऋण एव अनुदान के रूप

मे 77 लाख रूपये की वित्तीय सहायता 1963 64 के दौरान दी गयी।

चतुर्थ पचवर्षीय योजना मे ग्रामीण एव लघु स्तर के उद्योगो के विस्तार कार्यक्रम उत्पादन तकनीको के विस्तार विक्रेन्दीकरण एव कृषि पर आधारित उद्योगो को उत्साहित करने का मुख्य लक्ष्य गया। इस योजनावधि मे पूरक उद्योगो का विकास किया गया। इस योजनावधि मे 12,851 इकाइयो द्वारा 249 करोड रूपये का उत्पादन कर 1,60,027 व्यक्तियो को रोजगार प्रदान किया गया। इस योजना मे विभिन्न उद्देश्यो की पूर्ति हेतु लघु उद्योग निदेशालय मे एक सारगीयकी एव प्रलेख पोषण प्रकोष्ठ की स्थापना 1973 74 मे हुई।

पॉचवी पचवर्षीय योजना मे लघु स्तर के उद्योगो के विकास का महत्वपूर्ण चरण था। इस योजना के अन्त तक लघु इकाइयो की सख्या 47,943 थी जिसमे अनुमानित उत्पादन 983 करोड रूपये एव 5,38,270 व्यक्तियो को रोजगार के अवसर सुलभ हुए। इसी अवधि मे जिला उद्योग केन्द्र योजना का शुभारम्भ हुआ। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1978–79 से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया। 1976–77 मे क्राफ्टमैन योजना एव प्रदेश के विशिष्ट हस्तशिल्पियो को राज्य पुरस्कार योजना 1978–79 योजना से प्रारम्भ की गयी। इसी योजना अवधि मे नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना गाजियाबाद मे की गयी। पॉचवी पचवर्षीय योजना मे लघु उद्योगो के अधिकाधिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए लघु उद्योग क्षेत्र मे स्थापित होने वाले 504 वस्तुओ को आरक्षित कर दिया है।

छठी पचवर्षीय योजना मे 1980–85 के फलस्वरूप 1,10,710 लघु स्तर की इकाइयॉ की स्थापना की गयी। 1,10,710 इकाइयो मे 676 करोड रूपये का विनियोजन किया गया। जिसमे उत्पादन 2,143 करोड रूपये एव 9,20,756 व्यक्तियो को रोजगार के अवसर सुलभ हुए है। योजना मे वृद्धि दर 11 8% वृद्धि हुई। राज्य सरकार द्वारा अल्पसख्यक वित्तीय एव विकास निगम की स्थापना की गयी। इस निगम द्वारा गोष्ठी, मार्जिन, मनी योजना तकनीकी प्रशिक्षण योजना एव उद्यमिता विकास प्रशिक्षण योजनाऍ चलायी जाती है।

सातवी पंचवर्षीय योजना मे लघु स्तर इकाइयो को लगाने का एक लाख का लक्ष्य रखा

गया। जिसके समक्ष 1,05,541 इकाइयॉ लगायी गयी। जिसमे 2,043 करोड रूपये का अनुमानत उत्पादन जिसके समक्ष 1,05,541 इकाइयॉ लगायी गयी। जिसमे 2,043 करोड रूपये अनुमानत का उत्पादन हुआ। 5,24,304 व्यक्तियो को रोजगार के अवसर सुलभ हुए। सभी मार्जिन ऋण योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 10% अधिकतम् 3 लाख रूपये जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप मे दिये जाने का प्रावधान है। परियोजना लागत का 10% उद्यमियो को अपने स्त्राोतो से लगाया जाना अपरिहार्य है। वर्ष 1990–91 मे उद्यमिता विकास कार्यक्रम समय बद्ध प्रणाली से चलाया गया। 1990–91 के अन्त तक 43,067 प्रशिक्षणथियों को प्रशिक्षित कराया गया। 872 व्यक्तियो को उद्योग लगवाकर लाभान्वित कराया गया। वित्तीय वर्ष 1992–93 मे 48,883 व्यक्तियो को प्रशिक्षित कराया गया। एव 7,738 व्यक्तियो को उद्योग लगवाकर लाभान्वित किया गया। लघु उद्योग आधुनिकीकरण निधि योजना–उ0 प्र0 शासन ने औद्योगिक इकाइयो के आधुनिकीकरण उत्पादकता एव गुणवत्ता मे सुधार हेतु इस योजना को प्रस्तावित किया। उक्त तिथि का सृजन राज्य के समेकित निधि से आन्तरिम धनराशि एव राज्य सरकार एव भारत सरकार की वित्तीय सस्थाओ के अशदान से किया जायेगा। इस ब्याज की धनराशि से योजना के अन्तर्गत चुने गये। 14 उद्योगो को वृहद् एव सूक्ष्म अध्ययन करा कर वर्ष 1992–93 तक प्रत्येक उद्योग की कम से कम दो इकाइयो को लाभ पहुॅचाय गया।

"अ" "ब" "स" श्रेणी के पिछडे जनपदो को उद्योग लगाने हेतु शासन द्वारा वर्ष 1990–91 मे घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य पूॅजी उत्पादन योजना प्रारम्भ की गयी। 1994–95 मे लघु उद्योगो के लिए 500 लाख रूपये आय व्यय का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जातियो के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना भी आठवी योजनावधि मे प्रारम्भ किया गया। ब्लाक पायनियर इकाइयो को राज्य पूॅजी उत्पादन योजना जो 1990 मे प्रारम्भ की हुई। इस योजना के अन्तर्गत 4,97,219 रूपये की धनराशि औद्योगिक इकाइयॉको वितरित की गयी।

इस प्रकार आठवी पचवर्षीय योजना मे 2,550 करोड रूपये पूँजी विनियोजित कर 1,65,000 इकाइयॉ द्वारा 14 85 लाख लोगो को रोजगार प्रदान किया गया।

भावी कार्यक्रम

1 अवस्थापन सुविधाओ का विस्तार।

2 औद्योगिक क्षेत्र मे विद्युत व्यवस्था।

3 औद्योगिक क्षेत्र का रख रखाव।

4 प्रक्रियाओ का सरलीकरण किया जाना।

5 कम्प्यूटरीकरण का विस्तार।

6 सयुक्त क्षेत्र परियोजनाओ का लगाया जाना।

7 रूग्ण औद्योगिक इकाइयो का पुनर्वासन।

8 नई औद्योगिक इकाइयो को ब्रिकी कर छूट।

लघु इकाइयो का प्रारम्भिक विनियोग मुख्यत स्वय के फण्ड या उधार फण्ड मुख्यत साहूकारो से प्राप्त करती है। ये लघु इकाइयो ऐसी स्थिति मे नही होती कि ये बैंकिग सेक्टर की गारण्टी दे सके। बैंक एव फाइनेन्स कार्पोरेशन विस्तार अवधि ऋण प्राप्त करने के आवेदनो पर विचार नही करती है। यह मामले लघु उद्योगपतियो को बहुत कठिन बना देती है।

रिजर्व बैक ऑफ इडिया द्वारा जारी परिभाषा के अनुसार लघु औद्योगिक इकाइयो को तब रूग्ण माना जायेगा। जब उसे पिछले वर्ष मे नकद हानि हुई एव चालू लेखा वर्ष मे भी उसे नकद हानि की सम्भावना हो और इन सची नकद हानियो के कारण उसकी निबल सम्पत्तियो मे 50% या इससे अधिक हास हुआ है। उसे लगातार ब्याज की चार तिमाही किस्तो अथवा सावधि ऋण के मूल धन की दरे छमाही किस्तो का भुगतान करने मे चूक की हो एव बैक मे उसकी ऋण सीमाओ के परिचालन मे निरन्तर अनियमिताएँ हो, अपेक्षाकृत बडी लघु इकाइयो के विषय मे उपयुक्त शर्ते पूरी होनी चाहिए जब कि अति लघु तथा विकेन्द्रीकृत

इकाइयो के मामले मे किसी एक शर्त का होना पर्याप्त होगा।

लघु उद्योगों के विकास हेतु प्रमुख योजनाएँ

1 **आई डी बी आई की पुन: वित्त योजनाएँ** – उद्योग प्रारम्भ करने की पूँजी की आवश्यकता, पुनर्वासन के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूँजी की आवश्यकता एव कानूनी उत्तरदायित्व मिलाने के लिए विद्यमान विवरित आवश्यकता जहाँ प्राथमिक उधार सस्थाएँ IDBI के मूलऋण के सम्मुख पुन वित्त अपने स्वय के स्त्रोतो से अदा करता है। IDB पुनर्वास पुन वित्त पर ब्याज 9% प्रतिवर्ष होगी।

2. रूग्ण लघु औद्योगिक इकाइयो को पुनर्वासित करने हेतु केन्द्र सरकार की मार्जिन मनी योजना – योजना के अन्तर्गत अधिकतम सीमा प्रति इकाई 5000 रूपये होगी। लघुत्तर इकाइयो के लिए 7 5 से अधिक नही कुछ दशाओ मे 90% तक दी जाती है। कुल अवधि 9 वर्षो से अधिक ही होगी।

3 **रूग्ण लघु एव लघुत्तर औद्योगिक इकाइयो को पुनर्वासन करने हेतु राज्य सरकार की मार्जिन मनी योजना** :– इस योजना का क्रियान्वयन दो माध्यम द्वारा कराया जाता है।

(a) यू पी एफ सी द्वारा वित्तपोषित इकाइयो हेतु योजना का क्रियान्वयन यू पी एफ सी द्वारा किया जाये।

(b) अन्य मामलो मे योजना का क्रियान्वयन सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जाये।

4 **लघु उद्योग आधुनिकीकरण निधि योजना** – प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाइयो की क्षमता एव कार्यशीलता को दृष्टिगत रखते हुए उ0 प्र0 शासन ने औद्योगिक इकाइयो के आधुनिकीकरण, उत्पादकता एव गुणवत्ता मे सुधार हेतु इस योजना को प्रस्तावित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत लघु एव लघुत्तर रूग्ण औद्योगिक इकाइयो के अभिज्ञान हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी–

1 वह लघु एव लघुत्तर औद्योगिक इकाई जो पूर्व लेखा वर्ष मे नकद हानि मे रही हो। एव

चालू वित्तीय वर्ष मे हानि मे रहने की सम्भावना हो तथा 50% से अधिक क्षय सचयी नकद हानि के कारण हुआ हो।

2 लिए गये ऋण की ब्याज की निरन्तर 4 तिमाही किस्तो अथवा टर्मलोन पर मूल धनराशि की दो छमाही किस्तो के भुगतान मे असमर्थ रही हो एव बैंक के साथ साख सीमाये रखने पर निरन्तर अनियमित रही हो।

लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई के मामले मे उपयुक्त निर्धारित शर्तों के पूरा होना पर्याप्त होगा। एव लघुत्तर इकाई के मामले मे उपयुक्त कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए।

योजना के अन्तर्गत अधिकतम् सहायता प्रति इकाई 50 रूपये होगी। अतिरिक्त स्वीकृत किया गया मार्जिन मनी ऋण सामान्यत पुनर्वास योजना के अन्तर्गत वित्तीय सस्थाओ एव बैको द्वारा स्वीकृत ऋण हेतु मार्जिन मनी का 50% से अधिक नही होना चाहिए। लघुत्तर इकाइयो के मामले मे यह सीमा 75% होगी। अपवादात्मक मामलो मे लघु स्तरीय इकाइयो के लिए यह धनराशि 75% बढायी जा सकती है। लघुत्तर इकाइयो को 90% तक इस प्रतिबन्ध के साथ की धनराशि 50,000 रूपये से अधिक नही होगी।

5 **राज्य सरकार की मार्जिन मनी योजना –** इस योजना के अन्तर्गत लघु एव लघुत्तर औद्योगिक इकाइयो के अभिज्ञान हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी–

1 वह लघु एव लघुत्तर औद्योगिक इकाई जो पूर्व लेखा वर्ष मे नकद हानि मे रही हो एव चालू वित्तीय वर्ष मे हानि रहने की सम्भावना हो एव 50 या अधिक क्षय संचयी नकद हानि के कारण हुआ हो।

2 लिये गये ऋण के ब्याज की निरन्तर चार तिमाही किस्तो अथवा टर्मलोन पर मूल धनराशि की दो छमाही किस्तो के भुगतान मे असमर्थ रही हो। और बैक के साथ साख सीमा बनाये रखने मे निरन्तर अनियमित रही हो। लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई के मामले मे उपयुक्त निर्धारित शर्तो का पूरा होना पर्याप्त होगा एव लघुत्तर इकाई के मामले मे उपयुक्त मे से कोई एक शर्त पूर्ण होनी चाहिए।

योजना के अन्तर्गत लघु एव लघुत्तर इकाई के पुनर्वास हेतु अभिज्ञापन हो जाने के पश्चात् उपयुक्त प्रक्रिया के अनुसार इकाइयो के निम्नलिखित सीमा एव शर्तों के अधीन सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। योजना के अन्तर्गत केवल उन इकाइयो को जो व्यवहारिक तौर पर सभाव्य समझी जाती है पुनर्वास हेतु हस्तगत किया जायेगा। इकाई व्यवहार्य तब मानी जायेगी यदि बैंक, वित्तीय सस्थाओ, केन्द्र सरकार तथा अन्य सम्बन्धित एजेन्सियो, जैसी भी स्थिती हो, सहायता पैकेज आरम्भ करने से 5 वर्ष से अत्यधिक अवधि मे बिना छूट की माग किये निर्धारित एव एक लघु स्तरीय इकाई रूग्ण विचार की जाती है। यदि यह पूर्व लेखा वर्ष मे हानि सहना एव सभवत लगातार चालू लेखा वर्षों मे पूँजी हानि से ग्रस्त हो एव इसके शुद्ध सम्पत्ति के 50% या अधिक के विद्यमान लगातार बढते हुए पूँजी हानि के कारण कमी एव क्षय, लगातार चार क्रमागत ब्याज किस्तो मे त्रुटि या दो अर्द्धवार्षिक अवधि की किस्तो मे गलती एव बैंक के साथ इसके क्रेडिट सीमाओ से व्यवसाय मे दीर्घकालीन अनियमितताएँ हो। यदि उपरोक्त स्थिती मे से किसी एक स्थिती को पूर्ण करता है तो वह लघु इकाई रूग्ण कही जायेगी।

एक मध्यम आकार की औद्योगिक इकाई रूग्ण समझी जा सकती है– पुनर्वासन सहायता के कम से कम 3 वर्ष पूर्व से उत्पादन करता है, निरन्तर प्राथमिक लेखा वर्ष मे पूँजी हानि का होना।

उद्योगो मे रूग्णता विभिन्न कारको के कारण उठती है। मास मे कई उद्योग औद्योगिक रूग्णता की समस्या का सामना कर रहे है। कुछ राज्यो मे यह अनुमानित है कि लगभग 50% इकाई रूग्ण है। जैसे बिहार मे 36,000 लघु स्तर इकाइयो 55% रूग्ण है लगभग 50,000 उद्यमी एव 5 लाख प्रभावित है। राज्य उद्योग डाइरेक्टोरेट के सर्वेक्षण के अनुसार 1977 मे उ0 प्र0 मे 47,000 इकाइयो मे 13,000 इकाइयॉ रूग्णता थी। तमिलनाडू मे 50%, केरल मे 36% रूग्ण थी। दूसरे प्रदेशो मे यह सख्या 30% से 35% तक ही अनुमानित थी। भारत में 6 राज्यो मे बडी सख्या मे रूग्ण इकाइयॉ है, उनके नाम – उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु,

महाराष्ट्र, पश्चिम बगाल, कर्नाटक है। जून 1979 से दिसम्बर 1979 के अन्त तक लघु उद्योगो अनुबधित भुगतान के दायित्व का निर्वाह कर सके।

(b) मार्जिन मनी रूग्ण लघु औद्योगिक इकाई को ऋण के रूप मे राज्य स्तरीय पुनर्वासन समिति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। ऋण उन इकाइयो को स्वीकृत किया जायेगा जो उद्योग निर्देशालय, हथकरघा निर्देशालय मे पजीकृत हो एव पिछले सात वर्ष के अन्दर स्थापित किये गये हो।

(c) योजना के अन्तर्गत अधिकतम् सहायता सीमा प्राप्ति इकाई 50 हजार रूपये होगी। अतिरिक्त स्वीकृत किया गया मार्जिन मनी ऋण सामान्यत पुर्नवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय सस्थाओ मे बैको द्वारा स्वीकृत ऋण आवश्यक मार्जिन मनी का 50% से अधिक नही होना चाहिए। लघुत्तर इाकाइयो के मामलो मे यह सीमा 75% होगी। अपवादात्मक मामलो मे लघु स्तरीय इकाइयो के लिए यह धनराशि 75% बढायी जा सकती है। तथा लघुत्तर इकाइयो को 90% तक इस सीमा तक इस प्रतिबन्ध के साथ की धनराशि 50 हजार रूपये से अधिक नही होगी।

(d) मार्जिनमनी योजना के अन्तर्गत इकाइयो को सहायता दी जायेगी। जो पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत वित्तीय सस्थाओ/व्यवसायिक बैको द्वारा पुनर्वासन पैकेज के अश के रूप मे होगा। मे रूग्ण इकाइयो की सख्या क्रमश 16,805 एव 20,975 हो गयी थी।

सन् 1980 मे कुल 24,550 औद्योगिक इकाइयाँ रूग्ण थी जिनकी सख्या 1991 मे बढकर 2,23,809 हो गयी एव उसी अवधि मे बकाया ऋण राशि 1809 करोड रूपये से बढकर 10768 करोड रूपये हो गयी। इन अवधियो मे 74% की वृद्धि हुई। इसकी ओर बकाया ऋण राशि 22% की वृद्धि हुई। इसकी ओर बकाया ऋण राशि 22% की वृद्धि हुई। वर्ष 1991 मे कुल 2,23,809 रूग्ण इकाईयो मे से 2,21,472 औद्योगिक इकाइयाँ लघु क्षेत्र की थी जब कि सन् 1980 मे इनकी सख्या 2792 मात्र थी।

श्रेणी	औद्योगिक रूग्ण इकाइयो की सख्या	बैंक ऋण की बकाया राशि (करोड रूपये मे)
लघु औद्योगिक इकाइयॉ	2,21,4,172	2,792 04
मध्यम वृहत् रूग्ण		
औद्योगिक इकाइयॉ (रूग्ण)	1,461	5,105 57
मध्यम वृहद औद्योगिक इकाइयॉ	876	2,870 21
योग	2,23,807	10,769 82

इस योजना का मुख्य उद्देश्य लघु, लघुत्तर ग्रामीण एव पूरक औद्योगिक द्वारा उत्पादन की तकनीकी मे वृद्धि भरना एव उत्पादन की मात्रा एव उत्पादन पद्धति मे सुधार लाकर उसकी कार्य क्षमता, गुणवत्ता एव प्रौद्योगिकी का उच्चाकरण करना है ताकि स्वदेशी एव विदेशी बाजारो मे प्रतिस्पर्धा का सामना करने की क्षमता बढ सके।

उक्त तिथि का सृजन राज्य के समेकित निधि ने अन्तरिम धनराशि एव राज्य सरकार एव भारत सरकार के वित्तीय सस्थाओ के अशदान से किया जायेगा। यह योजना 1 अप्रैल 1990 से 31मार्च 1995 तक अथवा जब तक कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समाप्त न की जाएँ, चलती रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत इकाइयो को निम्न सुविधाएँ दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

1 इकाई स्तर के आधुनिकीकरण, उत्पादकता एव गुणवत्ता मे सुधार लाने के अध्ययन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकतम् रूपय प्रति इकाई अनुदान दिया जायेग।

2 इकाई के लिए वाछित ऋण एव कार्यशील पूँजी की व्यवस्था बैक उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा कराई जायेगी।

3 इकाई द्वारा वॉछित अतिरिक्त मशीनो की व्यवस्था हेतु मशीनो के मूल्य का 15% पूँजी उत्पादन, जिसकी अधिकतम सीमा 1 30 लाख रूपये होगी, दिया जायेगा। इन खरीदी गई मशीनो हेतु लिए गये ऋण पर 4% की दर से ब्याज अनुदान भी दिया जायेग, जिसकी

अधिकतम सीमा रूपये 20,000 प्रति वर्ष के हिसाब से पॉच वर्ष मे दिया जायेगा।

4 जो लघु उद्योग इकाइयो आई एस आई चिन्हित उत्पादो के उत्पादन हेतु मशीन लगायेगी उन्हे मशीनो की लागत का 50% या रूपये 50,000 जो भी कम हो, उत्पाद के आई एस आई चिन्ह प्राप्त के पश्चात अनुदान के रूप मे दिया जायेगा।

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए धन की व्यवस्था हेतु उ0 प्र0 शासन से प्राप्त धनराशि को राष्ट्रीय बैंक मे जमा किया जायेगा। जमा धन से प्राप्त ब्याज की धनराशि से ही योजना का सचालन किया जायेगा । योजना हेतु वित्तीय वर्ष 1989–90 मे आधुनीकीकरण निधि के लिए रूपये 11 00 लाख, वर्ष 1990–91 हेतु रूपये 150 लाख, वर्ष 1991–92 हेतु रूपये 10 00 लाख तथा कुल रूपया 171 00 लाख शासन द्वारा स्वीकृत किया गया। इसमे से रूपये 161 00 लाख को आहरित करके दिनॉक 18 सितम्बर 1991को तीन माह हेतु इलाहाबाद बैंक मे 16% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किया जा चुका है। जिसमे से शासन ने 1991–92 मे योजनान्तर्गत रूपये 39 00 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया गया जिसमे रूपये 10 लाख की स्वीकृत वर्ष 1991–92 हेतु पहले से ही प्राप्त हो चुकी थी। इस तरह से वर्ष 1991–92 मे योजनान्तर्गत रूपये 200 लाख की धनराशि हो जायेगी जिसे ब्याजदयी सस्था मे जमा करके करीब रूपये 32 लाख ब्याज के रूप मे प्राप्त होगा। इस ब्याज की धनराशि से योजना के अन्तर्गत चुने गये 14 उद्योगो का वृहत् एव सूक्ष्म अध्ययन कराके वर्ष 1992–93 तक प्रत्येक उद्योग की कम से कम दो इकाइयो को रूपये 1 00 लाख की दर से योजना के अन्तर्गत प्रावधानिक लाभ पहुॅचाया जायेगा।

राज्य पूॅजी उत्पादन योजना – "अ", "ब" व "स" श्रेणी के पिछडे जनपदो मे उद्योग लगाने हेतु राज्य पूॅजी उत्पादन का दिया जाना शासन द्वारा 1990–91 मे औद्योगिक नीति के अन्तर्गत प्रदेश के पिछडे जनपदो मे उद्योग स्थापित करने वाली नई इकाइयो को अनेक अचल पूॅजी विनियोजन पर राज्य पूॅजी उत्पादन प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। यह योजना 1995 तक लागू होगी। यह उत्पादन अ, ब, स के जनपदो को क्रमश अचल पूॅजी

निवेश का 20% किन्तु अधिकतम 20 लाख रूपये, 15% किन्तु अधिकतम 15 लाख रूपये, 10% किन्तु अधिकतम् 10 लाख रूपये कतिपय शर्तो के साथ दिया जायेगा इस योजनान्तर्गत वर्ष 1990–91 मे 4 60 करोड रूपये की शासन ने स्वीकृत जारी की थी। जिसमे अभी तक रूपये 3,97,47,350 32 धनराशि व्यय हो चुकी है। तथा रूपये 62,52,640 68 पी एल ए मे जमा है जिसके लिए शासन को 31 दिसम्बर तक व्यय की अवधि बढाने कि लिए लिखा गया है। वार्षिक योजना ने इस मद के अन्तर्गत 1 35 करोड रूपये की धनराशि 1991–92 हेतु स्वीकृत की गयी है। वार्षिक योजना 1991–92 हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय होने की सभावना है। इसी उद्देश्य का ध्यान मे रखकर वार्षिक योजना 1992–93 के लिए आम बजट मे 1 80 करोड रूपये की धनराशि प्रस्तावित है। विगत वर्षो मे औद्योगिक इकाइयो को वित्तीय धनराशि के आधार पर ही 1993–94 हेतु आय व्ययक के लिए 25 लाख की धनराशि प्रस्तावित है। वर्ष 1994–95 मे लघु उद्योगो के लिए 500 लाख रूपये आय व्ययक का प्रावधान प्रस्तावित है।

एकीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना :– इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश मे औद्योगिक इकाइयो के स्थापना की सभावनाओ मे वृद्धि करने के उद्देश्य से मार्जिन मनी ऋण योजना या वितरण करने का प्राविधान उन औद्योगिक इकाइयो के लिए है। जिनकी परियोजना लगान मे मशीन सयन्त्र उपकरणो का मूल्य 60 लाख रूपये अधिक न हो और जिन्हे केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित मार्जिन ऋण योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी ऋण की सुविधा अनुमान्य नही है। इस योजा का लाभ वर्तमान को भी अनुमान्य है जो अपनी इकाई की वर्तमान उत्पादन क्षमता मे 25% की वृद्धि करने के उद्देश्य से इकाई का विस्तार करती है। एव लघु इकाई की सीमा का उल्लघन न होता है। योजनान्तर्गत परियोजना लागत का 10% अधिकतम 3.00 लाख रूपये जो भी कम हो , मार्जिन मनी ऋण के रूप मे दिये जाने का प्रावधान है। परियोजना लागत का 10% उद्यमियो को अपने स्त्रोतो से लगाया जाना अपरिहार्य है।

इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एव जनजाति के उद्यमियो के परियोजना लागत का

15% तक ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है। ऋण स्वीकृत किये जाने हेतु प्रत्येक जनपद मे जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे जिलास्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिसके सदस्य सचिव महाप्रबन्धक जिलाउद्योग केन्द्र एव अन्य सदसस्य सम्बन्धित सयुक्त निर्देशक, उद्योग सम्बन्धित वित्तीय सस्था के प्रतिनिधि एव अपर जिलाधिकारी विकसित करते है।

अत उपयुक्त तथ्यो के आधार पर हम कह सकते है कि सरकार को समय–समय पर इन्हे वित्तीय सुविधा देती रहे। जो इकाइयॉ बन्द हो चुकी है उस पर भी विचार करे। कानूनी प्रक्रिया मे थोडा सरलीकरण करे। लघु उद्योग विकास बैंको को समय–समय पर कम ब्याज दर पर, न्यूनतम ऋण प्रक्रिया करके प्रदार करे। जिससे लघु उद्योगो का अधिक से अधिक विकास हो सके।

लघु उद्योगो के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिया जा सकता है :–

भारत जैसे कृषि प्रधान देश मे आर्थिक विकास के मुख्य स्रोतो मे से एक स्रोत लघु उद्योग का भी माना जाता है। वर्ष 1991 मे जब वित्तमत्री मनमोहन सिह ने उदारवाद तथा भूमण्डलीकरण की नीतियो की घोषणा की, तो देश मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का आगमन तेजी से होने लगा तथा देश मे कार्यरत लघु उद्योग की स्थिति निरतर खराब होती गयी, जिसका परिणाम यह हुआ है कि वर्ष 2000 तक देश मे बेरोजगारी की फौज तीन करोड का आकडा पार कर गयी।

प्रधानमत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने लघु उद्योगो की स्थिति सुधारने हेतु नई दिल्ली मे आयोजित राष्ट्रीय लघु उद्योग सम्मेलन मे लघु उद्योगो के लिए एक पैकेज की घोषणा की। घोषित पैकेज देश मे बढते बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के प्रादुभाव को रोक पाने मे कितनी सार्थक भूमिका निभाता है, यह तो भविष्य के गर्भ मे है, अपितु इतना जरूर है कि भारत की केन्द्रीय सरकार ने देश की आर्थिक रीढ की हड्डी समझे जाने वाले लघु उद्योगो के विकास की ओर इस पैकेज के माध्यम से बहुत की कम ध्यान दिया है।

लघु उद्योगो की आधारभूत समस्याओ पर ध्यान नही दिया गया है और जब तक

सरकार इन आधारभूत समस्याओ का निराकरण सरकार पूरे मनोयोग से नही करती, तब तक लघु उद्योगो के माध्यम से देश का आर्थिक विकास होना सदेह के घेरे मे ही रहेगा। जापान जोकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सम्पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से तहस–नहस हो चुका था। वह अब अपने 55 वर्ष की विकास यात्रा के दौरान विश्व का एक शक्तिशाली देश बन चुका है। जापान की आर्थिक सफलता के पीछे वहा के नागरिको मे राष्ट्रवाद के साथ–साथ लघु उद्योगो का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अत यदि भारत को आर्थिक रूप से एक सम्पन्न राष्ट्र बनाना है, तो लघु उद्योगो की ओर सरकार को सम्पूर्ण मन से प्रयास करने की आवश्यकता है।

फरवरी 1998 से लघु उद्योगो मे उन इकाइयो को शामिल किया जाता है, जिसमे तीन करोड रूपये से कम की पूजी विनियोजित की जाती है। प्रधानमत्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा घोषित इस पैकेज की घोषणा उन सिफारिशो पर आधारित है, जो कि केन्द्रीय गृहमत्री लालकृष्ण आडवाणी तथा अन्य केन्द्रीय मत्रियो की एक समिति द्वारा लघु उद्योगो की समस्याओ को जानने के लिए बारह सूत्रीय इस पैकेज के इस पिटारे मे क्या है ? जरा देखे। देश मे बहुराष्ट्रीय कम्पनियो के बढते प्रादुभाव के कारण भारतीय लघु उद्योग की सख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। अत सरकार ने वर्ष 1998 मे लघु उद्योगो के उत्पादन के लिए उत्पाद शुल्क की छूट सीमा को तीस लाख रूपये से बढाकर एक करोड रूपये की गयी। पूजी की समस्या से जूझ रहे लघु उद्योग के लिए पूजी की उपलब्धता बढाने के लिए कम्पोजिट ऋण सीमा को दस लाख रूपये से बढाकर 26 लाख रूपये कर दिया गया है। इससे उत्पादक सावधि ऋण तथा कार्यशील पूजी प्राप्त कर सकेगे। प्राथमिक क्षेत्र मे अब दस लाख रूपये तक निवेश वाले सेवा व व्यवसाय उपक्रमो को भी शामिल किया जा सकेगा। जिससे उन्हे भी रियायती दर पर ऋण उपलब्ध होगा।

लघु उद्योगो मे तकनीकी विकास के लिए विशेषज्ञो की एक अतरमत्रालयीय समिति बनाने की घोषणा की है, जोकि तकनीकी विकास तथा उन्नत उत्पादन के बारे मे सिफारिशे

करेगी तथा कुछ चयनित क्षेत्रो मे तकनीकी उन्नयन के लिए निवेश पर बारह प्रतिशत की पूजी सब्सिडी प्रदान की जायेगी। हथकरघा के क्षेत्र के लिए 447 करोड रूपये की जायेगी। हथकरघा क्षेत्र को विकसित करने का दृढ सकल्प दर्शाया गया है। 125 करोड रूपये की पूजी से क्रेडिट गारटी कोष ट्रस्ट की स्थापना के लिए 100 करोड रूपये प्रदान कर दिये गये है। लघु उद्योगो के उत्पादन मे उच्च गुणवत्ता को बढावा देने के लिए आई एस ओ 900 प्रमाण पत्र के लिए आगामी छह वर्ष तक प्रत्येक इकाई के लिए 75000 रूपये का अनुदान जारी रखा जायेगा। अतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए सरकार लघु सगठनो को एक मुश्त 50 प्रतिशत पूजी अनुदान स्वरूप प्रदान करेगी।

खादी उत्पादो के भूमण्डलीय स्तर पर विपणन करने के लिए उच्च श्रेणी की गुणवत्ता वाले खादी उत्पादो की आवश्यकता पडती है, जिसके लिए सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए एक अलग पैकेज देने का मन बना रही है। अभी इन उत्पादो पर छूट जारी रहेगी। हथकरघा क्षेत्र के वित्त विपणन, डिजाइन के मामले मे सहयोग के लिए सरकार ने दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना को मजूरी दी है। तकनीकी उन्नयन के लिए ऋणो को मजूरी दी है। तकनीकी उन्नयन के लिए ऋणो को वरीयता के आधार पर निर्धारित किया जाये तथा लक्षित वार्षिक कारोबार की 20 प्रतिशत कार्यशील पूंजी भी रियायती दरो पर ऋण के रूप मे प्रदान की जा सकेगी। इसके अलावा बुनकरो को व्यापक रूप से वित्तीय व ढाचागत सुविधाये उपलब्ध करायी जायेगी।

लघु क्षेत्र की वृद्धि दर आगामी वित्त वर्ष मे 9 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जोकि अब तक 8 2 प्रतिशत थी। निर्यात वृद्धि दर 9—10 प्रतिशत के स्तर पर लायी जायेगी। इस्पेक्टर राज के कारण हतोत्साहित लघु उद्योग को राहत देने के कारण हतोत्साहित लघु उद्योग को इंस्पेक्टर राज के कारण हतोत्साहित लघु उद्योग को राहत देने के लिए एक समूह का गठन किया जायेगा, जो तीन माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो तीन माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 1990 मे लघु उद्योग से सबंधित

गणना की गयी थी। प्रभावी नीति निर्धारित और कार्यान्वयन के लिए नई गणना अनिवार्य प्रतीत हो रही है। इसलिए नई गणना का फैसला किया गया है, जिससे समस्या का समाधान हो। लघु उद्योगो को बीमारी का निदान करने की बात इस पैकेज मे कही गयी है।

सरकार लघु उद्योगो मे इस्पेक्टरराज तथा ऋण प्रवाह पर चितित है। उद्योगपतियो ने सरकार द्वारा घोषित इस पैकेज का स्वागत किया है तथा आशा व्यक्त की है कि सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क छूट सीमा बढाने, कम्पोजिट ऋण सीमा बढाने, तकनीकी उन्नयन करने तथा इस्पेक्टर राज समाप्त करने के लिए 125 करोड रूपये के कोष की स्थापना बहुत ही मामूली है तथा इस कोष को अभी 750 करोड रूपये जोकि 1000 करोड रूपये तक बढाया जा सके, तक करने की माग भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की है।

सरकार ने निर्यात बढाने पर अपना कोई दृष्टिकोण नही दिया है। पैकेज मे दिए गए फैसलो से सरकार लघुउद्योग के निर्धारित विकास लक्ष्य व प्रतिशत का स्तर प्राप्त नही कर सकेगी। अति लघु क्षेत्र को तो इस पैकेज का लाभ प्राप्त ही नही हो सकेगा।

सासदो और मत्रियो को सरलता विनम्रता सेवा त्याग और बलिदान की भावना से ओत प्रोत होना चाहिये, जनता और देश की सेवा नि स्वार्थ, निर्लिप्त और निस्पृह भाव से करनी चाहिए, जनता के दुख दर्द और कष्ट से उनका हृदय भीगा रहना चाहिए परन्तु इस देश मे उल्टी गगा बह रही है। सासद और मत्री राजा महाराजाओ की तरह रहना चाहते है उन्हे अपनी सुख सुविधा और आराम की चिन्ता है न की जनता की। देश–प्रेम देश भक्ति, देश सेवा और जनसेवा से वे कोसो दूर रहना चाहते हैं। जनता का सुख दर्द उनके हृदय का नही छूता। काश! गाधी एक बार पुन जन्म ले, इस उल्टी गगा के प्रवाह को रोके और देश के इन तथा कथित कर्णधारो मे सरल और सादे जीवन जनता के प्रति सेवा और बलिदान तथा दशे के प्रति समर्पण की भावना जागृत करे।

लघु उद्योगो के सम्बन्ध मे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार हैं –

1 उपयुक्त उद्योगो का चुनाव – उद्योगो की स्थापना के पूर्व इस बात पर ध्यान देना आवश्यक होगा कि हम ऐसे लघु उद्योगो की स्थापना करे जिनके विकास की सभावनाएँ भविष्य से अधिक हो और वे उद्योग बिना किसी रूकावट के विकसित होते चले जाएँ। बहुत से ऐसे वस्तुएँ है जो लघु उद्योगो के द्वारा अधिक लाभकारी ढग से तैयार की जा सकती है। जैसे वे वस्तुएँ जिनमे विशेष कला कौशल की आवश्यकता होती है। जो प्रत्यक्ष उपयोग के लिए होती है । अथवा जो बडे उद्योगो के काम मे आती है या जिनकी मॉग स्थानीय या अनियमित होती है। अथवा जिनका अलग अलग रूचियो या पसद के अनुसार होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे भी उद्योग होते है जिनसे बडे उद्योगो के लिए आवश्यक गौढ सामग्री प्राप्त होती है या जिनकी प्रक्रिया से वजन या आकार मे वृद्धि होती है। अत इस प्रकार से सम्बन्धित लघु उद्योगो को विशेष ध्यान देना चाहिए।

जापान की विकेन्द्रीकरण, विभेदीकरण एव इधर उधर वितरण की नीति लघु स्तर के उद्योगो एव वृहद स्तर के उद्योगो मे बहुत ही सुन्दर ढग से प्रचलित है । उपठेकेदारी जापान मे अत्यधिक प्रचलित है। विशेषकर विशेष किस्म के कागज निर्माण, कलम काटने वाली वस्तुएँ और हल्के इजीनियरी उत्पाद आदि।

2 वित्त व्यवस्था – वित्त किसी भी औद्योगिक इकाई का रक्त होता है अर्थात् कोई भी कार्य बिना उचित वित्त की व्यवस्था के नही किया जा सकता। लघु उद्योगो की वित्तीय आवश्यकता के प्रवृत्ति के सन्दर्भ मे अशोक मेहता खादी एव ग्रामोद्योग समिति ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये थे, "पूँजी की आवश्यकता उन्हे पर्याप्य कच्चे माल के स्टाक एव लघु स्तर पर यन्त्र एव कुल पुर्जे इत्यादि के लिए होती है।" लेकिन समिति ने साख या वित्तीय सहायता का कोई अनुमान नही बताया। स्थाई पूँजी एव चालू पूँजी इन दोनो मे से ग्रामोद्योग मे चालू पूँजी की अपेक्षा कई गुना होती है। अत हम थोडी से अतिशयोक्ति के साथ कह सकते है। कि लघु उद्योगो मे पूँजी से तात्पर्य चालू पूँजी से होता है। इन उद्योगो की वित्त

व्यवस्था के समय पर ध्यान देना अवश्य दिया जाना चाहिए।

यह बात प्राय कही जाती है कि खादी एव ग्रामोद्योग तत्काल वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करने मे अनुपयुक्त है। खादी एव ग्रामोद्योग के अनुयायियो द्वारा यह देखा गया है। ये एक ग्रामीण बैक के पक्ष मे है। इस प्रकार की विशेषीकृत सस्थाओ के पक्ष मे काफी विचार व्यक्त किये गये है। जब तक वित्त व्यवस्था का कोई विशेष अभिकरण नही होगा, तब तक ग्रामीण बुनकरो तक साख नही पहुँच सकेगी। वर्तमान मे यह विकल्प भारतीय स्टेट बैंक के रूप मे प्राप्त हो गया है। जो स्थानीय या चालू दोनो वित्त प्रदान कर रहा है इसके अतिरिक्त इस दिशा मे राज्य सरकारो को चाहिए कि वे अलग विशिष्ट सस्थाएँ स्थापित करे। साथ ही वाणिज्य एव सहकारी बैको को इस विशेष भाग लेना चाहिए।

3 औद्योगिक सहकारी समितियो की स्थापना – लघु उद्योग सहकारी समितियो का अधिकाधिक विकास किया जाना चाहिए। क्योकि सबसे अधिक सहायता औद्योगिक सहकारी समितियो के विकास से ही मिल सकती हैं इन उद्योगो के माल के क्रय विक्रय उत्पादन तथा ऋण आदि की प्राप्ति मे अनेक कठिनाइयो व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के कारण होती है। यदि ये लोग आपस मे सहकारी समितियो के माध्यम से करे तो उत्पादन, वित्त एव क्रय सम्बन्धी अनेक समस्याओ को दूर किया जा सकता है। अत हमे औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना एव विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस क्षेत्र मे केन्द्रीय एव राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन सरकारो को चाहिए कि वे समितियो की वित्त उपलब्धि, कच्चा माल एंव देश विदेश मे माल की पूर्ति मे सहायता प्रदान करे।

4 औद्योगिक शिक्षा एव प्रशिक्षण की व्यवस्था – लघु उद्योगो के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि इन उद्योगो मे लगे लोगो को उचित शिक्षण एव प्रशिक्षण प्रदान किया जाये जिससे कि वे आधुनिक वैज्ञानिक यन्त्रो के प्रयोग से अधिकतम् लाभ उठा सके।

5 उत्पादन तकनीक मे सुधार – इन उद्योगो के विकास के लिए इनकी उत्पादन तकनीक मे सुधार लाना अनिवार्य है। ये उद्योगो उत्पादन तकनीक मे सुधार से ही वृहत् उद्योगो की प्रतियोगिता का सामना कर सकेगे। एव उपभोक्ताओ को अच्छी किस्म की वस्तुऍ सस्ते दामो मे प्रदान कर सकेगे। इन सुधार के लिए विभिन्न स्थानो पर यत्रो को प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सयन्त्रो की मरम्मत तथा पुर्नस्थापना के लिए भी पर्याप्त प्रबन्ध होना चाहिए। इस दृष्टि से सरकार को व्यवस्था बनानी चाहिए कि प्रत्येक लघु उद्योग इकाई अपनी वार्षिक आय का एक निश्चित प्रतिशत एक इसका उपयोग आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर होगा तथा यह कोष कर मुक्त होगा।

6 बाजार एंव ब्रिकी सम्बन्धी सुधार – इन उद्योगो के विकास के लिए ब्रिकी एव विपणन सम्बन्धी सुधार की अति आवश्यक है। यदि उत्पादित माल बाजारो मे उचित मूल्य पर नही बिक पाता तो उत्पादको मे निराशा की भावना जागृत होती है जो कि विकास के लिए एक अवरोध है। अत ब्रिकी एव मण्डी के क्षेत्र मे सुधार एव विकास की ओर यथोचित ध्यान देना आवश्यक है।

कुछ सीमा तक सहकारी ब्रिकी के आधार पर इस समस्या के सुलझाया जा सकता है। इसके लिए हमारे उत्पादको को चाहिए कि वे उपभोक्ताओ की रूचि एव फैशन के अनुसार ही उत्पादन करे। लेकिन आवश्यकता इस बात की भी है कि हम विदेशी खरीददारो एव अपने ग्रामीण उपभोक्ताओं की रूचियो को देखे एव तब उनके अनुसार वस्तुऍ निर्मित्त करे। इसके लिए परिवहन की सुविधाओ के विकास पर भी ध्यान देना होगा। सरकार एक ऐसा अभिकरण स्थापित करे जो उत्पादकों के माल को उचित मूल्य पर बेचने मे सहायता करे और सरकार स्वय भी माल को बडी मात्रा मे खरीदे।

7 उच्च कोटि तथा नवीनतम् डिजाइनों की वस्तुऍ – हमारे लघु उद्योगो के लिए आवश्यक है कि घटिया या निम्न किस्म का माल न उत्पादित करे। यदि वे ऐसा करते है तो उनके लिए एक बडा अभिशाप है। इन उद्योगो को चाहिए कि वे उच्चकोटि का अच्छा माल

तैयार करे। सरकार इस ओर सहायता कर दे एव उत्पादन की जॉच के बाद मुहर लगा दे। लेकिन सरकार को इस कार्स के लिए अपने भष्ट सरकारी विभागो एव कर्मचारियो पर कडी नजर रखनी पडेगी। इसके साथ ही साथ डिजाइनो मे सुधार लाना आवश्यक है। इस दिशा मे एक राष्ट्रीय सस्था की आवश्यकता है।

8 **लघु एव वृहतस्तरीय उद्योगो का सीमा निर्धारण** – लघु उद्योगो के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि इन उद्योगो एव वृहत् उद्योगो के कार्य क्षेत्र अलग अलग बॉट दिये जाये जिससे कि इन दोनो के बीच प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त किया जा सके। जिन क्षेत्रो मे लघु उद्याग एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा को समाप्त करते है। वहॉ विशेष ध्यान देना चाहिए। ग्रमीण उद्योगो का विकास तेजी से किया जा सकता है यदि वे बडी एव मध्यम आकार की इकाइयो के साथ जोड दिये जाये। सहायक उत्पादक ग्रामीण उद्योगो के माध्यम से ही होनी चाहिए।

9 **बडे उद्योगों की प्रतियोगिताओं से बचाव** – लघु उद्योगो के विकास के सम्बन्ध मे सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन उद्योगों को बडे उद्योगो की प्रतिस्पर्द्धा से बचाने की व्यवस्था करे। सरकार इस बात को मानती है। कि इन उद्योगो को सरकारी सहायता द्वारा ही बडे उद्योगो की प्रतिस्पर्द्धा से बचाया जा सकता है। जैसे कि कुछ क्षेत्रो को लघु उद्योगो के लिए सुरक्षित रखना, इनको अतिरिक्त छूट का अनुदान देना, मिल उद्योग पर उप कर लगाना इत्यादि। कई लघु उद्योगो की सहायता के लिए सरकार ने एक या कई उपायो को अपनाया है। कुछ लोगो का मत है। कि सरकार की यह नकारात्मक नीति ठीक नही है। उनका कहना है कि लघु उद्योगो मे सुधार लाकर उनकी कार्य क्षमता बढाकर उनमे विकास करना चाहिए। मिल उद्योगो पर अतिरिक्त बोझ लादकर नही, लेकिन इस सुधार कार्य मे कुछ समय लगेगा। अत कुछ समय तक के लिए इस नीति को अपनाया अति आवश्यक है। ऐसा करने लघु उद्योगों बडे उद्योग की प्रतिस्पर्द्धा से आगे बढ पायेगे। सामाजिक एव आर्थिक विकास के लिए इन उद्योगो का विकास होना अति आवश्यक है।

केन्द्र सरकार लघु उद्योग क्षेत्रो के लिए जल्दी ही एक सम्मिलित कानून बनाने की तैयारी मे है ताकि उन्हे इस समय के समस्त कानूनो के जजाल और इस्पेक्टर राज से मुक्ति मिल सके। यह जानकारी लघु उद्योग राज्य मत्री वसुधरा राजे ने उत्तर भारत के प्रमुख वाणिज्य सगठन पी एच डी वाणिज्य उद्योग मडल के एक प्रतिनिधिमडल के साथ सम्पर्क करके दी।

श्रीमती राजे ने इसी सबध मे लघु उद्योगो के लिए 25 लाख रूपये तक के ऋण पर रेहन की छूट देने के लिए गारटी कोष की योजना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए 40 लाख रूपये तक का ऋण देने और उस पर 12 प्रतिशत की सब्सिडी देने जैसे योजनाओ का भी प्रावधान है। उन्होने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैको, ग्रामीण बैंको और राज्य वित्त निगमो को ऋण मजूर करने के लिए पहले से अधिक अधिकार दिए गये है।

इससे पहले श्री जैन ने श्रीमती राजे का ध्यान लघु उद्योग क्षेत्र के महत्व और लघु इकाइयो को एक करोड रूपये सालाना के कारोबार तक उत्पाद शुल्क से छूट जारी रखने की सलाह दे। उल्लेखनीय है कि केलकर समिति ने छूट की यह सीमा 50 लाख रूपये के कारोबार तक कर दी है। पीएचडी की विज्ञप्ति के अनुसार केन्द्रीय मत्री ने राज्य सरकारो की और से भी लघु उद्योगो के लिए और ज्यादा माफिक नीतियो और नियमो की आवश्यकता होती है। लघु उद्योग के सचिव श्री ठटेजा ने देश मे लघु इकाइयो का मध्यम इकाइयो का आकार लेने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि लघु से मध्यम आकार लेने की प्रक्रिया सहज और परिस्थितियो की माग पर आधारित होनी चाहिए। इसी सदर्भ मे उन्होने कहा कि निर्यात क्षेत्र की माग को देखते हुए हैडलूम और निटवेयर क्षेत्र की लघु इकाइयो मे निवेश की सीमा बढाकर पाच करोड रूपये की गयी है। उन्होने उद्योग मडल से सुझाव मागा कि इस प्रकार और किस किस क्षेत्र मे निवेश की सीमा बढाने की आवश्यकता है।

सरकार काफी उत्साहपूर्वक लघु उद्योगो के लिए विभिन्न ढग से प्रयत्नशील है। यदि यही स्थिति बनी रही एव योजनाबद्ध रूप मे सरकार इनकी समस्याओ के निराकरण मे

प्रयत्नशील रही तो निश्चय ही ये उद्योग कुछ समय कि बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मे अपना उचित स्थान ग्रहण कर देश की आर्थिक एव सामाजिक स्थिति मे सहायक सिद्ध हो सकेगे और अपना लक्ष्य पूरा करने मे समर्थ हो सकेगे।

लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन के लिए उठाये गये अन्य कदम

1 लघु उद्योगो इकाइयो द्वारा महसूस की जा रही आनुवाशिक समस्याओ को हल करने मे उद्देश्य से और प्रौद्योगिकी के उन्नयन को प्रोत्साहित करने वाली दो नई स्कीमे है –

(A) लघु उद्योगो के लिए ऋण गारन्टी फड (स्कीम) ऋण गारन्टी स्कीम वाणिज्यिक बैंको से ही तरीको से कार्य करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको तथा अन्य वित्तीय सस्थाओ द्वारा दिये गये 25 लाख रूपये तक के ऋण के लिए गारन्टी प्रदान करने के लिए जिसमे तीसरे पक्ष द्वारा दी गयी गारन्टी सहित अन्य कोई सम्पाशिर्वक गान्रटी नही होगी।

(B) प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए ऋण सम्बद्ध पूँजीगत आर्थिक सहायता स्कीम सरकार ने इस स्कीम को दि0 20 सितम्बर 2000 को अनुमोदित किया है। जिमे कतिपय उप क्षेत्रो मे प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जिन्हे एस एफ सी कहा गया है। इनके द्वारा लघु उद्योगो को दिये गये ऋणो पर 12% दर से एडिड पूँजीगत सहायता स्वीकार्य होगी।

2.लघु उद्योगो के लिए उत्पाद शुल्क 1 सितम्बर 2000 से 50 लाख रूपये से बढाकर 1 करोड रूपये तक बढा दी गई है।

3 लघु उद्योगो को दिए जाने वाले ऋण मे सुधार लाने के लिए उठाय गये कदम निम्नलिखित है .–

(A) मिश्रित ऋण स्कीम सीमा 25 लाख रूपये तक बढा दी गयी है।

(B) 5 लाख रूपये तक को ऋणो के लिए समानान्तर जमानत की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।

(C) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने डिप्टी गर्वनर की अध्यक्षता के अर्न्तगत लघु उद्योगो को

दिये जाने वाले ऋण के प्रवाह की मानीटरिंग के लिए एक समिति गठित की है।

(D) लघु सेवाओ एव व्यापार उद्यमो के लिए निवेश की सीमाओ को बढाया जाना– यह सीमा 5 लाख रूपये से बढाकर 10 लाख रूपये तक कर दी गयी है। समय मे निपटान की व्यवस्था हेतु सशोधन किया गया है। और अन्य बातो के साथ–साथ लघु उद्योग क्षेत्र मे रूग्ण इकाइयो को लाभ पहुँचाना इसका उद्देश्य है। इन दिशा निर्देशो की मुख्य विशेषताएँ ये है ये भेदभाव रहित और विवेकाधिकार भिन्न है और कि ये दिशा निर्देश दो श्रेणियो अर्थात् 5 करोड रूपये से नीचे और 5 करोड रूपये से अधिक राशि वाले सभी क्षेत्रो के एन पी ए पर समान रूप से अलग– अलग लागू होते है। 31 मार्च 1997 को निम्नस्तरीय के रूप मे वर्गीकृत एन पी ए को भी दिशा ये निर्देश कवर करते है। लेकिन ये एन पी ए बाद मे श्रेणिबद्धता के अभाव मे सदेहास्पद बन गये थे। अधिकाश लघु उद्योग इकाइयॉ प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत कवर होगी अर्थात् 5 करोड रूपये से कम वाली श्रेणी मे सदेहजनक अथवा श्रेणीहीन ऋणो के लिए विच्छेदन की तारीख 31 मार्च 1997 है। यह एक समय मे निपटान की सुविधा 31 मार्च 2001 तक प्रचालन मे रहेगी।

(E) राज्य सरकार द्वारा कोई ऐसी योजनाओ का आरम्भ किया जाय जो महिला उद्यमियो को अधिक से अधिक उद्योग चलाने के लिए प्ररित करे अर्थात् उन्हे इस ओर अधिक सुविधाएँ प्रदान किया जाए जिससे महिला उद्यमी अधिक से अधिक सख्या मे इस ओर आकृष्ट हो सके।

(F) औद्योगिक आस्थानो को बाजार के आस पास ही स्थापित किया जाए जिस प्रकार आवास आवटित किये जाते है। उसी प्रकार उन्हे परिवहन सुविधाएँ भी आसान किस्तो मे उपलब्ध कराया जाए जिससे उद्यमी इस ओर आकृष्ट होगे और उनकी परिवहन की समस्या का समाधान हो सकेगा।

(G) लघु उद्योगो द्वारा अपने मालो के गुणवत्ता पर भी अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

यद्यपि गुण चिन्हाकन योजना वर्ष 1945 से लघु उद्यमियो के उत्पादन एव कलात्मक वस्तुओ की गुणवत्ता सुधारने एव इसके विपणन के प्रोत्साहन हेतु प्रारम्भ की गयी है।

(H) राज्य स्तर पर उद्यमियो को प्रशिक्षण दिया जाये एव साथ ही साथ श्रमिको की कार्य अवधि दशाओ पर नियन्त्रण रखा जाए। सप्ताह मे एक दिन अवकाश अवश्य निर्धारित किया जाये।

(I) बैक एव वित्तीय सस्थाओ के क्रिया कलापो को बेहतर बनाया जाए। ऋण देने के प्रावधानो को और सरल बनाया जाए। विभिन्न सस्थाओ द्वारा दिये गये ऋण पर ब्याज की दर मे एकरूपता होनी चाहिए।

(J) एक ही सस्थाओ द्वारा भी एक ही दर से ब्याज लेना चाहिए। बैंक एव वित्तीय संस्थाओ दिये गये ब्याज की दर अधिक है। इन्हे अपने ब्याज की दरो मे कमी लानी चाहिए। जिससे उद्यमियो को ऋण लेने एव अदा करने मे आसानी हो। दूसरे उद्यमी भी ऋण लेने की ओर आकर्षित होगे। ब्याज की दर कम रखने से बहुत से लोग इस ओर आकृष्ट होगें।

(K) बैंक या वित्तीय सस्थाओ को उद्यमियो की जरूरत के अनुसार ऋण देना चाहिए। प्राय माग की मात्रा से कम और कई किस्तो मे ऋण देती है। परन्तु उद्यमियो को पूॅजी की एक साथ आवश्यकता पडती है। बैक एव वित्तीय सस्थाओ ने जिन उद्योगो को ऋण प्रदान किया है उन्हे चाहिए कि समय–समय पर उन उद्योगो मे जाकर उनकी प्रगति का निरीक्षण करे कि पूॅजी का सही प्रयोग हो रहा है या नही।

(L) प्रशासन द्वारा विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र मे और विस्तार किया जाए। नये विद्युत स्टेशनो का निर्माण कराया जाये इसके साथ विद्युत चोरी पर कडा नियन्त्रण रखा जाए। प्राय कुछ लोगो द्वारा अवैध रूप से विद्युत चोरी की जाती है। जिससे विद्युत की कमी उत्पन्न होती है। इसका सीधा असर उद्योगो पर पडता है।

(M) लघु उद्योगो को अपने लाभ बढाने के लिए विभिन्न प्रयास करने चाहिए। अपने उद्योगो

मे समय–समय पर नयी–नयी तकनीकी को अपनाना चाहिए।

लघु उद्योग की इकाइयो को पुर्नवास की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने लघु उद्योगो के लिए नीतिगत पैकेज मे घोषित किया था कि भारतीय रिजर्व बैक से अनुरोध किया जायेगा कि वह वर्तमान मे रूग्ण चल रही है लेकिन सम्भवत व्यवहार्य लघु उद्योग की इकाइयो की पुर्नवास के लिए ससोधित दिशा निर्देश जारी करे।

30 अगस्त 2000 को लघु उद्योग क्षेत्र तथा अति लघु क्षेत्र के लिए प्रधानमत्री द्वारा घोषित व्यापक नीतिगत पैकेज का विवरण इस प्रकार है–

1 लघु उद्योग क्षेत्र मे प्रतिस्पर्द्धा मे सुधार लाने के लिए सीमा शुल्क की 50 लाख रूपये की छूट सीमा को बढाकर एक करोड रूपये करना।

2 लघु उद्योग मत्रालय तथा ए आर आई द्वारा 12 वर्षो के अन्तराल के बाद लघु उद्योगो की तीसरी गणना करना। इस गणना मे रूग्णता एव इसके कारणो को भी शामिल किया जायेगा।

3 उद्योग से सम्बन्धित सेवा एव व्यवसाय उद्यम मे निवेश की मौजूदा 5 00 लाख रूपये की सीमा को बढाकर 10 00 लाख रूपये करना।

4 प्रत्येक लघु उद्योग क्षेत्र के उद्यमो के सम्बन्ध मे दशवी योजना के अन्त तक आई एस ओ 9000 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए 75,000 रूपये प्रदान करने की चालू योजना को जारी रखना।

5 लघु उद्योग सघो को परिक्षण प्रयोगशालाओ के विकास एव सचालन के लिए प्रोत्साहित किया जाये। ऐसे सघो को प्रतिपूर्ति आधार पर प्रत्येक मामले की विस्तृत जॉच के बाद एक समक्ष 50% का पूँजी अनुदान दिया जायेगा।

6 चालू समेकित आधारभूत विकास योजना के कवरेज को बढाना ताकि यह देश मे उत्तरोत्तर रूप मे सब क्षेत्रो को कवर करे और जिसमे 50% आरक्षण ग्रामीण क्षेत्र के लिए तथा 50% अति लघु क्षेत्र के लिए निर्धारित होगे।

7 सम्मिश्रण ऋणों की सीमा 10 लाख रूपये से बढाकर 25 लाख रूपये करना।

लघु उद्योग क्षेत्र का समग्र निष्पादन

वर्ष	यूनिटो की सख्या (लाख में)	(करोड) उत्पादन वर्तमान मूल्य पर	(करोड) उत्पादन स्थिर मूल्य पर	रोजगार (लाख)	निर्यात (वर्तमान मूल्य पर) करोड रू0
1991-92	20 82	1,78,699	1,60,156	129 80	13,883
	(6 9)	(15 0)	(3 1)	(3 6)	(43 7)
1992-93	22 46	2,09,300	1,69,125	134 06	17,785
	(7 9)	(17 1)	(5 6)	(3 3)	(28 1)
1993-94	23 81	2,41,648	1,81,133	139 38	25,307
	(6 0)	(15 5)	(7 1)	(4 0)	(42 3)
1994-95	25 71	2,93,990	1,99,427	146 56	29,068
	(8 0)	(21 7)	(10 1)	(15 2)	(14 9)
1995-96	27 24	3,56,213	2,22,162	152 61	36,470
	(6.0)	(21 2)	(11 4)	(4 1)	(25 5)
1996-97	28 57	4,12,636	2,47,311	160 00	39,248
	(4 9)	(15 8)	(11 3)	(4 8)	(7 6)
1997-98	30 14	4,65,171	2,68,159	167 20	43,946
	(5 5)	(12 7)	(8 4)	(4 5)	(12 0)
1998-99	31 21	5,27,515	2,88,807	171 58	48,979
	(3 6)	(13 4)	(7 7)	(2 6)	(11 5)
1999-00	32 25	5,78,470	3,12,576	178 50	53,975
	(3 3)	(9 7)	(8 2)	(4 0)	(10 2)

टिप्पणी :— कोष्ठक मे दिये गये ऑकडे पिछले वर्ष की तुलना मे वृद्धि करते है।

आबिद हुसैन समिति ने सुझाव दिया, सभी लघु स्तर उद्यमो के लिए एक ही कानून होना इस सम्बन्ध में लाभदायक होगा क्यो कि लघु स्तर उद्यमो को बहुत से मत्रालयों की अपेक्षा एक

ही मत्रालय से सम्बन्ध रखना पडेगा। ऐसे अधिनियम का कार्यन्वयन सामान्य प्रशासन एव न्याय प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। लघु स्तर इकाइयो की अधिकाधिक इकाइयो की स्थापना के लिए सुझाव दिया जाता है कि आयकर अधिनियम के अधीन इन इकाइयो के "वेतन एव मजदूरी के" 125% की भारी कटौती की इजाजत होनी चाहिए।

सरक्षणवाद के उदारवाद की नीतियो की ओर परिवर्तन ने भारतीय बडे पैमाने के उद्योग एव बहुराष्ट्रीय निगमो को लघु स्तर उद्योगो के लिए आरक्षित क्षेत्रो मे प्रवेश करने मे सहायता दी है। इस अतिवादी मार्ग का परिहार करना होगा क्योकि इससे लाभ की अपेक्षा अधिक हानि हुई है। देश को मध्यमार्ग अपनाना होना एव आवश्यक सुरक्षा उपायो के साथ चयनात्मक उदारीकरण की इजाजत देनी होगी। राज्य सरकार, उद्योग निदेशालय एव अन्य सस्थाओ द्वारा लघु उद्योगो मे लाभ बढाने के लिए एक कार्य दल बनाया जाये। जो विभिन्न उद्योगो मे जा कर उनका सर्वेक्षण करे और पता लगाये कि लाभ बढने का क्या कारण है।

लघु स्तर इकाइयो के उत्पादो के विपणन मे सहायता करने के लिए कीमत प्राथमिकता नीति को लघु स्तर इकाइयो को हित की सुरक्षा करने के लिए एक स्थायी उपाय बनाया गया। इस प्रकार लघु स्तर इकाइयाॅ द्वारा निर्मिम की गयी वस्तुओ के सम्बन्ध मे 10% की कीमत प्राथमिकता के उपाय को हटा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप लघु स्तर इकाइयो के विक्रय पर दुष्प्रभाव पडा है। यह एक अनावश्यक कदम था एव अब इस बात की जरूरत है कि इस उपाय को पुन लागू किया जाये।

सरकार ने लघु स्तर इकाइयो एव अनुपगी उद्यम सम्बन्धी विलम्बित भुगतान अधिनियम (Delovped Payment to SSI & Ancillary undertakings Act, 1993) का सशोधन करने का निर्णय किया है। इस अधिनियम के प्रावधानो को और अधिक सख्त बनाने के उद्देश्य से भुगतान को प्रधान उधार दर का 1 5 गुना कर दिया गया। अत आलोचकों का मत है कि विलम्बित भुगतान कानून लागू ही नही हुआ है। बहुत सी लघु स्तर इकाइयों को बन्द होने से बचाने के लिए इस कानून की धाराओ का प्रभावी रूप से पालन करना बहुत आवश्यक है।

स्त्रोत

अध्याय–1

- भारतीय अर्थव्यवस्था– जे एन मिश्रा, पृ0 410
- भारतीय अर्थव्यवस्था– डा0 अनुपम अग्रवाल, पृ0 57
- C S O, Manufactrng Interprses survey (1994-95)
- भारतीय रिजर्ब बैक करेन्सी एव वित्त की रिपोर्ट (1997–98)
- भारत सरकार आर्थिक समीक्षा (2000–2001)
- Planning Commission, second Five year Plan Page No 47
- Report of the village and Scale industries Committee (1955) Page 45
- भारत–2002
- भारत–2003

अध्याय–2

- भारतीय अर्थव्यवस्था – जे एन मिश्रा, पृ0 506
- भारतीय अर्थव्यवस्था – के पी एम सुन्दरम, पृ0 519, 520
- भारत आर्थिक सर्वेक्षण – 1994–95
- भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण एव विश्लेषण–

  प्रो0 एस एन लाल, पृ0 2 38
- आर्थिक समीक्षा – 1994–95 पृ0 157
- Small Industries Development Book of India, Opcit, Page 29
- भारत मे लघु उद्योग, विकास आयुक्त

  उद्योग मत्रालय, भारत सरकार, पृ0 19,24

- Grooth and Financing of Small Scale Industries in U P Page No 32
- उ0 प्र0 मे उद्योगो का विकास पेज न0 25
- उ0 प्र0 मे उद्योगो का विकास समीक्षा, 1991–92
- उद्योग निदेशालय उ0 प्र0, नियोजन एव अनुसधान प्रसारण कानपुर।
- Planning Commission, Ninth Five year Plan (1997-98) rol II
- Economic Survey , 1997-98
- Planning Commission, Scren Five year Plan roll II Page 132
- Government of India economic Survey, 1995-96
- Government of India Economic Survey 1994-95
- भारत 2002
- भारत 2003

अध्याय –3

- वित्तीय प्रबन्ध– डॉ0 एच के सिह, पृ0 350,351
- भारत मे लघु उद्योग, विकास आयुक्त,
- उद्योग मत्रालय भारत सरकार 1997
- भारतीय अर्थव्यवस्था–वी के पुरी, पृ0 472, 473
- भारत आर्थिक सर्वेक्षण– 1994–95
- भारत आर्थिक सर्वेक्षण– 1997–98
- भारत आर्थिक सर्वेक्षण– 2001–02
- भारत – 2003
- वित्तीय प्रबन्ध – डॉ0 माता बदल शुक्ला, पृ0 192
- भारतीय अर्थशास्त्र– डॉ एस सी जैन, पृ0 301

- नौवी पचवर्षीय योजनाए (1997–2002)
- भारत मे उद्योगो का सगठन, प्रबन्ध एव वित्त–डॉ0 आर एस कुलश्रेष्ठ
- लघु उद्योग और स्वरोजगार परियोजनाएँ भाग–2
  प्रधान मन्त्री रोजगार (योजनान्तर्गत)
- भारतीय रिजर्व बैक, करेन्सी एव वित्त की रिपोर्ट (1997–98)
- भारत सरकार आर्थिक समीक्षा – (2000–01)
- Government of India, Economic Survey, 1995-96
- Economic survey - 1997-98
- Planning Commission, Eight Five Year Plan roll II, Page 132
- The Hindu Survey of India Industry 1996, Page 37
- Government of India, Economic Survey 2000-01 (Delhi 2001), Page 142
- The Hindu Survey of Indian Industry 1999 Page 219
- Small Scale Industries- rasant DEsai (Himalya Publishing house)
- Planning Commission, ssecond Five year Plan page 47
- Report of the village and small & scale Industries Committee 1955 page 45
- The Rule of small Interprises in India Economic development Page 11
- Annual Srvey of Industries (1994-95)
- Economic Survey (1999-2000) Page No 126
- Report on Planning Commission 2002
- Annual Survey of Industries (1994-95)
- The National Small Industries Corporation Limited July- September 2001
- I BA Bulletion June 2002 rol xxiv Page No 6

अध्याय –4

- भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ बद्री विशाल त्रिपाठी पृ0 370, 378, 384
- भारतीय अर्थशास्त्र – डॉ एस सी जैन, पृ0 301
- भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ अनुपम अग्रवाल, पृ0 57
- भारत मे लघु उद्योग, विकास आयुक्त, उद्योग मत्रालय, भारत सरकार–1997
- भारतीय अर्थव्यवस्था – वी के पुरी, पृ0 474
- भारत, आर्थिक सर्वेक्षण–1994–95
- भारत आर्थिक सर्वेक्षण–1997–98
- भारत आर्थिक सर्वेक्षण–2001–02
- भारत आर्थिक सर्वेक्षण–2003
- भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण एव विश्लेषण– प्रो एस एन लाल, पृ0 2 38
- भारतीय रिजर्व बैंक, करेन्सी एव वित्त की रिपोर्ट (1997–98)
- भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा 2000–01
- योजना 2003 (जनवरी)
- उद्यमिता 2003 (अगस्त)

अध्याय–5

- भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ वी के पुरी, पृ0 473
- भारतीय अर्थव्यवस्था – डॉ जगदीश नारायण मिश्रा, पृ0 509
- भारत, आर्थिक समीक्षा – 1994–95
- भारत, आर्थिक समीक्षा – 1997–98
- भारत, आर्थिक समीक्षा – 2001–02
- भारत, आर्थिक समीक्षा – 2002–03

- नौवी पचवर्षीय योजनाएँ (1997–2002) roll II, पृ0 609
- आर्थिक समीक्षा, 1994–95, पृ0 157
- भारतीय अर्थव्यवस्था– डॉ बद्री विशाल त्रिपाठी, पृ0 378, 384
- Small Scale Industries - vasant Desai (Himalya Poblishing house)
- R B I Report on Currency and Finance, 1997-98 and IDBI on Development Banking in India, 2000
- C S O Manufacturing Enterprises Survey (1994-95)
- Report of the village and small Scale Industries committee 1955 Page 45
- The Role of small Enterprises in India, economic Development Page 11

अध्याय –6

- भारत मे लघु उद्योग विकास आयुक्त, उद्योग मन्त्रालय, भारत सरकार 1997
- भारतीय अर्थशास्त्र– डॉ एस सी जैन, पृ0 301

  उद्यमिता – (अगस्त) 2003
- भारत 2001
- भारत 2002
- भारत 2003
- भारतीय रिजर्व बैक, करेन्सी एव वित्त की रिपोर्ट (1997–98)
- आर्थिक समीक्षा 1994–95, पृ0 157
- योजना (नवम्बर) 2003, पृ0 16
- Annual Survey of Industries (1994-95)
- Partiya gota Derpran 2002
- Economic Survey (1999-2000), roll II, Page 665

• Report on Planning commission 2002

• Small Industries, Development Bank of India, SIDBI, Report on small Industries Sector 1999 (Lucknow, 1999)

अध्याय – 7

• भारतीय अर्थव्यवस्था– डॉ अनुमप अग्रवाल, पृ0 57, 62

• भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण एव विश्लेषण– प्रो एस एन लाल, पृ0 238

• भारतीय अर्थशास्त्र– डॉ एस सी जैन, पृ0 157

• आर्थिक समीक्षा 1994–95, पृ0 157

• आर्थिक समीक्षा 2000–01, पृ0 201

• Planning Commission, ninth Five year plan (1997-2002) roll- II

• Reoport on Planning Commission 2002

• Annual Survey of Industrires (1994-95)

• Annual Survey of Industries (2002-03) India, 2000 Page 563

• Reoport on Industrial Development Banking of India-1998-99

• Economic Survey 1999-2000, Page No 126

• The Role of Small Enterprises in India, Economic Development Page 11

• Small Scale Industries - Vasant Desai (Himalya Publishing house)

• The Hindu Survey of India Industries

• Government of Inida, First Five year Plan (1951-56)

• Government of India, Second Five year Plan (1956-1961)

• Government of India, Third Five year Plan (1969-1974)

• Government of India, Fifth Five year Plan (1975-1979)

Government of India, Sixth Five year Plan (1980-1985)

Government of India, Approach Paper to the

ninth Five year Plan (1997-2002) (Delhi 1996), Page 69

Arun Ghosh, "Government Policies Concerning Small Industries Scale An

Apprisal", in K P Suri(ed), I bid , Page 318

The Role of Small Enterprises in Economic Develpment (New Delhi 1971)

The Hindu Survey of India Industries 1996, Page 237

परिशिष्ट – 1

लघु उद्योग से संबंधित महत्त्वपूर्ण वित्तीय तथा औद्योगिक विकास निगमों की सूची

1 स्माल इडस्ट्रीज डेवेलपमेट बैक ऑफ इडिया

मुख्य कार्यालय

लखनऊ

'विकास दीप' छठी और सातवी मजिल, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ–226019,

फोन 234112, 233962, 236531, 236532, 244128, टेलेक्स 0535–2467,

फैक्स 239084

क्षेत्रीय कार्यालय

मुबई

नरीमन भवन, तेरहवी मजिल, 227, विनय के शाह मार्ग, नरीमन प्वाइट,

पोस्ट बैग न 9977, मुम्बई–400021

फोन न 2851280, 2851282, 2851274–78, टेलेक्स न 011–85016,

फैक्स 204448

कलकत्ता

44, शेक्सपीयर सरणी, पाचवी मजिल, पोस्ट बैग न 16038, कलकत्ता–700017,

टेलि न 2476818–20, टेलेक्स न द्वारा आईडीबीआई 021–2736, 4652,

फैक्स द्वारा आईडीबीआई 473593

गुवाहटी

आईडीबीआई बिल्डिग, जीएस रोड, सेटीनल के सामने, गुवाहटी–781005,

फोन 62545, टेलेक्स न 0235–2533,

फैक्स द्वारा आईडीबीआई 61853

मद्रास

टेम्पल टावर, पॉचवी मजिल, 476, अन्ना सलाई, नदनम, पोस्ट बैग न 1312,

मद्रास–600035

फोन 450286, टेलेक्स 041–7532,

फैक्स द्वारा आई डी बी आई 454103

नई दिल्ली

वाई एम सी ए कल्चरल सेटर, 1, जयसिह रोड, पोस्ट बैग न 192, नई

दिल्ली–110001

फोन 344037, 344067, 3747120, 343821, टेलेक्स 031–61513,

फैक्स 344071

2 नेशनल स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड

मुख्य कार्यालय

एन एस आई.सी भवन, ओखला इडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली–110020

क्षेत्रीय कार्यालय

1 प्रेस्टिज चैम्बर्स, कल्याण स्ट्रीट, मुबई–400009

2 20, अब्दुल हमीद स्ट्रीट, कलकत्ता–700069

3 615, अन्ना सलाई, मद्रास–600006

4 अम्बिकागिरि नगर, बेनाझावर रोड, कानपुर–208002

3 राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाएँ

इंडिस्ट्रयल फाइनेस कारपोरेशन ऑफ इडिया (आई एफ सी आई)

बैंक ऑफ बडौदा बिल्डिग, 16, ससद मार्ग, नई दिल्ली–110001

एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इडिया,

मेकर चैम्बर्स चार, आठवी मजिल 222, नरीमन प्वाइट, मुम्बई–400021

एक्सपोर्ट क्रेडट एड गारटी कारपोरेशन लिमिटेड

एक्सप्रेस टावर्स, दसवी मजिल, नरीमन प्वाइट,

मुम्बई–400021

इडस्ट्रियल रिकस्ट्रक्शन बैक ऑफ इडिया लिमिटेड

19, नेताजी सुभाष रोड (दूसरी मजिल),

कलकत्ता–700001

इडस्ट्रियल क्रेडिट एड इन्वेस्टमेट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आई सी आई सी आई)

163, बैबवे रिक्लेमेशन, मुम्बई–400020

इडस्ट्रियल डेवेलपमेट बैक ऑफ इडिया (आई डी बी आई.)

नरीमन भवन 227, वी के शाह मार्ग, बैकबे रिक्लेमेशन स्कीम,

नरीमन प्वाइट, पोस्ट बैग न 10020, मुबई–400020

4 राज्यो की विकास और वित्तीय सस्थाएँ

आध्रप्रदेश

आध्रप्रदेश हैंडिक्राफ्ट्स डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड

डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज, गवर्नमेट ऑफ आध्र प्रदेश हैदराबाद ए पी

पीसगाह काम्पलेक्स, नामपल्ली, हैदराबाद–500001

आंध्रप्रदेश इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड
10–2–289/21, शाति नगर,
हैदराबाद–500028

आध्रप्रदेश स्टेट एग्रो इडस्ट्रियल डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
एग्रो भवन, 10–2–3, ए सी गाईस,
हैदराबाद–500004

आध्रप्रदेश स्टेट नान–रेजीडेट इन्डियन इन्वेस्टमेट कारपोरेशन लिमिटेड
परिश्रम भवनम, बशीर बाग,
हैदराबाद–500029

आध्रप्रदेश आई एन डी एल डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
परिश्रम भवनम, 5–9–58/बी, बशीर बाग, पोस्ट बैग न 1049
हैदराबाद–500029

आध्रप्रदेश इलेक्ट्रोनिक डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड,
परिश्रम भवनम, बशीरबाग, हैदराबाद–500029

आध्रप्रदेश इडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड
5–9–58/बी, परिश्रम भवनम, फतेह मैदान रोड, हैदराबाद–500029

आध्रप्रदेश स्माल स्केल इडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड
5–110–174, फतेह मैदान रोड,
हैदराबाद–500004

आंध्रप्रदेश स्टेट फाइनेशियल कारपोरेशन
5–9–194, चिराग अली लेन,
हैदराबाद–500001

असम

डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज
गवर्नमेंट ऑफ असम, गुवाहाटी, असम

असम फाइनेन्शियल कारपोरेशन
यू टी रोड, गणेशगुडी, ओहारल्ली,
गुवाहाटी–781005

असम स्माल इंडस्ट्रीज डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
बामुनिमैदान, गुवाहाटी–781021

असम एग्रो–इंडस्ट्रीज डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
उलूबाडी, गुवाहाटी–781007

नार्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड
मोनीराम दीवान रोड, बामुनिमैदान, गुवाहाटी–781021

असम इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
जू रोड, गुवाहटी–781024

बिहार

डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज
गवर्नमेंट ऑफ बिहार, पटना, बिहार

बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
उद्योग भवन, दूसरी मजिल, पूर्वी गाधी मैदान, पटना–800004

बिहार स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन लिमिटेड
फ्रेजर रोड, पटना–800001

बिहार स्टेट स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
पश्चिमी गाधी मैदान, बिस्कोमान बिल्डिग (एनेक्स–1)
पटना–800004

बिहार स्टेट क्रेडिट एड इन्वेस्टमेट कारपोरेशन लिमिटेड
बिस्कोमान बिल्डिग, पश्चिमी गाधी मैदान, पटना–800004

बिहार स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
बिस्कोमान बिल्डिग, पश्चिमी गाधी मैदान, पटना–800004

बिहार स्टेट इडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड
बदर बगीचा, पटना–800001

चडीगढ
चडीगढ स्माल इडस्ट्रीज डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
9–ए, मध्य मार्ग, सेक्टर 7–सी, चडीगढ–160017

दिल्ली
दिल्ली फाइनेन्शियल कारपोरेशन
सरस्वती भवन, ई–ब्लॉक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001

दिल्ली स्टेट इडस्ट्रियल डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
एन ब्लॉक, बाम्बे लाइफ बिल्डिग, कनाट सर्कस,
नई दिल्ली–110001

गुजरात
डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेट ऑफ गुजरात,
अहमदाबाद, गुजरात

गुजरात इडस्ट्रियल इनवेस्टमेट कारपोरेशन लिमिटेड
चुन्नीबाई चैम्बर्स, दीपाली सिनेमा के पीछे, आश्रम रोड,
अहमदाबाद–380009

गुजरात इडस्ट्रियल डेवेलपमेट कारपोरेशन
भवानी चैम्बर्स, तीसरी मजिल, आश्रम रोड,
अहमदाबाद–380009

गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
गुजरात चैम्बर्स बिल्डिग, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380009

गुजरात स्टेट हैडीक्राफ्ट एड मैंडलूम डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
सन्यास आश्रम के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380009

गुजरात स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन
भगवती चैम्बर्स, गुजरात विद्यापीठ के सामने, आश्रम रोड,

गुजरात स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन
जलदर्शन बिल्डिग, आर सी मार्ग, अहमदाबाद–380009

हरियाणा

डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज

गवर्नमेट ऑफ हरियाणा, 30, बेज बिल्डिग, सेक्टर 17, चण्डीगढ–160017

हरियाणा स्टेट इडस्ट्रियल डेवेलपमेट कारपोरेशन

एससीओ 40–41, सेक्टर 17 ए,पीबी न 22, चडीगढ–160017

हरियाणा स्टेट स्माल इंडस्ट्रीज एड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड

सिबल बिल्डिग, सेक्टर 17 डी, चडीगढ–160017

हरियाणा फाइनेन्शियल कारपोरशन

बेज न 17, 18, 19, सेक्टर 17 ए, चडीगढ–160017

डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज, हरियाणा

30, बेज बिल्डिग, सेक्टर–17, चडीगढ–160017

हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड

15556, सेक्टर 18–डी चडीगढ–160018

हिमाचल प्रदेश

डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज

गवर्नमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, निगम बिहार, शिमला–171002

हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवेलपमेट कारपोरेशन

शालीग्राम भवन, खालिनी, शिमला–171004

हिमाचल प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन
किशोर भवन, सर्कुलर रोड, हिमरस, शिमला–171004

हिमाचल प्रदेश मिनरल्स एंड इडस्ट्रियल डेवेलपमेट कारपोरेशन
शिमला (एच पी)–171004

हिमाचल प्रदेश इडस्ट्रियल डेवेलपमेट कारपोरेशन
सर्कुलर रोड, हिमरस, शिमला

हिमाचल प्रदेश स्टेट इडस्ट्रीज एड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
किशोर भवन, द माल, शिमला (एच पी)

जम्मू और कश्मीर
डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज
गवर्नमेट ऑफ जम्मू–कश्मीर, श्रीनगर (जे एड के)

जे एड के स्टेट इडस्ट्रीज डेवेलपमेट कारपोरेशन
ड्राबु हाउस, रामबाग, श्रीनगर–190001

जे एड के स्माल स्केल इंडस्ट्रीज डेवेपलमेट कारपोरेशन,
करन नगर, श्रीनगर

कर्नाटक
डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज
गवर्नमेट ऑफ कर्नाटक, बगलूर, कर्नाटक

कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवेलपमेट बोर्ड
राष्ट्रोत्थानपरिषद् बिल्डिग, न 14/3, नरूपथुगा रोड, बगलूर–560002

कर्नाटक लेदर इडस्ट्रीज बेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
चौथी मजिल, पी यू बिल्डिग, एम जी रोड, बगलूर–560001

कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रानिक डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
एमलिन हेवन, 30, रेसकोर्स रोड, बगलूर–560001

कर्नाटक स्टेट हैडीक्राफ्ट डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
वेब्स कॉम्पलेक्स, 26, महात्मा गाधी रोड, बगलूर–560001

कर्नाटक स्टेट स्माल इडस्ट्रीज डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
एममिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बिल्डिग, इडस्ट्रियल इस्टेट, राजाजी नगर,
बगलूर–560044

कर्नाटक लेदर इडस्ट्रीज डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
14, लक्ष्मी बिल्डिग, जे सी रोड, बगलूर–560002

कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इनपेस्टमेट एड डेवेलपमेंट कारपोरेशनलिमिटेड
एम एस आई एल हाउस, 36, कनिघम रोड, बगलूर–560052

केरल
डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज
गवर्नमेट ऑफ केरल, तीसरी मजिल, विकास भवन, त्रिवेंद्रम–695033

केरल फाइनेन्शियल कारपोरेशन

केएफसी बिल्डिग, बेल्लयाम्बालम, त्रिवेन्द्रम–695002

केरल इडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड

शीमा बिल्डिग, महात्मा गाधी रोड, पीबी0 न 1820, कोचीन–682016

केरल स्टेट इडस्ट्रियल डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड

केस्टन रोड, कावदियार, त्रिवेन्द्रम–695001

डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज एड कामर्स

तीसरी मजिल, विकास भवन, त्रिवेन्द्रम–695033

केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड

केल्ट्रन हाउस, वेल्लयाम्बालम, त्रिवेन्द्रम–695001

केरल स्टेट स्माल इडस्ट्रीज डेवेलपमेट एड एम्पलॉयमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

हाउसिह बोर्ड बिल्डिग, शातिनगर, त्रिवेन्द्रम–695001

मध्यप्रदेश

डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज

गवर्नमेट ऑफ मध्यप्रदेश, भोपाल, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश स्टेट इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड

पचानन, मालवीय नगर, भोपाल–462001

मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो–इडस्ट्रीज डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
न्यू मार्किट, तात्या टोपे नगर, भोपाल–462001

मध्यप्रदेश स्टेट इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
पचानन, मालवीय नगर, भोपाल–462003

मध्यप्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन
फाइनेन्स हाउस, बाम्बे–आगरा रोड, इदौर–452001

महाराष्ट्र
डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज
गवर्नमेट ऑफ महारष्ट्र, मुबई, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन
न्यू एक्सेलसियर बिल्डिग, पाचवॉ और नौवॉ तल,
ए के नायक मार्ग, फोर्ट, मुबई–400001

महाराष्ट्र इडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन
मारोल इडस्ट्रियल एरिया, महाकाली केव्स रोड,
अॅधेरी (ईस्ट), मुबई–400094

स्टेट इडस्ट्रियल एड इनवेस्टमेट कारपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड
पहली मजिल, निर्मल, नरीमन प्वाइट, मुबई–400021

महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लिमिटेड
प्लॉट न 214, बैकबे रिक्लेमेशन, रहेजा सेन्टर, तेरहवी मजिल,
नरीमन प्वाइट, मुबई–400001

महाराष्ट्र स्माल स्केल डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
कृपानिधि, 9 डब्लू, हीराचद मार्ग, बैलार्ड इस्टेट, मुबई–400038

ओडिसा

डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज
गवर्नमेट ऑफ ओडिसा, भुवनेश्वर, ओडिसा

ओडिसा इडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रचर डेवेलपमेट कारपोरेशन
आई डी सी ओ टावर्स, जनपथ, भुवनेश्वर–751007

ओडिसा स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन
ओ एम पी स्क्वायर, कटक–753003

इडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन ऑफ ओडिसा लिमिटेट
पी बी न 78, भुवनेश्वर–753005

ओडिसा स्माल इडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड
बाराबती स्टेडियम, कटक–753005

पाडिचेरी

पाडिचेरी इडस्ट्रियल प्रोमोशन डेवेलपमेट एड इनवेस्टमेट कारपोरेशन लिमिटेड
38 रोम्यॉ रोलॉ स्ट्रीट, पाडिचेरी–605001

पजाब

डाइरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रीज
गवर्नमेट ऑफ पजाब, चंडीगढ़, पंजाब

पजाब फाइनेन्शियल कार्पोरेशन

सेक्टर 17–बी, 95–98 बैंब स्क्वायर, चडीगढ–160017

पजाब स्टेट इलेक्ट्रानिक्स इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड

बत्रा बिल्डिग, सेक्टर 17, पोस्ट बैग न 11, चडीगढ–160017

पजाब एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड

कोठी न 117, सेक्टर 18–ए, पी बी न 20, चडीगढ–160017

उद्योग सहायक

डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज, 17 बेज बिल्डिग, सेक्टर–17,
चडीगढ

पंजाब स्टेट इडस्ट्रीयल डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड

एस सी ओ 54, 55 और 56, सेक्टर 17–ए, चडीगढ–160017

राजस्थान

डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज

गवर्नमेट ऑफ राजस्थान, जयपुर, राजस्थान

राजस्थान स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन, लिमिटेड

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर–302005

राजस्थान फाइनेन्शियल कारपोरेशन

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर–302005

राजस्थान स्टेट इडस्ट्रियल डेवेलपमेट एड मिनरल डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड,
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

तमिलनाडु
डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज
गवर्नमेट ऑफ तमिलनाडु, मद्रास, तमिलनाडु

स्टेट इडस्ट्रीज प्रोमोशन कारपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड
51 / 52 ग्रीम्स रोड, मद्रास–600006

तमिलनाडु इडस्ट्रियल इनवेस्टमेट कारपोरेशन लिमिटेड
अरूल मनानी, 27 हवाइट्स रोड, मद्रास–600004

तमिलनाडु इडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
735, अन्ना सलाई, मद्रास–600002

तमिलनाडु स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
4, हवाइट्स रोड, मद्रास–600014

त्रिपुरा
डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज
गवर्नमेट ऑफ त्रिपुरा, अगरतला, त्रिपुरा

त्रिपुरा स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
अगरतला–799001

त्रिपुरा इडस्ट्रियल डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
अगरतला–790001

उत्तरप्रदेश
डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज
गवर्नमेट ऑफ उत्तरप्रदेश, उद्योग भवन, जी टी रोड,
कानपुर–208002

5 प्रदेशीय इडस्ट्रियल एड इनवेस्टमेट कारपोरेशन ऑफ यू पी लिमिटेड,
जावर भवन एनेक्सी, दूसरी मजिल, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

6 यू.पी इडस्ट्रियल लिमिटेड
पाचवी मजिल, हैडलूम भवन, जी टी रोड, कानपुर,

7 यू पी एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
बी–27, सर्वोदय नगर, कानपुर–208005

8. यू पी. स्टेट इडस्ट्रियल डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
117 / 130, सर्वोदय नगर, कानपुर–208005

9 उत्तरप्रदेश इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लिमिटेड
नवचेतन केन्द्र पहला तल, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

10 यू पी फाइनेन्शियल कारपोरेशन
14 / 88, सिविल लाइन्स, कानपुर–208001

11 यू.पी. स्माल इडस्ट्रीज डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
बी–15, सर्वोदय नगर, कानपुर–208005

पश्चिम बगाल
डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज
गवर्नमेट ऑफ वेस्ट बगाल, कतकत्ता

वेस्ट बगाल फाइनेन्शियल कारपोरेशन
12–ए, नेताजी सुभाष रोड, तीसरा–चौथा तल, कतकत्ता–700001

वेस्ट बगाल इलेक्ट्रॉनिक्स इडस्ट्रियल डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
224, ई, आचार्य जगदीशचन्द्र बोस रोड, कलकत्ता–700001

वेस्ट बगाल स्माल इडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड
6 ए, राजा सुबोध मलिक स्क्वायर, तीसरी मजिल, कलकत्ता–700012

वेस्ट बगाल इंडस्ट्रियल डेवेलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड
23 ए, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता–700001
नया सचिवालय भवन (नौवी मजिल) 1, किरण शंकर राय रोड, कलकत्ता–700001

परिशिष्ट–2

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) से जुडे विकास एवं टैक्नोलॉजी सस्थानों की सूची

मुख्य कार्य

लघु उद्योगो को तकनीकी सहायता, सहायता सेवाएँ, सूचना सेवाएँ परामर्श, कार्यशाला सुविधाएँ, प्रशिक्षण आदि प्रदान करना

1 अडमान और निकोबार द्वीपसमूह

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट (ब्राच),

पोर्ट ब्लेयर

2 असम

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट,

इडस्ट्रियल इस्टेट बामूनीमैदान, गुवाहाटी–781021

एस टी डी –031–31152, टेलेक्स–235–2379

3 आध्रप्रदेश

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट,

नरसापुर क्रॉस रोड, बाला नगर, हैदराबाद–560037

एस टी डी 0842–278131, टेलेक्स 425–6628

ए पी एस एक्स,

4 अरूणाचल प्रदेश

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट (ब्राच)

आर के मिशन हॉस्पीटल, इटानगर–791113

5 बिहार

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, इडस्ट्रियल इस्टेट,

पटना–800013, एस टी डी–0612–62208

बिहार (मुजफ्फरपुर)

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, बेला इन्डस्ट्रियल इस्टेट,

पीओ आरके आश्रम,

मुजफ्फरपुर, एस टी डी –0621–242486

बिहार (रॉची)

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, इडस्ट्रियल इस्टेट,

कोकर, रॉची

8 दिल्ली

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, ऑपोजिट ओखला

इडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली–110020, एस टी डी –011–6847223

टेलेक्स–3175424 एस आई एस आई आई एन

9 दादर और नागर हवेली

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट (ब्राच)

मसूत, इडस्ट्रियल इस्टेट, सिलवसा–396230

10 गोवा

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, औधी मापरी बिल्डिग,

पीओ बॉक्स न –334, मारगाओ, पणजी–403601,

एस टी डी –0832–22438

11 गुजरात

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, हर्षिद्ध चैम्बर्स,

चौथी मजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380014

एस टी डी –0272–447147, टेलेक्स–0121–6314

जी यू ई एक्स आई एन

12. हिमाचलप्रदेश

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, जनक कुटी,

चबाघाट, सोलन–178218, एस टी डी –01792–2265

3 हरियाणा

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट,

एस सी एफ 137—138

अर्बन इस्टेट, सेक्टर—13 करनाल—132001

एस टी डी —0814—23665

14 जम्मू और कश्मीर

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, 181, करन नगर

श्रीनगर—190010, एस टी डी —0194—31077

15 कर्नाटक

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, राजाजी नगर,

बगलूर—560044, एस टी डी —0812—351581,

टेलेक्स—845—2328

16 केरल

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, कजनी रोड,

कृष्ण विहार, पी ओ अयानतोले, त्रिचूर—680003,

एस टी डी —0431—20638, टेलेक्स—0887—214

एस आई ए डी आई एन

17 मध्यप्रदेश

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, 10, इडस्ट्रियल इस्टेट,

पोलोग्राउड, इदौर—452003, एस टी डी —0731—33303

टेलेक्स—0735—209—एस आई एम पी आई एन

18 महाराष्ट्र

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, कुर्ला अँधेरी रोड,

साकी नाका, मुम्बई—400072, एस टी.डी —022—6367090,

टेलेक्स—011—79006—एम एस सी एक्स

19 महाराष्ट्र (नागपुर)

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, सदर,

नागपुर–435007, एस टी डी –0712–533352

20 मिजोरम

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, केलिश हाउस

रिपब्लिक वेग, आइजोल–1 एस टी डी –0364

21 मणिपुर

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, शेड न सी–17 और 18,

बिट न 23, इडस्ट्रियल इस्टेट, टेकयेलपट, इम्फाल–795001,

एस टी डी –03852–220584

22 मेघालय

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट (ब्राच) मेफेर फैक्टरी के पास,

शॉर्ट राउड रोड, शिलाग–793001, एस टी डी –0364

23 नगालैड

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट (ब्राच), इडस्ट्रियल इस्टेट,

डीमापुर–797112, एस टी डी –03862

24 ओडिसा

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, कणिका रोड, तुलसीपुर,

कटक–753008, एस टी डी –0671–23219, टेलेक्स–676–229

25 पजाब

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, इडस्ट्रियल एरिया 'बी',

लुधियाना–141003, एस टी डी –0161–403225

26 पाडिचेरी

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, (एक्सटेशन सेटर)

तट्टनचावडी, पाडिचेरी–605009

27 राजस्थान

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, 22, गोडाउन,

इडस्ट्रियल इस्टेट, जयपुर–302001, एस टी डी –0141–375653,
टेलेक्स–0365–2654, एस आई एस आई आई एन

28 सिक्किम

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, टाडोग हाउसिग कालोनी,
पी ओ टाडोग, गगटोक, सिक्किम–737102

29 तमिलनाडु

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, 65/1, जी एस टी रोड,
गुइडी, मद्रास–600032, एस टी डी –044–2341785,
टेलेक्स–041–26075

30 त्रिपुरा

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट (ब्राच), 21, हरीश ठाकुर रोड,
अगरतला–799001, एस टी डी –0381–6570

31 उत्तरपद्रेश

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, ए–107, इडस्ट्रियल इस्टेट,
कालपी रोड, कानपुर–282004, एस टी डी –0381–6570,
टेलेक्स–0325–284–एस आई एस आई के पी

32 उत्तरप्रदेश (आगरा)

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, ए–208, कमला नगर, आगरा–282005,
एस टी डी –0562–72188

33 इलाहाबाद

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, ई–17/18, इडस्ट्रियल इस्टेट, नैनी,
इलाहाबाद, (यू पी)

34 पश्चिम बगाल

स्माल इडस्ट्रीज सर्विस इस्टिट्यूट, 111 और 112, बी टी रोड,
कलकत्ता–700035, एस टी डी –033–527594
टेलेक्स–21–29550 एस.आई.एस आई एन आई

टूलरूम

कार्य

उद्योगो के लिए टूल डाई, जिग्स तथा फिक्सचर्स का डिजाइन एव उत्पादन करना, उपकरणो के उत्पादन मे परामर्श एव परीक्षण सेवाएँ देना, कामगारो को प्रशिक्षित करना।

1 सेट्रल इस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन, बालगीर,
हैदराबाद–500037

2 सेट्रल टूलरूम, ए–5, फोकल पाइट,
लुधियाना–141–10

3 सेट्रल इस्टिट्यूट ऑफ हैड टूल्स, जी टी रोड, बाइपास,
जालधर–144006

4 सेट्रल टूलरूम एण्ड ट्रेनिग सेटर, बन हुगली इडस्ट्रियल एरिया,
कलकत्ता–700035

5 टूलरूम एड ट्रेनिंग सेटर, वजीरपुर,
दिल्ली–110057

6 इण्डो–जर्मन टूलरूम, हर्षिद्ध चैम्बर्स, चौथी मजिल, आश्रम रोड,
अहमदाबाद–380014

7 गवर्नमेट टूलरूम एड ट्रेनिग सेटर, राजाजी नगर, इडस्ट्रियल एरिया,
बगलूर–560044

8 इण्डो–जर्मन टूलरूम (औरगाबाद),
कुर्ला अँधेरी रोड, साका नाका,
बम्बई–400072

9 सेट्रल टूलरूम एड ट्रेनिग सेटर, इनर सर्किल रोड न 3,
काट्रेक्टर्स एरिया, हिसतपुर,
जमशेदपुर–83100

10 सेट्रल टूलरूम एड ट्रेनिग सेटर, भवुनेश्वर, विकास सदन,
कालेज स्क्वायर, सी टी सी –3,
कटक–753003

प्रोडेक्ट एण्ड प्रोसेस डेवेलपमेट सेंटर

एक विशेष उत्पाद समूह मे तकनीकी खाई को भरने के लिए और आर एड डी (शोध एव विकास) की सुविधाएँ प्रदान करने हेतु पी पी डी सी की स्थापना की गई थी।

मुख्य कार्य

उत्पाद और प्रक्रिया मे सुधार, नए और प्रवर्तित उत्पाद की रूपरेखा, बेहतर पैकेजिग तकनीक का विकास, मानवशक्ति विकास और प्रशिक्षण केन्द्र

1 प्रोडक्ट–कम प्रोसेस डेवेलपमेट सेटर
फॉर सेरेमिक्स एड ग्लास इडस्ट्रीज, कूनहरटोली, दूसरी लेन, पुरूलिया रोड,
रॉची–834010 (बिहार)

2 प्रोडक्ट–कम–प्रोसेस डेवेलपमेट सेटर,
स्पोर्ट्स गुड्स एड लीजर टाइप इक्विपमेट, दिल्ली रोड, मेरठ सिटी–250002

3 प्रोडक्ट–कम प्रोसेस डेवेलपमेट सेटर, (फाउडरी एड फॉरजिग)
एफ–166, कमला नगर, आगरा (यू पी)–282006

4 इलेक्ट्रानिक सर्विस एड ट्रेनिग सेटर,
ग्राम रामनगर, कानीवा, जिला नैनीताल (यू पी)

5 प्रोडक्ट–कम प्रोसेस डेवेलपमेट सेटर
फार एसेशियल ऑइल्स एण्ड परफ्यूम इडस्ट्रीज, कन्नय,

6 सेट्रल इस्टिट्यूट फॉर ग्लास इडस्ट्रीज,
फिरोजाबाद (उत्तरप्रदेश)

7 इस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ टेक्निकल मेजरिंग इस्ट्रूमेट्स (आईडी ई एम आई)
स्वातत्रयवीर तात्या टोपे मार्ग, चूना भट्टी, सायन पी ओ, मुम्बई–400022

सेट्रल फुटवियर ट्रेनिग सेटर

मुख्य कार्य

फुटवियर इडस्ट्रीज के लिए मानवशक्ति प्रशिक्षण, फुटवियर मे डिजाइन का विकास

1 सेट्रल फुटवियर ट्रेनिग सेटर, 428, कोशलपुर एग्रो बाइपास रोड,
आगरा–282005

2 सेट्रल फुटवियर ट्रेनिग सेटर, 65/1, जी एस टी रोड, गुइडी,
मद्रास–600032

मुख्य कार्य

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, लघु उद्योगो मे प्रलेखो और सूचनाओ का प्रसार, विकास अधिकारियो और औद्योगिक विस्तारण स्टाफ को प्रशिक्षण

1 नेशनल इस्टिट्यूट फॉर स्माल इडस्ट्रीज एक्सटेशन एड ट्रेनिग
(एन आई एस आई ई टी), यूसुफगदा, हैदराबाद–500045

2 इन्टीग्रेटेड ट्रेनिग सेटर,
नीलोखेरी (हरियाणा)–132117

3 नेशनल इस्टिट्यूट फॉर आत्रेप्रेन्यिरशिप एड स्माल बिजनेस डेवेलपमेट
(एन आई ई एस बी यू डी), एन एस आई सी कैम्पस,
ओखला इडस्ट्रियल इस्टेट, ओखला, नई दिल्ली–110020

परिशिष्ट – 3

तकनीकी परामर्श देनेवाली सस्थाओ की सूची

1 आध्रप्रदेश

आध्रप्रदेश इडस्ट्रियल एड टेक्निकल कसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,
परिश्रम भवनम, आठवी मजिल, ईस्टर्न विग, 5–958/बी, बशीर बाग,
हैदराबाद–500029
फोन 33058, 33616, तार एपीआईटीसीओ

2 असम

नार्थ ईस्टर्न इडस्ट्रियल एड टेक्निकल कसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड
मोनीराम दीवान रोड, बामुनिमैदान, गुवाहाटी–781021
फोन 31141, 31142, 31143, 25462, 27422, टेलेक्स 0235–330
तार एनईआईटीसीओएल

3 बिहार

बिहार इडस्ट्रियल एड टेक्निकल कसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,
उद्योग विकास भवन, छठी मजिल, रामचरित्र सिह पथ, बेली रोड–पटना–800001
फोन 53065, 53976, तार बीआईटीसीओ

4 गुजरात

गुजरात इडस्ट्रियल एड टेक्निकल कसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,
नेप्चून टावर, आश्रम रोड, पो बी न 209, अहमदाबाद–380009
फोन 407617–18, 407658, तार उद्योगसलाह

5 हरियाणा

हरियाणा इडस्ट्रियल कन्सल्टेंट्स लिमिटेड,
459, सेक्टर–14, सोनीपत–131001, फोन . 3707, तार हरिकोन

6 हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश कसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,

न्यू ब्रिज वियू इस्टेट, द माल शिमला–171001,

फोन 2488, 4537, तार कसल्टेन्ट्स

7 जम्मू–कश्मीर

जे एड के इडस्ट्रीयल एड टेक्निकल कंसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,

नसीब भवन, पुरानी मडी, पी बी न 84, जम्मू–180001, फोन 47565

तार जेकेइटको

8 कर्नाटक

टेक्निकल कंसल्टेसी सर्विस आर्गनाईजेशन ऑफ कर्नाटक,

डाइरेक्टोरेट ऑफ इडस्ट्रीज एड कामर्स, राष्ट्रोत्थान परिषद भवन, छठी मजिल,

नरूपातुगा रोड, बगलूर–560002

फोन 258516, 285590, 771150, तार आरईसीएसओके

9 केरल

केरल इंडस्ट्रियल एड टेक्निकल कसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,

शीमा बिल्डिग, महात्मा गाधी रोड, कोचीन–682016

फोन 354180, 360408, तार कसल्टेट्स

10 मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश कसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,

पी बी न 339, गगोत्री, टी टी नगर, भोपाल–462003

फोन 64616, 66313, 66768, टेलेक्स 705–249, तार एमपीसीओएन

11 महाराष्ट्र

महाराष्ट्र इडस्ट्रियल एड आर्गनाइजेशन लिमिटेड,

कुबेर चैम्बर्स, डॉ राजेन्द्र प्रसाद रोड, शिवाजी नगर, पुणे–411007

फोन 52122, तार एमआईटीओओएन

12 मणिपुर

नार्थ–ईस्टर्न इडस्ट्रियल कसल्टेट्स लिमिटेड,

इम्फाल अर्बन को.आ बैंक बिल्डिग, एम जी एवेन्यू, इम्फाल–795001,

तार एनईसीओएन

13 पजाब

नार्थ इडिया टेक्निकल कसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,

एस सीओ न 131–132 पहली मजिल, सेक्टर 17–सी,

चडीगढ–160017, फोन 31993, तार एनआईटीसीओएन

14 ओडिसा

ओडिसा इडस्ट्रियल एड टेक्निकल कसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड,

प्लॉट न 4, सत्यनगर, भुवनेश्वर–751007

फोन 53684, टेलेक्स 0675–292, तार ओआरआईटीसीओ

15 राजस्थान

राजस्थान कसल्टेसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड

देवी निकेतन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001

फोन 79207, तार कसल्टेट

16 तमिलनाडु

इडस्ट्रियल एड टेक्निकल कसल्टेसी आर्गनाइजेशन आफ तमिलनाडु लिमिटेड,

50–ए, ग्रीम्स रोड, मद्रास–600006

फोन 470324, टेलेक्स 041–7736, तार टीएएन कन्सल्ट

17 उत्तरप्रदेश

यू पी. इडस्ट्रियल कंसल्टेट्स लिमिटेड,

पॉचवी मजिल, हैण्डलूम भवन, जी टी रोड, कानपुर–208002